माला, खंड 4, अंक 26

मंगलवार, 21 जुलाई, 1998
30 आषाढ़ 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 21 जुलाई, 1998/30 आषाढ़, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
13	नीचे से 7	श्री लालू प्रसाद यादव	श्री लालू प्रसाद
95	17	प्रो॰अजीत कुमार मेहता	प्रो॰ अजित कुमार मेहता
335	नीचे से 14	श्री अजित जोगी	श्री अजीत जोगी
483	नीचे से 3	9 का लोप कीजिए।	
484	9	श्री सरेश कुरूप	श्री सुरेश कुरूप
500	17	श्री रामदास अठावले	श्री रामदास आठवले
504	4	श्री अकबर अली खाण्डोकर	श्री अकबर अली खांदोकर
504	5	श्री बी॰एम॰मैसंकई	श्री बी॰एम॰ मैनींसकाई
506	नीचे से 5	निर्बाद	निर्बाध
568	नीचे से 3	जलाई,	जुलाई,

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 26, मंगलवार, 21 जुलाई, 1998/30 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 482 से 485	2–37
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 486 से 501	37–67
अतारांकित प्रश्न संख्या 4828 से 5057	67–438
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	439–442
राज्य सभा से संदेश.	442–443
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रतिवेदन	443–444
महाराष्ट्र के दो भूतपूर्व मंत्रियों को सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या की धमकी दिए जाने तथा उनके साथ हाथापाई किए जाने के आरोप के बारे में	444–453
कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम पंचाट के बारे में	453–483
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट आने के कारण रबड़ उत्पादकों को हो रही कठिनाइयां	484–503
श्री सुरेश कुरुप	484–485
श्री रामकृष्ण हेगड़े	486–493, 500–503
श्री चेंगारा सुरेन्द्रन	494
श्री पी.सी. चाक्को	495–498
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	498
नियम 377 के अधीन मामले.	504–511
(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण लाल शर्मा	504

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(दो)	मध्य प्रदेश के भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता डा. राम लखन सिंह	505
(तीन)	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता श्री गिरधारी लाल भार्गव	505
(चार)	दिल्ली-पोरबन्दर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाए जाने की आवश्यकता श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया	506
(पांच)	राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता श्री नरेन्द्र बुडानिया	506
(छह)	हिमाचल प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री के.डी. सुल्तानपुरी	507
(सात)	मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर रह रहे गन्दी बस्ती निवासियों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता श्री अभय सिंह एस. भोंसले	508
(आठ)	पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना—चरण दो को स्वीकृति दिए जाने और इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता डा. असीम बाला	509
(नौ)	जरूरतमंद निर्धन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता श्री सी. गोपाल	509
(दस)	बिहार में दरभंगा में महाप्रबन्धक, दूरसंचार के कार्यालय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वहां पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	510
(ग्यारह)	पश्चिम बंगाल में हुगली स्थित डनलप इंडिया लिमिटेड के एकंक को पुन: खोले जाने की आवश्यकता श्री अकबर अली खांदोकर	510
(बारह)	बंगलौर सी एस टी मुम्बई एक्सप्रेस को हवेरी और राणेबेन्नूर में रोके जाने की आवश्यकता श्री बी.एम. मेनसिंकाई	511

विषय	कालम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
मारुति उद्योग लिमिटेड	511–568
श्री एस. जयपाल रेड्डी	511–516
श्री बसुदेव आचार्य	517–521
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	521–526
श्री के. करुण. करण	526–531
श्री खारबेल स्वाईं	531–536
श्री वी.वी. राघवन	536–538
श्री टी.आर बालू	538–540
प्रो. पी.जे. कुरियन	540–543
डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी	543–545
श्री प्रमथेस मुखर्जी	545–548
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	548–551
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर	551–552
श्री वारकला राधाकृष्णन	552–554
श्री सिकन्दर बख्त	554–566
कार्य मंत्रणा समिति	
चौथा प्रतिवेदन	568

लोक सभा

मंगलवार, 21 जुलाई, 1998/30 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड): महोदय, मैंने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाए जाने के लिए प्रश्न काल को स्थगित किए जाने के संबंध में एक नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मुकुल वासनिक (बुलदाना) : यह कानून और व्यवस्था की पूरी असफलता है। संवैधानिक तंत्र की पूरी असफलता है। मंत्रियों को धमकी दी गई है। मंत्री का जीवन दांव पर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मैंने आपको प्रश्न काल को स्थगित करने के बारे में नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: अध्यक्ष जी, हमने क्वैश्चन-ऑवर को सस्पैंड करने का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सबको क्वैश्चन-ऑवर के बाद अलाऊ करूंगा। ...*(व्यवधान)* मुत्तेमवार जी, आपको क्वैश्चन-ऑवर के बाद अलाऊ करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब आप कृपया बैठ जाइए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विदेशी सहायता

*482. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु ऐसे संगठनों को अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे संगठनों को नियमित लेखा परीक्षा के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 12,136 एसोसिएशनों ने विवरणियां दायर की हैं। उनके नाम, 1996-97 में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति पर वार्षिक रिपोर्ट, में दिए गए हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी गई हैं।

(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर दी जाती हैं: एसोसिएशन का स्वरूप, इसके उद्देश्य, इसकी पिछली गतिविधियों के ब्यौरे, इसकी कार्यकारिणी/शासी परिषद की संरचना, अधिनियम

के उपबन्धों का उल्लंघन यदि कोई हो तो और क्या यह एसोसिएशन विदेशी अभिदाय प्राप्त करने हेतु प्रतिबंधित श्रेणी में आती है या नहीं।

(ग) और (घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत आने वाली एसोसिएशनों से उनके द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग की सूचना चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित तुलन-पत्र और प्राप्ति तथा भुगतान विवरण के साथ प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कुछेक ऐसोसिएशनों के लेखों की संवीक्षा, उस एसोसिएशन द्वारा रखे गए लेखों/रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: सभापति जी, इसमें लिखा है कि एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, लेकिन वह हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोगों को आप दिलवा तो दीजिए।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज भारत में कई गैर-सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएं विदेशों से सहायता प्राप्त कर रही हैं। कहने के लिए ये संस्थाएं लोकहित के कार्य करती हैं लेकिन आज यह एक व्यवसाय बन गया है। मुम्बई की एक पत्रिका इक्नोमिक एंड पौल्टिकल वीकली ने बताया है कि ये संस्थाएं 10 हजार करोड़ रुपये की रकम प्राप्त करती हैं। यह पैसा कहां जाता है इसका पता नहीं लगता। यह पैसा अमीर देशों द्वारा भारत जैसे देशों को कुछ गरीबी के कारण, कुछ अपने देश के प्रभाव को डालने हेतु तथा कुछ गुप्तचरी के लिए दिया जाता है। सरकार द्वारा इसकी जांच नहीं की जाती है। हमारी राज्य सरकारें सीधे पैसा नहीं ले सकती और न ही सरकारी संगठन पैसा ले सकते हैं। भारत में इसकी जांच के लिए कोई मशीनरी नहीं है जिसके कारण ये संगठन विदेशी पैसा प्राप्त कर ऐशो-आराम कर रहे हैं, जबकि अफ्रीकी देशों ने ऐसी संस्थाओं पर नियंत्रण और निरीक्षण किया हुआ है। तंजानिया ने ऐसे संगठनों के नाम प्रकाशित किए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आर.एस.एस. को विदेशों से कितना पैसा मिला है और क्या इसकी कोई जांच हुई है या नहीं?

श्री लालकृष्ण आडवाणी: आर.एस.एस. को।

डा. शकील अहमद: आर.एस.एस. को कितना पैसा मिला है, आप बता दो दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा के लिए विषय नहीं है। कृपया आप इसे समझें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इस सवाल के अधीन सभी वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन्स के नाम पूछे हैं। जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है कि हिंदुस्तान में इस प्रकार की अनेक संस्थाएं हैं। कुल मिला कर 12136 एसोसिएशन्स हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रैगुलेशन एक्ट के अधीन अपने को रजिस्टर्ड करवा कर, विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त की है। उनकी पूरी सूची और उनको कितना पैसा मिला है, इसका विवरण एक एनुअल रिपोर्ट में प्रकाशित होता है जो लाइब्रेरी में रखी है। माननीय सदस्य अगर सवाल किसी विशेष संस्था के बारे में पूछेंगे तो उसके लिए अलग से नोटिस देना होगा।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग 'ख' में माननीय मंत्री महोदय ने विदेशी विनियमन अधिनियम 1976 का उल्लेख किया है। मैं अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1976 से अब तक इस अधिनियम के तहत कितने संगठनों के खिलाफ कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, 1976 से लेकर आज तक, लम्बा नोटिस है। 1976 में यह कानून पास हुआ था। मैं इसकी जानकारी करके सदन को दूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पहले जब अनुमति दी जाती है तो उस संगठन की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि उस संगठन के सदस्य कौन-कौन हैं, उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि क्या है। इसके अतिरिक्त हरेक संस्था, जिसका इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वह वर्ष के अंत में अपनी एक रिटर्न फाइल करें जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिटिड हो। उसमें बताया जाता है कि उन्होंने कितना धन प्राप्त किया और उसे किस प्रकार व्यय किया। अनुमति देते हुए जब किसी के यहां से धन आता है तो वह किस कार्य के लिए आता है, इसकी भी जानकारी ली जाती है। इसकी एक विस्तृत योजना है जिनके द्वारा इनकी मॉनिटरिंग होती है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 'क' के जवाब में कहा गया है कि जिन संस्थाओं को विदेशी धन मिलता है, उनकी लिस्ट लाइब्रेरी में रखी गई है और इनका ऑडिट किसी भी चार्टर्ड एकाउंटेंट से सर्टिफाई होकर आता है। मेरे दो सवाल हैं। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं हैं लेकिन सार्वजनिक ज्ञान है कि उनको अनेक प्रकार से, अनेक देशों के अहित के काम के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। क्या सरकार को इस प्रकार की जानकारी है, अगर है तो उसने क्या कार्यवाही की है, इसका हमें विवरण दें। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसा जवाब में लिखा है कि किसी भी टार्डर्ड एकाउटेंट से इसका ऑडिट कराया जा सकता है। हम जानते हैं कि टार्डर्ड एकाउंटेंट किस प्रकार सर्टिफिकेट देते हैं? क्या सरकार सी.ए.जी. के माध्यम से इन संस्थाओं का कभी छः महीने में, साल में, दो साल में टैस्ट ऑडिट करने की व्यवस्था करेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आपके सुझाव से पूर्व भी हम कभी-कभी इस प्रकार की आडिटिंग और चैकिंग करते हैं। इसमें मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है, उसमें कभी-कभी सरप्राइज चैकिंग भी करते हैं लेकिन कुल मिलाकर संस्थाएं बहुत अधिक हैं। उनका धीरे-धीरे व्यावहारिक रूप बढ़ता गया है। हमारे मंत्रालय में एक प्रमुख विभाग इसकी जांच करता है। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ संस्थाओं को गलत काम के लिए पैसा मिलता है, सदन को इस बात की जानकारी होगी कि इसमें एमाउंट रैगुलर सोर्सिज से आता है लेकिन बहुत सारा एमाउंट इररैगुलर सोर्सिज से भी आता है। सरकार और सरकार के गुप्तचर विभाग उसकी छानबीन करते रहते हैं।

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी: सभा पटल पर रखे गए विवरण को देखने के बाद मैं आज सुबह लाइब्रेरी में गया था। वार्षिक रिपोर्ट में केवल संगठनों के नामों की सूची दी गई है। लाइब्रेरी में उपलब्ध रिपोर्ट में संगठनों के नाम के आगे राशि नहीं दी गई है।

यह प्रश्न दो भागों में है। जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न दायर किया था उसने आर.एस.एस. को प्राप्त निधि के बारे में पूछा था। *...(व्यवधान)*

मैं इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। आपको अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी: मैं उस प्रश्न का उत्तर भी दे सकता हूं। इसलिए उन्हें मुझसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार: महोदय, उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है। उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है। *...(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी: उन्हें मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अभी तो मैं मंत्री भी नहीं हूँ। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बीच में टोकिए नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बीच में टोकिए नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सी.आई.ए. ने इनको कितना पैसा दिया है।

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी: आर.एस.एस. असंसदीय है जो मैं उसका नाम नहीं ले सकता? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. स्वामी के अनुपूरक प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी: इसीलिए मैं आपके बारे में जानता हूँ। मैं इसी विद्यालय में जाकर दुर्योधन के बारे में जान पाया हूँ। मुझे इसके बारे में भी पता चला है। मुझे उनकी ऊधमी गतिविधियों के बारे में पता है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: डा. स्वामी कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी: यह प्रश्न दो भागों में पूछा जाना चाहिए। पहला, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आर.एस.एस. एक संगठित संगठन है जिसका भाजपा भी एक हिस्सा है और क्या इसे अन्य संगठित संगठनों जैसे विश्व हिन्दु परिषद, अंतर-राष्ट्रीय सहयोग परिषद इत्यादि की तरह धन मिला है। यदि हां, तो कितना? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट में राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

दूसरा, जो अप्रवासी भारतीय यहां भारतीय बैंकों में अपने खाते रखते हैं क्या जो धन वे देते हैं वह विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत आता है या नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जहां तक राजनैतिक दलों का संबंध है, जिनमें से एक का माननीय सदस्य ने संगठित संगठन के रूप में उल्लेख किया है, उन्हें किसी प्रकार की विदेशी सहायता दिए जाने से अलग रखा गया है इसी प्रकार संसद सदस्य, विधायक, पत्रकार, न्यायधीश और ऐसे ही अन्य वर्ग पर विधायी तौर से विदेशी सहायता लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक सूची है जिसमें कुछ ऐसे संगठनों का नाम दिया है जो कुछ-कुछ राजनैतिक तो हैं परन्तु राजनैतिक दल नहीं हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे मजदूर संघ और युवा संगठन हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता लेने से पहले अनुमति लेनी होती है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: यह प्रश्न विशेष रूप से विश्व हिन्दु परिषद से संबंधित है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: विश्व हिन्दु परिषद उन संगठनों में से है जो इस वर्ग में आता है। इसे किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता लेने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान: जरा कांग्रेस का भी अकाउंट बता दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, अगर वी.एच.पी. या आर.एस.एस. में से किसी का कोई स्पैसिफिक सवाल पूछा जायेगा, मैं उसकी जानकारी जरूर दूंगा लेकिन मुझे जहां तक दिखाई देता है इस बार जिनकी रिसीट्स हुई हैं उनमें वे नहीं हैं।

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यन स्वामी: मैंने एक प्रश्न पूछा है कि क्या भारतीय बैंकों में खाते रखने वाले अप्रवासी भारतीय भी एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत आते हैं या नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह प्रश्न वैधानिक अधिक है। परन्तु जहां तक मुझे लगता है अगर किसी व्यक्ति का यहां खाता है और वह यहां किसी को रुपये के रूप में यहां सहायता देता है तो संभवत वहां इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यह प्रश्न कानूनी अधिक है।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान: क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कांग्रेस ने परमिशन ली थी?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: आनन्द मार्ग नामक एक संगठन है जो कि राष्ट्रविरोधी, सरकार विरोधी और निंदनीय गतिविधियों में लगा है। दिसम्बर, 1995 में इसने काफी संख्या में हथियार गिराए थे। वे हथियार विदेशों से आए थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संगठन को विदेशों से काफी धन प्राप्त हो रहा है और वे इसका प्रयोग राष्ट्र विरोधी, सरकार विरोधी और असामाजिक कार्यों में करते हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उस संगठन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने और उस संगठन द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय मंत्री महोदय ने आनन्द मार्ग का उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि यह उन 129 संगठनों में से एक है जिनकी पहचान की गई है और जिसे पूर्व अनुमति द्वारा निधियां लेने की अनुमति दी गई है।

यह उसी वर्ग में आता है। माननीय मंत्री इस निर्णय की सराहना करेंगे कि यह निर्णय पहले ले लिया गया है। जैसा कि आर.एस.एस. या विश्व हिन्दु परिषद का मामला है यह निर्णय इस सरकार ने नहीं लिया है। अगर कोई विशेष प्रश्न होगा तो मैं निश्चय ही बाद में उसका उत्तर दूंगा। जहां तक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संबंध है अगर कोई संगठन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होता है तो यह सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आवश्यक कार्रवाई करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सी.बी.आई. ने हथियार गिराए जाने की जाँच की है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष महोदय, एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत जिन 12,000 से अधिक संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें से एक विश्व हिन्दू परिषद भी है। हमारी जानकारी के अनुसार जो करोड़ों डॉलर की राशि विश्व हिन्दु परिषद ने विदेश से एकत्र की है, उसका बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। उसका उपयोग सही रूप से नहीं किया गया और इसके लिए उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया, एफ.सी.आर.ए. के वॉयलेशन का नोटिस दिया गया लेकिन दोनों कार्रवाइयां अब स्थगित हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विश्व हिन्दु परिषद् जो इन 12,000 संस्थाओं में से एक है, जिसने करोड़ों डॉलर्स एफ.सी.आर.ए. के रजिस्ट्रेशन के बाद विदेशों से प्राप्त किये हैं और यह कहकर प्राप्त किये कि हम भगवान राम का मन्दिर अयोध्या में बनाएंगे, परंतु मंदिर बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ जो नोटिस इनकम-टैक्स ने दिया है, उनके खिलाफ जो एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत नोटिस दिया गया है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, यह बताने की कृपा करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरा विश्वास है कि किसी संस्था ने अगर कोई गलत काम किया होता तो इतने सालों तक जो सरकारें थी, वे कभी उसे क्षमा नहीं करतीं।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी: महोदय, क्या वे इस बात से इन्कार कर रहे हैं कि कोई जाँच नहीं हुई थी? मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है। जाँच हुई हैं। क्या वे इस बात से इन्कार कर रहे हैं कि कोई जांच नहीं हुई है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मुझे विश्वास है कि संबंधित विभाग अवश्य इस मामले में कार्यवाही कर रहा है।

श्री राजेश पायलट: जी हां, वे ऐसा कहते हैं। सरकार ने कुछ जाँच करने के आदेश दिए थे और यह विभाग जांच कर रहा था। प्रश्न यह है कि क्या सरकार ये जाँच कर रही है या उन्होंने इन पर रोक लगा दी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे क्षमा नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 12,000 से अधिक स्वैच्छिक संगठन विदेशों से सहायता प्राप्त करते हैं, इनमें से कौन से संगठन ऐसे हैं जो भारत-नेपाल सीमा पर और इस देश के पूर्वोत्तर राज्यों में धर्मान्तरण करा रहे हैं और धर्मान्तरण के साथ राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में उनकी बराबर भूमिका है, उनकी गतिविधियां बराबर जारी हैं? क्या सरकार उन संगठनों को कितनी सहायता मिलती है, यह जानने के लिए, और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई इस प्रकार के दल का गठन करेगी या सीबीआई द्वारा उसकी जांच कराएगी जिससे उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां, जैसे इस देश में बराबर कहीं बम विस्फोट में उनका हाथ होता है, कहीं धर्मान्तरण कराने में उनका हाथ होता है और धर्मान्तरण के माध्यम से वे इस देश का राष्ट्रांतरण कर रहे हैं, उसको रोका जा सके?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं सम्मानित सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई इस प्रकार विदेशी धन का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को पहचानें कि इन 12,000 संगठनों में से अनेक ऐसे हैं कि जो धन उन्हें प्राप्त होता है, उसको वे हास्पिटल्स में पहुंचाते हैं, ऑर्फनेजेज को देते हैं और अनेक प्रकार के अच्छे कामों में उनका उपयोग होता है। इसलिए जनरली यह कहना कि फॉरेन कंट्री से एफ.सी.आर.ए. में जितना धन आता है, उसका दुरुपयोग होता है, यह धारणा पैदा करना देश के लिए हितकर नहीं होगा।

श्री आदित्यनाथ: माननीय अध्यक्ष जी, देश में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर मंत्री जी की क्या राय है? क्या इस पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग इस देश में हो रहा है, लोगों को ईसाई और मुसलमान बनाया जा रहा है, इनको रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका पहले ही उत्तर दे दिया गया है।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा धर्म आदि के नाम पर

[हिन्दी]

रामायण का प्रचार-प्रसार, आप देखेंगे तो अमेरिका से छपी हुई रामायण भारत में आती है। वे कौन से संगठन हैं। आज करोड़ों-करोड़ों रुपयों के बड़े-बड़े टैम्पल बनाये जा रहे हैं। अध्यक्ष

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत विभिन्न धर्मों का देश है। यहां से भगवान बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। कौन सी जरूरत पड़ गई कि वह स्वयंसेवी संगठन देवी, देवताओं के नाम पर ऐसा कर रहे हैं। इस देश में 356 करोड़ देवी-देवता हैं। ...*(व्यवधान)* एक हिन्दुस्तानी या एक भारतीय पर तीन देवता का हिसाब बनता है। ...*(व्यवधान)* यह मैं आपको बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको पता होना चाहिए कि यह प्रश्न काल है। यह कोई चर्चा के लिए विषय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य: अध्यक्ष जी, यह प्रश्न काल है, लालू जी ने इसको मजाककाल बना दिया है। क्या यह संसद मजाक होकर रह जायेगी। क्या यह माजककाल का अवसर है, लालू जी ने प्रश्नकाल को ऐसा ही बना दिया है। यह प्रश्नकाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया: इस तरह से नहीं किया जा सकता, किसी को भी भगवान का अपमान करने का अधिकार नहीं है ...*(व्यवधान)* यह भगवान को मानें या न मानें, लेकिन इस तरह का व्यवहार न करें ...*(व्यवधान)* यह क्षमा मांगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशों से जो दान का भारत में निर्विवाद रूप से प्रवाह हो रहा है, इसको रोकने के लिए भारत सरकार क्या उपाय करने जा रही है? समाजसेवी संगठनों को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि विदेशों से जो धन भारत में आ रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया: ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है, माननीय सदस्य ऐसा नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* इसको रिकार्ड से निकाल दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कठेरिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया: आप भगवान का अपमान नहीं कर सकते।

श्री लालू प्रसाद: यह बड़ा सम्मान कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* हमने कौन सी गलत बात की है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले अपने स्थान पर बैठिए। मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लालूजी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूरा कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद यादव: इन 12,000 संस्थाओं का क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)* क्या ये हमें प्रश्न नहीं पूछने देंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, यह जो विदेशी धन देश में आ रहा है, इसकी जरूरत क्या है। इसको बंद करने के लिए *...(व्यवधान)* मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। *...(व्यवधान)* इस विदेशी धन को जो भारत में विभिन्न नामों से आता है, उसको बंद करने में सरकार को कौन सी कठिनाई हो रही है, यह मैं जानना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सर, लालू जी ने कहा है कि हम भगवान को एक्सपोर्ट करते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम रिकार्ड देखकर उसको एक्सपंज करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: यदि हिम्मत है, तो जय बोलो। श्री राम का नारा लगाओ *...(व्यवधान)* भगवान का नाम लेकर उनको अपमानित करते हो। *...(व्यवधान)* आप भगवान को अपमानित क्यों करते हैं। *...(व्यवधान)* यह गलत तरीका है। यह हमारा हक है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: यह क्या तरीका है, क्या आप बोलने नहीं देंगे? *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: यह क्या तरीका है, क्या आप हमें बोलने नहीं देंगे? *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे मांग करते हैं कि आप श्री लालू प्रसाद जी के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिलाइए। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः जब हम बोलते हैं, तो ये खड़े क्यों हो जाते हैं? क्या इन्होंने ठेका ले लिया है, क्या ये दूसरों को नहीं बोलने देंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः लालू जी कृपया अपने दल के सदस्यों से कहें कि वे अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः ये आर.एस.एस. वाले हैं। क्या ये इस प्रकार से शोर मचाकर हमें बोलने नहीं देंगे, क्या इन्होंने भगवान के नाम का पट्टा लिखवा रखा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलटः अध्यक्ष महोदय, वह एक प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें अपना प्रश्न पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप एक दूसरे को क्यों उत्तेजित कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः हमने कौन सी गलत बात कही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाणः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः लालू जी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः अध्यक्ष जी, यह जो कानून है, वह विस्तार से किन-किन संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त करना है और किन्हें नहीं करना है, यह निर्धारित करता है। इसके अलावा सरकार जो गाइडलाइन्स बनाती है, उन गाइडलाइन्स की कसौटी के आधार पर निर्णय होता है कि किसी संस्था को रजिस्ट्रेशन दिया जाये या न दिया जाये। मैंने मंत्रालय में देखा है कि अगर कोई संस्था एप्लाई करती है तो उसकी एप्लीकेशन को वैट करने में काफी समय लगता है। वैट करते हुए कभी-कभी साल डेढ़ साल भी लग जाता है कि इसको रजिस्ट्रेशन दिया जाये या न दिया जाये क्योंकि गाइडलाइन्स में यह भी बात कही गयी है। आपने प्रत्यक्ष रूप से पूछा और मेरे एक सदस्य ने यहां से पूछा, मैं यह बताना चाहूंगा कि एक्ट में ऐसा प्रावधान पहले से है-

[अनुवाद]

> ''यदि संगम के कार्यकलापों का लक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक धार्मिक विश्वास से दूसरे में उत्प्रेरणा या बल द्वारा संपरिवर्तन पाया जाता है।''

[हिन्दी]

ऐसी संस्था को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है। अगर इंड्यूसमैंट के द्वारा, फोर्स के द्वारा कन्वर्शन के लिए, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्शन के लिए कोई पैसा मिलता है तो ऐसी संस्था को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है। अगर कहीं मिल भी जाती है तो उसके बाद चेकिंग होती रहती है। हम समझते हैं कि एफ.सी.आर.ए. का सही उपयोग होना चाहिए। यदि कोई संस्था एफ.सी.आर.ए. का उपयोग गलत कामों के लिए करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

[अनुवाद]

शराबघर में दक्षिण अफ्रीकी विमान परिचारिकाएं

*483. **श्री मुकुल वासनिकः***
श्री गुरुदास कामतः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1998 के 'दि एशियन एज, नई दिल्ली'' में ''साउथ अफ्रीकन एयरहोस्टेसिज

फेस अपार्थेड इन मुम्बई'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में संबंधित राज्य से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) जी हां, श्रीमान्।

तथाकथित घटना के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 19.6.98 को लगभग 2.00 बजे से दो युवक कैफे लियोपोल्ड, कोलाबा, मुम्बई के भू-तल पर शराब पी रहे थे। उसी समय दो महिलाएं रेस्टोरेन्ट में आई और पार्सल में बाहर ले जाने के लिए खाने की चीजों का आर्डर दिया। जब खाने की चीजें पैक की जा रही थी तो दोनों युवक नजदीक के टेबल पर बैठी दोनों महिलाओं के पास गए और महिलाओं से मेजानीन फ्लोर पर बने रेस्टोरेन्ट के परमिट रूम (बार) में उनके साथ आने का अनुरोध किया। क्योंकि ये दोनों व्यक्ति अक्सर रेस्टोरेन्ट में आते रहते थे इसलिए रेस्टोरेन्ट के कर्मचारी उनके झगड़ालू स्वभाव से परिचित थे। तद्नुसार उन्होंने उन व्यक्तियों और उन दोनों महिलाओं को परमिट रूम में जाने की अनुमति नहीं दी। जबकि महिलाएं बिना किसी तर्क-वितर्क के कैफे से बाहर चली गयी। ये व्यक्ति होटल से बदला लेने की धमकी देते हुए कैफे से बाहर चले गए।

2. हालांकि, इस घटना के बारे में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी थी लेकिन समाचार-पत्रों में इस घटना के छपने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की पुलिस से जांच कराई। पुलिस की जांच से पता चला है कि इस घटना में रंग या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया था।

(ङ) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुकुल वासनिक: महोदय, भारत ने हमेशा रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चाहे यह विश्व में कहीं भी विद्यमान रही हो। लेकिन 'एशियन एज' में ''साउथ अफ्रीकन एयर होस्टेसिज फेस अपार्थेड इन मुम्बई'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार अत्यन्त शर्मनाक रिपोर्ट थी। इससे इस हद तक छवि खराब हुई जिसके परिणामस्वरूप लोगों में काफी गलतफहमी उत्पन्न हुई है। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर की प्रशंसा करता हूं लेकिन जो तथ्य उनके उत्तर से प्राप्त हुए हैं वह तो कहानी के दूसरे पक्ष का वर्णन कर रहे हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या वास्तविक स्थिति वही है जो उन्होंने अपने उत्तर में दी है और क्या स्थिति नई दिल्ली स्थित दक्षिण अफ्रीका के दूतावास और दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय दूतावास को बताई जाएगी ताकि ऐसे नाजुक और महत्वपूर्ण मामले पर कोई गलतफहमी की गुंजाइश न हो।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि जहां तक भारत का संबंध है हम रंगभेद का विरोध करने में सबसे आगे रहे हैं चाहे वह पूरे विश्व में किसी भी रूप में विद्यमान हो। इसलिए यह स्वाभाविक था कि जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में रंगभेद नीति का विरोध करने के लिए यह प्रावधान किया जिसमें कहा गया है ''जाति अथवा धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नि:सन्देह संविधान के अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है:

''कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या .....''

भारतीय संविधान के प्रावधानों में यह एक प्रावधान है जिसमें किसी भी प्रकार के रंगभेद नीति के खिलाफ राष्ट्रीय भावना प्रतिबिम्बित होती है। इसलिए जब 'एशियन एज' में यह समाचार छपा और मैं समझता हूं कि 'इंडियन एक्सप्रेस' में भी कुछ इसी प्रकार का छपा था जिससे हर कोई चिन्तित हुआ था। लेकिन जांच में हमने पाया कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि बताया गया था। तथ्य भिन्न थे।

हमने भी और महाराष्ट्र सरकार ने भी उन एयर होस्टेसिज (विमान परिचारिकाएं) जो दक्षिण अफ्रीका एयरलाइन्स में खानसामा थी से सम्पर्क करने का प्रयास किया। लेकिन 20 जून को ही वे

दोनों चली गई थीं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के प्रयास किए हैं। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा दिए गए इस विशेष सुझाव के लिए मैं कोशिश करूंगा कि इसका पालन किया जाए।

श्री मुकुल वासनिक: महोदय, मैं सन्तुष्ट हूं।

बाल श्रमिक

***484. श्री राम टहल चौधरी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक उद्योगों से बाल श्रमिकों को मुक्त कराने संबंधी प्रधान मंत्री की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए खतरनाक उद्योगों की परिभाषा को पुन: परिभाषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) वर्तमान में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में खतरनाक उद्योग की परिभाषा नहीं की गई है। खतरनाक समझे जाने वाले व्यवसायों/प्रक्रियाओं को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह से अधिनियम की अनुसूची के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसे व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। वर्तमान में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग ''क'' और ''ख'' में क्रमश: 7 ऐसे व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। आज पचास वर्षों बाद भी भारत में बाल श्रमिकों की समस्या है, आए दिन पार्लियामेंट में भी इस बात पर चर्चा होती रहती है और कानून भी बनते हैं लेकिन यह बीमारी बढ़ती जा रही है। व्यवहारिक तो यह है कि जब तक बाल श्रमिकों की रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी क्योंकि वह अपने बूढ़े मां-बाप का पालन-पोषण करता है और घर चलाता है। इसलिए भाषण और कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसकी रोजी-रोटी के लिए कोई व्यवहारिक, ठोस कार्यक्रम बनाना होगा तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। मैंने पूछा था कि खतरनाक उद्योगों से बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री की कार्य योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए खतरनाक उद्योगों की परिभाषा को पुन: परिभाषित करने के बारे में क्या कोई प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी 18 प्रक्रियाएं हैं जो खतरनाक समझी जाती हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष जी, बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम के पार्ट ए और बी में एक अनुसूची दी गई है और वह अनुसूची बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के भाग क और ख के तहत है। पार्ट ए में जो आकूपेशन्स दिए गए हैं, उनमें-

[अनुवाद]

निम्नलिखित से संबंधित कोई उपजीविका-

(1) यात्री, माल या डाक का रेल द्वारा परिवहन।

(2) रेल परिसरें में सिंडर चुनना, भस्म गर्त को साफ करना या भवन संक्रियाएं।

(3) किसी रेल स्टेशन पर खानपान स्थापन में कार्य, जिसके अन्तर्गत एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर या किसी गतिमान गाड़ी में या उसके बाहर स्थापन के विक्रेता या किसी अन्य कर्मचारी का गमनागमन है।

(4) रेल स्टेशन के सन्निर्माण से या किसी ऐसे अन्य कार्य से, जहां ऐसा कार्य रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाता है, संबंधित कार्य।

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकारी।

(6) अस्थाई लाइसेंस धारी दुकानों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री से संबंधित कार्य; और

(7) बूचड़खाने/कसाई की दुकानें।

[हिन्दी]

ये वे आक्यूपेशंस हैं, जिनके बारे में सरकार ने निषेध किया हुआ है और जो प्रक्रिया है, जिन प्रक्रियाओं में बाल श्रम को नहीं लगाना चाहिए, जो निषेध किया गया है, उनमें हैं:

[अनुवाद]

(1) बीड़ी बनाना।

(2) कालीन बुनना।

(3) सीमेंट बनाना, जिसके अंतर्गत सीमेंट को बोरियों में भरना है।

(4) कपड़ा छपाई, रंजन और व्यूतन।

(5) दियासलाई, विस्फोटक और आतिशबाजी का विनिर्माण।

(6) अभ्रक काटना और विपाटन।

(7) चमड़ा विनिर्माण।

(8) साबुन विनिर्माण।

(9) चर्म शोधन।

(10) ऊन की सफाई।

(11) भवन और सन्निर्माण उद्योग।

(12) स्लेट पेंसिलों (पैकिंग सहित) का निर्माण।

(13) मणि के उत्पादों का निर्माण।

(14) सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, कैडमियम, बेंजेन, कीटनाशकों और एस्बेस्टस जैसे विषाक्त धातुओं और पदार्थों के प्रयोग से संबंधित विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं।

(15) फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत धारा 2 (गख) में व्याख्यित ''जोखिमयुक्त प्रक्रियाएं'' तथा धारा 87 के अंतर्गत नियमों में अधिसूचित ''खतरनाक प्रचालन''।

(16) फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2(ट)(4) में व्याख्यित मुद्रण।

(17) काजू का पेड़ और काजू छीलना और संबंधित उत्पाद का प्रसंस्करण।

(18) इलैक्ट्रानिक उद्योग में टांका लगाने की प्रक्रिया।

[हिन्दी]

इस प्रकार 18 प्रोसेस हैं, जिनके अंदर कि बाल श्रम प्रतिशेध किया गया है।

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी जो बताया, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें गरीबी दूर करने के लिए प्रधान मंत्री की कौन सी कार्य योजना है, इसके बारे में बतायें? मैं पूरक प्रश्न के दूसरे भाग में पूछना चाहता हूं कि बाल अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 1986 से अब तक राज्यवार कितने मामले दर्ज हुए हैं तथा दर्ज मामलों के फैसले में क्या किसी दोषी व्यक्ति को कोई सजा मिली है? इन बालकों की रोजी-रोटी के लिए क्या आप कोई उपाय कर रहे हैं? आप इनको सजा देंगे और उनको काम भी नहीं करने देंगे तो यह व्यावहारिक नहीं है, मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया: वास्तव में बाल श्रमिकों का निषेध करने के लिए कानून की धाराओं में प्रावधान है और विभिन्न फैक्टरी एक्ट्स के अंतर्गत भी प्रावधान किया गया है। इसके अधीन किसी प्रावधान का उल्लंघन करके एक बालक को यदि किसी प्रकार के नियोजन में शामिल किया जाता है तो जो व्यक्ति, इसका उल्लंघन करता है उसे ऐसी अवधि के कारावास में जो तीन माह से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से, जो 10 हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे 20 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जायेगा—इस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं। *...(व्यवधान)* देखिये, यह श्रम विभाग से संबंधित प्रश्न है और यदि आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। इसके अधीन जिस तरह से बच्चों के बारे में प्रावधान शामिल किये गये हैं, योजनाएं हैं, उसकी जानकारी मेरे पास है। निश्चित रूप से जिन-दिन प्रदेशों में जिस तरह से इसे रोकने का उपाय किया गया है, खतरनाक प्रोसेसेज से उनको निकालने की दृष्टि से, प्रदेशवार जानकारी भी मेरे पास है। लोगों को प्रोसीक्यूट करके इसे रोकना चाहिए, उस प्रकार के उपाय किये गये हैं, यह श्रम विभाग के तहत भी हैं। श्रम कानूनों का पालन करते हुए हमने अनेक प्रकार से इसे रोकने का उपाय किया है।

श्री राम टहल चौधरी: कितने मामले दर्ज हुए हैं, वह हमें नहीं बताया।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के बावजूद यह जीवन का सत्य है कि हमारे देश में बालश्रम का अमानवीय ढंग से शोषण होता है। हाल ही में एक यूरोपियन देश ने उस देश से कालीनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां इस काम के लिए बाल श्रमिक लगाए जाते हैं। पिछले सप्ताह दूरदर्शन पर दिखाया गया था कि लगभग 400 लड़के कालीन उद्योग में बड़े ही अमानवीय ढंग से बाल श्रम के रूप में काम कर रहे थे और उनका जानवरों की तरह शोषण किया जा रहा था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उस गलत

प्रबंधन को सजा देने के लिए कानून में कोई प्रभावी प्रावधान है जो अपने उद्योगों में बाल श्रमिकों को लगाकर उनका शोषण करते हैं। यहां तक कि वे बच्चों को उनके परिवार से ले जाते हैं और इन धनी कालीन निर्माताओं को कोई सजा नहीं दी जाती। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध जोड़ने पर विचार कर रहे हैं जिससे विशेष रूप से कालीन उद्योग में बालश्रमिकों का नियोजन और शोषण रोका जा सके।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सदस्यों की चिंता है, बाल श्रम की दृष्टि से विशेष जो कुछ किया जाना चाहिए, उसमें हम निरंतर उद्योगों को सूची में बढ़ा रहे हैं। किसी भी बालक को जो 14 वर्ष की उम्र से नीचे है, काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। यह सूची हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। इस संबंध में बनाई गई एक टैक्नीकल कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे उद्योगों को उसमें शामिल किया गया है। मैं माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए जानकारी देना मुनासिब समझता हूं कि जो आक्यूपेशंस हैं जिसमें हैंडलिंग आफ टाक्सिज सबस्टांसिज एंड इन्फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव्ज भी शामिल किया है। अभी हम जिन अन्य को शामिल करने के प्रोसेस में हैं उनमें है—

[अनुवाद]

प्लास्टिक इकाइयां, आटोमोबाइल कार्यशालाएं और गैराज, खानें, पोटरीज और सेरामिक उद्योग, रत्न-तराशना और पॉलिश करना, बर्तन बनाना, पत्थर तोड़ना और घिसना, पॉलिश करना और ढलाई, पीतल का सामान बनाना, रंग और रंगाई का सामान तैयार करना ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें उत्तर भेज सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार: मैं माननीय मंत्री से उन बाल श्रमिकों के बारे में जानना चाहता हूं जो पिछले सप्ताह माननीय श्रम मंत्री से मिले थे और जिन्हें कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कालीन उद्योग से बाहर निकाला गया था। वे श्रम मंत्री जी से मिले थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन नियोक्ताओं को सजा देने के लिए किसी जांच का आदेश दिया है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: आपकी चिंता से सहमति जताते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो बाल श्रम अधिनियम बने हुए हैं, उसमें हम और उद्योगों को भी शामिल करने के प्रोसेस में हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार: इसको राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिखाने का क्या अर्थ है जबकि आपने उन नियोक्ताओं के विरुद्ध किसी जांच का आदेश नहीं दिया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: यह किसी कानून के तहत ही किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: क्या एक्शन ले रहे हैं, वह भी बताएं?

श्री पवन सिंह घाटोवार: जो लोग आपसे मिले हैं, उसके बारे में क्या एक्शन ले रहे हैं?

डा. सत्यनारायण जटिया: आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। जिस प्रकार से बाल श्रम के बारे में माननीय सदस्यों की चिंता है और कार्पेट इंडस्ट्री के बारे में कहा गया है, उस बारे में हमारा यह मत है कि जहां बाल श्रमिक हैं, उनको वहां से रोका जाए और इसे रोकने के लिए विधान बनाया गया है कि किसी भी बाल श्रमिक से तीन घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे इस बारे में पूछ रहे हैं। आपने क्या कार्रवाई की है।

[हिंदी]

डा. सत्यनारायण जटिया: हम गंभीरता से कुछ और उद्योगों को इसमें शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील: महोदय, बाल श्रम एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसको केवल कानून, विनियमन और विधान द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। अधिकांश लोगों का मानना है कि गरीबी और निरक्षरता भी इसका एक कारण है। इसलिए उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास बाल श्रमिकों की संख्या कम करने की कोई योजना है और यदि हां तो इसके अंतर्गत कौन-कौन से उपाय किये गये हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: चाइल्ड लेबर के बारे में जो कानून है, उसको लागू करने के लिए उसे प्रभावशाली बनाने की कोशिश की गई है। उसके लिए इंस्पेक्शन की जाती हैं और जहां वॉयलेशन होता है, वहां केस रजिस्टर्ड भी किए जाते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता है और कंविक्शन भी होता है। पिछले वर्षों में जिस प्रकार कार्रवाई जारी रही, मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1992-93 में नम्बर आफ इंस्पेक्शन 28183 हुई थी, वॉयलेशन के केस 1890 थे, नम्बर आफ प्रोसिक्यूशन 1875 थीं, जिनमें 162 का कंविक्शन हुआ था। अभी रिसेंट 1998-99 के प्रोविजनल आंकड़े जो मेरे पास उपलब्ध हैं, उनके अनुसार 1325 केसेज में इंस्पेक्शन हुई थी, वायलेशन के केस 958 थे, प्रोसिक्यूशन 676 का हुआ और कंविक्शन 69 का हुआ था।

श्री बूटा सिंह: अध्यक्ष महोदय, चाइल्ड लेबर की समस्या राष्ट्र की सबसे गम्भीर समस्या है। बहुत बड़ी तादाद में देश के बच्चों को बंधुआ बनाकर, शोषण करके उनसे खतरनाक उद्योगों में काम लिया जाता है। जहां उनकी सेहत का भी कोई बंदोबस्त नहीं होता है। इसमें छोटे बच्चे मेल और फिमेल दोनों के साथ इतना जबर्दस्त शोषण हो रहा है कि जिसकी मिसाल दूसरे देशों में नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हमारे देश के हजारों बच्चों को प्रलोभन देकर बाहर भेज दिया जाता है और वे वहां से दुबारा फिर कभी देश में नहीं आते हैं।

बच्चों के सिलसिले में एक भयंकर किस्म का ट्रेड हो रहा है। उन्हें थोड़े से पैसे लेकर बाहर भेज दिया जाता है। मैं इस समस्या को सामने रखते हुए मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस कानून की वे बात कर रहे हैं, उसे लागू करने वाली मशीनरी उन उद्योगपतियों से भी ज्यादा खतरनाक है, जिनके उद्योग में ये बच्चे काम करते हैं। अभी जो आंकड़े बताए गए हैं उनसे साफ पता चलता है कि जहां बच्चे काम करते हैं, उन्हें ये डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। कहीं अखबारों के माध्यम से या किसी एक्सीडेंट से पता चल जाए तो यह मशीनरी हरकत में आती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वह सभा के सामने एक व्हाइट पेपर लाएंगे तो पता चल सके कि चाइल्ड लेबर का जो देश के अंदर इस वक्त जबरदस्त दुरुपयोग हो रहा है उसकी परिस्थिति क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप चाइल्ड लेबर के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय आयोग बनाएंगे जिसको सजा देने की शक्ति भी हो, क्योंकि हमारे देश के बच्चों को जिन्दगी तो मिली मगर उनको जीने का हक नहीं मिला, राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से वह हक उनको मिल सके। क्या भारत सरकार ऐसे बच्चों को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग कायम करेगी, जिसके पास ताकत हो कि जहां कहीं भी ऐसा दुरुपयोग होता है उनको तुरंत सजा देकर बच्चों को बचाया जा सके।

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय बूटा सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से उनकी चिन्ता से हम सभी सहमत हैं, किन्तु इन सारी बातों को क्रियान्वित करने के लिए तथा बाल कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, हमने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो काम करना शुरू किया है उसके अनुसार एक लाख बच्चों को शामिल करके कुछ योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं को प्रत्येक प्रदेश में लागू करने के लिए हमने जिले तय किए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह: महोदय, यह कोई उत्तर नहीं है। सरकार को बालश्रम के संबंध में संसद में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। संसद को इसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बूटा सिंह जी, अब उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से माननीय सदस्य की चिन्ता है कि कानून में जो प्रावधान है, जो चाइल्ड लेबर का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे कानूनों को और सख्त बना कर इन बातों की रोकथाम के लिए एक ठोस कानून बनाना चाहिए, इस बारे में किसी के दो मत नहीं हैं परन्तु हमारे पास जो प्रावधान उपलब्ध है उसी के अंदर हम काम कर सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत आज पूरे उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक कालीन उद्योग में, मोटर मेकेनिक में तथा चौराहों पर भारी संख्या में बाल श्रमिक श्रम करने के लिए इकट्ठे रहते हैं, क्या उस पर रोक लगाने के लिए कोई प्रावधान है? ...*(व्यवधान)* शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार के पास क्या कोई प्रावधान है, यह मंत्री जी बताने की कृपा करें?

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से चिन्ता व्यक्त की है, ...*(व्यवधान)* हम अगली बार ऐसे प्रस्ताव को लाने वाले हैं ताकि ऑटोमोबाइल वर्कशाप और गैराज आदि में बच्चों को काम करने के लिए रोकने का उपाय किया जाए, इस बारे में हम प्रावधान करने जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे अल्पकालिक चर्चा करना चाहते हैं। मंत्रीजी क्या आपको कोई आपत्ति है?

डा. सत्यनारायण जटिया: जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय: वे सहमत हो गए हैं। कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी इस पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात

*485. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:
श्री रामचन्द्र बैंदा:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन देशों से और कितनी मात्रा में देश-वार, खाद्य तेलों का आयात किया गया है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान देश में खाद्य तेलों की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार अपने घरेलू उत्पादन द्वारा मांग को पूरा करने में समर्थ है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों का आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अतिरिक्त सीमा-शुल्क लगाए जाने से खाद्य तेलों का आयात अधिक महंगा हो गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) राज्य व्यापार निगम कई वर्षों से केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकारी खाते पर मलेशिया और इंडोनेशिया मूल का केवल आर.बी.डी. पामोलीन का आयात कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर आयात किए गए आर.बी.डी. पामोलीन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	निम्न देशों से आयातित मात्रा (लाख टन में)		सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कुल आयात (लाख टन में)
	मलेशिया	इंडोनेशिया	
1995-96	1.66	0.36	2.02
1996-97	1.43	0.06	1.49
1997-98	0.48	0.41	0.89

पिछले तीन वर्षों में सरकारी और प्राइवेट, दोनों खातों पर देश-वार खाद्य तेलों के आयात को बताने वाला ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष में 82.00 लाख टन खाद्य तेलों की आवश्यकता होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार ने अगस्त-नवम्बर, 1998 के त्यौहार के महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए 1.5 लाख टन आर.बी.डी. पामोलीन का आयात करने का निर्णय किया है। इसके अलावा, चूंकि खाद्य तेलों (नारियल तेल, पाम करनल तेल, आर.बी.डी. पाम तेल और आर.बी.डी. स्टेयरिन को छोड़कर) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन करने की भी अनुमति है, इसलिए आपूर्ति में हुई कमी को पूरा करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निजी पार्टियों द्वारा खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा आयात की जा रही है।

(च) और (छ) वर्तमान वर्ष के नियमित बजट में आयात पर लगाया गया विशेष अतिरिक्त शुल्क व्यापार प्रयोजनों के लिए किए गए आयातों पर लागू नहीं है। अत: विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले आयातित खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के अधिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने खाद्य तेल पर मूल्य सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है ताकि खाद्य तेलों का आयात करने में सुविधा हो सके (5 प्रतिशत अधिभार अपरिवर्तित है)

अनुबन्ध

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात किए गए खाद्य तेल और उनकी कीमत सहित तेल की मात्रा के ब्यौरे

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रुपयों में)

देश	1995-96		1996-97		1997-98 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अर्जेन्टीना	113379	24996.56	234121	45463.9	139577	30242.71
आस्ट्रेलिया			4001	795.19	4000	908.83
बहरीन						
बेल्जियम	247	62.51			3828	1793.64
ब्राजील	41238	8972.17	4150	916.56	18910	2092.71
कनाडा					41	22.12
चीन तपाई	4454	959.15			85	30.62

1	2	3	4	5	6	7
चीन पीआरपी	3618	821.34	3598	862.96		
डेनमार्क						
मिश्र	30	8.17				
फिनलैंड					25	51.14
फ्रांस	11	5.03	2033	422.93	442	129.93
जर्मनी एफ. रिप.	5538	1361.17	7746	1632.25	1523	216.03
आइसलैंड					500	101.3
इंडोनेशिया	110841	22334.5	226932	46028.49	223620	52903.11
ईरान					2480	392.56
इजरायल	500	111.58				
इटली	61	15.02			5027	1035.43
जापान			315	81.04	5	1.48
कोरिया आरपी	496	104.34				
मलेशिया	736641	155326.62	839732	176344.48	666960	166114.22
म्यांमार			2500	355.89	250	58.18
मैक्सिको			1509	454.35		

1	2	3	4	5	6	7
नेपाल	3752	727.72	3432	603.3	2645	460.19
नीदरलैंड	10175	2192.47	17996	3745.19	4060	1030.99
फिलीपींस	2440	523	800	236.78		
सिंगापुर	16406	3781.26	23596	5045.21	18476	4195.08
स्पेन					3000	666.67
दक्षिण अफ्रीका			1500	322.65		
श्रीलंका	372	110.69	42	18.6		
स्वीडन			498	193.79		
थाईलैंड			4459	693.22		
टोगो					1000	225.67
संयुक्त अरब अमीरात			18	3.61	4400	903.61
यू.के.	1	3.6	9947	2074.38	1	2.02
अमरीका	11788	3776.02	27865	6624.52	29087	9705.87
जोड़	1061988	226192.91	1416794	292919.32	1129942	273284.65
	10.6 लाख		14.2 लाख		11.3 लाख	

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा खाद्य तेलों की मांग एवं पूर्ति में समन्वय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और राज्यवार खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में अपनाए जा रहे मापदंडों का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान समय में जहां कच्चा माल आसानी से मिल जाता है ...*(व्यवधान)* वहां खाद्य तेल यूनिटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महोदय, मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था वहां खाद्य तेलों का दाम लगभग दो सौ रुपए टिन बढ़ गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खाद्य तेलों का दाम इतना क्यों बढ़ा है, इसके लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे जनता को खाद्य तेल सस्ते दाम पर मिल सके। ...*(व्यवधान)*

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं, यह मैं मानता हूं लेकिन कोशिश की जा रही है कि ये दाम कम हों। पिछले हफ्ते से ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दामों में कमी आ रही है। पिछले हफ्ते में करीब 150-200 रुपये प्रति क्विंटल तेल के दाम कम हुए है। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये अपने क्षेत्र में पता करें, वहां भी दाम जरूर कम हुए होंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्य तेलों की कीमतें घटाने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: बाहर से जो पामोलीन तेल आता है उस पर 25 परसेंट आयात शुल्क लगा हुआ था, उसको 10 परसेंट कम करके हमने उसका आयात आसान किया है जिससे आयात ज्यादा हो सके। इंटरनेशनल मार्किट में खाद्य तेलों के दाम बहुत बढ़ गये हैं इसलिए हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है। दूसरा, एस.टी.सी. को डेढ़ लाख टन पामोलीन ऑयल इम्पोर्ट करने का आदेश दिया गया है। राज्यों से फैस्टीवल सीजन होने के कारण इसकी मांग आई थी कि यह इम्पोर्ट किया जाए। तीसरा यह कि वैजीटेबल घी बनाने के लिए जो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होता है उसकी मात्रा 10 प्रतिशत कम कर दी गयी है और कोशिश यह की जा रही है कि खाद्य तेल के दाम कम हो जाएं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह पता चलता है कि वर्ष 1997-98 में खाद्य तेल, विशेषकर पामोलीन तेल के आयात पर 2733 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लगभग दस वर्ष पहले जब हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गए थे तो हमने पाया कि वह क्षेत्र पाम के पेड़ उगाने के लिए काफी उपयुक्त है। प्रति एकड़ जमीन में की जाने वाली खेती से प्रत्येक किसान को 50,000 से 60,000 रुपए तक आमदनी हो सकती है। हमने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को भी एक पत्र लिखा था कि यद्यपि 90 प्रतिशत जमीन को आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में लिया गया है जहां कोई भी पेड़ नहीं है, केवल 5 प्रतिशत भूमि पर ही पाम के पेड़ लगाने की अनुमति है जिससे पूरे देश की आवश्यकता पूरी हो सकती है और 3000 करोड़ रुपए भी बचाए जा सकते हैं।

इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र भी ऐसे तेल आधारित पेड़ों को उगाने के लिए काफी उपयुक्त पाया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा की खराब स्थिति को देखते हुए तथा कृषक समुदाय की आय को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार उन किसानों को और अधिक प्रोत्साहन देगी जो विदेशी मुद्रा बचत में अपना योगदान दे और विशेषकर आंध्र प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अपनी आय भी बढ़ाए।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: देश में पाम के पेड़ लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केरल में लगभग 500 हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती शुरू की गई थी। वहां लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती करने का लक्ष्य था। परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। मैं पाम के बागान देखने उस समय भी गया था जब इसकी अनुमति दी गई थी। हमारा प्रयास देश में पाम के और अधिक पेड़ उगाने का है। इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है।

अंडमान में, जिसका माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है। मैंने इस बारे में भी पहले अध्ययन किया है। अंडमान में पाम के पेड़ लगाने के लिए जंगल काटने का विरोध किया जाता है। परंतु हमारा प्रयास है कि देश में पाम के अधिकाधिक पेड़ लगाए जाएं और पाम के अधिकाधिक बागान लगाए जाएं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री वी.वी. राघवन: यद्यपि भारत सरकार ओ.जी.एल. के अंतर्गत नारियल के तेल का आयात नहीं कर रही है फिर भी निजी पार्टियां नारियल के तेल का आयात कर रही हैं। इससे नारियल उत्पादक प्रभावित होते हैं। क्या आप नारियल का तेल आयात करने वाली निजी पार्टियों और भारत सरकार की नीति के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: नारियल तेल का आयात ओ.जी.एल. के अंतर्गत नहीं आता इसलिए उन्हें ओ.जी.एल. के अंतर्गत इसका आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती। हम इस पर निगरानी रखेंगे और अगर इस संबंध में कोई विशेष शिकायत है तो हम उसकी जांच करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल पम्प

*486. **श्री रामदास आठवले:**
श्री जुआल उराम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में नए पेट्रोल/डीजल पम्पों के आबंटन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आबंटन के लिए डीलरों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापडी के. राममूर्ति): (क) और (ख) डीलर चयन को उद्देश्यपरक, साफ तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल/डीजल पम्प), एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के संशोधित मानदण्ड सरकार ने 1.4.1997 को जारी कर दिए हैं।

खुदरा बिक्री केन्द्र, एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपें तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें लगाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों का पता लगाने के उद्देश्य से तेल कंपनियां समय समय पर व्यवहार्यता सर्वेक्षण करती हैं। व्यवहार्य पाए जाने वाले स्थानों को विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा विपणन योजनाओं के अनुमोदन के बाद, स्थान विशेष को उस जिले (जिलों) में, जहां डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थित होती है, अधिक से अधिक मात्रा में पढ़े जाने वाले दो समाचार पत्रों अर्थात एक ''अंग्रेजी दैनिक'' तथा ''क्षेत्र के एक स्थानीय दैनिक'' में उचित श्रेणी के तहत विज्ञापित किया जाता है।

मौजूदा नीति विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नवत् आरक्षण उपलब्ध कराती है:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.)	25 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (पी एच)	5 प्रतिशत
अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी (पी एम पी)	8 प्रतिशत
रक्षा कर्मचारी (डी सी)	8 प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी (एफ एफ)	2 प्रतिशत
प्रतिष्ठित खिलाड़ी (ओ एस पी)	2 प्रतिशत
सामान्य (ओ)	50 प्रतिशत

इसके साथ ही उक्त कथित सभी श्रेणियों में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 33 प्रतिशत उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अन्य सब बातें समान होते हुए आयु में 40 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाएं, जिनके माता पिता आय अर्जन नहीं कर रहे हों तथा विधवाओं को सभी महिला श्रेणियों में दूसरी महिलाओं से वरीयता दी जाएगी।

पात्रता मानदण्ड

राष्ट्रीयता

सभी श्रेणियों के लिए भारत के नागरिक।

आवेदन करने की तारीख को आयु

(1) अ.जा./अ.ज.जा. पीएच, पी एम पी, डी सी तथा सामान्य श्रेणियों के लिए:

न्यूनतम	21 वर्ष
अधिकतम	60 वर्ष

(2) एफ एफ श्रेणी के लिए: कोई आयु सीमा नहीं

(3) ओ एस पी श्रेणी के लिए :

न्यूनतम	35 वर्ष
अधिकतम	60 वर्ष

शैक्षणिक योग्यताएं

अ.जा./अ.ज.जा. पीएच, पी एम पी, डी सी तथा सामान्य श्रेणियां:

मैट्रिक या मान्यताप्राप्त समतुल्य।

एफ एफ/ओ एस पी श्रेणियों के लिए:

लागू नहीं।

निवास

(1) *अ.जा./अ.ज.जा. तथा पी एच श्रेणियां*

विज्ञापित स्थान के जिले तथा उसी राज्य के निकटवर्ती जिलों (विज्ञापन में दर्शाए अनुसार) के निवासी।

(2) *पी एम पी, डी सी, एफ एफ, ओ एस पी श्रेणियों के लिए*

राज्य में किसी भी जिले के निवासी

(3) *सामान्य श्रेणी के लिए*

उस जिले के निवासी जहां स्थान विज्ञापित हुआ है।

तथापि, (1) तथा (2) के लिए उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, जो उस जिले से संबंधित हों जहां प्रस्तावित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप विज्ञापित हुई है।

बहु डीलरशिपों को रोकने के लिए सभी श्रेणियों पर लागू संबंध

नई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी यदि उसके और उसके किसी भी निकट संबंधी (सौतेलों रिश्तेदारों सहित) के पास पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र की किसी तेल कम्पनी की एम एस/एच एस डी/एस के ओ-एल डी ओ/एल पी जी की कोई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप या कोई आशय पत्र हो।

पी एच श्रेणी से अन्य के लिए	"पी एच" श्रेणी के लिए
(1) पति या पत्नी	(1) पति या पत्नी
(2) पिता/माता (पुत्रियों के लिए लागू नहीं)	(2) पिता/माता (पुत्रियों के लिए लागू नहीं)
(3) भाई/भाई की पत्नी (महिला आवेदकों पर लागू नहीं)	(3) पुत्र/पुत्रवधू
(4) पुत्र/पुत्रवधु	

सभी श्रेणियों के लिए लागू आय

उम्मीदवारों की सकल आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए गिनी जाने वाली आय में स्वयं की आय, पति या पत्नी की आय तथा आश्रित बच्चों की आय शामिल होगी। यदि उम्मीदवार अपने माता-पिता पर आश्रित होता है तो कुल आय का परिकलन करने के लिए उनकी आय पर भी विचार किया जाएगा।

सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कारपोरेशन

(क) सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले कारपोरेशन तथा "सामान्य" श्रेणी के तहत सभी विज्ञापनों के उत्तर में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों हेतु आवेदन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम पात्र होंगे।

(ख) वार्षिक आय, निवास तथा बहु डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों से संबंधित प्रतिबंध ऐसे कारपोरेशन पर लागू नहीं होंगे।

दोष सिद्धि

किसी भी प्रकार के दांडिक अपराध, जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार/आर्थिक अपराध शामिल है तथा ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ ऐसी आपराधिक कार्यवाहियों में न्यायालय द्वारा आरोप लगाए गए हों, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे और यदि जानकारी के अभाव में ऐसे किसी व्यक्ति को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित कर दी जाती है, तो वह रद्द कर दी जाएगी।

उपर्युक्त शर्तें सहकारी/उपभोक्ता समिति के सभी सदस्यों पर भी लागू होगा।

नोट: "एफ एफ" श्रेणी के लिए उक्त कथन लागू है किन्तु "स्वतंत्रता संघर्ष" करने वालों पर नहीं।

चयन प्रक्रिया

डीलर चयन बोर्ड का गठन

तेल कम्पनियों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन विधिवत रूप से गठित डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाएगा।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए मजदूरी

*487. **डा. प्रभा ठाकुर:**
श्रीमती जयन्ती पटनायक:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महिला कामगारों के उनके कार्यस्थल पर बढ़ते शोषण और उत्पीड़न के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो महिला कामगारों को शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिला कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें उचित मजदूरी दिलाने के लिए कोई संकल्प पारित करने अथवा कोई कानून लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) सरकार को महिला कर्मकारों के उनके कार्यस्थल पर शोषण और उत्पीड़न से बचाने की आवश्यकता की जानकारी है।

महिला कर्मकारों के शोषण को रोकने और उनके कल्याण के लिए श्रम कानूनों में अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें प्रसूति प्रसुविधा, शिशु सदन सुविधाएं, अलग से शौचालयों और विश्राम कक्षों का प्रावधान, रोजगार के लिए प्रतिबंधित समय आदि शामिल हैं। अधिनियम की अनुसूची में दिए गए नियोजनों में कार्यरत कर्मकारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पुरुष और महिला कर्मकारों के लिए समान मजदूरी निर्धारित की जाती है। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान अथवा सदृश कार्य के लिए समान मजदूरी की व्यवस्था है। केन्द्र तथा राज्यों में गठित प्रवर्तन तन्त्र इन अधिनियमनों के प्रावधान के उल्लंघनों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा तथा अन्यों द्वारा राजस्थान सरकार और अन्यों के विरुद्ध 1992 में दायर रिट याचिका (आपराधिक) सं. 667-70 के मामले में यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया है और ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए कतिपय दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सरकार ने मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं। निदेशों के अनुसार की गई कार्रवाई को सूचित करते हुए अब तक अनेक प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं। इनमें दिशा निर्देशों का प्रसार, शिकायत समितियाँ बनाना आचार नियमों का संशोधन आदि शामिल हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से के.सि. सेवा (आचरण) नियम, 1964 में संशोधन किया है। न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कानून सम्मत हैं।

पोलियो का नकली टीका

*488. **श्री जी. गंगा रेड्डी:**
श्री मोतीलाल वोरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जून, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित "लाखों शिशुओं को पोलियों की नकली दवा पिला दी गई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या जिन बच्चों को यह दवा पिलाई गई थी, उनके स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(घ) इस संबंध में मामले की जांच कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पोलियो दवा के टीके की प्रयोगशाला रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त हो और अनुमोदित निर्माताओं के पास बेहतर किस्म के टीके उपलब्ध हों; और

(ज) बेल्जियम से टीका आयात करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ज) 21 जून, 1998 को 'राष्ट्रीय सहारा' में छपा समाचार, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों को नकली पोलियो वैक्सीन दी गई, भारत सरकार के ध्यान में आया है। सरकार ने इस रिपोर्ट

का तत्काल संज्ञान रखते हुए 25 जून, 1998 को एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की जिसके अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सूक्ष्म-जीव विज्ञान विभाग के प्रमुख थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल रोग चिकित्सा के अपर प्रोफेसर, परिवार कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त निदेशक (रोग प्रतिरक्षण) सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 30 जून, 1998 को प्राप्त हुई। क्षेत्र-स्तर पर जांच पड़ताल करने के अलावा इस समिति ने गाजियाबाद और लखनऊ का दौरा किया।

2. इस घटना से संबंधित वैक्सीन विदेश में निर्मित वैक्सीन थी जो विदेशीदाता अभिकरणों से दाता-सहायता के रूप में प्राप्त हुई थी। तकनीकी समिति ने पाया कि आयातित वैक्सीन 10.9.97 को प्राप्त हुई थी और भारत सरकार के चिकित्सा ग्रामीण भण्डार डिपो, करनाल में इसका भण्डारण किया गया था। वैक्सीन को करनाल से लखनऊ भेजे जाने से पहले इसकी केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में जांच की गई थी और इसकी गुणवत्ता अच्छी पाई गई थी। लखनऊ में वैक्सीन स्टोर से यह वैक्सीन मार्च, 1998 में गाजियाबाद जिले के लिए भेजी गई। गाजियाबाद में इसके भण्डारण के दौरान इसके नमूने अप्रैल-मई, 1998 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को भेजे गए जो अच्छी गुणवत्ता के भी पाए गए। इस प्रकार मई, 1998 तक वैक्सीन कारगर पाई गई।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि इस वैक्सीन ने मई, 1998 के बाद अपनी प्रभाव क्षमता खो दी थी क्योंकि जब दल ने अपनी जांच-पड़ताल के दौरान गाजियाबाद में वैक्सीन की इस खेप का निरीक्षण किया तो पोलियो वैक्सीन की शीशियों पर लगे कलर मानीटरों ने इसके रंग में इस हद तक परिवर्तन दर्शाया जिससे इसकी प्रभावकारिता में क्षति हो जाने का पता लगता था। समिति ने यह पाया है कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के जिला और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा वायल मानीटरों के रंग में परिवर्तन हो जाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया लगता है और समाचार पत्रों में इस समाचार के छप जाने तक उन्होंने वैक्सीन देना जारी रखा। वर्ष 1996-97 के दौरान सभी स्वास्थ्य कार्मिकों को वैक्सीन की संभाल विशेष रूप से वैक्सीन वायल मानीटर के समुचित प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

4. समिति ने पाया कि गाजियाबाद और लखनऊ दोनों जगहों पर कोल्ड चैन कार्य करने की अच्छी स्थिति में थी। समिति ने कहा कि ओरल पोलियो वैक्सीन की क्षमता का ह्रास होने के बाद भी यदि बच्चों को दी जाए तो उससे न तो बच्चों के जीवन को कोई खतरा होता है और न ही इसके सीधे कोई अन्य नुकसानदायक प्रभाव होते हैं, सिवाय इसके कि बच्चा पोलियो विषाणु के संक्रमण और इसके परिणामों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के क्षेत्रीय सलाहकार (पोलियो निगरानी) द्वारा कर दी गई है।

5. समिति की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित उपचारी उपाय करने की सलाह दी गई है:

1. गाजियाबाद में जिन बच्चों को उक्त ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी, उन्हें तुरन्त फिर से यह वैक्सीन दी जाए।

2. सभी स्वास्थ्य कार्मिकों (चिकित्सा और परा-चिकित्सा) को जो वैक्सीनों की संभाल करते हैं, वैक्सीन शीशियों (वायल्स), जिन पर वैक्सीन वायल मानीटर मुद्रित हैं, को संभालने के बारे में, प्रशिक्षण दिया जाए।

पूर्वोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में न तो कोई नकली-वैक्सीन इस्तेमाल की गई है और न ही बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को कोई खतरा पैदा हुआ है। राज्य सरकार को ऐसे बच्चों को फिर से टीका लगाने की सलाह दी गई जिन्हें गाजियाबाद में पिछले दो महीनों के दौरान अप्रभावकारी पोलियो वैक्सीन दी गई थी। अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसी घटनाओं के संबंध में बचाव के उपाय करने के बारे में सतर्क कर दिया गया है।

7. ओरल पोलियो वैक्सीन औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत एक औषध है। सभी प्रकार की पोलियों वैक्सीन चाहे वह स्थानीय रूप से निर्मित हो अथवा सामग्री सहायता के रूप में प्राप्त हुई हो, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली द्वारा उनके गुणवत्ता का परीक्षण कर लेने के बाद ही उन्हें कार्यक्रम के तहत प्रयोग में लाया जाता है। केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली को भारत के औषध महानियंत्रक जो राष्ट्रीय औषध प्राधिकारी हैं, द्वारा सभी वैक्सीनों के परीक्षण के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

8. वायलों पर लेबलों के रूप में लगाए गए वायल मॉनिटर वायलों की वैक्सीन की प्रभावकारिता का आसानी से पता लगाने के लिए उत्तरोत्तर रूप से इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। मॉनीटर में एक नीले रंग का बाहरी वृत्त होता है और इसके अन्दर एक छोटा सफेद वर्ग का निशान होता है जो समय बीतने के साथ-साथ धीरे-धीरे नीला हो जाता है। जब तक अन्दर के वर्ग के निशान का रंग वाहरी वृत्त के रंग से हल्का रहता है तब तक वायल में वैक्सीन प्रभावकारी रहता है। जब अन्दर के वर्ग के

निशान का रंग बाहर के वृत्त के समान गहरा हो जाता है अथवा उससे अधिक गहरा हो जाए तो वायल में वैक्सीन को प्रभावकारिता समाप्त मानी जानी चाहिए। और उसे इस्तेमाल में नहीं लाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य कार्मिकों (ए एन एम, एल एस वी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टरों) की सहायता के लिए यह आसान प्रक्रिया (मैकेनिज्म) बच्चों के स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रख कर बनाई गई है।

9. देश में अक्तूबर, 1997 से एक राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना चल रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पोलियो-विषाणु के स्थानीय संचरण वाले क्षेत्रों का पता लगाना और ऐसे विषाणु के उन्मूलन के लिए कार्यकलापों को तेज करना है। राज्यों/जिलों के पोलियो निगरानी कार्य में सहायता करने के लिए देश में 59 प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों को तैनात किया गया है। मल नमूनों के तुरन्त और गहन विश्लेषण के लिए देश के विभिन्न भागों में 9 प्रयोगशालाएं सज्जित एवं सुदृढ़ की गई हैं।

10. बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:

(1) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम

(2) पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम।

11. दोनों कार्यक्रमों में इस्तेमाल की जाने वाली पोलियो वैक्सीन की वार्षिक कुल मात्रा लगभग 5300 लाख खुराक है। पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण में इस्तेमाल वैक्सीन की काफी मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय दाता अभिकरणों से सामग्री सहायता के रूप में प्राप्त होती है। 1997-98 में सामग्री सहायता के रूप में प्राप्त हुई वैक्सीन का कुछ भाग मैसर्स स्मिथ क्लाइनबोकेम, वैल्जियम से प्राप्त हुआ था। घरेलू बजट में संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भारत सरकार सामग्री सहायता स्वीकार कर रही है।

साधारण नमक की बिक्री पर रोक

*489. **प्रो. पी.जे. कुरियन:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार सहित राज्य सरकारों को इस आशय के कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं कि वे मानवीय उपभोग के लिए साधारण नमक की बिक्री पर रोक लगाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के बारे में केन्द्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध केरल सरकार से कोई आपत्ति प्राप्त हुई है और उसने इसे वापस लेने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो देश में बड़े पैमाने पर आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन कर रही हैं; और

(च) साधारण नमक की बिक्री पर से रोक हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति बनाने का सर्वोच्च निकाय है और जिसके सभी स्वास्थ्य मंत्री सदस्य हैं, की जनवरी, 1997 में हुई बैठक की सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। इन सिफारिशों में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले विकारों, जो देश में व्याप्त हैं, के नियंत्रण, रोकने और उनका उन्मूलन करने के लिए सीधे मानव उपभोग के लिए आयोडीनकृत नमक को छोड़कर अन्य नमक की बिक्री पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करना शामिल है।

(ग), (घ) और (च) केरल सरकार ने यह तर्क दिया है कि आयोडीकृत नमक के उपयोग को लोकप्रिय बनाते समय लागत घटक को देखते हुए आम नमक के उपयोग को वर्जित नहीं किया जाना चाहिए।

आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाले विकारों की रोकथाम करने हेतु नमक के जरिए आयोडीन का अनुपूरण सरलतम और सबसे अधिक लागत प्रभावकारी तरीका है। सरकार ने जनस्वास्थ्य के हित में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत उपाय किए हैं जिसमें यह शर्त रखी गई है कि सीधे मानव उपयोग के लिए बेचे जाने वाले नमक को 27.5.98 से अनिवार्यत: आयोडीकृत बनाया जाए।

(ङ) मीथापुर में स्थित केवल मैसर्स टाटा कैमिकल लिमिटेड और तीन अन्य इकाइयां देश में बड़े पैमाने पर आयोडीकृत नमक का उत्पादन कर रही हैं।

हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को आस्थगित (ससपेंड) करते हुए आदेश जारी किए हैं और ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के उच्च न्यायालय के समक्ष है। यह मामला न्यायाधीन है।

एच.आई.वी. से संक्रमित बच्चों की संख्या

*490. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में लाखों लोग एच.आई.वी. पाजिटिव से संक्रमित हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से बच्चों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) एच.आई.वी. संक्रमित बच्चों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के पास उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 30 जून, 1998 को 77,881 व्यक्तियों के एच.आई.वी. पॉजीटिव और 6,059 एड्स रोगियों के होने की सूचना मिली है। तथापि, डब्ल्यू.एच.ओ./यू.एन.ए.आई.डी.एस. की हाल ही की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में एच.आई.वी. संक्रमण वाले लगभग 4 मिलियन लोग रह रहे हैं।

(ख) एड्स के 5,014 रोगियों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से 199 (3.89 प्रतिशत) रोगियों के 15 वर्ष से कम आयु के होने की सूचना मिली है।

(ग) एच.आई.वी. से संक्रमित माताओं से बच्चों में एच.आई.वी. के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रसवकालीन संचरण की रोकथाम करना एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि एजैडटी (अज़िडोथाइमिडीन) के प्रयोग से एच.आई.वी. संक्रमण के संचरण का खतरा कम हो सकता है। भारतीय सन्दर्भ में अज़िडोथाइमिडीन की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए देश की अनेक संस्थाओं में माताओं से बच्चों में एच.आई.वी. संचरण की रोकथाम के लिए अज़िडोथाइमिडीन की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए देश की अनेक संस्थाओं में माताओं से बच्चों में एच.आई.वी. संचरण की रोकथाम के लिए अज़िडोथाइमिडीन के प्रयोग पर नैदानिक परीक्षण आरम्भ किए जाएंगे। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर गर्भवती महिलाओं में अजिडोथाइमिडीन के प्रयोग को कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा।

महाजन समिति की रिपोर्ट

*491. **श्री टी. गोविन्दन:**
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी की बिक्री बन्द करने अथवा उसे नियंत्रण से मुक्त करने से संबंधी महाजन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद अनेक राज्यों में विशेषकर केरल में चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति और बिक्री करने का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी नीति बनाने से पहले महाजन समिति की रिपोर्ट पर राज्यों के विचार जानने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (च) महाजन समिति की रिपोर्ट में चीनी उद्योग के विनियंत्रण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति समाप्त करने के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की गई हैं। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट में शामिल की गई विभिन्न सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और चीनी उद्योग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्रियों की बैठक 25.6.1998 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने संबंधी विधियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को चीनी का आवंटन करने के मानदंड, वितरण नियंत्रण को जारी रखने की आवश्यकता, त्यौहारों के लिए चीनी का अधिक आवंटन करने की आवश्यकता, मिलों के पास रखे चीनी के अत्यधिक स्टाक के कारण पेश आई समस्याएं, किसानों को गन्ना मूल्य के बकायों के भुगतान के कारण पेश आने वाली

समस्याएं और चीनी रिलीज आदेश को समय से जारी करने की आवश्यकता आदि संबंधी मामलों पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए थे। केरल राज्य सहित कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी की आपूर्ति को बंद करने की सिफारिश के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की। किसी भी मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

लीला सेठ आयोग

*492. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लीला सेठ आयोग के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) केन्द्रीय जेल तिहाड़, नई दिल्ली में न्यायिक हिरासत के दौरान श्री जे.एम. राजन पिल्लई की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति लीला सेठ जांच आयोग गठित किया था। आयोग के मुख्य निष्कर्ष संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार हैं:

(1) ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जो श्री पिल्लई की मौत के पीछे षडयंत्र होने के आरोप को सिद्ध करता हो।

(2) यह आरोप मनगढ़ंत और सच्चाई से परे है कि 4.7.95 की शाम को तीन जेल अधिकारियों ने श्री पिल्लई को पीटा था।

(3) श्री पिल्लई का ''मुलाहिजा'' अर्थात प्रारंभिक चिकित्सा जांच 4.7.95 को, जिस दिन वह गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, नहीं की जा सकी क्योंकि जेल में उसके प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं लगभग 2 बजे अपराह्न तक पूरी हुई और उस समय या शाम को ''मुलाहिजा'' करने के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। 5.7.95 या 6.7.95 को भी यह इस कारण से नहीं किया जा सका कि उसे सुबह न्यायालय जाना था और वह शाम को ही वापस आया। परिणामस्वरूप, श्री राजन पिल्लई का मुलाहिजा 7.7.95 की सुबह को ही किया जा सका जब उसकी हालत पहले ही खराब होनी शुरू हो गयी थी और उसे तेज बुखार था। अत: जल्दी से जल्दी ''मुलाहिजा'' न किए जाने के लिए चिकित्सा कार्मिकों की कमी और जेल की खराब प्रणाली जिम्मेदार है और इसलिए इस संबंध में लापरवाही के लिए किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(4) जब श्री राजन पिल्लई को 4.7.95 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो पदनामित मजिस्ट्रेट ने केन्द्रीय जेल, तिहाड़ के आर.एम.ओ. को एक अति तत्काल गोपनीय पत्र लिखा था, जिसमें श्री राजन पिल्लई की बीमारी के बारे में पूछताछ की गयी थी और उस पत्र के साथ श्री पिल्लई की चिकित्सा जांच/उपचार के लिए उनके वकील द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति भी भेजी गई थी। यह पत्र जेल सं. 4 में शाम को पहुंचा और इसे सहायक अधीक्षक ने प्राप्त किया, जिसने, तथापि, यह सुनिश्चित नहीं किया कि यह पत्र सही हाथों में पहुंच जाये।

(5) इस बात में कोई संदेह नहीं है कि श्री राजन पिल्लई एक बीमार व्यक्ति था, जिसे ''अल्कोहोलिक सिरोसिस आफ दि लीवर'' जैसी पुरानी बीमारी थी। उसकी जान को 1992 में दो बार खतरा पैदा हुआ था और मार्च, 1995 तक इनकी 10 सालेरोथेरेपी हुई थी। वह उचित चिकित्सा उपचार का पात्र था और यह सुनिश्चित करना संबंधित प्राधिकारियों का कर्तव्य था कि उसे उपचार उपलब्ध कराया जाये, क्योंकि वह हिरासत में था। दुर्भाग्य से केन्द्रीय जेल, तिहाड़ नई दिल्ली में दो डाक्टर, जिन्होंने उसकी जांच की थी, ने अपने व्यवसायिक कर्तव्य के निर्वाहन में लापरवाही बरती और उसे गंभीरतापूर्वक नहीं निभाया। उनकी लापरवाही के परिणामस्वरूप श्री पिल्लै को बचने का कोई मौका नहीं मिला।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उसने आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है।

आयोग ने इन निष्कर्षों के आधार पर, एक एन.जी.ओ. डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। एक सहायक अधीक्षक, जेल, के खिलाफ सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम, 1965 के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई शुरू की गई हैं। जहां तक सी.एच.एस.

संवर्ग के दो अन्य डॉक्टरों का संबंध है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सिफारिश की गयी है कि उनके विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू करें। सर्वांगी सुधारों के बारे में लीला सेठ आयोग द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों और उन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा को गयी कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

लीला सेठ आयोग रिपोर्ट में निहित प्रमुख सिफारिशों का सारांश

सिफारिशें	की गई कार्रवाई
(क) यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायालय से आई पूरी डाक को प्राप्ति रजिस्टर में उचित ढंग से दर्ज किया जाए तथा प्रेषितों को भेजा जाए। न्यायालयों से आए गोपनीय पत्रों के संबंध में विशेष सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है। इस डाक को केवल प्रेषिती द्वारा ही खोला जाना चाहिए।	(क) यह पद्धति पहले से चलन में है। फिर भी, इस मामले में सहायक अधीक्षक, जेल ने प्रक्रिया का उल्लंघन किया, उसकी इस लापरवाही के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी है।
(ख) एम्बुलैंस और उसके उपकरणों के प्रबंधन/रख-रखाव के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए।	(ख) गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बाहर के अस्पतालों में ले जाने के लिए प्रत्येक जेल में एक एम्बुलैंस उपलब्ध कराई गई है तथा किसी भी आपात चिकित्सा की स्थिति से निपटने के लिए जेल अस्पताल में अलग से दो एम्बुलैंस तैयार रहती हैं।
(ग) इलाज कराने की प्रतीक्षा कर रहे बीमार कैदियों को बिठाने के लिए औषधालयों/केन्द्रीय जेल अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बैंच उपलब्ध कराने चाहिए। (घ) भर्ती किए गए कैदियों का "मुलाहिजा" करने के लिए सभी जेलों की ड्योढ़ी में एक कमरा निर्धारित किया जाना चाहिए। इन कमरे में सभी समुचित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बीमार कैदियों को आराम मिले और उनकी चिकित्सा जांच उचित रूप से की जा सके।	(ग) और (घ) "मुलाहिजा/नवीन दाखिला पद्धति" के यौक्तिकरण के बाद, ड्योढ़ी पर एक कमरा निर्धारित किया गया है। जहां पर "मुलाहिजा" किया जाता है। कैदी मरीजों के आराम हेतु इस कमरे को पर्याप्त सुविधाओं से सज्जित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
(ङ) सभी परिस्थितियों में साक्षात्कार अथवा किसी अन्य कार्य की अपेक्षा बीमार कैदियों की चिकित्सा जांच को तरजीह दी जानी चाहिए।	(ङ) इस प्रक्रिया की पुनरीक्षा कर इसे सुव्यवस्थित बनाया गया है। अब, यदि किसी कैदी को केन्द्रीय कारागार के अस्पताल, अथवा एम.आई. रूम अथवा डिस्पैन्सरी में भर्ती किया गया तो संबंधित डाक्टर द्वारा, उस कैदी के स्वास्थ्य को देखते हुए लाने की अनुमति देने के बाद ही उसे वहां से जाने दिया जाता है। इसके अलावा, ड्यूटी आफीसर को यह बताया गया है कि यदि कोई कैदी अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसके कानूनी साक्षात्कार अथवा मित्रों आदि के साथ मुलाकात हेतु जाने से पहले, उसकी चिकित्सा जांच की जानी चाहिए।

सिफारिशें	की गई कार्रवाई
(च) कैदी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में प्रोडक्शन वारंट में दर्ज न्यायालय की टिप्पणियों को संबंधित आर एम ओ/एस एम ओ को आवश्यक कार्रवाई हेतु शब्दश: सूचित किया जाना चाहिए।	(च) जेल प्राधिकरण को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि डिटेंशन/प्रोडक्शन वारंट के बारे में न्यायालय के अनुदेशों को डाक्टर अथवा संबंधित अधिकारी को उसकी एक फोटोप्रति के द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
(छ) एस एम ओ की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह जेल अधीक्षक, उप-अधीक्षक को साथ लेकर जेल परिसर का दौरा करे और रहने की बैरकों, रसोई, जल सुविधा, इत्यादि का मुआयना करे ताकि स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित की जा सके।	(छ) ऐसा किया जा रहा है।
(ज) नशा मुक्ति केन्द्र को मजबूत करने और अधिक केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। मरीजों का इलाज करने के बाद उनका पुनर्वास करने की जरूरत है ताकि वे दोबारा नशे के आदी न हो जाएं। इस प्रयोजनार्थ, चिकित्सा-मनोविज्ञानी, चिकित्सा-सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, परामर्शदाताओं, आक्यूपेंशनल थैरापिस्टों और योगा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।	(ज) जेल नं. 4 का ''नशा-मुक्ति'' केन्द्र जिसे अभी तक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा था, अब सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। जेल नं. 5 में एक और नशामुक्ति केन्द्र ने कार्य करना शुरू कर दिया है। जेल नं. 3 में एक नशा मुक्ति केन्द्र शुरू किए जाने की प्रक्रिया में है। व्यावसायिकरण, परामर्शी, ध्यान लगाने, शिक्षण, थियेटर, इत्यादि जैसे कदम उठाने में कुछ अन्य गैर-सरकारी संगठनों ने भी जेल प्रशासन की सहायता की है। इससे अनेकों कैदियों को जीवन के प्रति नजरिया बदलने में मदद मिली है।
(झ) प्रत्येक जेल और केन्द्रीय जेल अस्पताल में कैदी-मरीजों की विभिन्न जांचों के लिए अलग-अलग से पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	(झ) केन्द्रीय जेल में चल रहे हस्पताल में अन्तरंग रोगी, केजुएलिटी, एक्स-रे और नेमी प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अन्य सरकारी हस्पतालों के विशेषज्ञ नियमित रूप से जेल हस्पताल में आते हैं। कुछ डाक्टर स्वैच्छिक आधार पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जेल में पूर्ण विकसित औषधालय हैं जिसमें परा. चिकित्सा कर्मचारी चौबीस घण्टे उपलब्ध रहते हैं।
(ञ) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं रह रहा है। इसे सुधारने की आवश्यकता है।	(ञ) तिहाड़ जेल परिसर में रिहायशी इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आर एम ओ/एस एम ओ और अन्य चिकित्सा/पैरा-चिकित्सा कर्मचारियों को यथासमय आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
(ट) जेल में एक उपयुक्त अन्त: संचार प्रणाली उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	(ट) जेल के नियंत्रण रूम में एक नया टेलीफोन लगाने के अलावा, संचार प्रणाली में सुधार के लिए सभी जेलों में अंत: संचार नेटवर्क उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक वार्ड में ड्यूटी अधिकारी, उपाधीक्षक और जेल अधीक्षक के

सिफारिशें	की गई कार्रवाई
	बीच परस्पर सम्पर्क के लिए टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वार्ड के अन्दर की किसी भी महत्वपूर्ण घटना से ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षी स्टाफ को बिना समय बर्बाद किए सूचना दी जा सके।
(ठ) केन्द्रीय जेल हस्पताल और औषधालय में लंच के समय वार्ड की चाबियां ड्यूटी पर तैनात डाक्टर के पास उपलब्ध रहनी चाहिए न कि ड्योडी में जमा कराई जानी चाहिए।	(ठ) इस मद को क्रियान्वित किया गया है।
(ड) जेल में कम्प्यूटरीकरण को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि कम्प्यूटर में मेडिकल डाटा भी डाला जा सके।	(ड) कम्प्यूटर आदि में मेडिकल डाटा के कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
(ढ) रजिस्टर सं. 1, जिसमें नये दाखिल किए गए कैदियों और रिहा किए गए कैदियों का विवरण दर्ज होता है के अलावा रजिस्टर सं. 1 (क) भी आरम्भ किया जाना चाहिए जिसका उपयोग ड्यूटी पर तैनात डाक्टर द्वारा नए दाखिल कैदियों के मुलाहिजे के लिए किया जाए। किसी भी संबंधित कैदी की बीमारी का इतिहास जानने के लिए भी इस रजिस्टर को प्रयोग में लाया जाए।	(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नए कैदी को बिना उचित चिकित्सा जांच के जेल में दाखिल न किया जाए। इस प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है।
(ण) आबजर्वेशन वार्ड, जीवन रक्षा उपकरणों से उचित रूप से सुसज्जित होना चाहिए। उपकरणों, एम्बुलैन्स और स्टेचर आदि के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम ड्योढ़ी के नोटिस बोर्ड पर लिखे जाने चाहिए।	(ण) इस सिफारिश को क्रियान्वित किया जा चुका है।
(त) सभी डाक्टरों को उनके द्वारा जांच किए गए मरीजों के रोग निदान का सुव्यवस्थित सार बनाने के लिए सुग्राही बनाया जाना चाहिए।	(त) यह किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में चावल की बिक्री

*493. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:**
श्री चिन्ता मोहन:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कुछ महीने पहले खुले बाजार में चावल बेचने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो बेचे गए ऐसे चावल की किस्म और मात्रा का ब्यौरा क्या है और चावल को खुले बाजार में बेचने के क्या कारण हैं; और

(ग) चावल के खरीददारों का चयन करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, हां।

(ख) बेचे गए चावल की किस्म श्रेणी ''घ'' की थी जो दो वर्ष से अधिक समय से पुराना चावल था। यह चावल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है लेकिन यह तब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन तुरन्त जारी करने योग्य नहीं है जब तक इसका उच्च श्रेणीकरण नहीं कर दिया जाता है। दिसम्बर, 1997-जनवर, 1998 में बेचे गए चावल की मात्रा 10,000 टन थी और मई-जून, 1998 में बेचे गए चावल की मात्रा 13,000 टन थी। इस चावल की बिक्री करने का कारण चावल के पुराने स्टाक को निकालना था, जो और खराब हो सकता था और मानव उपभोग के अनुपयुक्त हो सकता था।

(ग) इच्छुक खरीदारों को ''जैसा है, जहां है'' के आधार पर 700/- रुपये प्रति क्विंटल की दर पर न्यूनतम 10,000 टन अथवा इससे अधिक की खरीदारी करनी अपेक्षित थी और खरीदारों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर किया गया था। निपटान की प्रगति की समीक्षा करने पर न्यूनतम ढेर का आकार जून, 1998 में घटाकर 600 टन कर दिया गया था और 700 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था। जारी की गई नई सरकारी निविदा सूचना के प्रति, निपटान के लिए 59261 टन की पेशकश स्वीकार की गई है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण

*494. **श्री एन. डेनिस:***
श्री दत्ता मेघे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि:शक्तता अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नि:शक्त व्यक्तियों को कम से कम 3% आरक्षण देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नि: शक्त कल्याण कोष के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से मांगी गई है।

(ग) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति कोष जो स्वैच्छिक क्षेत्र को समर्थन के लिए अभिप्रेत है, के अंतर्गत राज्य सरकारों को कोई निधियां प्रदान नहीं की गई है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय गृह मंत्री की मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक

*495. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक:***
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने उग्रवादी हिंसा की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए चर्चा करने और एक संयुक्त नीति बनाने के लिए पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में भाग लेने के लिए किन राज्यों को आमंत्रित किया गया था;

(ग) उक्त बैठक में जिन-जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी उनका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या उक्त बैठक के दौरान कोई कार्य योजना तैयार की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए टाडा जैसा कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या नक्सलवादी अभी भी अपनी इच्छानुसार अपने लक्ष्यों पर प्रहार कर रहे हैं; और

(झ) यदि हां, तो जून से अब तक उनके द्वारा की गई हत्याओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (छ) केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 15.6.1998 को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक, इन राज्यों द्वारा वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा करने के लिए हैदराबाद में आयोजित की। इस बैठक में निम्नलिखित फैसले लिए गए:

(1) संबंधित राज्य सरकारें मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों को लागू करती रहेंगी। इसके साथ-साथ, वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारें एक अलग कानून बनाने की जांच भी कर सकती हैं;

(2) सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास की गतिविधियों को शामिल करके राज्य सरकारों को एक व्यापक कार्य योजना साथ-साथ तैयार करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐसी ही कार्य-योजना पहले ही तैयार की है जिसे योजना-आयोग को भेज दिया गया है। अन्य राज्यों को भी ऐसी ही कार्य-योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिन्हें धन-आबंटन हेतु योजना आयोग के साथ उठाया जाएगा।

(3) कार्य-योजना की प्रगति की समीक्षा करने और राज्य सरकारों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए हैदराबाद में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया जाएगा। केन्द्रीय गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महा-निदेशक इसके सदस्य होंगे।

गृह मंत्रालय ने 26.6.1998 को एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया है। राज्य सरकारों से इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर तुरन्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

(ज) इन राज्यों में नक्सलवादी अभी भी हिंसक घटनाएं कर रहे हैं।

(झ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 16 जून से 15 जुलाई, 1998 तक नक्सलवादियों द्वारा की गई हत्याओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

आंध्र प्रदेश	9
मध्य प्रदेश	4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में उच्च स्तरीय समिति

*496. **श्री डी.एस. अहिरे:**
श्री के.एच. मुनियप्पा:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सुदूर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में दोहरे राशन लाभों का विस्तार करने की संभावना की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 में शुरू की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष राशन कार्ड जारी करने और उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। ''सभी क्षेत्रों में गरीबों'' पर केन्द्रित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने से ''गरीब क्षेत्रों में सभी'' पर जोर देने वाली 1992 में लागू की गई सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरर्थक हो गई है।

(ग) देश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दोहरे राशन कार्ड के लाभ देने की संभावना की जांच करने के विशिष्ट प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा कोई उच्च स्तरीय समिति गठित नहीं की गई है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

भाड़े के विदेशी सैनिक

*497. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी भाड़े के सैनिक तथा विद्रोही राजवाड़ सहित देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा जम्मू और कश्मीर के अन्य भागों में नागरिक प्रशासन चलाते हैं तथा इन क्षेत्रों से राजस्व की भी वसूली करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रशासन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों में भाड़े के कितने विदेशी सैनिक पकड़े गए और बंदी बनाए गए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) देश के किसी भी भाग में, भाड़े के विदेशी सैनिक अथवा विद्रोही नागरिक प्रशासन नहीं चला रहे हैं। तथापि, पूर्वोत्तर में विद्रोही ग्रुपों द्वारा कर एकत्र करने संबंधी रिपोर्ट मिली हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारें, उग्रवाद की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए राज्य पुलिस की क्षमताओं को बढ़ाने सहित, अपने प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बना रही हैं। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में मदद के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित सहायता दे रही है।

पूर्वोत्तर में संबंधित राज्य सरकारों को अवैध रूप से कर/राजस्व एकत्र करने को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों 1995 से 1998 (जून के अंत तक) जम्मू व कश्मीर में 91 भाड़े के विदेशी सैनिक गिरफ्तार किए गए हैं।

प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल परीक्षा के लिए अर्हता

*498. **श्री चमन लाल गुप्त:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश के आदिवासी प्री-मेडिकल/प्री डेंटल परीक्षा (सी बी एस ई-पी एम टी) की अखिल भारतीय परीक्षा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेदभाव को मिटाने तथा इन राज्यों के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) दिनेश कुमार बनाम एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद और अन्य (सी.डब्ल्यू.पी. सं. 348-352/1985) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21.7.1986 के फैसले के अनुसार आंध्र प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर के छात्र मेडिसिन और दंत चिकित्सा में 15 प्रतिशत स्नातकपूर्व और 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों ने अखिल भारतीय योजना के प्रारंभ से ही इससे बाहर रहने का विकल्प चुना था।

(ग) जम्मू व कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय में जाएं और अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा योजना में सम्मिलित होने के लिए उसकी अनुमति प्राप्त करें।

बेसहारा बच्चे

*499. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने बेसहारा बच्चे हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी योजनाएं शुरू की गई;

(ग) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को दी जा रही अनुदान सहायता का लाभ इन बेसहारा बच्चों को मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार से ऐसा सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र राज्य के स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनकी गतिविधियों का क्षेत्र क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए इन संगठनों को उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) देश के बेसहारा बच्चों की संख्या संबंधी आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (पूर्व कल्याण मंत्रालय) ने निराश्रयता, उपेक्षा, दुरुपयोग तथा शोषण का सामना कर रहे बेसहारा बच्चों के संरक्षण देखभाल तथा विकास के लिए एकीकृत समुदाय आधारित गैर संस्थागत मूल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए एक योजना वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित करनी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 90% सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ) बेसहारा बच्चों की कल्याण योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान उन्हें निर्मुक्त की गई निधियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र

		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1		2	3	4	5	6
मुम्बई						
1.	सलाम बालक ट्रस्ट, मुम्बई चैप्टर, पी.टी. कल्याण केन्द्र, आशा सदन मार्ग उमेर खाडे, मुम्बई-400009	शून्य	शून्य	3.51	5.07	10.45
2.	सपोर्ट, 67, बजाज भवन, निरमन प्वाइंट, मुम्बई-21	शून्य	2.46	5.49	3.7	4.99
3.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पी.बी.सं. 8313, बम्बई रोड देओनार, मुम्बई	शून्य	शून्य	2.34	1.17	0.14
4.	सोसाइटी फार प्रमोशन एरिया रिसोर्स सेंटर, वाएकुला एरिया रिसोर्स सेंटर मेघराज सेठी मार्ग, वाएकुला, मुम्बई	शून्य	3.17	3.35	शून्य	शून्य
5.	वात्सल्य प्रतिष्ठान, किंग जार्ज पंचम मिमोरियल, डा. मोसेस रोड, मुम्बई-11	शून्य	1.76	8.02	शून्य	शून्य
6.	एकता तथा स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए युवा (वाई यू वी ए), 8, द्वितीय मंजिल 351 मुघबट क्रास लेन, मुम्बई।	शून्य	3.08	3.06	2.75	शून्य
नागपुर						
7.	अपंग व निराधार बहुउद्देश्यीय कल्याणकारी संस्था, गीता नगर, नागपुर-30	शून्य	0.62	6.96	3.7	10.75

1	2	3	4	5	6
8. समाज कल्याण मंडल, लान गुंज नायक राजाओं, नागपुर-2	शून्य	0.62	3.7	शून्य	शून्य
पुणे					
9. कम्युनिटी एंड स्पान्सरशिप प्रोग्राम समुदाय सहायता गुरुवई अपार्टमेंट, 1779/84, सदाशिव पीठ, पुणे-411030	शून्य	3.08	5.42	शून्य	शून्य
10. द डिपार्टमेंट आफ कंटीन्यूइंग एडल्ट एजुकेशन एक्सटेंशन वर्क्स, एस एन डीटी वुमेन यूनिवर्सिटी, महारशिकारवे विद्यापीठ, कार्वे रोड, पुणे-38	शून्य	1.17	5.65	शून्य	शून्य

टिप्पणी—जब कभी निधियां निर्मुक्त नहीं की गई है, इसके कारण इस प्रकार हैं:
1. योजना के अधीन राज्य सरकार की अपेक्षित सिफारिश/निरीक्षण रिपोर्ट का प्राप्त न होना।
2. योजना के अधीन अपेक्षित प्रलेखों का संगठन द्वारा न दिया जाना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेजों में पे-क्लीनिक खोलना

*500. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर, उत्तर प्रदेश में निजी प्रैक्टिस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखने के लिए राज्य में मेडिकल कालेजों में पे-क्लीनिक खोले जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो पे-क्लीनिकों के संबंध में केन्द्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या ऐसे पे-क्लीनिक खोलने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य सरकार ने राज्य में मेडिकल कालेजों में पे-क्लीनिक खोलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उर्वरकों की कमी

*501. **श्री रंजीब बिस्वाल:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान यूरिया की कुल कितनी आपूर्ति की जाएगी;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से यूरिया का अतिरिक्त कोटा देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) राज्यवार उर्वरकों विशेष रूप से पोटाश की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ङ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य, वितरण तथा संचलन नियंत्रण के तहत है। वर्ष 1998-99 के दौरान 216 लाख मी. टन यूरिया की खपत का अनुमान है जिसमें से खरीफ मौसम के दौरान 104.79 लाख मी. टन यूरिया की खपत होने की आशा है। इसे पूरा करने के लिए खरीफ, 98 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 110.06 लाख मी. टन यूरिया की आपूर्ति की जानी है। रबी 98-99 के दौरान आपूर्ति की मात्रा का आकलन कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा अगस्त, 98 में होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय सम्मेलन में किया जाएगा। रबी के दौरान भी यूरिया की मांग को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई की उम्मीद नहीं है।

अप्रैल-जून, 98 के दौरान 63.37 लाख मी. टन यूरिया उपलब्ध किया गया है। अभी तक उपलब्धता संतोषप्रद रही है और किसी भी राज्य में यूरिया के अतिरिक्त कोटा हेतु अनुरोध नहीं किया है।

अन्य सभी उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं और इनकी उपलब्धता कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के मानदंडों के अंतर्गत प्रचलित मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों पर निर्भर है। पोटाश की कमी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू तथा कश्मीर और तमिलनाडु राज्यों से प्राप्त हुई है। यद्यपि ये राज्य आयातों के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र हैं, फिर भी कृषि तथा सहकारिता विभाग ने इन राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पोटाश की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु खरीफ, 98 के दौरान 2.75 लाख मी. टन एम ओ पी का आयात करने के लिए इंडियन पोटाश लि. को अधिकृत किया है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य योजनाएं और कार्यक्रम

4828. **श्री चन्दमणि त्रिपाठी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को उक्त कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है तथा यह किस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई है और राज्य में इसका व्यय किस एजेंसी के माध्यम से किया गया है;

(घ) क्या 1995-96 और 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश को आवंटित की गई धनराशि की कोई लेखा परीक्षा करायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसमें लेखा परीक्षा आपत्तियां उठायी गयी थीं;

(च) प्रत्येक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) यद्यपि स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, तथापि यह मंत्रालय प्रमुख संचारी और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम करने में लगा हुआ है। तदनुसार अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य मुख्यतया प्रमुख रोगों से होने वाली मृत्यु और रुग्णता दर में कमी लाना है। प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ मलेरिया, दृष्टिविहीनता, कुष्ठ, क्षयरोग, एड्स के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को देश भर में कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) 1995-96 से 1997-98 तक के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए रिलीज की गई धनराशियों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

केन्द्रीय सहायता मुख्यतया औषधों की आपूर्ति, नैदानिक सुविधाओं इत्यादि की स्थापना के माध्यम से रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए प्रदान की जाती है और इन निधियों को कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से राज्य में खर्च किया जाता है।

(घ) से (छ) इस मंत्रालय के ध्यान में वर्ष 1995-96 और 1996-97 की अंकेक्षण रिपोर्टों में अब तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आई है।

विवरण

1995-96 से 1997-98 तक के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1228.26	769.35	1072.77
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	372.70	292.54	456.33
3.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	320.25	400.37	210.12
4.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	191.65	152.17	174.33
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	137.00	425.00	150.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	10126.12	9755.89	9993.30

[अनुवाद]

उग्रवादियों से प्रभावित चाय उद्योग

4829. श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में चाय उद्योग राज्य में सक्रिय पृथकतावादियों और उग्रवादियों द्वारा किये जा रहे लगातार हमलों का शिकार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पृथकतावादियों/उग्रवादियों का कितने चाय-बागानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इन पृथकतावादियों/उग्रवादियों के हमलों से चाय उद्योग को बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) असम में उग्रवादियों के अभियानों से अन्य उद्योगों की भांति चाय उद्योग भी प्रभावित हुआ है, चाय बागान के कार्मिकों से जबरन धन ऐंठना, उनका अपहरण करना, उग्रवादियों की कार्यप्रणाली का एक आम तरीका है।

(ग) कई चाय बागानों को विभिन्न उग्रवादी संगठनों से मांगपत्र प्राप्त हुए हैं। कुछ चाय बागान इस बारे में पुलिस को सूचित करने में डरते हैं। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1997 और 1998 के दौरान अपहरण/धन ऐंठने इत्यादि के कारण 15 चाय बागान प्रभावित हुए।

(घ) किए गए उपायों में, अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

(1) उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सेना सहित अर्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करना।

(2) चाय बागानों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए असम टी प्लांटेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(3) चाय बागान के कार्मिकों को मिल रही धमकियों के संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर सुग्राही बनाया गया है।

औद्योगिक विवाद

4830. **श्री मोइनुल हसन:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 98 तक की स्थिति के अनुसार धनबाद के दो औद्योगिक न्यायाधिकरणों में औद्योगिक विवाद के कितने मामले लम्बित थे तथा तीन माह, छ: माह और एक वर्ष से अधिक अवधि तक अवधि-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दोनों न्यायाधिकरणों में लम्बित सर्वाधिक पुराने मामले की अवधि क्या है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) धनबाद स्थित दो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में 31.3.1998 को अधिकरण-वार और अवधि-वार लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या निम्नानुसार है:

के.स.औ.अ.सह-श्रम न्यायालय	लंबित औद्योगिक विवादों की संख्या			
	तीन माह से अधिक	छह माह से अधिक	एक वर्ष से अधिक	कुल
सं. 1 धनबाद	38	184	791	1013
सं. 2 धनबाद	488	250	141	879
कुल	526	434	932	1892

औद्योगिक विवाद धनबाद स्थित दोनों केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालयों में 10 वर्षों से अधिक से लम्बित हैं।

(ग) विलम्ब के प्रमुख कारण और उनके संबंध में उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में श्रम न्यायालयों की कमी।

(2) पीठासीन अधिकारियों के पद की रिक्तियों को समय-समय पर भरा जाना।

(3) सुनवाई के समय प्रभावी पक्षों की अनुपस्थिति, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों द्वारा स्थगन आदेशों की मांग करना आदि जैसी प्रक्रियागत दिक्कतें।

(4) सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों के पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी है।

(5) पीठासीन अधिकारियों से भी यह कहा जाता है कि उनके केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद संबंधी लम्बित मामलों की संख्या में कमी लाया जाना जरूरी है।

आंख और दांतों के आपरेशन के लिए लेजर तकनीक

4831. **श्री माधव राव पाटील:**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के कौन-कौन से सरकारी/मान्यता प्राप्त/निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में आंखों के आपरेशन के लिए एक्जिमर/लेजिक लेजर तकनीक तथा दांतों की समस्याओं के लिए लेजर तकनीक की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी इन निजी अस्पतालों/क्लिनिकों में इलाज कराए तो क्या उसे अदा किए गए पैसे की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वापसी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) आंख के आपरेशन के लिए एक्जिमर लेसिक लेज़र तकनीक तथा दातों की समस्याओं के लिए लेज़र तकनीक की क्रियाविधि को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित क्रियाविधियों में शामिल नहीं किया गया है और इस प्रकार इन पर हुआ व्यय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति करने योग्य नहीं है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में बताई गई स्थिति को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन क्रियाविधियों को अब तक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।

पेट्रोल की बिक्री में निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली

4832. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 के लिए बजट प्रस्तुत करने के बाद उपजी दुविधा के कारण पेट्रोल की बिक्री से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की राज्य-वार कुल धनराशि कितनी है; और

(ख) इस राशि को वापस करने अथवा इसके उपयोग के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ई.एस.आई.सी. का उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

4833. **श्री विजय संकेश्वर:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हुबली, कर्नाटक में ई.एस.आई.सी. का उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) हुबली में इस कार्यालय को खोले जाने में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हुबली में क.रा.बी. निगम का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। हुबली में उपक्षेत्रीय कार्यालय में कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रारम्भिक प्रबंध जैसे स्थान किराये पर लेना, कर्मचारियों की तैनाती, फर्नीचर खरीदना आदि कार्य पहले ही पूरे किये जा रहे हैं।

विकलांगों के लिए आरक्षण

4834. **श्री आर. साम्बासिवा राव:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी विभागों में विकलांगों के लिए 3% आरक्षण की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उन विभागों में कितने विकलांगों को नौकरी दी गई है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए कोई योजना बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा किया गया बजट आबंटन क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ब्यौरे मांगे गए हैं।

(घ) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण तथा विकास के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के

दौरान क्रमश: 125.37 करोड़ रुपए (106.44 करोड़ रुपए योजना + 18.93 करोड़ रुपए गैर योजना तथा 165.85 करोड़ रुपए) 141.54 करोड़ रुपये योजना + 23.81 करोड़ रुपए गैर योजना) का बजट आबंटन किया गया है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में पैकिंग एकक

4835. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी/आयुर्वेदिक औषधालयों/एककों के लिए पैकिंग एकक/यूनानी/आयुर्वेदिक औषधियों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणाली के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में दो अलग-अलग प्रकार की नीतियां अपनाने के क्या कारण हैं;

(ग) औषधालयों/एककों में बहिरंग रोगियों के बढ़ने या कम होने में पैकिंग एकक की क्या भूमिका है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) पाठ्यपुस्तकों में दी गई औषधों की निर्धारित खुराकों के अनुसार औषधों की निर्धारित खुराकों को ध्यान में रखते हुए और औषधालयों से एक बार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को 5 से 7 दिनों तक के लिए जारी की जाने वाली इसकी मात्रा का हिसाब लगाने के पश्चात दो वर्षों, 1996-97 और 1997-98 के लिए क्रय परामर्शी समिति/फार्मूलरी समिति ने के.स.स्वा. योजना के यूनानी/आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए पैकिंग यूनिट/यूनानी/आयुर्वेदिक औषधों की मात्रा बदल दी।

(ख) दोनों पद्धतियों में अलग-अलग प्रकार की औषधें और खुराके हैं। अत: के.स.स्वा. योजना में आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों में अलग-अलग प्रकार की नीतियों को अपनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पैकिंग यूनिटों/मात्रा का संबंध बाह्य रोगी विभाग के रोगियों के बढ़ने अथवा कम होने से नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

4836. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार द्वारा मैला ढोने की प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां यह प्रथा अभी भी चल रही है;

(ग) इस पेशे में कुल कितने मेहतर लगे हुए हैं; और

(घ) मैला ढोने जैसी घृणित प्रथा के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की राज्यों में जहां यह प्रथा अभी भी विद्यमान है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं तथा विश्वास किया जाता है कि लगभग 3,10,505 सफाई कर्मचारी इस व्यवसाय में इस समय लगे हुए हैं;

(घ) सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ सिर पर मैला ढोने वालों की सहायता के लिए रियायती दरों पर ऋण सहायता प्रदान करते हुए एक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम निगमित किया है ताकि इस निगम के ऋण प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार वे परियोजनाएं शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1992 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की एक योजना भी चल रही है। सरकार ने एक सांविधिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन किया है। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्तमान शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने और जहां कोई शौचालय नहीं है वहां नए जलवाहित शौचालयों का निर्माण करने के द्वारा सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए एक कम लागत वाली शौचालय योजना कार्यान्वित की जा रही है।

आयातित यूरिया

4837. **श्री रामशकल:**
श्रीमती सूर्यकांता पाटील:
श्री सुनील खां:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 1998 तक किन-किन देशों से तथा कितनी-कितनी मात्रा और किस दर पर यूरिया का आयात किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान मांग और पूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करने हेतु यूरिया का अब तक कितना आयात किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) 1996-97 से 1998-99 (अप्रैल-जून) की अवधि के लिए यूरिया के स्रोत-वार आयात और प्रति टन भारित औसत लागत और भाड़ा मूल्य के संबंध में सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

इन वर्षों के दौरान यूरिया का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है:

1996-97	156.20 लाख मी. टन
1997-98	185.96 लाख मी. टन
1997-98 (30.6.98 तक)	41.71 लाख मी. टन

विवरण

(मात्रा लाख मी. टन में)
अमरीकी डालर में प्रति मी. टन औसत मूल्य

क्र.सं.	देश का नाम	1996-97		1997-98		1998-99	
		मात्रा	भारित औसत लागत और भाड़ा मूल्य	मात्रा	भारित औसत लागत और भाड़ा मूल्य	मात्रा	लागत और भाड़ा
1.	बंगलादेश	1.44	200.67	0.26	111.25	–	–
2.	सी आई एस	6.84	202.21	9.80	159.91	–	–
3.	जर्मनी	–	–	0.29	176.00	–	–
4.	इण्डोनेशिया	–	–	0.34	112.88	–	–
5.	कुवैत	3.86	204.11	3.91	125.66	0.25	102.00
6.	लीबिया	2.14	207.68	0.80	176.00	–	–
7.	कतर	2.95	204.22	3.02	143.45	–	–
8.	रोमानिया	1.60	195.85	1.23	175.47	–	–
9.	सऊदी अरब	2.98	206.50	2.14	162.84	–	–
10.	यू ए ई	1.47	200.80	2.10	140.05	–	–

उड़ीसा की स्वास्थ्य योजना के लिए केन्द्रीय और विदेशी सहायता

4838. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार और आपके मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य के दूर-दराज स्थित पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में कोई विशेष योजनाएं शुरू की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आपके मंत्रालय द्वारा दी गई धनराशि और विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राज्य की इस समस्या से निपटने के लिए पृथक स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार उन्होंने 1995-96 से "दीर्घ कालिक कार्य योजना" (एल.टी.ए.पी.) नामक योजना, जिसमें स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी एक संघटक शामिल है, कोरापुट, मलकानागिरी रायगडा, नवरंगपुर, बोलनगीर, सोनपुर, कालाहांडी और नुयापाड़ा नामक आदिवासी जिलों में शुरू की है। अब तक कुल 5.79 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की सूचना दी गई है और 2.51 लाख रोगियों का उपचार किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिविहीनता, एड्स इत्यादि जैसे विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

(ग) प्रमुख स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए उड़ीसा सरकार को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1997-98 के लिए प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु उड़ीसा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1997-98
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	233.42
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	418.94
3.	राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	311.44
4.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	175.69
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	75.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	6159.90

यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार

4839. **डा. विजय सोनकर शास्त्री:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दिल्ली यातायात पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या दुकानदारों, रेहड़ी वालों और कार आदि की पार्किंग करने वालों ने मुख्य सड़कों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं और इससे सड़कें संकरी हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने मुख्य सड़कों से अनाधिकृत कब्जे हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) पुलिस आयुक्त, दिल्ली, ने दिल्ली पुलिस, जिसमें दिल्ली यातायात पुलिस शामिल है, के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर बल देने के लिए कहा है:

(1) ईमानदारी

(2) जिम्मेवारी

(3) व्यावसायिकता

(4) बल का मनोबल और कल्याण।

यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस में एक स्वतंत्र जन सम्पर्क और शिकायत एकक है। यह पुलिस अपर-उप आयुक्त (यातायात) के गहन पर्यवेक्षण में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-निरोध शाखा और अन्य एजेंसियों जैसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी यातायात पुलिस की गतिविधियों पर निगरानी रखता है।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस का यह सतत प्रयास रहता है कि सिविल रोड एजेंसियों के साथ समन्वय करके इस प्रकार के अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करके मुख्य सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। सड़कों पर अनाधिकृत रूप से पार्क की गई या यातायात के सुचारू आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों को उठाने के लिए यातायात पुलिस ने 60 से अधिक क्रेनें तैनात की हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए वित्त और विकास निगम की स्थापना

4840. **श्री विठ्ठल तुपे:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक वित्त और विकास निगम स्थापित किया है और इसके लिए केन्द्र सरकार से अपने हिस्से की राशि का आबंटन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रमुख भागीदार के रूप में 49 प्रतिशत धनराशि प्रदान करने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अपने हिस्से की धनराशि कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुसूचित जनजाति विकास निगम के बारे में कुछ सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्राप्त होते ही इक्विटी अंशदान की निर्मुक्ति के लिए इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

ताड़ी निकालने का कारोबार

4841. **श्री चन्द्रशेखर साहू:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताड़ी निकालने के कारोबार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कितने व्यक्ति लगे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) यह सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जा रही है।

(ख) से (घ) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों के इस समूह के लिए अलग से कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं इन व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी।

[अनुवाद]

बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाना

4842. **डा. जयन्त रंगपी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बोंगाईगांव तेलशोधक और पेट्रोरसायन कारखाने में विनिवेश करने और उसका निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त तेल शोधक कारखाने के विभिन्न कर्मचारी परिसंघों ने उपर्युक्त निर्णय की पुनरीक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन ज्ञापनों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने विनिवेश आयोग द्वारा अनुशंसित विकल्पों सहित सभी विकल्पों की समीक्षा करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की है। इस प्रकार नियुक्त सलाहकार की अंतिम सिफारिश का विश्लेषण, कंपनी से कोई वास्तविक विनिवेश शुरू करने से पहले, सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भर्ती के लिए अनुपातिक कोटा

4843. **श्री बाजू बन रियान:**
श्री समर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठन और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए कोई राज्य-वार कोटा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष त्रिपुरा से भर्ती के लिए आवंटित कोटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) त्रिपुरा से समुचित कोटे के अनुरूप भर्ती सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के रूप में विख्यात वर्दीधारी केन्द्रीय पुलिस संगठनों में भर्ती के लिए कोई राज्य-वार कोटा नहीं है। तथापि इन बलों का अखिल भारतीय स्वरूप बनाए रखने के लिए कांस्टेबलों की भर्ती राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर की जाती है। वायु सेना और नौ सेना के मामले में भर्ती अखिल भारतीय मैरिट के आधार पर की जाती है और किसी राज्य या क्षेत्र के लिए कोई निश्चित कोटा नहीं है। थल सेना में, भर्ती, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की भर्ती योग्य पुरुष आबादी के आबादी अनुपात के आधार पर की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा से, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या 64 (1996) 37(1997) और 111(1998) है। थल सेना में, त्रिपुरा से भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या 24 (1994-95) 129(1995-96) और 137(1996-97) थी।

(ग) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में त्रिपुरा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

थल सेना में त्रिपुरा के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सिविल प्रशासन के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के बाद समग्र राज्य को कवर करने के लिए आवधिक रूप से भर्ती रैलियां आयोजित की जा रही हैं इसके अलावा, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि कॉमान एट्रांस एग्जामिनेशन के लिए युवकों को तैयार करने हेतु मानव संसाधन विकास केन्द्रों की स्थापना करें।

महाराष्ट्र के लिए विपणन योजना

4844. **श्री संदीपान थोरात:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम कम्पनियों ने 1998-99 के लिए महाराष्ट्र में अपने उत्पादों के लिए विपणन योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नए डीलरशिप/एजेन्सी के कौन-कौन से स्थान हैं तथा गत तीन वर्षों के लिए बकाया विपणन योजना क्या है, कम्पनी-वार ब्यौरा दीजिए;

(ग) क्या सरकार को बढ़ती मिलावट तथा उत्पादों के विपणन में तथा डीलरशिपों/एजेंसियों के परिचालन में डीलरों द्वारा किए जा रहे अनियमितताओं के बारे में मालूम है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समस्या के कुशलतापूर्वक निपटने के लिए किये गये व्यापक आकलन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, 1996-98 की विपणन योजना में खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) और एस के ओ-एल डी ओ के डीलरों और एल पी जी के डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए महाराष्ट्र में कुल 512 स्थान नियत किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अपमिश्रण और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने के लिए मिट्टी तेल की फर्फरल डोपिंग, मिट्टी तेल में नीला रंग डालने और घनत्व जांचों जैसे उपाय किये जाते हैं तथा तेल कम्पनियों के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर नियमित/औचक जांच की जाती है और संयुक्त उद्योग दलों, सचल प्रयोगशालाओं और राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं।

तेल उद्योग खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अपमिश्रण सहित कदाचारों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाता रहा है और ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाता रहा है।

दोषी डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी अनिवार्य वस्तु अधिनियम और एम एस/एच एस डी नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सी सी आर एच, नई दिल्ली में विभिन्न पदों की भर्ती

4845. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन होम्योपैथी उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च फेलो, सहायक अनुसंधान अधिकारी और होम्योपैथी चिकित्सक के स्थायी और अस्थायी आधार पर पदों पर भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) जून, 1997 से जून, 1998 के दौरान उक्त रिक्त पदों पर की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी हां।

(ख) सीनियर रिसर्च फेलोज और जूनियर रिसर्च फेलोज की नियुक्ति अनुसंधान कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार विधिवत गठित-चयन समिति अपना परियोजना प्रमुखों की सिफारिशों पर तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाती है। सहायक अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा की जाती है। अनुसंधान सहायकों को सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाता है। परिषद में होम्योपैथिक चिकित्सक जैसा कोई पद नहीं है।

(ग) परिषद द्वारा जून, 1997 से जून, 1998 के दौरान एक सीनियर रिसर्च फेलो और चार जूनियर रिसर्च फेलोज के पदों पर नियुक्तियां की गई थीं।

(घ) सहायक अनुसंधान अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन मई, 1998 में दिया गया है।

विस्थापित कश्मीरी

4846. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अपने गृह राज्य में लौटने वाले विस्थापित कश्मीरी परिवारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे परिवारों को उनके घरों तथा जमीन पर कब्जा वापस मिल गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कश्मीर वापिस लौटे विस्थापित परिवारों के सदस्यों की उग्रवादियों द्वारा हत्या की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

4847. **श्रीमती ऊषा वर्मा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश भर में प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हस्तक्षेपों को, जिनमें शामिल विटामिन ''ए'' तथा लौह की कमियों के विरुद्ध प्रतिरक्षण कार्यक्रम तीव्र स्वास की बीमारियां अतिसार की बीमारियां विटामिन ''ए'' तथा लोहे की कमी से संबंधित रोग निरोधन सभी जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चरणबद्ध तरीके से पी.एच.सी.सी.एच.सी. तथा जिला अस्पतालों में नवजात शिशुओं की आवश्यकीय देखभाल के लिए उपस्कर प्रदान किये जा रहे हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रजनक तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 5112.53 करोड़ रुपये की धनराशि का परिव्यय है।

[अनुवाद]

आयोडीन युक्त नमक

4848. **श्रीमती भावना कर्दम दवे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय आयोडीन युक्त नमक को आयोडीन के वाष्पीकरण तथा सूर्य की किरणों और इसके भण्डारण के लिए लकड़ी के प्लेटफार्म जैसे अन्य कारकों की वजह से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और 1955 में शामिल किये जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में तदनुसार संशोधन करने का है ताकि शास्ति दण्ड को छोड़कर अन्य कोई दण्ड लागू न हो क्योंकि यह एक प्राकृतिक अपवाद है;

(ग) यदि हां, तो अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और नियम, 1995 के अंतर्गत जो कि सारे देश में लागू है, आयोडीकृत नमक के मानकों का निर्धारण किया गया है। आयोडीकृत नमक के मानकों में आयोडीन घटक की मात्रा विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

मणिपुर को चावल का आवंटन

4849. **श्री था. चौबा सिंह:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई प्रणाली शुरू होने के बाद से बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के लोगों के लिए मणिपुर को प्रतिमाह कितना चावल आवंटित किया गया है;

(ख) आवंटित चावल की मात्रा में से कितना चावल वास्तव में इम्फाल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम को भेजा गया है; और

(ग) सरकार का इम्फाल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में चावल की बकाया मात्रा को बिना और किसी विलम्ब के किस प्रकार भेजे जाने का विचार है।

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) प्रारम्भ होने के पश्चात मणिपुर को

(छ) और (ज) जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन, संबंधित राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। यह संबंधित राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों का काम है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार के न्यायालय स्थापित करें।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना

4875. **श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर छत्रपति शाहू महाराज करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) ऐसा केवल एक प्रस्ताव है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बारे में है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना

4876. **श्री समर चौधरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने त्रिपुरा में भारत-बंगलादेश सीमा पर विदेशियों की घुसपैठ को रोकने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों के स्वतंत्र आवागमन पर अंकुश लगाने के लिए बाड़ लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) बंगलादेश-त्रिपुरा सीमा पर 514 किलोमीटर सीमा सड़क स्वीकृत की गयी है। त्रिपुरा में सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को वित्तीय शक्तियां

4877. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों के प्रशासन को और अधिक वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की मांगों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन को समान वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। योजनागत पदों के सृजन, योजनागत स्कीमों के अनुमोदन, कार्य की स्वीकृति देने और प्रोप्राईटरी वस्तुओं को खरीदने के संबंध में निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल को प्रदत्त वर्तमान वित्तीय शक्तियों की इस समय पुनरीक्षा की जा रही है।

(ग) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। प्रदत्त शक्तियों की सीमा कार्यात्मक आवश्यकताओं और अन्य वित्तीय प्रतिफलों द्वारा निर्धारित की जाती है जो अलग-अलग संघ शासित क्षेत्रों में अलग-अलग होती है। संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त वित्तीय शक्तियों की सीमा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	मद	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादर और नगर हवेली	दमण और दीव	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1.	पदों का सृजन	ग्रुप ख, ग और घ पद, योजना के अंतर्गत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	ग्रुप ख, ग और घ योजना के अंतर्गत	ग्रुप क, ख, ग और घ योजना और योजना भिन्न के अंतर्गत
2.	योजना स्कीमों की स्वीकृति	5.00 करोड़ रु. तक	5.00 करोड़ रुपए तक	5.00 करोड़ रु. तक	5.00 करोड़ रु. तक	5.00 करोड़ रुपए तक	10 करोड़ रुपए तक	50.00 करोड़ रुपये तक
3.	कार्य की स्वीकृति	2.00 करोड़ रुपए तक	1.50 करोड़ रुपए तक	1.50 करोड़ रुपए तक	1.50 करोड़ रुपए तक	2.00 करोड़ रुपए तक	पूरी शक्तियां	पूरी शक्तियां
4.	मांगपत्र/ठेका/खरीद							
(i)	सामान्य ठेका/खरीददारी	2.00 करोड़ रुपए तक	0.20 करोड़ रुपए तक	0.20 करोड़ रुपए तक	0.20 करोड़ रुपए तक	0.20 करोड़ रुपए तक	5.00 करोड़ रुपए तक	5.00 करोड़ रुपए तक
(ii)	बातचीत से तय किया गया/ सिंगल निविदा ठेका	0.80 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	1.00 करोड़ रुपए तक	1.00 करोड़ रुपए तक
(iii)	प्रोपराइटरी लेबर के स्टोर के लिए मांग पत्र	0.40 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.60 करोड़ रुपए तक	0.60 करोड़ रुपए तक
(iv)	आपात आवश्यकता के आधार पर सीधी खरीद	0.20 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.02 करोड़ रुपए तक	0.50 करोड़ रुपए तक	0.50 करोड़ रुपए तक

[हिन्दी]

फार्म हाउसों द्वारा गैर-कानूनी व्यापारिक गतिविधियां

4878. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी की दक्षिणी सीमा पर स्थित फार्म हाउस धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे गैर-कानूनी व्यापार का प्रतीक बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का फार्म हाउसों में चल रहे इस गैर-कानूनी व्यापार के संबंध में कोई जांच कराने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली पुलिस ने छह अलग-अलग घटनाओं में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा पर स्थित फार्म हाउसों

माह-वार आवंटित की गई चावल की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के इम्फाल स्थित गोदामों को जून, 1997 से जून, 1998 के दौरान 22,341 टन चावल भेजा गया था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम सामान्यतया दीमापुर स्थित अपने आधार डिपों से इम्फाल स्थित गोदाम के लिए खाद्यान्नों के स्टाक का संचलन सड़क के जरिए करता है। हालांकि राज्य के लिए खाद्यान्नों का आवंटन एकमुश्त किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम के इम्फाल स्थित गोदाम के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों की मात्रा अलग से आवंटित नहीं की जाती है लेकिन कभी-कभार कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा इम्फाल को भेजे जाने वाले स्टाक की मात्रा वांछित मात्रा से कम होती है। इस स्थिति में राज्य सरकार दीमापुर से भी खाद्यान्नों का उठान करती है।

विवरण

जून, 1997 से और उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मणिपुर को चावल की आवंटित मात्रा

(टन में)

मास	चावल का आवंटन	
	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
जून, 1997	760	3400
जुलाई, 1997	1080	3080
अगस्त, 1997	1080	3080
सितम्बर, 1997	1300	2860
अक्तूबर, 1997	1300	2860
नवम्बर, 1997	1300	2860
दिसम्बर, 1997	1300	2860
जनवरी, 1998	1300	2860
फरवरी, 1998	1300	2860
मार्च, 1998	1300	2860
अप्रैल, 1998	1300	2860
मई, 1998	1300	2860
जून, 1998	1300	2860

उड़ीसा की कल्याण संबंधी परियोजनाएं

4850. श्री रामचन्द्र मलिक: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उड़ीसा की कुछ कल्याण संबंधी योजनाएं इस समय लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त 122 योजनाएं अंतिम निपटान के लिए लम्बित हैं।

(ग) संबंधित संगठनों से पूर्णतया भरे हुए सम्पूर्ण दस्तावेजों तथा राज्य सरकारों या अन्य नामित एजेंसियों आदि की सिफारिशों/जांच रिपोर्टों का प्राप्त न होना, लम्बित मामलों को समय से न निपटाए जाने के मुख्यत: कारण हैं।

(घ) विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता की राशि लगभग 4.79 करोड़ रु. है।

(ङ) प्रस्तावों में कमियों को दूर करने तथा अपेक्षित औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए योजनाओं पर कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाएं

4851. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की दयनीय दशा के संबंध में किए गए उल्लेख के लिए कोई चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आयोगों से इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की दयनीय स्थिति का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ''कमजोर वर्ग की महिलाएं-अनुसूचित जातियों की महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास'' नामक अपनी रिपोर्ट में कतिपय क्षेत्रों में महिलाओं की असंतोषजनक स्थिति पर टिप्पणी की है। जिसमें कुपोषण, अनुसूचित जातियों की महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को स्थानांतरण, तथा स्वरोजगार संबंधी कार्यकलाप में अस्थिरता और असुरक्षा शामिल हैं। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दलित समुदायों के स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा में सुधार के आशाजनक संकेत हैं किंतु कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों में ऐसे आसार अपेक्षाकृत कम हैं तथा आईआरडीपी, आरएलईजीपी, डीडब्ल्यूएसीआरए आदि जैसे राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में निश्चयरूप से कुछ जागरूकता पैदा की है।

केन्द्र सरकार ने, अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार उपक्रमों को स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान कराने हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को तरजीह देने की व्यवस्था की है। गैर-सरकारी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं को प्रशिक्षण केन्द्रों, आवासीय स्कूलों आदि की स्थापना के लिए तरजीह प्रदान की जाती है। सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत महिला सफाई कर्मियों को तरजीह दी जाती है। सरकार भी ''कम साक्षरता स्तरों वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम'' को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें निवेशों का एक पैकेज उन जिलों में रहने वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रदान

किया जाता है जहां 1981 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 2% से कम है। ऐसी ही एक योजना अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए भी कार्यान्वित की जा रही है।

मुम्बई में पेट्रोल पम्प

4852. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई में सायन और ठाणे के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कोई पेट्रोल/डीजल पम्प नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस हाईवे के खंड पर नए पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) एक्सप्रेस हाईवे नियमों के मुताबिक जब तक एक समानांतर सेवा सड़क उपलब्ध न हो एक्सप्रेस हाईवे पर कोई खुदरा बिक्री केन्द्र नहीं खोला जा सकता है। चूंकि सायन-थाने के फासले के दर्मियान कोई सेवा सड़क उपलब्ध नहीं है इसलिए इस हाईवे पर कोई खुदरा बिक्री केन्द्र आरम्भ नहीं किये जा सकते हैं।

ओ एन जी सी में रिग्स का गायब होना

4853. **मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम.:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में ड्रिलिंग रिग्स के प्राय: गायब होने की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रकार गायब हुए रिग्स की संख्या और लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन गायब हुई रिग्स के कुछ मामले फर्जी हैं;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार कितने मामलों की जांच की गयी है; और

(ङ) इन जांचों के क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के स्वामित्व वाली केवल एक रिग, ई-1400-8 वर्ष 1995-96 में असम में आग धधकने से क्षतिग्रस्त हुई थी। इस रिग का निवल खातागत मूल्य 19.59 लाख रुपए है। मैसर्स हाइटेक की एक संविदागत रिग, हिटड्रिल, फरवरी, 1997 में ईस्ट गोदावरी जिले में आग धधकने से क्षतिग्रस्त हुई थी।

(ग) से (ङ) उप निदेशक खान-सुरक्षा, डिग्बोई एवं आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा जांच की गई थी तथा ई-1400-8 में आग धधकने के संबंध में गलती करने वाले तीन अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई थी।

मैसर्स हाइटेक के मामले में मेजर जनरल एस सी एन जटार (अवकाश प्राप्त) द्वारा जांच की गई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के तीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

कश्मीर में सुरक्षा बलों में कमी

4854. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कश्मीर में सुरक्षा बलों में कमी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घाटी में स्थिति इतनी सामान्य हो गई है जिससे सुरक्षा बल में कमी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) लोक व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार की सहायता के लिए अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराये जाते हैं। तैनाती का स्तर देश की सम्पूर्ण सुरक्षा स्थित और केन्द्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तदनुसार, जम्मू व कश्मीर सरकार को केन्द्रीय सुरक्षा बल, इन बलों की उपलब्धता और सुरक्षा स्थिति, जिसकी कि समय-समय पर समीक्षा की जाती है, को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराए जाते हैं। एकीकृत मुख्यालय,

जम्मू व कश्मीर के भीतर तैनाती की पुनरीक्षा करता रहता है जो कि परिवर्तनशील स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

बिहार में तस्करी

4855. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में स्थानीय पुलिस अधिकारियों की सांठगांठ से अफीम, गांजा, सोने और चांदी की तस्करी के मामलों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यातायात सिग्नलों में घोटाला

4856. **प्रो. अजीत कुमार मेहता:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
डा. विजय सोनकर शास्त्री:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने हाल में राजधानी के यातायात सिग्नलों में करोड़ों रुपये के घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (च) पुलिस अधिकारियों की त्रिसदस्यीय समिति ने अचानक जांच के दौरान यह पाया कि यातायात सिग्नल/ब्लिंकर्स का रखरखाव करने वाले ठेकेदार ने कुछ अनियमितताएं बरती हैं, इनमें केबिलों को न बिछाना और केबिलों की लम्बाई में विसंगतियां शामिल हैं। इसके बाद, ठेकेदार के प्रत्येक लंबित और भावी दावे के वास्तविक सत्यापन के लिए दूसरी समिति गठित की गई ताकि किसी प्रकार का अधिक भुगतान न किया जाए। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि ठेकेदार को भुगतान करने से पहले आवश्यक कटौती कर ली गई है। इसके अतिरिक्त उच्च अनियमितताओं के बारे में ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तथापि, दिल्ली पुलिस को अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करने के लिए कहा गया कि क्या पुलिस अधिकारियों जिन्हें इस कार्य की देख-रेख की जिम्मेवारी सौंपी गई थी द्वारा कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई।

अवैध गतिविधियां

4857. **श्री चन्द्रेश पटेल: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र तथा जम्मू और कश्मीर में अवैध हथियार और गोला-बारूद, अवैध गतिविधियों और जासूसी के मामले में कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। तथापि, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और जम्मू व कश्मीर में अवैध हथियार और गोलाबारूद रखने के मामले में हिरासत में लिए गए, पूछताछ और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। पिछले तीन वर्षों के दौरान

जासूसी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1995	01	06
1996	02	01
1997	09	40

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, अपराध का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के लिए राज्य सरकारें उचित कदम उठाती हैं।

लाल किले में स्टॉल/दुकानें

4858. **श्री विजय सिंह सोय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के लाल किले में कुछ क्षेत्र व्यापारिक उपयोग हेतु दुकानें चलाने के लिए आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके पट्टे किराए और रख-रखाव के संबंध में समझौतों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दुकान मालिकों ने वहां पर कोई अतिक्रमण किया है; और

(घ) यदि हां, तो दुकान मालिकों द्वारा वहां पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली नगर निगम के प्रबन्ध के अंतर्गत लाल किले में 37 दुकानें हैं, जो इसे भूतपूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा उस समय हस्तांतरित की गई थी जब 7.4.1958 को दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया था। दिल्ली नगर निगम सभी दुकानदारों से किराया/लाईसेंस शुल्क एकत्रित करती है।

(ग) और (घ) अतिक्रमण का कोई मामला दिल्ली नगर निगम के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, कुछ दुकानदारों ने दुकानों के अन्दर कुछ बढ़ोत्तरी/बदलाव किया है। जब कभी भी अतिक्रमण का कोई मामला ध्यान में आता है, दिल्ली नगर निगम त्वरित कार्रवाई करता है।

राम-मंदिर का निर्माण

4859. **श्री कमलनाथ:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत सरकार अयोध्या में विश्व-हिन्दू परिषद द्वारा चलायी जा रही कार्यशाला में चल रहे प्रस्तावित राम-मंदिर के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) अयोध्या में राम-जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद स्थल से दूर पत्थरों को काटने और तराशने का काम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता है। केन्द्र सरकार, सांविधिक रिसीवर के रूप में, उच्चतम न्यायालय के तारीख 24.10.1994 के आदेशों के अनुसार विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने के लिए सभी सम्भव कदम उठा रही है।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्ति

4860. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता के समय से ही पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्ति समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन शरणार्थियों के समुचित पुनर्वास के लिए पुनर्वास विभाग पुन: चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (छ) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रारम्भिक प्रस्तावों के उत्तर में, विस्थापित व्यक्तियों को उनके पहुंचने पर राहत सामग्री जैसे शरण शिविर, नकद सहायता, भोजन, कपड़े इत्यादि उपलब्ध करायी गयी थी ताकि उन्हें आप्रवासन के तत्कालिक सदमे से उभारा जा सके।

उपर्युक्त के बाद, विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत पुनर्वास उपाय किए गए। इनमें कृषि, लघु व्यापार, आवास इत्यादि, कालोनियों के विकास और शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के लिए पुनर्वास ऋण सम्मिलित हैं। अवशिष्ट समस्याओं को छोड़कर विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास कुल मिलाकर 1960-61 तक पूरा कर लिया गया था। अनुमोदित अनधिवासी कालोनियों और कैम्पों से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहीत करने के लिए योजनाएं, केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

अन्ततः 1987 में, 607 अनधिवासी कालोनियों को नियमित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस शर्त पर अनुमोदित कर दिया कि भविष्य में भारत सरकार द्वारा अनधिवासी कालोनियों को किसी भी सूची को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत सूची को अंतिम माना जाएगा। इस प्रयोजनार्थ सम्मत धनराशि समय-समय पर पश्चिम बंगाल सरकार को दी गयी है।

जहां तक पुनर्वास विभाग को पुनर्जीवित करने का संबंध है, गृह मंत्रालय के अधीन एक पुनर्वास प्रभाग पहले ही कार्य कर रहा है और यह प्रभाग विस्थापित व्यक्तियों के उचित पुनर्वास का कार्य देख रहा है।

चिकित्सकों/औषधियों की कमी

4861. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की अनुपलब्धता, महत्वपूर्ण सुविधाओं का अभाव तथा चिकित्सकों/चिकित्सा अधिकारियों की कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की अपर्याप्तता के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (घ) सरकार ने सामाजिक सुरक्षा नेट योजना के अंतर्गत जनांकिकीय दृष्टि से पिछड़े 90 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक सर्वेक्षण किया है। यह सर्वेक्षण वर्ष 1993 में किया गया था जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 32 जिलों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 23-23 जिलों, बिहार के 5 जिलों, पश्चिम बंगाल और गुजरात के दो-दो जिलों तथा हरियाणा, केरल और उड़ीसा के एक-एक जिले को कवर किया था।

इस सर्वेक्षण के अंतर्गत कवर किए गए 3405 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल 15 प्रतिशत में प्रसव कक्ष और 13 प्रतिशत में आपरेशन थियेटर थे। केवल 18 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कराए जाने की सूचना दी गई है और 19 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं था। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अपर्याप्त सुविधाओं के मुख्य कारणों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी योजनाओं को पूरा धन न देना जिससे बुनियादी ढांचे का अभाव उत्पन्न होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए चिकित्सीय और अर्धचिकित्सीय कर्मचारियों की ओर से उदासीनता और औषधियों तथा उपकरणों की कमी होना शामिल है। राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार ने राज्यों को यह देखने के लिए कहा है कि औषधों, उपकरणों और अनिवार्य रख-रखाव के लिए पर्याप्त धन आबंटित किया जाये। राज्यों को समय-समय पर इस बात का भी परामर्श दिया जाता है कि चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाये। प्रथम रेफरल एककों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और बेहतर अनिवार्य प्रसव परिचर्या और चिकित्सीय रूप से गर्भ-समापन संबंधी सेवाओं को प्रदान करने के लिए सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ उपकेन्द्र स्तर पर और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की बात हाल ही में चलाए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का

एक प्रमुख अंग है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से परिवार कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ और उनका विस्तार भी किया जा रहा है।

मिजोरम से आदिवासी लोगों का पलायन

4862. **श्री भीम दाहाल:**
श्री समर चौधरी:
श्री बाजूबन रियान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासियों, विशेषकर रियांग समुदाय के लोगों की जीवन सुरक्षा के अभाव में मिजोरम से आदिवासियों का व्यापक रूप से पलायन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन शरणार्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रियांग आदिवासियों को वापस भेजने के बारे में चर्चा करने हेतु केन्द्र सरकार, मिजोरम राज्य सरकार और रियांग नेताओं के बीच हाल ही में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या रियांग आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद् की मांग कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) मिजोरम से रियांग आदिवासियों का पलायन हुआ है जो एजावल पश्चिम जिले के तुईपुईबाडी क्षेत्र में मीजों और रियांगों के बीच जातीय तनाव भड़क जाने के कारण अक्तूबर/नवम्बर, 1997 में शुरू हुआ। इस समय मिजोरम से 35,000 रियांग आदिवासी त्रिपुरा में और अनुमानत: 300 असम में रह रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। राशन, कपड़े, पेयजल आपूर्ति आदि पर व्यय की पूर्ति के लिए त्रिपुरा सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक त्रिपुरा सरकार को 348 लाख रुपए दिये जा चुके हैं। इस प्रयोजन के लिए असम सरकार को भी 5 लाख रुपए की राशि दी गई है।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

(च) बातचीत अनिर्णायक रही थी।

(छ) जी हां, श्रीमान्।

(ज) मिजोरम सरकार अनुरोध के पक्ष में नहीं है।

[हिन्दी]

स्वर्ण मसूरी धान

4863. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार विशेष रूप से मध्य प्रदेश में चावल मिलों के लिए कितने प्रतिशत वसूली निर्धारित की गई है;

(ख) किन-किन राज्यों में स्वर्ण मसूरी धान का उत्पादन किया गया और विशेष रूप से इन राज्यों में उक्त धान के लिए कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह धान मध्य प्रदेश में मोटे किस्म का माना जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त धान को मध्य प्रदेश में अच्छी किस्म का कब तक माना जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में धान की ट्रायल मिलिंग के परिणामों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर खरीफ विपणन मौसम, 1996-97 से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए एक समान रूप से रॉ और सेला चावल के संबंध में धान से चावल की प्राप्ति का अनुपात क्रमश: 67% और 68% निर्धारित किया है।

(ख) से (घ) धान की "स्वर्ण मसूरी" किस्म की पैदावार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जाती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के लिए स्वर्ण मसूरी धान को ग्रेड "ए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खरीफ विपणन मौसम, 1997-98

के लिए ग्रेड ''ए'' धान का समर्थन मूल्य 445 रुपये प्रति क्विंटल है। मध्य प्रदेश के लिए धान की ''स्वर्ण मसूरी'' किस्म का वर्गीकरण नहीं किया गया है। तथापि, धान की नीची किस्मों का अपमिश्रण मौजूद होने के कारण इसकी वसूली साधारण किस्म के रूप में करने की अनुमति दी गई है।

(ङ) राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि स्वर्ण मसूरी किस्म का वर्गीकरण करने हेतु इसके शुद्ध और प्रामाणिक नमूने केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में भेजे जाएं।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए सहायता

4864. **श्री जयसिंहजी चौहान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान गुजरात को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्यों को सहायता अनुदान उपयोग/आवश्यकताओं और अंकेक्षण में स्वीकृत व्यय के आधार पर अंतिम रूप से किए गए निपटान के अनुसार रिलीज किया जाता है। राज्य महालेखाकार कार्यालयों द्वारा व्यय के अंकेक्षित विवरण प्राय: 2-3 वर्षों के अन्तराल में भेजे जाते हैं। गुजरात के बारे में नवीनतम विवरण 1995-96 वर्ष के उपलब्ध हैं और उनके अनुसार राज्य सरकार के पास कोई फालतू धन उपलब्ध नहीं है।

विवरण

राज्यों को बकाया राशि सहित सहायता अनुदान (नगद एवं सामग्री) को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

		1995-96			1996-97			1997-98		
		नगद	सामग्री	योग	नगद	सामग्री	योग	नगद	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11097.58	2021.09	13118.67	14781.23	2398.43	17179.66	8838.71	2387.25	11225.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	139.85	110.69	250.54	146.82	33.86	180.68	147.73	89.65	237.38
3.	असम	2815.74	896.14	3711.88	2233.69	824.06	3057.75	3284.70	1165.61	4450.31
4.	बिहार	8923.03	2977.17	11900.20	5506.62	2851.93	8358.55	9894.51	2727.31	12621.82
5.	गोवा	133.91	35.31	169.22	141.81	53.24	195.05	168.13	38.70	206.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	3653.60	1882.41	5536.01	3408.15	1957.01	5365.16	9446.00	1877.12	11323.12
7.	हरियाणा	2308.63	776.55	3085.18	1439.48	859.66	2299.14	3521.84	722.46	4244.30
8.	हिमाचल प्रदेश	1703.27	260.50	1963.77	1613.92	294.88	1908.80	1123.72	307.30	1431.02
9.	जम्मू व कश्मीर	1192.60	306.82	1499.42	863.14	268.35	1131.49	1873.62	264.16	2137.78
10.	कर्नाटक	6036.45	1521.36	7557.81	7599.98	1784.70	9384.68	5185.49	1275.84	6461.33
11.	केरल	2595.61	870.21	3465.82	2456.74	735.58	3192.32	2981.46	937.70	3919.16
12.	मध्य प्रदेश	5887.69	4238.43	10126.12	5689.22	4066.67	9755.89	6765.52	3227.78	9993.30
13.	महाराष्ट्र	9681.23	3036.70	12717.93	8383.02	3351.69	11734.71	8289.64	2388.04	10677.68
14.	मणिपुर	635.08	118.93	754.01	418.72	56.61	475.33	452.95	132.90	585.85
15.	मेघालय	266.73	88.83	355.56	300.07	87.40	387.47	300.91	96.13	397.04
16.	मिजोरम	189.65	52.24	241.89	197.57	45.85	243.42	221.36	74.68	296.04
17.	नागालैंड	262.19	74.68	336.87	211.63	47.62	259.25	209.05	59.19	268.24
18.	उड़ीसा	4140.80	1224.97	5365.77	2960.32	1149.21	4109.53	4821.63	1337.46	6159.09
19.	पंजाब	1862.57	1127.15	2989.72	1958.20	776.12	2734.32	2451.93	1117.79	3569.72
20.	राजस्थान	7199.77	2213.36	9413.13	7094.65	3084.52	10179.17	7299.73	2176.96	9476.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	सिक्किम	417.86	34.09	451.95	237.71	22.25	259.96	218.87	46.00	264.87
22.	तमिलनाडु	9557.57	1977.06	11534.63	6636.80	2077.61	8714.41	10835.89	1924.08	12759.97
23.	त्रिपुरा	622.94	98.32	721.26	998.50	100.96	1099.46	411.50	161.28	572.78
24.	उत्तर प्रदेश	15173.71	5945.75	21119.46	11436.91	7721.73	19158.64	19276.48	5797.10	25073.58
25.	पश्चिम बंगाल	6253.18	1936.60	8189.78	7046.22	1909.68	8955.90	5201.99	2505.16	7707.15
		102751.24	33825.36	136576.60	93761.13	36559.62	130320.75	113223.36	32837.65	146061.01

[अनुवाद]

कर्नाटक में नए जिले

4865. **श्री के.सी. कोंडय्या:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने अगस्त 1997 में सात नए जिलों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने नए जिलों की मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है;

(ग) इन नए जिलों के विकास हेतु कितनी धनराशि का केन्द्रीय अनुदान दिया गया है; और

(घ) कर्नाटक के इन नए जिलों के विकास हेतु वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी धनराशि केन्द्रीय अनुदान स्वरूप मांगी गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) नए जिलों के सृजन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है। नए जिलों के विकास के लिए कोई विशेष केन्द्रीय अनुदान भी नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

4866. **श्री प्रदीप कुमार यादव:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनियमित और मौसमी स्वरूप के कार्य को देखते हुए एक साथ ठेका प्रणाली समाप्त करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग) चूंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस विषय संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज अपनाने के बारे में मतैक्य नहीं था इसलिए भारत सरकार द्वारा इसका अनुसमर्थन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं का आयात

4867. डा. महादीपक सिंह शाक्य:
श्री अशोक अर्गल:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को ''वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट'' के अनुसार सन् 2030 तक 20 करोड़ टन खाद्यान्न का आयात करना पड़ेगा जैसाकि 'राष्ट्रीय सहारा' के दिनांक 11 जनवरी, 1998 के अंक में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 11 जनवरी, 1998 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। सरकार इस रिपोर्ट में बताई गई निराशाजनक स्थिति से सहमत नहीं है। अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु उपाय किये जा रहे हैं। 1996-97 में खाद्यान्नों का उत्पादन 198.53 मिलियन टन था। इसके वर्ष 2011-12 में बढ़कर 304 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है। 1996-97 में 194.70 मिलियन टन खाद्यान्नों की खपत हुई थी जिसके वर्ष 2011-12 में बढ़कर 298.38 मिलियन टन हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चीनी मिलों को आशय पत्र

4868. श्री पंकज चौधरी:
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को आशय पत्र की मंजूरी जारी करने में विलम्ब के मिलवार कारण क्या हैं;

(ख) राज्य में इन मिलों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने नई चीनी मिलों को जारी आशय पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ङ) 9.7.1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु निम्नलिखित 3 आवेदन विचारार्थ लम्बित थे:-

क्र.सं.	औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र तथा तिथि	जिला	आवेदक का नाम
1.	025/98/आई एल 26.2.98	बिजनौर	मै. शान्ति शुगर इंड. लि.
2.	074/98/आई एल 16.4.98	बिजनौर	मै. अपर गेंगेज शुगर इंड. लि.
3.	083/98/आई एल 01.5.98	सुलतानपुर	राम यश सिंह जी बी एस जे के एस संस्थान

सामान्यतया, आशय पत्र जारी करने के पश्चात् एक नई चीनी मिल स्थापित करने में तीन से चार वर्ष लग जाते हैं।

आशय पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाने हेतु आवेदनों की जाँच प्रेस नोट सं. 6 (1997 सीरिज), दिनांक 28 मई, 1997 में उल्लिखित मानदण्ड के अनुसार की जाती है। दिशा-निर्देशों में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा करने, सिविल निर्माण-कार्य आरम्भ करने, प्लांट तथा मशीनरी के लिए आर्डर देने तथा आवधिक ऋण के

लिए आवेदन करने के संबंध में मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। 1997-98 मौसम (30.6.1998 तक) में, 54 पार्टियों के आशय पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है।

[हिन्दी]

डी.ए.एन.आई.सी.एस. और डी.ए.एस.एस. कैडर

4869. **श्री मित्रसेन यादव:**
श्री बेनी प्रसाद वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ए.एन.आई.सी.एस. और डी.ए.एस.एस. कैडर के दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में हड़ताल पर जाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) अधिकारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि दानिक्स और डी.ए.एस.एस. के अधिकारियों ने दानिक्स के वेतन और ग्रेड संरचना के संबंध में पंचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी अपनी मांगों पर दबाव डालने हेतु 21 जुलाई, 1998 से तीन दिन के लिए सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर चले जाने की योजना बनाई थी। तथापि, उन्होंने अन्ततः ऐसा नहीं किया। तथापि, सरकार ने दानिक्स अधिकारियों की मांगों पर ध्यान दिया है।

[अनुवाद]

चक्रवात पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता

4870. **डा. बल्लभभाई कथीरिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री नादेन्दला भास्कर राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों में चक्रवात के कारण आंत्रशोथ जैसी संक्रामक बीमारियों और अन्य बीमारियों के प्रकोप का अध्ययन करने हेतु कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन महामारियों से राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए;

(घ) क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के स्वैच्छिक संगठनों और कांडला पतन न्यास प्राधिकरण द्वारा चक्रवात पीड़ित व्यक्तियों को कोई चिकित्सा सहायता और वित्तीय सहायता सहित कोई अन्य सहायता उपलब्ध करायी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संबंधित राज्य सरकारों और कांडला पतन न्यास प्राधिकरण द्वारा लोगों को इस चक्रवात से बचाने के लिए अग्रिम रूप से कोई कदम उठाए गए थे;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो भविष्य में ऐसे चक्रवात से लोगों को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) गुजरात सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के एक दल ने विनाश के बाद की स्थितियों का मूल्यांकन करने और किसी जल-जनित, वैक्टर जनित तथा पशुजन्य रोग के प्रकोप की संभावना की जांच करने के लिए 16 से 19 जून, 1998 तक कच्छ जिले के गांधी धाम खंड में चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से एक दल ने चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तौर से मलेरिया के संदर्भ में स्वास्थ्य स्थिति का मौके पर ही मूल्यांकन करने के लिए 17 से 20 जून, 1998 तक गुजरात के कांडला पोर्ट ट्रस्ट, गांधी धाम और अंजर तालुकों के प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया।

(ग) जल-जन्य, वैक्टर जन्य अथवा पशु-जन्य रोगों के प्रकोप की कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि 5 जिलों (कच्छ, जाम नगर, पोरबन्दर, जूनागढ़ और राजकोट) में चक्रवात से प्रभावित 938 गांवों में लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी। प्रभावित क्षेत्रों में 428 चिकित्सीय दल भेजे गए। लोगों का उपचार करने के लिए 3 अस्थायी अस्पतालों अर्थात् लोहाना महाजन वाड़ी (80 पलंगों वाला) कच्छ जिले में आदिपुर

(10 पलंगों वाला) और मोती कावडी (30 पलंगों वाला) में एक-एक अस्पताल की स्थापना की गई। ओ.आर.एस. के 105755 पैकेट वितरित किए गए और पीने के पानी का क्लोरोनीकरण किया गया। स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और यूनिसेफ ने चिकित्सा राहत में सहायता की।

(च) से (ज) राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने तदनुसार कार्यान्वित किए जाने के लिए जनवरी, 1998 में एक कार्य योजना तैयार की। मौसम विज्ञान विभाग से सन्निकट चक्रवात के संबंध में चेतावनी प्राप्त करने पर राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित किये गये नियंत्रण कक्षों को चक्रवात के प्रभावों को मानीटर करने के लिए सक्रिय बनाया गया। जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों को आपात स्थितियों का मुकाबला करने के लिए सतर्क कर दिया गया था।

महाराष्ट्र और राजस्थान की सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि में श्रमिकों की कमी

4871. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की घटती संख्या की जानकारी है जिससे कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं। कृषि कामगारों की कुल संख्या जो 1981 में 55.50 मिलियन थी, 1991 में बढ़कर 74.60 मिलियन हो गई है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर जो 1983-88 में 0.94 थी, 1988-94 के दौरान बढ़कर 1.88 हो गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नेल्लोर में उर्वरक परियोजना

4872. **श्री के.पी. नायडू:**
डा. सुगुण कुमारी चलामेला:
श्री के. येरननायडू:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सामने देश में यूरिया की कितनी मांग और उत्पादन की मात्रा का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में इफको यूरिया उर्वरक परियोजना स्थापित करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा यूरिया की मांग किस तरह पूरा किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने हेतु लगाये गये पूर्वानुमानों के अनुसार वर्ष 2001-02 के लिए इस पूर्वधारणा के आधार पर यूरिया की मांग 245 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया था कि पोषक मूल्य निर्धारण में विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा।

जिला नेल्लौर (आंध्र प्रदेश) में एक ग्रासरूट अमोनिया-यूरिया संयंत्र की स्थापना करने हेतु इफको के प्रस्ताव पर लोक निवेश बोर्ड द्वारा विचार करने के समय पोषक नाइट्रोजन की पूर्वानुमानित मांग के संबंध में मतभेद था। परियोजना प्रस्ताव, नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में नाइट्रोजन के मांग पूर्वानुमानों तथा उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आलोक में पुन: तैयार की जा रही क्षमता वृद्धि हेतु नीति को अंतिम रूप देने के पश्चात निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यूरिया की मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को आयातों के जरिये पूरा किया जाएगा।

जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान

4873. **श्री सुधीर गिरि:**
श्रीमती जयन्ती पटनायक:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार जम्मू-कश्मीर में व्याप्त समग्र स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में स्थिति से निपटने हेतु किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर समस्या को सुलझाने तथा आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने हेतु कोई रणनीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जबकि जम्मू और कश्मीर में कुल मिलाकर स्थिति में सुधार दिखायी दिया है, फिर भी, उग्रवादी, आसानी से लक्ष्य बनाए जा सकने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या की छुटपुट घटनाएं किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) जम्मू और कश्मीर में, सीमा पार से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, उग्रवादियों के खिलाफ अंदरूनी क्षेत्रों में प्रतिकारक कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्फल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, विकास कार्यों को तेज करना और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को तीव्र करना, इत्यादि शामिल है।

महिलाओं पर अत्याचार

4874. **श्री एस.एस. ओवेसी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आमतौर पर महिलाओं और विशेषरूप से अल्पसंख्यक महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या महिलाओं पर अत्याचारों की इन घटनाओं, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में कुछ सरकारी अधिकारी शामिल पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई जानकारी मांगी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार दर्ज मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों से संबंधित उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है:

वर्ष	घटनाएं
1995	109259
1996	115723
1997	112226

अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ अत्याचारों के बारे में विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

में आबकारी अधिनियम का कथित उल्लंघन करके रखी गई व्हिस्की की 33.5 बोतलें तथा बियर की 133 बोतलें जब्त की। इस संबंध में 11 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इन फार्म हाउसों में अन्य किसी प्रकार के अवैध व्यापार होने के बारे में दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आरक्षण

4879. **श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन:**
श्री वैको:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु आरक्षण (रोजगार एवं शैक्षणिक अवसर) अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का संज्ञान नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में 69% आरक्षण को सुरक्षित रखने का है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) संविधान (76वां संशोधन) अधिनियम, 1994 की वैधता के साथ-साथ तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (राज्य के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं में सीटों तथा सेवाओं में पदों की नियुक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 की वैधता जिससे तमिलनाडु के उक्त अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, को 1996 की रिट याचिका (सिविल) सं. 238 एक रजिस्टर्ड सोसाइटी कॉमन कॉज बनाम भारत संघ तथा अन्य के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित है।

मेडिकल कालेज

4880. **श्री अजय कुमार एस. सरनायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राज्य-वार सरकारी मान्यता प्राप्त कितने मेडिकल कालेज कार्यरत हैं;

(ख) देश में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों की अनुमति के बिना कितने मेडिकल कालेज चल रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने नए मेडिकल कालेज खोलने पर रोक लगाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) 141 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अधिनियमन के बाद 12 मेडिकल कालेजों को केन्द्र सरकार द्वारा खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे कालेजों की सूची विवरण-II में दी गई है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत में 9 गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज हैं; इन गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की राज्यवार सूची विवरण-III में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	असम	3
3.	बिहार	8
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	6

1	2	3
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	19
10.	केरल	5
11.	मध्य प्रदेश	6
12.	महाराष्ट्र	29
13.	मणिपुर	1
14.	उड़ीसा	3
15.	पंजाब	5
16.	राजस्थान	5
17.	तमिलनाडु	14
18.	उत्तर प्रदेश	9
19.	पश्चिम बंगाल	7
20.	चंडीगढ़	1
21.	दिल्ली	4
22.	पांडिचेरी	1
		141

विवरण II

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अधिनियम के बाद स्थापित किए जाने वाले केन्द्र सरकार द्वारा अनुमत्य मेडिकल कालेजों की संख्या

क्र.सं.	मेडिकल कालेजों के नाम
	प्राइवेट कालेज
1.	महाराष्ट्र एकेडमी आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पूणे धवाडे, पुणे
2.	आचार्य श्री चन्द्र कालेज आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, गांधी नगर, जम्मू तवी, जम्मू व कश्मीर
3.	पी.वी. नरसिम्हाराव मेडिकल कालेज, जॉलीग्रांट, देहरादून
4.	डा. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कालेज फार वूमेन, पिम्परी, पुणे
5.	संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद
6.	विनायक मिशन मेडिकल कालेज, स्लेम
7.	विनायक मिशन मेडिकल कालेज, करियाकल, पांडिचेरी
8.	गुरु रामदास कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमृतसर
9.	ममता मेडिकल कालेज, खम्मान
	गवर्नमेंट कालेज
11.	मेडिकल कालेज, भावनगर
12.	मेडिकल कालेज, राजकोट
13.	एकेडेमी आफ मेडिकल साइंसेज, परियायारम, केरल

विवरण III

भारतीय चिकित्सा परिषद

भारत में राज्य और विश्वविद्यालय-वार और मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों की सूची और मान्यता/निरीक्षण की प्रक्रिया विचाराधीन है

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय/कालेज का नाम	निरीक्षण का वर्ष	प्रबंधन प्रवेश की संख्या	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	**बिहार**			
(1)	विनोबा भावे विश्वविद्यालय			
	पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद (पूर्व में रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध)	1969	गवर्नमेंट 50	कोलेज को 30.4.1982 तक मान्यता दी गई थी। कालेज की मान्यता से संबंधित मामला कालेज से प्राप्त आगे के अनुपालन के साथ परिषद की शासी समिति की 17.9.97 को हुई बैठक में परिषद के समक्ष रखा गया और समिति ने निरीक्षण द्वारा इसका सत्यापन करने का निर्णय लिया। परिषद के निरीक्षकों द्वारा परिषद की ओर से अनुपालन का सत्यापन मई, 1998 में किया गया, अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट परिषद की शासी समिति की अगली बैठक में रखी जाएगी।
2.	**जम्मू व कश्मीर**			
(2)	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर			
	झेलम वैली कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, दमिया, श्रीनगर	1969	ट्रस्ट 80	कालेज की मान्यता से संबंधित मामला 17.9.97 को हुई बैठक में परिषद की शासी समिति के समक्ष रखा गया और परिषद ने 17.9.1997 को हुई अपनी बैठक में 8.3.1997 को हुई अपनी पिछली बैठक में लिए गए अपने पूर्व निर्णय की पुनरावृत्ति का निर्णय लिया और प्राधिकारियों को निदेश दिया कि जब तक संस्थान भारतीय चिकित्सा परिषद की मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी कमियों को ठीक नहीं करता है तब तक तत्काल प्रभाव से प्रवेश बन्द कर दें। अभी तक कालेज के प्राधिकारियों से इसके अनुपालन संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5
3.	महाराष्ट्र			
(3)	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई			
	तेराना मेडिकल कालेज, नयी मुम्बई	1991	ट्रस्ट 50	कालेज की मान्यता से संबंधित 10.12.1997 को हुई बैठक में इस परिषद की शासी समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने यह बात नोट की कि अवसंरचना की दृष्टि से अभी भी कमियां हैं और इस अवस्था में कालेज को मान्यता देने पर विचार नहीं किया जा सकता। तथापि, कालेज को शैक्षिक वर्ष 1997-98 में प्रतिवर्ष 50 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है।
(4)	राजीव गांधी मेडिकल कालेज और छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, कलवल, ठाणे	1992	नगर निगम 100	अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट इस परिषद की शासी समिति की आगामी बैठक में रखी जाएगी।
(4)	उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव			
(5)	जवाहर लाल फाउन्डेशन अन्नासाहेब चूड़ामन पाटिल मेमोरियल मेडिकल कालेज, धुले (पूर्व में पूणे विश्वविद्यालय से संबद्ध)	1990	प्राइवेट 50	अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट इस परिषद की शासी समिति की आगामी बैठक में रखी जाएगी। तथापि कालेज को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक वर्ष 1997-98 में प्रति वर्ष 50 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है।
4.	राजस्थान			
(5)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर			
(6)	मेडिकल कालेज, कोटा	1992	गवर्नमेंट 50	परिषद की शासी समिति ने 16.3.1998 को हुई अपनी बैठक में मेडिकल कालेज, कोटा को मान्यता देने के संबंध में आगे विचार करने के लिए राजस्थान में सभी मेडिकल कालेजों की स्टाफ सूची प्राप्त करने का निर्णय लिया। अभी तक कालेज की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय चिकित्सा परिषद

उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत परिषद द्वारा किया गया निरीक्षण/प्रतीक्षित सूचना न्यायाधीन है

क्र.सं.	कालेज/राज्य, विश्व-विद्यालय का नाम	अभ्युक्तियां
	बिहार	
7.	बी.एन. मंडल, विश्वविद्यालय, माधीपुर। मातागुजरी मेमोरियल मेडिकल कालेज, किशनगंज	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत परिषद द्वारा 29.12.94 को निरीक्षण किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25.3.96 के अपने आदेश के तहत राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को निदेश दिया कि वे पांच सप्ताह की अवधि के भीतर आवेदक संस्थान को अनन्तिम सम्बद्धता प्रदान करें। पंजीयक, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय माधीपुर ने दिनांक 10.4.96 की अधिसूचना के तहत कालेज को अनन्तिम संबद्धता प्रदान की। कालेज के प्राधिकारियों से दिनांक 18.10.97 को इस कार्यालय के पत्र के तहत अनुरोध किया गया कि वे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत निरीक्षण के लिए औपचारिक अनुरोध भेजें। कालेज के प्राधिकारियों से यह भी सूचित करने का अनुरोध किया गया है कि उनका एम.बी.बी.एस. का अन्तिम बैच विश्वविद्यालय की परीक्षा में कब बैठेगा। अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत परिषद द्वारा 27-28 जून, 1995 में निरीक्षण किया गया। न्यायालय को निरीक्षण रिपोर्ट 17.7.95 को प्रस्तुत की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 27.2.96 के अपने आदेश के तहत निदेश दिया है कि आवेदक के संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए अब शीघ्र कदम उठाएं और प्रत्यर्थी को समय नष्ट किए बिना आवश्यक आदेश जारी करने का निदेश दिया। पंजीयक, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, माधीपुर ने दिनांक 2.4.96 के आदेश के तहत 1997-98 के सत्र से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में कालेज को सम्बद्धता प्रदान कर दी है और विश्वविद्यालय स्तर पर एम.बी.बी.एस. की पिछली परीक्षा के परिणाम प्रकाशित करने की अनुमति दी।
3.	**हरियाणा**	
	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	
	महाराजा अग्रसेन इन्स्टी-ट्यूट, ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड एजुकेशन, अगरोहा	माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा 1997 की सिविल रिट याचिका सं. 12695 के संदर्भ में दिनांक 7.1.1998 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार ने 12.2.98 के पत्र के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद के अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन, अगरोहा को 50 छात्रों को दाखिले देने के लिए मेडिकल कालेज की स्थापना करने का आवेदन अग्रसारित किया। परिषद ने मार्च, 1998 में संस्थान का निरीक्षण किया। 16.3.1998 को रिपोर्ट परिषद की शासी समिति के समक्ष रखी गई और आशय पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश नहीं की। यह मामला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष जुलाई, 1998 में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु वित्तीय सहायता

4881. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो वित्त और विकास निगम को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस एजेंसियां

4882. **श्री कांतिलाल भूरिया:**
श्री राम टहल चौधरी:
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:
पी. शंकरन:
श्रीमती जयन्ती पटनायक:
श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:
श्री के.एच. मुनियप्पा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री पी.सी. थामस:
श्री रामानन्द सिंह:
श्री सुशील चन्द्र वर्मा:
श्री भीम दाहाल:
श्री जुआल उराम:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस वितरण एजेंसियां आबंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यह एजेंसियां किन नियमों से संचालित होती हैं;

(ख) इस समय देश में राज्य-वार और कम्पनी-वार कितनी रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों विशेष रूप से रांची में ऐसी एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(घ) रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने के लिए राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उनमें से राज्य-वार कितने आवेदन पत्रों का अनुमोदन कर दिया गया है, कितने लंबित हैं; और

(च) चालू वर्ष के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य-वार और श्रेणी-वार कितनी नई एजेंसियां आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है और वे किन-किन स्थानों के लिए आबंटित की जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) विद्यमान नीति के मुताबिक तेल कम्पनियां विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत अनुमोदित विपणन योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए स्थानों के संबंध में दो समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी दैनिक और एक स्थानीय भाषा दैनिक में विज्ञापन देती हैं तथा राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, आवास, आय, बहुडीलरशिप मानदंड इत्यादि से संबंधित अर्हता मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करती हैं। उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन विधिवत गठित डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नवत् आरक्षण उपलब्ध कराए गए हैं:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.)	25 प्रतिशत
शारीरिक रूप से विकलांग लोग (शा.वि.)	5 प्रतिशत
रक्षाकर्मी (र.क.)	8 प्रतिशत
अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी (अ.से.पु.क.)	8 प्रतिशत
स्वतंत्रता सेनानी (स्व.से.)	2 प्रतिशत
असाधारण खिलाड़ी (अ.खि.)	2 प्रतिशत
सामान्य श्रेणी (अ.)	50 प्रतिशत

उपरि उल्लिखित सभी श्रेणियों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 33 प्रतिशत उसी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अन्य बातों के समान रहते, विधवाओं तथा 40 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी अविवाहित महिलाओं जिनके माता पिता अर्जन नहीं कर रहे हैं, को सभी महिला श्रेणियों में अन्य महिलाओं की तुलना में वरीयता दी जाती है।

(ख) 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार देशभर में 5538 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत थीं।

(ग) तेल कम्पनियां पर्वतीय क्षेत्रों में 318 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें संचालित कर रही है। रांची की पहचान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित पर्वतीय क्षेत्रों की सूची में पर्वतीय क्षेत्र के रूप में नहीं की गई है। तथापि, रांची में इस समय 21 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें हैं।

(घ) से (च) पूरे देश के लिए एल पी जी विपणन योजना 1996-98 में 1702 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। आवेदनों की प्राप्ति और विज्ञापन के बाद इनकी जांच एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। डिस्ट्रीब्यूटर का चयन किसी एजेंसी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों में से डीलर चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

उप-क्षेत्रीय कार्यालय

4883. श्री मंजुनाथ अयानूर: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के शिमोगा जिले में भविष्य निधि उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास उपर्युक्त प्रस्ताव कब से लंबित है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारिणी द्वारा एक नए उप-क्षेत्रीय कार्यालय को खोले जाने की मंजूरी प्रदान की जाती है। सामान्य तौर पर, इन प्रस्तावों पर प्रारम्भ में कर्मचारी भविष्य निधि की क्षेत्रीय समिति, जो राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के संचालन के संबंध में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को सलाह दिए जाने के लिए गठित एक त्रिपक्षीय निकाय है, द्वारा विचार किया जाता है और इनका अनुमोदन किया जाता है। जुलाई, 1995 से समय-समय पर शिमोगा में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। पहले मानकों के अनुसार शिमोगा में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने को प्रथम-दृष्टया व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तथापि, जुलाई, 1997 में राज्य में कुछ नए जिलों की अधिसूचना के अनुसरण में कर्नाटक में उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। तदनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस मामले को कर्मचारी भविष्य निधि की क्षेत्रीय समिति की अगली बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया है।

निमहंस, बंगलौर में रक्त की मांग

4884. श्री एच.जी. रामुलू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निमहंस, बंगलौर में प्रतिदिन रक्त की औसतन मांग कितनी है;

(ख) उच्चत न्यायालय द्वारा पेशेवर रक्तदाताओं पर रोक लगाने के संबंध में निर्णय लेने के बाद मिहंस बंगलौर में रक्त की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निमहंस रक्त बैंक में रक्त का और अधिक भंडार रखने के वास्ते उसका उन्नयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) निमहांस में प्रतिदिन औसतन पूर्ण रक्त की 10 यूनिटों, ताजे जमे हुए प्लाज्मा की 5 यूनिटों, प्लाज्मा फरेसिस के लिए रक्त की 5 यूनिटों, प्लेट लेट कंसेंट्रेट की 5 यूनिटों तथा पैक्ड सेल्स की 25 से 30 यूनिटों की आवश्यकता होती है।

(ख) भुगतान पर रक्तदाताओं पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद निमहांस में व्यावसायिक दाताओं से कोई रक्त एकत्र नहीं किया जाता है और रक्त की आवश्यकता को स्वैच्छिक रक्तदाताओं से पूरा किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) निमहांस में रक्त बैंक का दर्जा बढ़ा दिया गया है और इसे भारतीय औषध नियंत्रक द्वारा यथा निर्दिष्ट स्थान वाले नए

भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसे कर्नाटक के औषध नियंत्रक द्वारा आधुनिक रक्त बैंक के रूप में पदनामित किया गया है। निमहांस में विनिर्दिष्ट स्थान के साथ-साथ रक्त लेने, उसे स्टोर करने तथा जांच करने और घटक के पृथक्करण तथा प्लाज्मा फेरेसिस करने हेतु उपकरण मौजूद हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा न्यायालयों का प्रावधान

4885. **श्री आदित्यनाथ:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रम न्यायालयों, बिक्री कर न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और आय कर न्यायाधिकरणों की तरह चिकित्सा न्यायालय बनाने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रतिफल हेतु प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अधीन कवर कर ली गई हैं। कोई भी उपभोक्ता चिकित्सा व्यवसायी के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में लिखित आरोप दाखिल कर सकता है और उपभोक्ता न्यायालय को अधिकार है कि वे विरोधी पक्ष को उसकी लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुई क्षति या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में उसके द्वारा निश्चित की गई धनराशि अदा करने के निर्देश जारी करें।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. के मामले

4886. **श्री विनोद खन्ना:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1998 के "द ट्रिब्यून" चंडीगढ़ संस्करण में "28 एच.आई.वी. पॉजीटिव केसेस इन सिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सन् 2000 ई. तक एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की कोई आशंका है;

(ग) यदि हां, तो क्या एच.आई.वी./एड्स प्रतिरोध और नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला हेतु तैयार की गई परियोजना में उठाए गए अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) परियोजना के डिजाइन के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला 20 जून, 1998 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई। प्रीडिजाइण्ड मैट्रिक्स कार्यक्रम के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए कार्यशाला में भाग लेने वाले सदस्य 7 समूहों में बंटे हुए थे। ये मुद्दे थे:

(1) कार्यक्रम प्रबंधन

(2) प्रयास

(3) सूचना, शिक्षा और संचार और सामाजिक गतिशीलता

(4) सेफ ब्लड इनिशिएटिव

(5) निगरानी

(6) यौन संचारित रोग नियंत्रण तथा कन्डोम को बढ़ावा देना

(7) नैदानिक परिचर्या तथा परामर्श।

इन समूहों की सिफारिशों को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए अगले पांच वर्ष (1999-2004) के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना में शामिल किया जाएगा)

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर की ऐसी कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रहा है ताकि अगले पांच वर्ष (1999-2004) के लिए एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन योजना में शामिल किये जाने के लिए संबंधित राज्य के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन योजना बनाई जा सके।

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 में संशोधन

4887. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यावसायिक निकायों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें भारतीय दंत चिकित्सक परिषद को शक्तियां प्रदान करने के लिए दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है जिसे इस व्यवसाय में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को स्वत: शक्तियां प्रदान की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) भारतीय दन्त चिकित्सा संघ ने दिनांक 1.7.1991 के अपने पत्र के तहत दन्त चिकित्सक अधिनियम में कई संशोधन करने का सुझाव दिया है। ये सुझाव कमोबेश भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक, जो पहले ही 1987 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है, में प्रस्तावित परिवर्तनों तथा उनके संबंध में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की तर्ज पर हैं।

राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक

4888. **श्री चेतन चौहान:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री विठ्ठल तुपे:
श्री मोहन रावले:
श्री आर. साम्बासिवा राव:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाजन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) उक्त बैठक में कितने राज्यों ने भाग लिया?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (घ) महाजन समिति की रिपोर्ट की विभिन्न सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और चीनी उद्योग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्रियों की बैठक 25.6.98 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने संबंधी विधियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी का आवंटन करने के मानदंड, वितरण नियंत्रण को जारी रखने की आवश्यकता, त्यौहारों के लिए चीनी का अधिक आवंटन करने की आवश्यकता, मिलों के पास रखे चीनी के अत्यधिक स्टाक के कारण पेश आई समस्याएं, किसानों को गन्ना मूल्य के बकायों के भुगतान के कारण पेश होने वाली समस्याएं, डीलर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और चीनी रिलीज आदेश को समय से जारी करने की आवश्यकता आदि संबंधी मामलों पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए थे। किसी भी मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।

एड्स निवारण हेतु निगरानी केन्द्र

4889. **श्री नृपेन गोस्वामी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एड्स निवारण हेतु 62 निगरानी केन्द्र और 9 निर्दिष्ट केन्द्र किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कुछ और केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) अब इन केन्द्रों को "रक्त परीक्षण केन्द्र" कहा जाता है। इनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 1998-99 के दौरान देश में शेष 69 गवर्नमेंट मेडिकल कालेजों के लिए रक्त परीक्षण केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इन मेडिकल कालेजों की एक सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

निगरानी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निगरानी केन्द्रों का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, उसमानिया कालेज, हैदराबाद
		2. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, एस.वी. मेडिकल कालेज, तिरुपति
		3. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, आंध्र मेडिकल कालेज, विशाखापत्तनम
		4. निगरानी केन्द्र, निवारक औषध संस्थान, हैदराबाद
		5. निगरानी केन्द्र, इंडियन नेवल शिप हॉस्पिटल, कल्याणी, विशाखापत्तनम
2.	अरुणाचल प्रदेश	6. निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, ईटानगर
3.	असम	7. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी
4.	बिहार	8. राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान केन्द्र, पटना
5.	गोवा	9. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, गोवा मेडिकल कालेज, पणजी
6.	गुजरात	10. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
7.	हरियाणा	11. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, मेडिकल कालेज, रोहतक
8.	हिमाचल प्रदेश	12. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला
9.	जम्मू व कश्मीर	13. इम्यूनो रोगविकृति विज्ञान विभाग, शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर
		14. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू

1	2	3
10.	कर्नाटक	15. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, बैंगलौर मेडिकल कालेज, बैंगलोर
		16. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनीपाल
		17. निगरानी केन्द्र, राष्ट्रीय मानसिक एवं तंत्रिका शल्य चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर
11.	केरल	18. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम
		19. निगरानी केन्द्र, इंडियन नेवल शिप हॉस्पिटल, कोचीन
12.	मध्य प्रदेश	20. रोग विज्ञान विभाग, गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल
		21. रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल हैल्थ, जबलपुर
		22. चौइथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर
13.	महाराष्ट्र	23. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, सेठ जी.एस. मेडिकल कालेज, मुम्बई
		24. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, जे.जे. अस्पताल, मुम्बई
		25. सिओन अस्पताल, मुम्बई
		26. बी वाई एन नायर अस्पताल, मुम्बई
		27. राजाबाड़ी अस्पताल, घाटकोपर, मुम्बई
		28. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे
		29. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर
		30. निगरानी केन्द्र, सिविल अस्पताल, कोल्हापुर
		31. निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, चन्द्रपुर
		32. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, मिराज
		33. निगरानी केन्द्र, इंडियन नेवल-शिप हॉस्पिटल, अश्विनी, मुम्बई
		34. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कालेज, पुणे

1	2	3
14.	मणिपुर	35. निगरानी केन्द्र, जे.एन. अस्पताल, इम्फाल
15.	मेघालय	36. निगरानी केन्द्र, सिविल अस्पताल, शिलांग
16.	मिजोरम	37. निगरानी केन्द्र, सिविल अस्पताल, एजवाल
17.	नागालैंड	38. निगरानी केन्द्र, नागा अस्पताल, कोहिमा
		39. निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, दीमापुर
18.	उड़ीसा	40. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, एस सी बी मेडिकल कालेज, कटक
		41. निगरानी केन्द्र, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, भुवनेश्वर
19.	पंजाब	42. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अमृतसर
20.	राजस्थान	43. सूक्ष्मजीव विज्ञान, एस एम एस अस्पताल, जयपुर
21.	सिक्किम	44. निगरानी केन्द्र, एस टी एन एम अस्पताल गंगतोक
22.	तमिलनाडु	45. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, इन्स्टीट्यूट आफ चाइल्ड हैल्थ एण्ड हॉस्पिटल फार चिल्ड्रेन, मद्रास
		46. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, मदुरै मेडिकल कालेज, मदुरै
		47. निगरानी केन्द्र, मेडिकल कालेज, चेन्नई
23.	त्रिपुरा	48. निगरानी केन्द्र, जिला अस्पताल, अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	49. सूक्ष्मजीव विज्ञान, के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ
		50. निगरानी केन्द्र, सेंट्रल जालमा इंस्टीट्यूट फार लेप्रोसी, आगरा
		51. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी
		52. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अलीगढ़
		53. निगरानी केन्द्र, कमला नेहरू स्मृति अस्पताल, इलाहाबाद

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	54. निगरानी केन्द्र, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता
26.	दिल्ली	55. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंस, शाहदरा, दिल्ली
		56. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली
		57. निगरानी केन्द्र, आर्म्ड फोर्सिस कमांड हॉस्पिटल, दिल्ली केन्ट
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	58. निगरानी केन्द्र, जी.बी. अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर
28.	चण्डीगढ़	59. डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोपैथोलॉजी, पी.जी.आई., चण्डीगढ़
29.	दादरा एवं नगर हवेली	
30.	दमण एवं दीव	
31.	लक्षद्वीप	60. निगरानी केन्द्र, राजकीय अस्पताल, कवाराती
32.	पाण्डिचेरी	61. निगरानी केन्द्र, गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, पाण्डिचेरी
		62. सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, जिपमेर पाण्डीचेरी

एच आई वी संदर्भ केन्द्रों की सूची

1. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3. भारतीय इम्यूनोहीमाटोलोजी संस्थान, बम्बई
4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कोलरा एण्ड एन्ट्रिक डिसिजेज, कलकत्ता
5. स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन्स, कलकत्ता
6. मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई
7. राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे
8. क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल
9. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैलूर

संदर्भ केन्द्रों को पुष्टिकारक परीक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। उन्हें निदान, एच आई वी किटों की गुणवत्ता नियंत्रण, एच आई वी परीक्षण के लिए दिशा निर्देश, एच आई वी परीक्षण में प्रशिक्षण तथा कोई अन्य कार्यकलाप, जो एच आई वी

परीक्षण के मानकीकरण के लिए आवश्यक हो सकते हैं, के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

विवरण II

69 गवर्नमेंट मेडिकल कालेजों की सूची "रक्त परीक्षण केन्द्रों" की स्थापना के लिए

1. आंध्र प्रदेश

(1) रंगारैया मेडिकल कालेज, काकीनाडा

(2) गुंटूर मेडिकल कालेज, गुंटूर

(3) सिद्धास्था मेडिकल कालेज, विजयावाड़ा

(4) गांधी मेडिकल कालेज, सिकन्दराबाद

(5) ककातिया मेडिकल कालेज, वाराणसी

(6) कुरनूल मेडिकल कालेज, कुरनूल

2. असम

(1) सिलचर मेडिकल कालेज, सिलचर

(2) असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़

3. बिहार

(1) दरभंगा मेडिकल कालेज, लेहना सराय

(2) एस.के. मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर

(3) पटना मेडिकल कालेज, पटना

(4) राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची

(5) एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, जमशेदपुर

(6) पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद

(7) मेडिकल कालेज, भागलपुर

(8) मगध मेडिकल कालेज, गया

(9) नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना

4. दिल्ली

(1) सुचेता कृपलानी मेडिकल कालेज, दिल्ली

5. गुजरात

(1) म्युनिसिपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद

(2) मेडिकल कालेज, बड़ौदा

(3) एम.पी. शाह मेडिकल कालेज, जामनगर

(4) गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत

6. जम्मू व कश्मीर

(1) गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर

7. कर्नाटक

(1) मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर

(2) कर्नाटक मेडिकल कालेज, हुबली

(3) मेडिकल कालेज, बरेली

(4) मेडिकल कालेज, मंगलौर

8. केरल

(1) टी.डी. मेडिकल कालेज, अल्लेपी

(2) मेडिकल कालेज, कालीकट

(3) मेडिकल कालेज, त्रिचूर

(4) मेडिकल कालेज, कोट्टायम

9. मध्य प्रदेश

(1) गर्व. मेडिकल कालेज, जबलपुर

(2) जी.आर. मेडिकल कालेज, ग्वालियर

(3) एम.जी.एम. मेडिकल कालेज, इंदौर

(4) एस.एस. मेडिकल कालेज, रेवा

(5) पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, रायपुर

10. महाराष्ट्र

(1) टी.एन. मेडिकल कालेज, मुम्बई

(2) एल.टी.एम. मेडिकल कालेज, मुम्बई

(3) डा. वी.एम. मेडिकल कालेज, शोलापुर

(4) गर्व. मेडिकल कालेज, औरंगाबाद

(5) एस.आर.टी.आर. मेडिकल कालेज, अम्बाजोगई

(6) इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर

(7) गर्व. मेडिकल कालेज, नानदेड

11. उड़ीसा

(1) वी.एस.एस. मेडिकल कालेज, बुरला

(2) एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज, ब्रह्मपुर

12. पंजाब

(1) मेडिकल कालेज, पटियाला

(2) मेडिकल कालेज, फरीदकोट

13. राजस्थान

(1) एस.पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर

(2) आर.एन.टी. मेडिकल कालेज, उदयपुर

(3) डा. एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर

(4) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर

(5) मेडिकल कालेज, कोटा

14. तमिलनाडु

(1) स्टेन्ली मेडिकल कालेज, मद्रास

(2) किलपौक मेडिकल कालेज, मद्रास

(3) थांजाबुर मेडिकल कालेज, थांजाबुर

(4) मेडिकल कालेज, कोयम्बटूर

(5) तिरूनवेली मेडिकल कालेज, तिरूनवेली

(6) मेडिकल कालेज, चिंगलपुट

15. उत्तर प्रदेश

(1) एस.एन. मेडिकल कालेज, आगरा

(2) एम.एल.एन. मेडिकल कालेज, इलाहाबाद

(3) जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर

(4) एम.आई.बी. मेडिकल कालेज, थान्सी

(5) बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर

16. पश्चिम बंगाल

(1) गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कलकत्ता

(2) आर.जी. कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता

(3) एन.आर.एस. मेडिकल कालेज, कलकत्ता

(4) नेशनल मेडिकल कालेज, कलकत्ता

(5) वी.एस. मेडिकल कालेज, बंकुरा

(6) नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी योजना की समीक्षा

4890. श्री रामनारायण मीणा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान संबंधी योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य वर्गों के लोगों के लिए किए गए व्यय का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजनाओं को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) निम्नलिखित केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा उन्हें अधिक लक्ष्योन्मुखी और प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा की गई है:

1. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।
2. अनुसूचित जाति विकास निगमों को इक्विटी सहायता।
3. सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना।
4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
5. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।
6. अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल।
7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक।
8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना।
9. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन।
10. आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।
11. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान।
12. अनुसूचित जनजातियों के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टल।
13. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल।
14. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
15. निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर।
16. राज्य आदिवासी विकास, सहकारी विकास निगमों, वन विकास निगमों को सहायता।
17. ग्रामीण खाद्यान्न बैंक की योजना।
18. निम्न साक्षरता स्तरों को अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम।
19. अनुसूचित जाति विकास के लिए कार्य कर रहे शैक्षिक संगठनों को सहायता।
20. आदिवासी विकास के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(ग) (1) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों, चमड़ा रंगने वालों और चमड़ा उतारने वालों आदि के लिए निम्नलिखित व्यय किया गया:

1996-97	90.00 करोड़ रु.
1997-98	90.00 करोड़ रु.

(2) सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना तकनीकी और उद्यमीय कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतर शिक्षा प्रप्त करने के लिए सफाई कर्मचारियों में से छात्रों को ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए आर्थिक विकास/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। वर्ष 1997-98 के लिए इस निगम को इक्विटी पूंजी निधि की पहली किश्त के रूप में 4.75 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई।

(घ) ये योजनाएं राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

महिलाओं में यक्षमा बीमारी

4891. श्री एम. राजैया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष यक्षमा से एक मिलियन महिलाएं मरेंगी; और

(ख) यदि हां, तो देश मे इस बीमारी पर कुशलतापूर्वक काबू पाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सरकार ने क्षय रोग नियंत्रण के लिए विश्व बैंक की सहायता से संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया है और यह संशोधित कार्यनीति अगले 3 वर्षों में देश के 102 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। इसका उद्देश्य इन जिलों में 30 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 85 प्रतिशत की स्वस्थता दर प्राप्त करना है।

रुग्ण एककों का पुनरुद्धार

4892. श्री अर्जुन सेठी:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्रीमती जयन्ती पटनायक:
श्री आर. साम्बासिवा राव:
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री चन्दू लाल अजमीरा:
श्री एम. राजैया:
डा. रवि मल्लू:
श्री मोइनुल हसन:
श्री राम चन्द्र मलिक:
श्री सुनील खां:
श्री वी.वी. राघवन:
डा. सरोजा वी.:
कुमारी ममता बनर्जी:
श्री सुनील कुमार शिंदे:
श्री आदित्यनाथ:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:
श्री बची सिंह रावत ''बचदा'':
प्रो. रीता वर्मा:
श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री रंजीब बिस्वाल:
राव इन्द्रजीत सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रुग्ण रसायन और उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रसायन और उर्वरक के सभी रुग्ण एककों के कार्य-निष्पादन के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, एकक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना किस स्थिति में लंबित है और इनकी स्वीकृति में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) इन परियोजनाओं का कब तक पुनरुद्धार होने की संभावना है और इन पर अनुमानित खर्च कितना आयेगा;

(च) क्या सरकार का विचार गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के परिसर में नया संयंत्र स्थापित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ङ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रुग्ण उपक्रमों से संबंधित वांछित सूचना नीचे दी गई है:

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग:

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)

वर्तमान में, आईडीपीएल के तीन विनिर्माण एकक गुड़गांव (हरियाणा), ऋषिकेष (उ.प्र.) और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में स्थित हैं; और दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एककें चेन्नई (तमिलनाडु) और मुजफ्फरपुर (बिहार) में स्थित हैं। कम्पनी को 12.8.92 को औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया था। आईडीपीएल प्रबन्धन द्वारा तैयार तथा आईडीबीआई द्वारा पुनरीक्षित पुनरुद्धार पैकेज को बी.आई.एफ.आर. ने 10.2.94 को अनुमोदित किया। चूंकि वर्ष 1994-95 में अपने पुनरुद्धार प्रचालन के प्रथम वर्ष में आईडीपीएल उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदत्ता के लक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए कम्पनी ने पैकेज में संशोधनों का सुझाव दिया। इसलिए, सरकार ने बीआईएफआर को अनुरोध करने का निर्णय किया। इसके बाद बीआईएफआर ने आईडीपीएल के वास्ते दीर्घकालीन पुनर्वास उपायों के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) मुम्बई को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। तत्पश्चात्, कम्पनी के पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप देने के अनेक प्रयास किए गए। 1.6.98 को, आईडीपीएल ने 30.9.98,

31.12.98 और 31.3.99 की कट-आफ तिथियों के साथ एक नया पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत किया। इस पैकेज की सरकार जांच कर रही है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल):

एच.ए.एल. पिम्परी, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। बी.आई.एफ.आर. ने एच.ए.एल. को 31.3.97 को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर दिया और आईडीबीआई को बीआईएफआर ने कम्पनी के पुनर्वास हेतु उपाय सुझाने के लिए प्रचालन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया। आईडीबीआई कम्पनी के लिए पुनर्वास स्कीम को तैयार कर रही है जो समापन के अंतिम चरण में है।

बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)

बी.सी.पी.एल. के चार विनिर्माण एकक; माणिकतला (कलकत्ता), पानीहरी (पश्चिम बंगाल का 24 परगना), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और मुम्बई (महाराष्ट्र) प्रत्येक स्थान पर एक-एक हैं।

28.3.95 को बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित किया गया पुनरुद्धार पैकेज कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा लागू किया जा रहा है। कम्पनी ने अंतिम चार वर्षों के दौरान शैन:-शैन: प्रगति की है। यह सुधार के पथ पर अग्रसर है और बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार प्रगति कर रही है।

स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल)

एसएसपीएल कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बीआईएफआर ने एसएसपीएल को 21.12.92 को औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया और 31.8.94 को पुनरुद्धार स्कीम अनुमोदित की। 3.7.96 को हुई पुनरीक्षा बैठक में, बीआईएफआर ने यह नोट किया कि 1994-95 और 1995-96 में एसएसपीएल का कार्य-निष्पादन लक्ष्य से बहुत कम है। बीआईएफआर का विचार था कि कम्पनी की प्रगति पर कुछ और समय के लिए नजर रखी जा सकती थी।

बी.आई.एफ.आर. ने निर्देश दिया कि 1996-97 से 2003-2004 तक के लिए अनुमान कम्पनी द्वारा पुन: तैयार किये जाने चाहिए। एसएसपीएल द्वारा तैयार और कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधित अनुमानों को अप्रैल 1997 में प्रचालन एजेन्सी (आई.डी.बी.आई.) को प्रस्तुत किये गये। प्रचालन एजेन्सी की अगस्त 1997 को प्राप्त हुई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि एसएसपीएल तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और अभूतपूर्व परित्यागों और रियायतों के बावजूद भी कोई व्यवहार्य आसार नजर नहीं आते। इसलिए, प्रचालन एजेन्सी ने सरकार के विचार मांगे हैं कि क्या ऐसी अभूतपूर्व राहतें/रियायतें प्रवर्तकों को स्वीकार्य होंगी। जबकि प्रचालन एजेन्सी की रिपोर्ट की विभाग में जांच हो रही है तो विभाग ने एसएसपीएल को एक व्यवहार्य वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। एसएसपीएल ने विभाग को 28/30 मई, 1998 को एक संशोधित स्कीम प्रस्तुत की है। इस स्कीम को एसएसपीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर तैयार किया तथा जिसकी विभाग जांच कर रहा है।

बंगाल इम्यूनिटी लि. (बी.आई.एल.)

बी.आई.एल. कलकत्ता में स्थित है। इसके दो विनिर्माण एकक; बारानगर (कलकत्ता) और देहरादून (उत्तर प्रदेश) प्रत्येक स्थान पर एक-एक है।

बीआईएफआर ने बीआईएल को 9.3.93 को औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया तथा 3.1.95 को पुनर्वास स्कीम अनुमोदित की।

बीआईएफआर ने कलकत्ता में 11.1.96 को हुई सुनवाई में अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। बीआईएफआर ने बीआईएल के प्रबन्धन को आगामी पांच वर्षों के लिए भावी योजना तैयार करने का निर्देश दिया। बीआईएफआर ने बीआईएल को कार्य-मानक निर्धारित करने और इष्टतम जनशक्ति को निर्धारित करने की दृष्टि से व्यवसायिक परामर्शदाता/संस्थान द्वारा जनशक्ति अध्ययन करवाने के लिए भी निर्देश दिए। बीआईएल ने जनशक्ति-सह-उत्पादकता मानदण्ड अध्ययन को वेस्ट बंगाल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को सौंप दिया। बीआईएल को अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। बीआईएफआर को प्रस्तुत भावी योजना यूबीआई के समक्ष अभ्युक्तियाँ/टिप्पणियों के लिए पड़ी हुई है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.)

इसके क्रियाशील एकक बरौनी (बिहार), दुर्गापुर (पं. बंगाल) और नामरूप-1, 2 तथा 3 असम में स्थित हैं। कम्पनी की एक चालू नहीं की गई उर्वरक परियोजना भी है जो हल्दिया, पं. बंगाल में स्थित है। बीआईएफआर ने 12.11.92 को इस कम्पनी को रुग्ण घोषित कर दिया था। सरकार ने 350 करोड़ रु. के अनुमानित नव निवेश से 1.10.97 को इस कमपनी के नामरुप-1, 2 तथा 3 एककों का पुनरुद्धार अनुमोदित किया है। कम्पनी ने पुनरुद्धार परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय किये हैं जिसकी वर्ष 2000 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। एच.एफ.सी.

के शेष एककों के संबंध में प्रस्तावों को, जो बीआईएफआर को प्रस्तुत किये जाने हैं, एककवार व्यवहार्यता तथा वित्त पोषण व्यवस्था विचारों पर अंतिम रूप दिया जायेगा।

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.)

इसके एकक सिन्दरी (बिहार), रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश), तलचर (उड़ीसा) तथा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं। बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 6.11.92 को इस कम्पनी को रुग्ण घोषित कर दिया था। एफसीआई के विभिन्न एककों के संबंध में बीआईएफआर को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को एकक-वार व्यवहार्यता और वित्त पोषण व्यवस्था विचारों पर अंतिम रूप दिया जायेगा।

प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. (पी.डी.आई.एल.)

मूलत: यह एक डिजाइन इन्जीनियरिंग और परामर्शी संगठन है और इसके प्रभाग सिन्दरी (बिहार), बड़ौदा (गुजरात) में तथा मुख्यालय नौएडा (उ.प्र.) में स्थित है। बीआईएफआर ने 17.12.92 को इस कम्पनी को रुग्ण घोषित कर दिया है। पीडीआईएल हेतु पुनर्वास स्कीम को सरकार ने 29.4.97 को अनुमोदित कर दिया था और बीआईएफआर ने 1.7.97 को इसे स्वीकृत कर दिया था। पुनरुद्धार पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है। पुनरुद्धार स्कीम में निम्नलिखित राहतों की परिकल्पना की गई है:

(1) 13 करोड़ रु. के योजना-भिन्न ऋण का 7 वर्षों के पश्चात् विमोच्य 7% गैर-संचयी अधिमान शेयरों में परिवर्तन।

(2) भारत सरकार ऋणों पर उपार्जित (31.3.96 तक) 44.49 करोड़ रु. के ब्याज/जुर्माना ब्याज को बट्टे-खाते में डालना।

(3) भारत सरकार के ऋणों (23.06 करोड़ रु.) पर 1.4.96 से 2 वर्ष की अवधि हेतु ब्याज विराम।

(4) भारत सरकार के 23.06 करोड़ रु. के ऋण के पुनर्भुगतान पर 1.4.96 से तीन वर्ष की अवधि के लिए स्थगन। इसका पुनर्भुगतान 1999-2000 से 6 समान वार्षिक किस्तों में किया जायेगा।

(5) फालतू जनशक्ति के सामूहिक यौक्तिकीकरण को आसान बनाने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु (31.3.98 तक) 13.93 करोड़ रु. प्रदान करना।

(च) और (छ) सरकार ने कृषक भारती कोआपरेटिव लि. को एफसीआई संयंत्र के मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर को उपयोग करके 1370.85 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से गोरखपुर में एक आधुनिक, मानक अमोनिया/यूरिया संयंत्र की स्थापना करने हेतु 21.10.97 को प्रथम अवस्था मंजूरी दे दी है। मूल्यांकन एजेंसियों ने इस परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विचार किया है।

निवेश अनुमोदन हेतु इस प्रस्ताव पर नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में "एन" पोषक के लिए मांग पूर्वानुमानों तथा उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य-निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आलोक में पुन: प्रतिपादित की जा रही क्षमता वृद्धि के लिए नीति को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् निर्धारित पद्धति के अनुसार विचार किया जायेगा।

ट्रैवल एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी

4893. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े शहरों में कुछ ट्रेवल एजेंसियां खाड़ी देशों में आकर्षक नौकरी दिलाने के बहाने बड़ी संख्या में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले पता लगाए जाए;

(ग) इन एजेंसियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों में जाने वाले ऐसे श्रमिकों की भर्ती को नियमित करने तथा इसके कल्याण हेतु कोई कानून लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथियारों की तस्करी

4894. डा. असीम बाला: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान द्वीपसमूह में विस्फोटक हथियारों की तस्करी का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने हथियारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) 10/11 फरवरी, 1998 को अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहों में सेना, नौ सेना और वायु सेना द्वारा चलाए गए संयुक्त सेवा अभियान में, 73 गन-रनर, शस्त्र और गोला बारूद के दो गन वोट्स और दो जलपोत जब्त किए गए। मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है। इसी प्रकार, 30 मई, 1998 को भारतीय नौसेना ने कोस्ट गार्ड की सहायता से दो जलपोत और कुछ गोला-बारूद सहित 26 व्यक्ति पकड़े। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पोर्ट ब्लेयर में स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया गया।

(ग) समुद्री मार्ग से पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा समुचित चौकसी रखी जा रही है।

तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी को मान्यता

4895. श्री वैको: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसायटी को स्वच्छता की समुचित प्रणाली प्रदान करने के लिए मूल गैर-सरकारी संगठन के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने कुष्ठ और क्षय रोग नियंत्रण योजनाओं को शुरू करने के उद्देश्य से स्वदेशी औषध प्रणाली विकसित करने हेतु सिद्धा, आयुर्वेदिक और यूनानी क्लिनिक खोलने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव वार्डों की स्थापना करने हेतु धन प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई अपील भी प्राप्त की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) राज्य में स्वैच्छिक कार्य यूनिट की पंजीकृत स्थायी समिति को कुछ शर्तों पर मदद गैर-सरकारी संगठन के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल से नियंत्रण हटाना

4896. श्री रामपाल सिंह: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मिट्टी के तेल से नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महामारी उन्मूलन

4897. श्री दादा बाबूराव परांजपे:
श्री दत्ता मेघे:
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री डी.एस. अहिरे:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:
श्री महेश कनोडिया:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998 के दौरान देश में संक्रामक रोगों, महामारी, कैंसर, हृदय की बीमारियों, गुर्दे, तथा छुआछूत की बीमारियों जैसे उल्टी, पेचिस, डायरिया, खसरा, कालरा, चेचक, आंत्रशोथ और नकली दवाईयों के कारण अनेक व्यक्तियों/बच्चों की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में ऐसी बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों/बच्चों की संख्या राज्य-वार अलग-अलग कितनी है; और

(ग) ऐसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) इन रोगों के बारे में देशव्यापी विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, खसरा और अतिसार के संबंध में राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान खसरे से 635 और अतिसार/ आंत्रशोथ और हैजे के कारण 10964 मौतें हुई थीं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

विवरण

खसरा और अतिसार के कारण सूचित मौतें

राज्य/संघ राज्य	1995		1996		1997	
	खसरा	मौतें	खसरा	मौतें	खसरा	मौतें
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	10	572	10	476	8	146
2. अरुणाचल प्रदेश	10	3	–	–	–	–
3. असम	–	–	×	×	×	×
4. बिहार	–	–	×	×	×	×
5. गोवा	–	39	–	27	–	4
6. गुजरात	28	131	37	81	25	40
7. हरियाणा	8	106	2	72	–	45
8. हिमाचल प्रदेश	–	83	–	48	–	33

1	2	3	4	5	6	7
9. जम्मू व कश्मीर	–	31	8	33	–	–
10. कर्नाटक	8	277	3	256	4	355
11. केरल	1	13	–	110	2	35
12. मध्य प्रदेश	7	603	21	97	23	167
13. महाराष्ट्र	13	250	15	357	22	179
14. मणिपुर	–	–	–	5	–	11
15. मेघालय	11	15	–	3	1	9
16. मिजोरम	1	13	–	13	–	5
17. नागालैण्ड	–	3	–	2	–	–
18. उड़ीसा	–	231	1	431	3	137
19. पंजाब	1	48	–	19	×	×
20. राजस्थान	25	30	6	72	7	39
21. सिक्किम	–	–	×	×	×	×

1	2	3	4	5	6	7
22. तमिलनाडु	6	62	6	281	–	55
23. त्रिपुरा	–	68	–	25	–	14
24. उत्तर प्रदेश	53	2947	82	671	37	110
25. पश्चिम बंगाल	34	1790	–	×	×	×
26. अंडमान एवं निकोबार	–	4	×	2	1	6
27. चण्डीगढ़	–	–	×	×	×	31
28. दादर और नगर हवेली	–	–	–	10	–	2
29. दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
30. दिल्ली	34	8	64	39	11	3
31. लक्षद्वीप	–	–	–	6	–	5
32. पांडिचेरी	–	14	–	10	–	15
जोड़	236	6449	256	3048	144	1457

*आंत्रशोथ और हैजा सहित

×सूचित नहीं

[अनुवाद]

औषध मूल्य

4898. **डा. सरोजा वी.:**
श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:
श्री नरेश पुगलीया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में जीवन रक्षक औषधों के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण और औचित्य है;

(ग) गरीब लोगों पर इस वृद्धि का क्या प्रभाव है;

(घ) क्या कतिपय सामान्य औषधों के थोक मूल्यों और खुदरा मूल्यों में काफी अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) औषध और भेषज नियंत्रक उत्पादन सीमा और इनकी गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखती है; और

(छ) यदि हां, तो चूककर्ताओं के संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) जीवन रक्षक प्रकृति की दवाएं विशेष दशाओं तथा परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। डी.पी.सी.ओ., 1995 जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य दवाओं के बीच कोई भेद-भाव नहीं करता है। हाल ही में एन.पी.पी.ए. ने फेनिरामाइन मेलिएट नामक प्रपुंज औषध के मूल्यों में वृद्धि की है। इस प्रपुंज औषध में अत्यल्प परिवर्तन अन्तरवर्तियों की लागत में परिवर्तन, उपभोग मापदंडों तथा प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तनों के कारण जरूरी हो गया था।

(ग) वे बीमारियां, जिनसे मुख्य रूप से गरीब लोग पीड़ित होते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य रक्षा हेतु चलाए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। इन बीमारियों के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों के मार्फत मुफ्त दवाएं सप्लाई की जाती हैं।

(घ) और (ङ) सूचीबद्ध औषधों तथा सूत्रयोगों के लिए, अनुमत्य सीमा डी.पी.सी.ओ. 1995 के प्राविधानों के अंतर्गत विनियमित की जाती है। नियंत्रण मुक्त दवाओं तथा सूत्रयोगों की खुदरा कीमतें विनिर्माताओं द्वारा नियत की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82=100) द्वारा यथा-मापित 1994-95 की अपेक्षा 1997-98 में औषधों और दवाओं के मूल्यों में 18.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि इसी अवधि के लिए अन्य सभी वस्तुओं में 20.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(च) गुणवत्ता तथा उत्पादन का नियंत्रण औषध एवं कास्मेटिक अधिनियम तथा तदधीन बने नियमों के अंतर्गत राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंसिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है।

(छ) 1995-96 वर्ष के दौरान औषध एवं कास्मेटिक अधिनियम तथा तदधीन बने नियमों के अंतर्गत दोषी कंपनियों के विरुद्ध 624 मामले दायर किए गए हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए गेहूं और चावल का कोटा

4899. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनवरी, 1998 से आज तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए राज्य को गेहूं और चावल के कोटे की आपूर्ति कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य के लोगों को गेहूं और चावल का यह कोटा उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस कोटे को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) योजना आयोग द्वारा स्व. प्रोफेसर लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ ग्रुप के तरीके के आधार

पर 1993-94 के लिए योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार गुजरात में गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत 24.21 है। तद्नुसार गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 19.95 लाख होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) गुजरात को जनवरी, 1998 से अगस्त, 1998 तक गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए माह-वार किया गया आवंटन निम्नानुसार है:-

(हजार टन में)

माह	गेहूं	चावल	जोड़
जनवरी	20.00	–	20.00
फरवरी	20.00	–	20.00
मार्च	20.00	–	20.00
अप्रैल	10.00	10.00	20.00
मई	10.00	10.00	20.00
जून	10.00	10.00	20.00
जुलाई	10.00	10.00	20.00
अगस्त	10.00	10.00	20.00

(घ) गुजरात सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे के 34 लाख परिवारों की पहचान की है। जिनके लिए खाद्यान्नों की उपर्युक्त आवंटित मात्रा पर्याप्त नहीं है।

(ङ) जून, 1997 में प्रारम्भ की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेषरूप से सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की वचनबद्धता योजना आयोग के गरीबी के अनुमानों पर आधारित प्रति माह 10 किलोग्राम प्रति परिवार की दर पर खाद्यान्नों की आवश्यकता तक सीमित है। निर्धारित की गई मात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से पूरा किया जाना है।

सुपर बाजार

4900. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार और आपूर्तिकर्ताओं सहित उन एजेंसियों को उस स्थिति में काली सूची में डालने का कोई प्रस्ताव है जो सरकारी विभागों को माल की आपूर्ति करते समय अनुचित तथा अव्यावहारिक मुनाफा कमाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार सुपर बाजार को आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण क्रय समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही किया जाता है। शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा जब कभी भी आपूर्तित सामग्री निम्न गुणवत्तावाली होती है या उनका मूल्य उद्धृत मूल्य से भिन्न होता है, तो ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को सुपर बाजार, दिल्ली की क्रय समिति द्वारा उपयुक्त जांच के बाद काली सूची में डाल दिया जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान सुपर बाजार की क्रय समिति ने ऐसे छः आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में डाला है। सुपर बाजार के सतर्कता अनुभाग द्वारा जाँच के लिए तीन और मामले हाथ में लिए गए हैं जिनके साथ सुपर बाजार ने आगे से लेन-देन निलंबित कर दिया है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

4901. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में स्थान-वार कितने क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) 1996-97 से आज तक के दौरान कैंसर के कितने मामले पाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) कैंसर के मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) इस समय देश में 12 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं, जो इस प्रकार हैं:-

1. कैंसर संस्थान, अड्यार, चेन्नई;
2. टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई;
3. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम;
4. गुजरात कैंसर सोसाइटी, अहमदाबाद;
5. किदवाई मेमोरियल कैंसर केन्द्र, बैंगलूर;
6. डा. बी.बी. कैंसर इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी;
7. एम.एन.जे. कैंसर इंस्टिट्यूट, हैदराबाद;
8. आचार्य हरिहर कैंसर अनुसंधान और उपचार का क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, कटक;
9. कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, ग्वालियर;
10. इंस्टिट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल (अ.भा.आयु. संस्थान), नई दिल्ली;
11. कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद; और
12. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता।

(ख) कोई विश्वसनीय राष्ट्रव्यापी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) 12 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में से 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की यह मंत्रालय राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान करता है। वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों और स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कैंसर की घटनाओं और इससे होने वाली रुग्णता और मृत्यु में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित स्कीमों का चयन किया गया है-

1. जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना
2. गैर-सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा और रोग का आरंभिक स्थिति में पता लगाने के लिए सहायता
3. मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में अर्बुद विज्ञान विंग का विकास
4. कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की खरीद के लिए सहायता
5. क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता।

विवरण

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों और स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई धनराशियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

	1996-97	1997-98
	1	2
कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	50.00	82.50
क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरुअनंतपुरम	50.00	75.00
गुजरात कैंसर सोसायटी, अहमदाबाद	50.00	75.00

	1	2
किदवई मेमोरियल कैंसर केन्द्र, बंगलौर	50.00	75.00
एम एन जे कैंसर अस्पताल, आंध्र प्रदेश	50.00	75.00
आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र फार रिसर्च एंड ट्रिटमेंट, कटक	50.00	82.50
कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर	50.00	75.00
इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल (ए आई आई एम एस), नई दिल्ली	400.00	220.00
कमला नेहरू मैमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद	50.00	50.00
चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	150.00	150.00

स्वैच्छिक संगठनों के विवरण

(लाख रुपयों में)

1996-97

1.	पं. पेरिची गुन्डर मैमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट, कोयम्बटूर	5.00
2.	इंदौर कैंसर फाउंडेशन, इंदौर, मध्य प्रदेश	5.00
3.	इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली	5.00
4.	एफजेएफएम अस्पताल और कम्यूनिटी हैल्थ यूनिट, महाराष्ट्र	5.00
5.	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च केन्द्र, दिल्ली	5.00

1997-98

1.	कैंसर सोसायटी आफ मध्य प्रदेश, इंदौर	2.00
2.	ककड़ कैंसर अस्पताल सोसायटी, सिलचर, असम	2.00
3.	भारत चेरिटेबल कैंसर अस्पताल एंड इंस्टी. मैसूर	2.00

[हिन्दी]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

4902. डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री एस.एस. ओवेसी:
श्री पंकज चौधरी:
श्री नरेश पुगलीया:
श्री अजय कुमार एस. सरनायक:
श्री रंजीब बिस्वाल:
श्री एन. डेनिस:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औसत से अधिक जन्म और मृत्यु दर रखने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या देश 8वीं योजना के दौरान परिवार नियोजन में प्रगति से पीछे है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लक्ष्य से पीछे चल रहे राज्य कौन-कौन से हैं;

(ङ) सरकार द्वारा जन्म दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार देश में छोटे परिवारों को लोकप्रिय बनाने के लिए नई पहल करने के लिए दृढ़ संकल्प है;

(छ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए परम्परागत दलों के लिए विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरक़ार की योजना दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को धीमा करने की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) नमूना पंजीयन प्रणाली 1995 और 1996 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जन्म और मृत्यु दरों वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नमूना पंजीयन प्रणाली के अनुसार यद्यपि देश में जन्म दर 1995 में 28.3 से 1996 में घटकर 27.5 हो गई है, जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के काफी प्रभावी होने का संकेत है फिर भी, अशोधित जन्म दर 27.5 थी जबकि आठवीं योजना में अखिल भारतीय स्तर पर 26 की अशोधित जन्म दर का लक्ष्य था।

(ग) और (घ) बड़े राज्यों में असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश द्वारा 26 की अशोधित जन्म दर का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इन राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के धीमे कार्यान्वयन के कारण इस प्रकार हैं—कार्यक्रम को राज्य नेतृत्व और समुदाय द्वारा सीमित समर्थन प्रदान करना, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा में धीमी प्रगति तथा अच्छे परिणाम देने में क्षेत्र-स्वास्थ्य कार्मिकों की कमजोर जवाबदेही।

(ङ) से (छ) परिवार कल्याण कार्यक्रमों को दिशा निर्देशित करने का सर्वोपरि उद्देश्य देश की जनसंख्या को राष्ट्रीय विकास की जरूरतों के अनुरूप स्तर पर स्थिर करना बना हुआ है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल, 1996 से केन्द्रीय स्तर से विशिष्ट तरीकों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है। 9वीं योजना के दौरान टीकाकरण, विटामिन ए सम्पूरण और ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी सेवाएं सभी जरूरतमन्द बच्चों को प्रदान की जाएंगी, प्रजनन आयु वर्ग की सभी महिलाओं को प्रसूति सेवाओं के साथ-साथ टेटनस के टीके और रक्ताल्पता का उपचार प्रदान किया जाएगा और इच्छुक दम्पत्तियों को जन्म नियंत्रण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उन्हें इनके अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए एक समन्वित नीति है जिसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की अवधारणा लाभभोगियों को आवश्यकतानुसार, व्यक्ति अनुसार, मांग अनुसार और उच्च दर्जे की सेवाएं प्रदान करने की है। ऐसा विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवार कल्याण सेवाओं के लिए सेवाओं में सुधार लाकर किया जा रहा है।

(ज) और (झ) जी, नहीं।

विवरण

वर्ष 1995 और 1996 के दौरान राष्ट्रीय औसत से अधिक जन्म और मृत्यु दरों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का विवरण

वर्ष	राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर	राष्ट्रीय औसत से अधिक जन्म-दर वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर	राष्ट्रीय औसत से अधिक मृत्यु दर वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1995	28.3	असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दादरा और नागर हवेली	9.0	असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
1996	27.5	असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दादरा और नागर हवेली	9.0	असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पम्प

4903. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 1991 से मार्च, 1998 के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों को कुछ पेट्रोल और गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये आबंटन प्रक्रिया तथा कानून के अंतर्गत किए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रम कानून

4904. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें बाल श्रम कानूनों को क्रियान्वित करने के बारे में आवधिक रिपोर्ट भेज रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन राज्यों में बाल श्रम कानूनों को अभी क्रियान्वित किया जाना है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन राज्यों में उक्त कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) बच्चों से संबंधित कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के पास प्रवर्तन तंत्र है। प्रबोधन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र बाल श्रम (प्रतिषेध व

विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार को समय-समय पर सूचनाएं देती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1996-97 व 1997-98 के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रवर्तन आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	निरीक्षण	उल्लंघन	अभियोजन	दोषसिद्धि
1996-97	35886	1868	458	18
1997-98 (अनंतिम)	13257	958	676	29

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों की प्रचालन लागत और उत्पादन क्षमता

4905. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत मास के दौरान देश के उर्वरक उद्योग की प्रचालन लागत तथा उत्पादन क्षमता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो मांगी गयी अतिरिक्त धनराशि सहित उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहकारी समितियों के उत्पादन और वित्तीय कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा 26.5.98 को हुई मुख्य कार्यपालकों की बैठक में की गई थी।

(ख) से (घ) वर्तमान में, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रम की केवल एक मुख्य परियोजना अर्थात् इफको का काण्डला एकक विस्तार परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना की जिसमें इसके कार्यान्वयन हेतु किसी बजटीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है, बिना किसी लागत वृद्धि के निर्धारित समय पर आरम्भ होने की संभावना है।

जनसंख्या की वृद्धि दर

4906. **श्री मोहन सिंह:**
डा. रवि मल्लू:
श्री दत्ता मेघे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनसंख्या की प्रतिशतता में क्या वृद्धि दर है तथा गत वर्ष की तुलना में यह वृद्धि दर कितनी है;

(ख) चालू वृद्धि दर के आधार पर वर्तमान शतक के अंत तक तथा अगली शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान देश में कुल कितनी आबादी होगी; और

(ग) जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) पिछले दशक के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर में वस्तुत: काफी कमी हुई है। सहज वृद्धि दर के संदर्भ में हिसाब लगाई गई जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1986 में 2.15 प्रतिशत की तुलना में 1996 में 1.8 प्रतिशत थी।

(ख) अगस्त, 1996 में योजना आयोग द्वारा गठित किए गए जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी दल की रिपोर्ट के अनुसार पहली जुलाई 2000, 2001, 2006 और 2011 को राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित जनसंख्या निम्न प्रकार होने का अनुमान लगाया गया है:

पहली जुलाई को (000' में) जनसंख्या—भारत

वर्ष	जनसंख्या
2000	1,002,142
2001	1,017,544
2006	1,099,995
2011	1,184,393

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रमों को निदेशित करने वाला अभिभावी उद्देश्य देश की जनसंख्या को राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर तक स्थिर करना ही बना रहा है। अप्रैल, 1996 से अभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लिए केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित की जाने वाली विधि विशिष्ट लक्ष्यों की प्रणाली छोड़ दी गई है। सभी जरूरतमंद बच्चों को टीकाकरण, विटामिन ए की पूरक खुराक और मुखीय पुनर्जलपूरण लवण चिकित्सा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जायेगी, प्रजनन आयु वर्ग की सभी महिलाओं को टेटनस के लिए टीकाकरण और रक्ताल्पता के लिए उपचार सहित प्रसव संबंधी सेवाएं और इच्छुक दम्पत्तियों को जन्म नियंत्रण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी तथा नवीं योजना के दौरान उन्हें इनका और अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए एक समेकित दृष्टिकोण है, को नवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य की अवधारणा लाभार्थी की आवश्यकतानुसार, व्यक्ति अनुसार, मांग अनुसार और उच्च दर्जे की सेवाएं प्रदान करने की है। ऐसा विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवार कल्याण सेवाओं के लिए सुविधाओं में सुधार लाकर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड

4907. **श्री चन्दू लाल अजमीरा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अफसरों के खिाफ कितनी जांच चल रही है तथा उक्त अवधि के दौरान कम्पनी को कितना घाटा हुआ है; और

(ख) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) के कर्मचारियों के विरुद्ध सात विभागीय जांच लम्बित हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने एन एफ एल के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आयोजन हेतु तीन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए हैं। सी बी आई ने एन एफ एल के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अपराधिक सदोषता की जांच करने के लिए तीन नियमित मामले भी दर्ज किए हैं।

एन एफ एल द्वारा की गई संगणना के अनुसार इन मामलों में 143 करोड़ रुपए की धनराशि निहित है।

इन जांचों/मामलों में अंतिम निर्णय न लिये जाने के कारण, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई बताना सम्भव नहीं है।

बहुओं को जलाना/दहेज से संबंधित मौतें

4908. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव:**
श्री अमर राय प्रधान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 मार्च, 1997 से 1 मार्च, 1998 तक देश में बहुओं को जलाने तथा दहेज से संबंधित मौत के कुल कितने मामले हुए;

(ख) इन अपराधों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है/संलिप्त पाया गया है;

(ग) इनमें से कितने मामले की जांच चल रही है;

(घ) कितने मामलों के संबंध में अभियोग पत्र दाखिल किया गया है तथा कितने में न्यायालय के समक्ष मुकदमा पूरा किया जा चुका है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन घिनौने अपराधों के लिए न्याय के त्वरित निपटान हेतु एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक विशेष न्यायालय स्थापित कर दिए जाएंगे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) मार्च 1997 से फरवरी, 1998 तक की अवधि के दौरान अब तक दहेज के कारण मौत (भा.दं.सं. की धारा 304-ख) के 4215 मामले तथा दहेज के लिए जला कर हत्या करने (भा.दं.सं. की धारा 302) के 494 मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार के पास अपेक्षित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन, संबंधित राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। यह संबंधित सरकारों/उच्च न्यायालयों का कार्य है कि वे अपनी जरूरतों के अनुसार इस प्रकार के न्यायालय स्थापित करें।

आई.एस.आई. एजेंटों की गिरफ्तारी

4909. **श्री सत्यपाल जैन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राष्ट्र-विरोधी और आतंकवाद समर्थक गतिविधियों में लिप्त कितने आई.एस.आई. एजेंटों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) कितने आई.एस.आई. एजेंटों पर मुकदमें चलाये गये/दण्डित किए गए और कितने छोड़े गए;

(ग) भारत की जेलों में अभी भी कितने आई.एस.आई. एजेंटों पर मुकदमें चल रहे हैं/कारावास भुगत रहे हैं; और

(घ) कितने आतंकवादियों को बिना मुकदमा चलाये अथवा मुकदमें के पश्चात, पाकिस्तान वापस भेजा गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 49 आई.एस.आई. एजेन्ट गिरफ्तार किए गए हैं।

(ख) से (घ) वे मामले, जिनमें आई.एस.आई. के एजेन्ट गिरफ्तार किए गए हैं, या तो विचाराधीन हैं या उनकी जांच-पड़ताल चल रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ होने वाले अत्याचारों संबंधी न्यायालय

4910. **श्री के. येरननायडू:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों पर विचार करने के लिए अनन्य अदालतों की स्थापना के लिए 647.95 लाख रुपए की मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) अतिरिक्त वित्तीय सहायता की कब मंजूरी दी जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में अनन्य रूप से विशेष न्यायालयों को स्थापित करने के लिए 647.95 लाख रु. की संभावित अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता का अनंतिम अनुमान लगाया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि केन्द्र सरकार 100% की केन्द्रीय सहायता के रूप में यह धनराशि स्वीकृत करे।

(ख) और (ग) जैसा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, इसलिए राज्यों को 50:50 के समान आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार जब कभी इस उद्देश्य के लिए अपने बजट में प्रावधान करती है तो केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त कर दी जाती है।

एम.बी.बी.एस. और एम.डी. छात्रों पर खर्च

4911. **श्री महेश कनोडिया:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने सरकारी मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. और एम.डी. के प्रत्येक छात्र पर कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) इस खर्च में से छात्रों द्वारा कितनी धनराशि वहन की गई;

(ग) सरकारी मेडिकल कालेजों में अध्ययन पूरा करने के पश्चात् कितने डाक्टर देश छोड़कर बाहर चले गए;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी मेडिकल कालेजों से डिग्री प्राप्त करने वाले डाक्टरों के लिए एक निश्चित अवधि के

लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सेवा करना अनिवार्य बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चलाए गए एक अध्ययन के अनुसार सरकारी चिकित्सा कालेजों में स्नातक पूर्व स्तर पर चिकित्सा शिक्षा की लागत 74,000 रुपए से 1.78 लाख रुपए और स्नातकोत्तर स्तर पर 71,000 रुपए से 1.46 लाख रुपए प्रति छात्र प्रतिवर्ष है। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस बहुत ही कम है।

(ग) वर्ष 1997 के दौरान उच्च अध्ययनों/रेजीडेंसी/प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने के लिए जिन डाक्टरों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं, उनकी संख्या 1529 है।

(घ) से (च) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने निश्चय किया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले किसी विशिष्ट अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती को अनिवार्य और एक पूर्वापेक्षा बना दिया जाए।

विक्षुब्ध क्षेत्र

4912. **श्री मोहन रावले:**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:
श्री गुरुदास कामत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त शक्तियां देने हेतु विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत जम्मू क्षेत्र के डोडा क्षेत्र और दूसरे पर्वतीय क्षेत्र को लाने के बारे में प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) इस बारे में राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि केन्द्रीय गृह मंत्री के हाल के जम्मू व कश्मीर दौरे के दौरान डोडा जिले को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने की मांग उठायी गयी थी।

इस बारे में राज्य सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों से टिप्पणियां/विचार प्राप्त होने पर कोई निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

नक्सलवादी गतिविधियां

4913. **श्री बलीराम कश्यप:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नक्सलवादी गतिविधियों का किन-किन राज्यों पर असर पड़ा है;

(ख) इन नक्सलवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन राज्यों और जिला में सक्रिय हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अपर्याप्त पुलिस बल के कारण एक ओर से नक्सलवादी ग्रामवासियों को परेशान करते हैं और दूसरी ओर पुलिस इन नक्सलवादियों का पता लगाने के लिए निर्दोष ग्रामवासियों को भी परेशान करती है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उत्पीड़न के इन मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम कदम कब तक उठाने की आशा है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) नक्सलवादियों की गतिविधियों से प्रभावित राज्य, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा हैं।

(ख) देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद में संलिप्त प्रमुख संगठनों के नाम और क्षेत्र जहां वे सक्रिय हैं, नीचे तालिका में दिए

गए हैं:

नक्सलवादी ग्रुप का नाम	सक्रिय होने का क्षेत्र
1. सी.पी.एम.एल. पीपुल्स वार ग्रुप	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु के भाग।
2. सी.पी.एम.एल.-विनोद मिश्र	बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उत्तर प्रदेश के भाग।
3. भारतीय कम्युनिस्ट संगठन (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)	पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के भाग।
4. केन्द्रीय आयोजन समिति-सी.पी.एम.एल. पार्टी यूनिटी	बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के भाग।
5. माओ कम्यूनिस्ट सैन्टर	बिहार और पश्चिम बंगाल के भाग
6. सी.पी.एम.एल.-संतोष राणा (भाई जी)	बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के भाग।
7. सी.पी.एम.एल.-सी.पी. रैड्डी-पी.बी.	आंध्र प्रदेश
8. सी.पी.एम.एल.-सी.पी.आर.-के.आर.	बिहार और पश्चिम बंगाल
9. सी.पी.एम.एल.-संतोष राणा	असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार के भाग और दिल्ली।
10. सी.आर.सी.-सी.पी.एम.एल.-	पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भाग।

(ग) बताया जाता है कि नक्सलवादियों द्वारा ग्रामीणों से धन इत्यादि ऐंठ कर तथा उन पर मुखबिर होने के सन्देह होने पर ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। तथापि, नक्सलवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को जांच-पड़ताल करनी पड़ती है जिसके दौरान पुलिस का उद्देश्य उनसे जानकारी प्राप्त करना होता है न कि उन्हें परेशान करना।

(घ) और (ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, यह संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है कि वह इस संबंध में विभिन्न उपाय सुझाएं और ठोस उपाय करें। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के नक्सलवाद विरोधी अभियानों के लिए तालमेल-बिठाना तथा राज्यों के बीच नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाभदायक सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को पुलिस के आधुनिकीकरण, बेहतर हथियार उपलब्ध कराने तथा अर्द्ध-सैनिक बलों इत्यादि की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मदद दी जाती है। कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में, पुलिस के आधुनिकीकरण और शस्त्रों की आपूर्ति हेतु पहले से आबंटित राशि के अलावा, कुछ प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी गई है।

तेल शोधक कारखाने

4914. श्री थावर चंद गेहलोत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में आग के कारण डिगबोई तेल शोधक कारखाने को कितना नुकसान हुआ;

(ख) अन्य किन-किन तेल शोधक कारखानों में आग लगी थी और गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी धनराशि का नुकसान हुआ;

(ग) आग की घटनाओं के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कौन-कौन से तेल शोधक कारखाने बंद पड़े हैं; और

(घ) तेल शोधन कारखानों को आग से बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) हाल ही में 9 जनवरी, 1998 को डिग्बोई रिफाइनरी की मोम निष्कर्षण ईकाई पर आग की घटना से हुई हानि 1186 लाख रुपए है।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1995 से 1997 तक के दौरान विभिन्न रिफाइनरियों पर आग की घटनाओं के कारण उठाई गई हानि निम्नवत् है:

रिफाइनरी का नाम	हानि (लाख रुपए)		
	1995	1996	1997
इंडियन आयल कारपोरेशन			
डिग्बोई	–	6.00	–
बरौनी	–	88.42	3.58
गुजरात	333.00	–	14.00
हल्दिया	4.74	–	13.65
मथुरा	–	19.53	–
भारत पेट्रोलियम कं.	50.00	–	–
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का., विशाख	–	251.00	9700.00
कोचीन रिफाइनरीज लि.	–	9.98	3.87
मद्रास रिफाइनरीज लि.	600.00	26.00	–
बोंगाईगांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	6.5	31.12	–

(ग) वर्तमान में कोई भी रिफाइनरी आग की घटना के कारण बंद नहीं पड़ी हुई है।

(घ) आग से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं की उचित प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है तथा प्राप्त निष्कर्षों की जानकारी सभी तेल उद्योग सदस्यों को दी जाती है ताकि आवश्यक निरोधक उपाय किये जा सकें। रिफाइनरियों के अंतर्गत आफ-साइट सुविधाओं एवं रिफाइनरियों में नई इकाईयों (आरम्भ होने से पूर्व) के संबंध में आंतरिक साथ ही बाह्य जांच प्रणाली भी आरम्भ की गई है ताकि ऐसे क्षेत्र जहां सुधार अपेक्षित है, उनकी पहचान की जा सके।

[अनुवाद]

इंडियन रिजर्व बटालियन्स

4915. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों ने राज्यवार कितनी इंडियन रिजर्व बटालियन्स की स्थापना की; और

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इन बटालियन्स की स्थापना हेतु अनुमति देने हेतु निर्धारित शर्तें और मानदण्ड क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) सरकार द्वारा 1993 में अनुमोदित स्कीम के अंतर्गत 28 इंडिया रिजर्व बटालियनें खड़ी की गयी हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य का नाम	बटालियनों की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	4
2. असम	4
3. अरुणाचल प्रदेश	2
4. हिमाचल प्रदेश	1
5. जम्मू और कश्मीर	2
6. मिजोरम	1
7. मणिपुर	2
8. मेघालय	1
9. पंजाब	5
10. राजस्थान	2
11. सिक्किम	1
12. त्रिपुरा	2
13. लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)	1

(ख) इन बटालियनों को खड़ा करने के लिए किसी प्रकार के मानदण्ड या शर्त निर्धारित नहीं की गयी हैं। इंडिया रिजर्व बटालियनें खड़ी करने के बारे में राज्यों के अनुरोधों पर कानून और व्यवस्था की जरूरतों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय

4916. **वैद्य विष्णु दत्त:**
श्रीमती भावना कर्दम दवे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा किया गया और पाकिस्तान वापिस भेजा गया;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में भारतीय पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रत्यावर्त्तन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1995 से लेकर 234 पाक राष्ट्रिकों को रिहा किया गया और पाकिस्तान वापस भेजा गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान की जेलों में भारत के 1368 राष्ट्रिक बंद हैं।

(ग) पाकिस्तान में नजरबंद भारतीय कैदियों को रिहा करने और उन्हें प्रत्यावर्तित करने का मामला बार-बार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है। दोनों देशों के बीच हुई उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद, 1997 में यह निर्णय लिया गया था कि दोनों देशों के संबंधित प्राधिकारी दोनों पक्षों के सिविलियन कैदियों को रिहा करने के मामले पर तेजी से कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में नजरबंद भारतीय कैदियों को जल्दी रिहा और प्रत्यावर्तित कराने के लिए भारत सरकार सतत प्रयास कर रही है। 1991 से लेकर 740 भारतीय कैदियों को रिहा किया गया है और उन्हें पाकिस्तान से भारत को प्रत्यावर्तित किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में खरीद केन्द्र

4917. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और मार्च, 1998 तक बिहार में धान, चावल और गेहूं की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने खरीद केन्द्र खोले गए और इन पर स्थानवार कितना खर्च किया गया;

(ग) इस समय राज्य में कितना अतिरिक्त खाद्यान्न है; और

(घ) राज्य में भविष्य में खाद्यान्नों की खरीद के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) बिहार में वसूल की गई धान, चावल और गेहूं की मात्राएं निम्नानुसार हैं:

(लाख टन में)

विपणन मौसम	धान	चावल	गेहूं
1995-96	नगण्य	शून्य	नगण्य
1996-97	नगण्य	शून्य	शून्य
1997-98	0.25	0.06	नगण्य
1998-99	–	–	नगण्य

(नगण्य = 500 टन से कम)

(ख) बिहार में धान और गेहूं की वसूली करने के लिए खोले गए वसूली केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:

विपणन मौसम	धान के लिए	गेहूं के लिए
1995-96	10	11
1996-97	72	11
1997-98	100	11
1998-99	मौसम अभी आरम्भ नहीं हुआ	30

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्रय केन्द्र खोलने हेतु क्रमशः 1,87,784.15 रुपए, 12,12,136 रुपये और 18,33,008 रुपये खर्च किए गए थे।

(ग) और (घ) बिहार मूल रूप से खाद्यान्न उत्पादन में अधिशेष वाला राज्य नहीं है। तथापि, बिहार में सरकारी वसूली एजेंसियों ने किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देने और मजबूरन बिक्री के किसी भी मामले को रोकने के लिए मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं और धान की वसूली करती है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति

4918. **श्री नरेश पुगलीया:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति का प्रभावकारी प्रबंधन करने और कृत्रिम अभाव बनाए बिना और उनके मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने जैसे पी.एच.डी.सी.सी.आई./एफ.आई.सी.सी.आई. ने ऐसे कदमों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का स्टाक भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बफर मानदंडों के अनुसार रखता है और पहली अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के खाते पर भारतीय खाद्य निगम के पास रखा गेहूं और चावल का स्टाक निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

	गेहूं	चावल
पहली अप्रैल, 1998 को बफर मानदंड	3.70	10.80
केन्द्रीय पूल के खाते पर रखा स्टाक 1.4.1998	5.08	13.05

भारत सरकार द्वारा किए गए मासिक आवंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल की आपूर्ति करता है और वर्ष 1997-98 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए आवंटन और उठान निम्नानुसार है:

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	गेहूं		चावल	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1997-98	99.24	69.39	126.56	97.65

उपर्युक्त अवधि के दौरान गेहूं और चावल के आवंटन और उठान के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उपर्युक्त से विदित होता है कि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का कोई अभाव नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 तक के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं के आवंटन और उठान बताने वाला विवरण (अनंतिम)

(हजार टन में)

		चावल		गेहूं	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2309.00	2000.07	183.00	125.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	107.86	89.31	7.11	5.76
3.	असम	590.85	438.31	323.08	193.94
4.	बिहार	489.80	156.31	788.40	513.74
5.	दिल्ली	174.30	100.34	661.47	532.02
6.	गोवा	76.80	51.95	32.30	27.10
7.	गुजरात	308.00	178.75	741.65	519.31
8.	हरियाणा	5.00	4.10	178.55	98.44
9.	हिमाचल प्रदेश	134.99	90.07	131.02	115.66
10.	जम्मू और कश्मीर	430.76	296.56	290.59	167.74
11.	कर्नाटक	1024.52	833.94	260.00	248.84
12.	केरल	1827.36	1607.38	389.04	370.93

1	2	3	4	5	6
13.	मध्य प्रदेश	463.50	297.27	584.90	308.91
14.	महाराष्ट्र	678.40	562.37	1251.80	987.43
15.	मणिपुर	101.40	45.19	25.66	27.61
16.	मेघालय	199.28	152.89	26.54	28.70
17.	मिजोरम	106.21	95.05	16.94	17.70
18.	नागालैण्ड	108.97	92.22	28.73	29.24
19.	उड़ीसा	715.40	550.84	299.00	207.19
20.	पंजाब	12.60	1.82	91.30	14.18
21.	राजस्थान	56.86	4.17	901.30	451.44
22.	सिक्किम	77.38	52.05	5.68	5.32
23.	तमिलनाडु	1359.71	1261.92	244.60	124.48
24.	त्रिपुरा	167.33	153.49	17.96	14.49
25.	उत्तर प्रदेश	521.59	320.98	1214.82	867.20
26.	पश्चिम बंगाल	536.90	315.98	1193.20	927.66
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	0.20	9.00	0.10

1	2	3	4	5	6
28.	चण्डीगढ़	2.94	2.08	17.58	5.27
29.	दादरा और नगर हवेली	4.95	2.78	1.98	1.32
30.	दमन और दीव	4.38	3.34	1.50	0.69
31.	लक्षद्वीप	8.70	3.11	0.50	0.89
32.	पांडिचेरी	20.14	0.00	4.82	0.00
	जोड़	12655.88	9764.84	9924.02	6938.59

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

4919. **श्री एस.एस. ओवेसी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश द्वारा धन की कमी के कारण कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 1997-98 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की परियोजना के निर्माण और इन्हें पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी हां।

(ख) राज्य में 1317 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 695 के अपने भवन हैं और शेष 622 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अपने भवन नहीं हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए धन राज्य योजना में बुनियादी न्यूनतम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकार को उपलब्ध कराया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्टाफ क्वार्टरों, समुन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु बजट में कुल 390 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी।

(ङ) आंध्र प्रदेश सरकार का विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अपूर्ण भवनों को दिनांक 31.3.2004 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

सीमा क्षेत्र हेतु विकास योजना

4920. **श्री नेपाल चन्द्र दास:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत असम के करीमगंज जिले के पूरे क्षेत्र को शामिल किए जाने संबंधी कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत करीमगंज जिले में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) असम सरकार ने समग्र करीमगंज जिले को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। चूंकि इस कार्यक्रम के लिए स्थानिक यूनिट, ब्लाक हैं और इस समय करीमगंज जिले के केवल चार ब्लाक ही बंगलादेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं इसलिए इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां सम्पूर्ण असम राज्य के लिए आवंटित की जाती है और उनका आगे स्थानिक और स्कीमेंटिक आवंटन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। इसलिए कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

4921. **श्री विजय गोयल:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जेनेवा में हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में ''बाल श्रम'' के संबंध में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मुद्दे पर हमारे देश का दृष्टिकोण क्या था;

(ग) क्या इस सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण का अन्य देशों ने भी समर्थन किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित बाल श्रम समिति ने अपने 86वें सत्र में बाल श्रम के सबसे घिनौने रूप से संबंधित नये मानक अंगीकार करने के लिए एक अभिसमय और सिफारिश अंगीकार करने की दृष्टि से प्रस्तावित निर्णयों पर विचार-विमर्श किया। अधिकतर सरकारें प्रस्तावित दस्तावेजों के पक्ष में थीं और बाल श्रम के घिनौने रूप के उन्मूलन में मतैक्यता थी। तथापि, हालांकि विकसित देशों के प्रतिनिधि चाहते थे कि इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए परन्तु भारत सहित विकासशील देशों के प्रतिनिधि चाहते थे कि वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे क्रमिक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अर्द्ध-सैनिक बल

4922. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के मृत्यु संबंधी मामले सरकार के ध्यान में लाए गए;

(क) यदि हां, तो कितने मामलों में सरकार ने पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा आधार पर आश्रितों को रोजगार और अन्य वित्तीय लाभ देने संबंधी कार्य पूरा कर दिया है; और

(ग) अनुकंपा आधार पर रोजगार प्रदान करने के कितने मामले लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:

(1) परिवारिक पेंशन तथा अन्य वित्तीय लाभ—2418

(2) आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति—674

(ग) लम्बित पड़े मामलों की कुल संख्या—569

कारण:

(1) डी.ओ.पी. एण्ड टी. के अनुदेशों के अनुसार, ग्रुप ''ग'' और ''घ'' पदों में सीधी भर्ती के बारे में से केवल 5 प्रतिशत रिक्तियों को अनुकम्पा-नियुक्तियों के तहत भरा जा सकता है।

(2) वास्तविक निकटतम संबंधी के बारे में विवाद, बहु-विवाह, न्यायालयों में मामलों, उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्रों अथवा उस ट्रेड जिसमें रोजगार दिया जा सकता है, में रिक्तियां उपलब्ध न होना।

[हिन्दी]

नक्सली गतिविधियों में बढ़ोत्तरी

4923. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव** (जहानाबाद): क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहानाबाद और आसपास के क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान नरसंहार की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सरकार का बिहार को अर्ध-सैनिक बल और अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) वामपंथी उग्रवादी तथा विभिन्न सेनाओं की गतिविधियों के कारण जानाहाबाद और उसके आस-पास के क्षेत्रों में हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह केन्द्र सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल भी उपलब्ध कराती है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान राज्य को लगभग 11.00 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि दसवें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार पुलिस बल के उन्नयन के लिए राज्य को 69.00 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

लिट्टे के विरुद्ध कार्यवाही

4924. **श्री सी.पी. राधाकृष्णन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तमिलनाडु में लिट्टे के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे किस प्रकार निपटा जायेगा; और

(ग) ये कदम कब तक उठाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) तमिलनाडु में श्रीलंकाई उग्रवादियों की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समन्वित रूप से कार्रवाई की जा रही है। इस बात के मद्देनजर कि तमिलनाडु की एक लम्बी तटरेखा है, सम्भावित घुसपैठ को रोकने के लिए विस्तृत उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार ने तटरेखा के साथ-साथ सशस्त्र चेक पोस्टों की स्थापना के अतिरिक्त चलती-फिरती गश्तों के द्वारा सुरक्षा प्रबन्धों को बढ़ा दिया है। इन उपायों के अलावा, पाल्क बे को नौसेना और तटरक्षक की निरन्तर निगरानी में रखा गया है।

केन्द्र सरकार ने लिट्टे को 14.5.1998 से गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। इससे लिट्टे की गतिविधियों को रोकने में राज्य और केन्द्र सरकार के हाथ मजबूत हुए हैं।

कच्चे तेल पर रायल्टी

4925. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल पर रायल्टी की दरें 1.4.1996 से संशोधन के लिए देय हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ये दरें पहले संशोधित की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन दरों को कब तक संशोधित किये जाने की आशा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) ईश्वरन समिति की सिफारिशों तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चाओं पर विचार करने के पश्चात् कच्चे तेल पर देय रायल्टी की दर 01 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि के लिए आखिरी बार फरवरी, 1993 में 481/- रुपए प्रति मीट्रिक टन नियत की गई थी। 01 अप्रैल 1993 से 31 मार्च, 1996 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल पर देय रायल्टी के विषय में 528/- रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से "लेखागत" भुगतान इस शर्त पर किया गया था कि रायल्टी की अंतिम दर की अधिसूचना जारी होने तथा कालान्तर में क्रूड मूल्य को अंतिम रूप दिये जाने पर इसका समायोजन हो। रायल्टी की यह "लेखागत" दर 01 अप्रैल, 1996 से बढ़ाकर 578/- रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दी गई है।

तीन वर्ष की अवधि (1993-94 से 1995-96 तक) के लिए उत्पादन की वास्तविक भारित औसत लागत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जा रही है तथा रायल्टी

की अंतिम दर इस आधार पर अधिसूचित की जाएगी और पहले किए गए "लेखागत" भुगतानों के प्रति आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।

[हिन्दी]

मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा दवाइयों की खरीद

4926. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेडिकल स्टोर डिपो में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने लाभार्थी पंजीकृत हैं;

(ख) क्या मेडिकल स्टोर डिपो स्थानीय खरीद के लिए दवाइयां इन्डेन्ट करा सकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी खरीद के क्या कारण हैं जिसके लिए स्थानीय खरीद हेतु दवाइयां इन्डेन्ट की जाती हैं;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान ऐसी खरीद पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ङ) ऐसी खरीद के लिए सरकार की क्या नीति है;

(च) क्या मेडिकल स्टोर डिपों के प्रभारी द्वारा की गयी खरीद वैधानिक है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना मेडिकल स्टोर डिपो (एम एम डी) में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को पंजीकृत नहीं किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) औषधियाँ अधिकृत कैमिस्टों से प्राप्त की जाती हैं ताकि के.स. स्वा. योजना के लाभार्थियों को समय से इनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें होने वाली असुविधा, आदि कोई हो, से बचा जा सके।

(घ) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य के लिए

दिल्ली: 27,51,94,002 रु.

दिल्ली से बाहर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) उपर्युक्त (ग) के अनुसार।

(च) और (छ) जी हां। मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा की गई सभी खरीदें वैध हैं।

(ज) उपर्युक्त (च) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्र

4927. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के गठन के लिए किसी समिति की घोषणा की है तथा इसे "वनवासी" नाम दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातियों को अब "वनवासी" कहा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एच.आई.वी. के मामले

4928. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने व्यक्ति एच.आई.वी. संक्रमित हैं;

(ख) सरकार ने इसे रोकने के लिए एलोपैथी से भिन्न पद्धति अपनाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों पर भारतीय औषधियों, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों के प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जिनमें होम्योपैथी शामिल है, में एड्स के उपचार संबंधी औषधों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एलोपैथिक के अलावा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत अनुसंधान के प्रस्तावों की आलोचनात्मक जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीय पद्धति में पारम्परिक दवाओं की कतिपय औषधों के रिटरो-वायरल रोधी तत्वों की जांच के लिए भी सुविधाएं स्थापित की हैं। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद एड्स के रोगियों के उपचार के लिए विभिन्न होम्योपैथिक औषधों के इम्यूनो-माडूलर तत्वों की जांच करने के लिए परीक्षण कर रही है। इन अध्ययनों के परिणामों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के राज्यवार विवरण

दर : प्रति हजार

क्र.सं.	नाम	जांच किए गए	पाजीटिव	सीरो पाजीटिविटी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	74152	698	9.41
2.	असम	12717	173	13.7
3.	अरूणाचल प्रदेश	495	0	0.00
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13026	108	8.29
5.	बिहार	9420	32	3.40
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	55812	196	1.51

1	2	3	4	5
7.	पंजाब	1488	65	43.68
8.	दिल्ली	317457	1282	4.04
9.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	250	8	12.00
10.	दादर एवं नगर हवेली	160	1	6.25
11.	गोवा	65346	1700	26.15
12.	गुजरात	433595	1226	2.81
13.	हरियाणा	150237	173	2.18
14.	हिमाचल प्रदेश	3851	92	6.64
15.	जम्मू एवं कश्मीर	8981	40	4.45
16.	कर्नाटक	387403	3905	10.08
17.	केरल	44547	215	4.83
18.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	755	7	9.27
19.	मध्य प्रदेश	93758	561	5.98

1	2	3	4	5
20.	महाराष्ट्र	414306	45171	109.03
21.	उड़ीसा	82995	213	2.56
22.	नागालैण्ड	8548	429	50.187
23.	मणिपुर	29975	5327	177.71
24.	मिजोरम	31329	103	1.29
25.	मेघालय	14153	59	4.17
26.	पांडिचेरी	82184	2832	34.46
27.	राजस्थान	22055	406	18.41
28.	सिक्किम	491	4	8.15
29.	तमिलनाडु	703708	10971	15.53
30.	त्रिपुरा	5613	4	0.71
31.	उत्तर प्रदेश	96663	1066	11.03
32.	पश्चिम बंगाल	163950	645	3.93
		3329420	77881	23.39

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए कर्नाटक को डेनमार्क का अनुदान

4929. **श्री ए. सिदराजू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए डेनमार्क का क्रोनर सहायता अनुदान बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य स्रोतों से वैकल्पिक सहायता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी तथा आवश्यक वस्तुओं का निर्गम मूल्य

4930. **श्री सीता राम यादव:**
प्रो. अजित कुमार मेहता:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री राजवंशी महतो:
श्री के.पी. नायडू:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी तथा अन्य वस्तुओं के निर्गम मूल्य में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (घ) यह मामला विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की क्षमता

4931. **डा. रामविलास वेदान्ती:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु मिल-वार कितनी चीनी मिलों को अनुमति प्रदान की गई है; और

(ख) इनमें से मिल-वार कितनी चीनी मिलों ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) चीनी वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी मिलों को उनकी पेराई क्षमता में वृद्धि करने के लिए जारी किये गये आशय पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इनमें से, मैसर्स द्वारीकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बुंदकी, जिला बिजनौर ने 2500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. तक क्षमता का विस्तार कार्य पूरा कर लिया है।

विवरण

चीनी वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी मिलों को पेराई क्षमता में विस्तार करने के लिए जारी आशय-पत्रों का ब्यौरा देने वाला विवरण (31.5.98 को स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	फैक्ट्री का नाम	विस्तार रेंज	
		से	तक
		दैनिक गन्ना पेराई क्षमता (टी.सी.डी. टनों में)	
1	2	3	4
1.	स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि., आनन्द नगर, जिला महाराजगंज	1219	2500

1	2	3	4
2.	दि सिम्भौली शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिम्भौली, जिला गाजियाबाद	5000	10000
3.	दि धामपुर शुगर मिल्स लि., धामपुर, जिला बिजनौर	9000	10000
4.	दि महालक्ष्मी शुघर मिल्स कम्पनी लि., इकबालपुर, जिला हरिद्वार	3000	10000
5.	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि., मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर	2500	5000
6.	दि कनौरिया शुगर एण्ड जनरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि., कैप्टनगंज, जिला पडरौना	3000	5000
7.	दि बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बभनान, जिला गौंडा	3500	5500
8.	द्वारीकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि., बुन्दकी, जिला बिजनौर	2500	5000
9.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., यूनिट शाहगंज, जिला जौनपुर	1016	2500
10.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि., मालियाना, जिला मेरठ	1219	2500
11.	सरया चीनी मिल्स (प्रा.) लि., सरदार नगर, जिला गोरखपुर	3200	8000
12.	दि बाजपुर को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., बाजपुर, नैनीताल	4000	5000
13.	गंगेश्वर लिमिटेड, यूनिट रामकोला, जिला देवरिया	2500	5000

1	2	3	4
14.	दि अवध शुगर मिल्स लि., हरगांव, जिला सीतापुर	5000	10000
15.	डी.एस.एम. एग्रो प्रोडक्ट्स लि., यूनिट डी.एस.एम. शुगर, काशीपुर, काशीपुर, जिला नैनीताल	2500	5000
16.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि., मीरगंज, जिला बरेली	2500	5000
17.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., पडरौना, जिला पडरौना	2400	3500
18.	मोनेट इंडस्ट्रीज लि., उन, जिला मुजफ्फरनगर	2500	5000
19.	दि धामपुर शुगर मिल्स लि., असमोली, जिला मुरादाबाद	2500	5000
20.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथियोन, जिला आजमगढ़	1250	2500
21.	शाकुम्बरी शुगर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज लि., टोडरपुर, (राघर), जिला सहारनपुर	2500	5000
22.	डालमिया सीमेंट (भारत) लि., (यूनिट रामगढ़ चीनी मिल्स), रामगढ़, जिला सीतापुर	2500	5000
23.	मोदी इंडस्ट्रीज लि., मोदी नगर, जिला गाजियाबाद	2500	5000

[हिन्दी]

किसानों को उर्वरक

4932. **श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को खरीफ की फसलों की बुआई से पहले उर्वरक देने के लिए समुचित प्रबन्ध किए हैं;

(ख) क्या उर्वरकों की कालाबाजारी और इसकी बिक्री में अनियमितताओं का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो मानसून के मौसम के पहले उक्त कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के तहत

एकमात्र उर्वरक यूरिया है। खरीफ, 98 हेतु यूरिया की राज्यवार मांग का आकलन किया गया है और राज्यों की आवश्यकतानुसार स्वदेशी स्रोतों तथा आयातों से इसकी आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। चूंकि, अन्य सभी उर्वरकों पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है, अत: इनकी उपलब्धता को कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के मानदण्डों के अंतर्गत प्रचलित मांग तथा आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ख) चालू मौसम के दौरान अभी तक किसी भी राज्य से उर्वरकों की अनियमितताओं अथवा कालाबाजारी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति

4933. श्री जोगेन्द्र कवाड़े: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा माध्यमिक और स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं कब शुरू की गई और वार्षिक छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी निर्धारित की गई है;

(ख) छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति का वास्तविक रूप से कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भुगतान की गई छात्रवृत्ति की धनराशि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1944 में अनुसूचित जातियों के लिए शुरू किया गया था तथा वर्ष 1948 में इसका विस्तार अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया था, में अनुरक्षण भत्ते की दरों में प्रथम संशोधन किया गया वर्ष 1954 में जो दिवा छात्रों के लिए 27 रुपए प्रतिमाह तथा स्नातकाधीन पाठ्यक्रमों के होस्टल वासियों के लिए 40 रुपये प्रति माह और प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा में व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में दिवा छात्रों के लिए 60 रुपए प्रति माह एवं होस्टलवासियों के लिए 75 रुपए प्रति माह निर्धारित किए गए।

(ख) इस योजना के अंतर्गत वर्तमान मासिक अनुरक्षण भत्ता दरें दिनांक 1.10.1995 से प्रभावी हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:

(रुपए लाख में)

अध्ययन का कार्यक्रम	मासिक अनुरक्षण	
	होस्टलवासी	दिवा छात्र
समूह (क) चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्यपालन में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम	425	190
समूह ''ख'' (व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमा, विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	290	190
समूह ''ग'' (व्यावसायिक विषयों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम कला तथा वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	290	190
समूह ''घ'' (द्वितीय वर्ष से आगे सामान्य स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम	230	120
समूह ''ङ'' (+2 पाठ्यक्रम तथा सामान्य स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष	150	90

(ग) इस योजना के अंतर्गत उपर्युक्त अनुरक्षण भत्ते की दरें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर समान रूप से लागू हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक इकाइयों को राजसहायता

4934. **श्री वीरेन्द्र वर्मा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादक एककों को कितनी राशि की राजसहायता का भुगतान किया गया;

(ख) क्या इन स्वदेशी एककों की राजसहायता की गणना की जा रही है और उर्वरक उत्पादक एककों का धारण मूल्य निर्धारित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार के पास इन एककों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन हेतु प्रस्तुत किए गए लागत संबंधी आंकड़ों की जांच करने हेतु कोई उपयुक्त तंत्र उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम्पनी कानून के अंतर्गत उर्वरक एककों द्वारा लागत रिकार्डों का रख-रखाव करना अनिवार्य है;

(ङ) क्या यह मानते हुए कि उर्वरक एककों द्वारा आयकर के रूप में कतिपय राशि का भुगतान किया जायेगा इन एककों को अनियमित और परिहार्य अधिक राजसहायता का अग्रिम रूप से भुगतान किया गया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने उर्वरक एककों द्वारा भुगतान किए गए आयकर की वास्तविक राशि का पता लगाया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी रूप से उत्पादित नियंत्रित उर्वरकों पर अदा की गई सब्सिडी का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	रु. करोड़
1995-96	4300.00
1996-97	4743.00
1997-98	6600.00

(ख) जी, हां।

(ग) उर्वरक एककों द्वारा प्रस्तुत किये गये लागत आंकड़े की संवीक्षा उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय के लागत मूल्यांकन प्रभाग द्वारा की जाती है जिसे भारतीय लागत लेखा सेवा से लिये गये अधिकारी संचालित करते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (ज) प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता योजना के तहत, कारपोरेट कर की प्रचलित दर को हिसाब में लगाते हुए नियामक आधार पर एकक की शुद्ध पूंजी पर कर पश्चात 12% लाभ अनुमेय है। कल्पित कर दायित्व के आधार पर शुद्ध पूंजी पर लाभ की संगणना औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो और वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा जैसे अन्य विशेषज्ञ लागत निर्धारण निकायों द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति के अनुरूप है।

धर्मवीर समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन

4935. **.डा. रवि मल्लू:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुलिस सुधार संबधी धर्मवीर समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का है;

(ख) पुलिस सुधार संबंधी धर्मवीर समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) 1979 से 1981 के दौरान राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 8 रिपोर्टें दी हैं। प्रथम रिपोर्ट पर जून, 1979 में दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में विचार किया गया था और इसे 1.2.1980 को सदन

के पटल पर रख दिया गया था। आयोग की अन्य 7 रिपोर्टों को भी सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विचारार्थ और समुचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया था और इन्हें 30.3.1983 को सदन के पटल पर रखा गया था।

2. ''पुलिस'' चूंकि राज्य का विषय है, अत: राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने का काम मुख्यत: राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार उनसे इन सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध करती रही है।

3. इन रिपोर्टों में, जिन सिफारिशों का संबंध केन्द्र सरकर से है, उनकी पहचान भी कर ली गई है। जिन सिफारिशों को स्वीकार किया जा चुका है उन पर कार्रवाई की गई है। कुछ मुद्दे, विशेषकर जिनमें वर्तमान कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

4. उच्चतम न्यायालय के 6.5.1998 को जारी निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों का पुनरीक्षण करने और लम्बित सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए तौर-तरीके सुझाने के लिए 25.5.1998 को श्री जे.एफ. रिवेरो की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषयों की पुनरीक्षा 14.7.1998 को उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी थी और इसे 22.7.1998 को आगे माननीय न्यायालय द्वारा विचारार्थ सूचीबद्ध किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

4936. श्री बची सिंह रावत ''बचदा'': क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक अधिकरण के परिनिर्णय की शर्तों का उल्लंघन करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभाग उद्योग के रूप में उक्त अधिनियम के इन प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान कितने मामलों में श्रम मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों के अधिकारियों के खिलाफ ऐसे उल्लंघन के मामलों को दर्ज किया गया, उनके परिणामस्वरूप कार्यवाही की गयी और मुकदमें चलाये गये;

(घ) क्या उद्योग के रूप में आकाशवाणी/दूरदर्शन से भी ऐसे उल्लंघन के मामलों को लिया गया;

(ङ) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान चलाये गये मुकद्दमों, घोषित परिनिर्णयों की शर्तों के उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके पूर्ण ब्यौरा और औचित्य क्या हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) समझौते अथवा पंचाट के उल्लंघन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत दंडात्मक उपबंध निर्धारित हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सरकारी विभाग को एक उद्योग होने के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 29 के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

(ग) पिछले चार वर्षों अर्थात् 1994-97 के दौरान, पंचाट/समझौते के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध 22 अभियोजनों की मंजूरी प्रदान की गयी थी। सरकारी विभागों के विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है।

(घ) से (च) दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ के विरुद्ध एक कामगार की सवेतन बहाली से संबंधित संदर्भ संख्या 87/1990 में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, कानपुर के पंचाट को लागू न किये जाने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार 1992 से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत पंचाट को लागू न किये जाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है।

निर्माण कार्य श्रम अधिनियम

4937. श्री विकास चौधरी:
श्री अजय मुखोपाध्याय:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्माण कार्य श्रम अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन नियमों को अधिसूचित किया जाएगा;

(घ) क्या राज्य सरकारें इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए अलग से नियम बनायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 दिनांक 26.3.1998 को अधिसूचित किया गया है। भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें (केन्द्रीय) नियम, 1998 का भी मसौदा तैयार कर लिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से उपकर अधिनियम के अंतर्गत अलग से नियम बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तथापि, भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्य सरकारों से नियम बनाने की अपेक्षा की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उपलब्ध कराना

4938. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों और आम जनता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यत: केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के लिए है जो अपना वेतन/पेंशन सिविल अनुमानों से लेते हैं।

संसाधनों की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा गैर-पात्र श्रेणियों को प्रदान करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय

4939. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री दिनशा पटेल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) औषधालय/अस्पताल सभी राज्यों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान औषधालय-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या नये ई.एस.आई. अस्पताल/औषधालय खोलने के लिए किसी राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनके अनुरोध स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 127 अस्पताल और 1443 औषधालय प्रचालन में हैं।

(ग) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में प्रदान की जा रही चिकित्सा देख-रेख के लिए 77.31 लाख कर्मचारी और उनके परिवार पात्र हैं। औषधालयों की संख्या चूंकि अधिक है अत: औषधालय-वार उन व्यक्तियों का ब्यौरा प्रदान करना कठिन है जो वास्तविक रूप में इनसे लाभान्वित हुए।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) कर्नाटक में पीनबा और बामसान्द्रा, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में नये क.रा.बी. अस्पतालों के निर्माण के प्रस्ताव हैं। गुजरात में नरौडा स्थित 225 बिस्तर वाले चेस्ट रोग अस्पताल को 300 बिस्तर वाले सामान्य अस्पताल में बदलने का भी एक प्रस्ताव है जिसमें टी.बी. रोगियों के बिस्तरों का अलग ब्लाक बनाया जायेगा। निगम को केरल में कुमारमंगलम और तमिलनाडु में नित्राविल्लई, इडईकोडे, कुजहीदुरई और शिवकासी में नये क.रा.बी. औषधालय खोलने के भी प्रस्ताव

प्राप्त हुए हैं। नये क.रा.बी. अस्पताल/औषधालय सामान्यतया आवश्यकता के आधार पर स्थापित किये जाते हैं। तदनुसार, निगम द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए क.रा.बी. निगम मामले में पहले ही आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

किसानों को डीजल की आपूर्ति

4940. **श्री गिनगी एन. रामचन्द्रनः**
श्री ए. गणेशमूर्तिः
श्री रवि सीताराम नायकः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को रियायती दरों पर डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को किसानों द्वारा डीजल/पेट्रोल की खपत के संबंध में आंकड़े प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किसानों के लिए कितना पेट्रोल/डीजल मंजूर किया गया और उनके द्वारा कितने डीजल/पेट्रोल की खपत की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों से बिक्री करते समय, उत्पाद के अभिप्रेत अंतिम प्रयोग का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पेट्रोल (एम एस) तथा डीजल (एच एस डी) के प्रयोक्ताओं के प्रोफाइल का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, वर्ष 1991 में आई एम आर बी द्वारा बाजार अध्ययन किया गया था। खुदरा बिक्री केन्द्रों से ट्रैक्टरों/पम्प सेटों/टिलरों/थ्रैशरों के लिए बिक्री प्रतिशत तथा कृषि कार्यों के लिए प्रत्यक्ष बिक्री के आधार पर, उक्त एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए मानदण्डों के अनुसार गत तीन वर्षों से कृषि क्षेत्र के लिए डीजल तथा पेट्रोल की बिक्री की अनुमानित मात्रा निम्नवत् है:-

(आंकड़े हजार टन में)

	एच एस डी	एम एस
1995-96	5762	1
1996-97	5851	1
1997-98	6002	1

[हिन्दी]

उपभोक्ता संगठन

4941. **श्री शैलेन्द्र कुमारः** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने उपभोक्ता संगठन है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन संगठनों की उपेक्षा किए जाने के कारण ये संगठन कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन संगठनों की सक्रिय भागीदारी के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार देश में 1332 उपभोक्ता संगठन हैं। उपभोक्ता संगठनों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियां शुरू करने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता देती हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जून, 1998 के अंत में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	332
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	8
4.	बिहार	30
5.	गुजरात	123
6.	गोवा	5
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	9
9.	जम्मू और कश्मीर	6
10.	कर्नाटक	78
11.	केरल	60
12.	मध्य प्रदेश	71
13.	महाराष्ट्र	70
14.	मणिपुर	3
15.	मेघालय	6
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैण्ड	3
18.	उड़ीसा	46
19.	पंजाब	51
20.	राजस्थान	79
21.	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	160
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	103
25.	पश्चिम बंगाल	19
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चण्डीगढ़ प्रशासन	6
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
29.	दिल्ली	25
30.	दमन व दीव	1
31.	लक्षद्वीप	2
32.	पाण्डीचेरी	18
		1332

[अनुवाद]

कल्याणकारी योजनाएं

4942. **इंजीनियर शंकर पन्नू:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल तथा अन्य कल्याण कार्यक्रम लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं को राजस्थान में किस सीमा तक लागू किया गया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों में 133 से ज्यादा कल्याण योजनाएं हैं, जिनके लिए बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जा सकता है। सरकार बाल श्रमिकों के लाभ के लिए दो योजनाएं-राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना तथा स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता कार्यान्वित कर रही हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (जो स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है) के तहत 3000 कार्यरत बच्चों के पुनर्वास हेतु राजस्थान के उदयपुर तथा जयपुर-जिलों में 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धोखा दिया जाना

4943. **श्री वी.वी राघवन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस विभाग और बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा निवेशकों को धोखा दिए जाने के संबंध में शिकायतों से कुशलतापूर्वक निबटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में अनेकों शिकायतें पुलिस को प्राप्त हो रही थी। इन्हें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के सफेद-पोश अपराधों की जांच-पड़ताल करने के लिए दिल्ली पुलिस में वर्ष 1994 में एक आर्थिक अपराध शाखा का गठन किया गया था।

वेतनमान का संशोधन

4944. **श्री सुनील खां:**
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वर्ष 1987 से कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों के वेतनमानों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) के कर्मचरियों के वेतन तथा भत्ते पिछली बार 1987 में संशोधित किए गए थे। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के तहत नवम्बर, 1992 में इन कम्पनियों को रुग्ण घोषित कर दिया था। रुग्ण कम्पनियों के यूनियनों से न जुड़े (असंधीकृत) कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन के लिए उनके पुनर्वास के संबंध में बी आई एफ आर के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी होती है। एच एफ सी तथा एफ सी आई यूनियन से जुड़े कामगारों की मजदूरी संशोधन करने में समर्थ नहीं हो सकी है क्योंकि ये कम्पनियां अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों को अपने आंतरिक उत्पादन के माध्यम से पूरा करने तथा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं कि उत्पादन की प्रति इकाई श्रम लागत में वृद्धि नहीं हुई है।

एच एफ सी तथा एफ सी आई के पुनर्वास के संबंध में अंतिम निर्णय न लिये जाने के कारण इन कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा बताना इस वक्त सम्भव नहीं है।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य योजनाएं

4945. **श्री ए. गणेशमूर्ति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में स्वास्थ्य क्षेत्र की उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान ऋण स्वीकृत किए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) तमिलनाडु में विश्व बैंक की सहायता से क्षयरोग, कुष्ठ, एड्स व मोतियाबिंद से होने वाली दृष्टिहीनता के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए निधियों के आवंटन/किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये लाखों में)

	1995-96		1996-97		1997-98		कुल	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
कुष्ठ								
राज्य सरकार	114.00	114.00	114.00	114.00	117.00	117.00	345.00	345.00
जिला सोसाइटी	91.00	118.26	287.30	124.37*	शून्य	शून्य	378.3	242.63
(*अभी तक 12 जिलों ने सूचित किया है।)								
एड्स	650.00	679.73	1700.00	1300.00	2000.00	1681.71	4350.00	3661.53
क्षयरोग	–		–		–		59.23 (1996-98)	3.46
दृष्टिहीनता (तमिलनाडु को जारी की गई निधियां)								
राज्य सरकार	306.3		106.5		443.6		856.4	
जिलासोसाटियां	90.0		108.0		225.0		423.00	

कैबिनेट मंत्रियों का दर्जा

4946. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री नरेन्द्र बुडानिया:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और समुचित स्टाफ दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

अनिवासी भारतीय डाक्टरों द्वारा गुर्दा चिकित्सा केन्द्र की स्थापना

4947. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री आनंद रत्न मौर्य:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीय डाक्टरों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने राजधानी में अत्याधुनिक गुर्दा चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त चिकित्सा केन्द्र को स्थापित करने से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की आशा है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

पुलिस हिरासत में हुई मौतें

4948. **डा. जयन्त रंगपी:**
प्रो. अजित कुमार मेहता:
श्री मोहन सिंह:
श्री सुरेश चन्देल:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री नरेन्द्र बुडानिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों से आज तक प्रत्येक वर्ष देश में पुलिस हिरासत में उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार के कारण हुई मौतों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें इस प्रकार की मौतों में पुलिस का हाथ था;

(ग) दण्डित किए गए व्यक्तियों/अधिकारियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा जांच कार्य की प्रक्रिया में तथा दोष स्वीकृति के लिए कठोर यातना आदि उपाय अपनाने के संबंध में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) केन्द्र स्तर पर अलग-अलग मामलों के बारे में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस बल अपने व्यवहार को मानवोचित बनाए और पुलिस ज्यादतियों के कथित मामले, यदि कोई हों, तो उनको गंभीरता से लिया जाए और उन पर तत्परता और दृढ़ता से कार्रवाई की जाए। इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को, श्री डी.के. वासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के बीच 1986 की रिट याचिका सी आर एल सं. 539 मे उच्चतम न्यायालय द्वारा 18.12.1996 को नजरबंदी और गिरफ्तारी के बारे में दिए गए निर्देशों का पालन सावधानीपूर्वक करने के लिए भी कहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1995-96		1996-97		1997-98		01.04.98 से 30.06.98	
		पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	45	27	70	21	52	02	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	02	–	02	02	02	–
3.	असम	07	15	13	12	14	20	03	08
4.	बिहार	08	67	14	79	09	110	03	46
5.	गोवा	–	–	02	–	–	03	01	–
6.	गुजरात	15	04	18	32	15	04	01	20
7.	हरियाणा	04	05	02	07	03	08	–	03
8.	हिमाचल प्रदेश	–	01	01	–	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	15	–	04	–	02	–	–	–
10.	कर्नाटक	03	10	08	28	06	35	–	04
11.	केरल	02	02	06	09	06	29	–	04
12.	मध्य प्रदेश	02	07	08	07	18	43	–	23
13.	महाराष्ट्र	09	25	21	180	19	115	–	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मणिपुर	04	–	01	–	01	–	–	–
15.	मेघालय	–	03	–	10	02	–	–	–
16.	मिजोरम	–	02	–	–	–	01	–	–
17.	नागालैण्ड	02	–	02	01	01	–	–	–
18.	उड़ीसा	02	08	03	10	04	19	–	22
19.	पंजाब	08	06	05	12	11	26	–	15
20.	राजस्थान	06	11	05	25	06	11	–	15
21.	सिक्किम	01	–	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	04	01	03	18	11	55	–	11
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	03	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	13	24	32	139	16	169	–	75
25.	पश्चिम बंगाल	14	37	06	42	10	43	–	11
26.	अ. और नि.	–	–	–	–	–	–	–	01
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन और द्वीव	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	07	33	05	19	12	29	–	02
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	01	–	–	–
	कुल	136	308	188	700	193	819	42	305

रासायनिक हथियारों की जब्ती

4949. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी:**
श्री सुरेश वरपुडकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कश्मीर घाटी और देश के पूर्वोत्तर तथा अन्य भागों में रासायनिक अस्त्र जब्त किए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन स्थानों पर किस प्रकार के विदेशी अस्त्र पकड़े गये हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए हथियारों की प्रमुख किस्में हैं-ए.के. शृंखला की राईफलें, पिस्तौल/रिवाल्वर, कार्बाईन्स, यू.एम.जी., आर.पी.जी., एल.एम.जी., एल.एम.जी./एस.एल.आर., स्निपर राईफले, ग्रेनेड लांचर, राकेट लांचर इत्यादि।

(घ) सीमा पार से शस्त्रों के लाने और उनकी तस्करी इत्यादि को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण लोगों को घर-घर जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना

4950. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों को घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न पंचायतों, सरपंचों, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों तथा अनेक जन स्वास्थ्य संगठनों द्वारा दिनांक 20 मार्च, 1998 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अभी तक उसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां। अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन, दिल्ली से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) ज्ञापन में मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं:-

(1) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों के लिए औषध किटों की सप्लाई पुनः चालू करना।

(2) मानदेय की राशि बढ़ाना।

(3) हरियाणा सहित कुछ राज्यों में लंबित मानदेय का भुगतान करना।

(4) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को पहचान पत्र जारी करना।

(5) मृत ग्राम स्वास्थ्य गाइड के परिवार से ग्राम स्वास्थ्य गाइड की भर्ती करना।

(ग) और (घ) सरकार ने ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से मिल रही है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद मामले पर आगे कार्यवाही की जाएगी। इस नई स्थिति के बारे में अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

[अनुवाद]

दिल्ली में चिकित्सीय अपशिष्टों की बढ़ती मात्रा

4951. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजराः**
श्री एस.एस. ओवेसीः
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः
श्री चिन्ता मोहनः
श्री बसुदेव आचार्यः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली और देश के अन्य महानगरों में अस्पतालों से निकलने वाले दैनिक चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोज्य बनाकर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्टों/चिकित्सीय अपशिष्टों को नष्ट करने के लिए कोई नीति/योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नीति/योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और नहीं तो इसके राज्यवार कारण क्या हैं;

(च) क्या चिकित्सीय अपशिष्ट की उचित व्यवस्था के अभाव के कारण जनस्वास्थ्य को गम्भीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या राज्य सरकारों ने इस योजना/नीति के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक नीति/योजना बनाए जाने की संभावना है या इस संबंध में राज्य सरकारों का अनुदेश। मार्ग निदेश जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) से (छ) अस्पताली अपशिष्ट प्रबन्धन संबंधी मौजूदा नीति में उपयुक्त अपशिष्ट निपटान के लिए क्रियाविधियां और पद्धतियां तैयार करने हेतु सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों में सभी अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबन्धन समितियां स्थापित करने की हिमायत की गई है। अस्पताली अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु लागत सार्थक उपाय अपनाने, तकनीकी विकल्पों, प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने और जागरूकता पैदा करने तथा स्टाफ को प्रेरित करने की जरूरत भी समझी गई है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 16.10.1997 को प्रारूप जैव चिकित्सीय

अपशिष्ट (प्रबन्धन और हैंडलिंग) नियम, 1977 जारी किए हैं जिसके लिए जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट हैंडलिंग के लिए क्रियाविधि और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इन नियमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अंतिम अधिसूचना के बाद समुचित प्राधिकारियों के जरिए कार्यान्वित किया जायेगा। जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट अनुचित-प्रबन्धन से विभिन्न रूपों में प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होने की संभावना हो सकती है। संक्रामक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार से रोग फैल सकते हैं।

(ज) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मार्च, 1997 में इस आशय के पत्र लिखे गए हैं कि वे अपने नियंत्रणाधीन सभी अस्पतालों में अस्पताली अपशिष्ट का निपटान करने हेतु निर्माण कार्य करने और इनसिनरेटर या वैकल्पिक विधि संस्थापित करने के लिए तत्काल उपाय करें। इनसिनेरेटर संस्थापित करते समय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अस्पताली अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए तैयार किए गए मानकों और दिशा-निदेशों को भी ध्यान में रखा जाए।

एल.पी.जी. लाइन

4952. **श्री के.एस. रावः**
श्री प्रभुनाथ सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पाइपलाइन के माध्यम से घरों में रसोई गैस की आपूर्ति करने के लिए परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) की ओर से दिल्ली में गैस वितरण परियोजना हेतु किसी तेल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम गठित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपभोक्ताओं की श्रेणियां कितनी हैं और इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली का कितना क्षेत्र लाया जाएगा, इसकी लागत कितनी है और इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) गेल ने दिल्ली के बापा नगर, काका नगर तथा पंडारा पार्क में करीब 1200 घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के उद्देश्य से पहले ही प्रायोगिक परियोजना क्रियान्वित कर दी है। इस योजना का आगे और विस्तार करने का मामला उठाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) गेल ने दिल्ली में गैस वितरण परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बी पी सी एल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का प्रस्ताव किया है। 537 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के घरेलू वाणिज्यिक तथा आटोमोबाइल क्षेत्रों के विभिन्न भाग शामिल होंगे। एक बार कार्यान्वित होने पर उपभोक्ताओं को रसोई गैस की लगातार आपूर्ति मिलेगी।

(ङ) सरकार ने संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को अनुमोदित कर दिया है।

संगठित क्षेत्र का वेतन ढांचा

4953. **डा. सुगुण कुमारी चलामेलाः**
श्री अजय मुखोपाध्यायः

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाई देशों तथा विश्व के अन्य विकसित देशों के मुकाबले भारत में संगठित औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों के वेतन ढांचे का तुलनात्मक आंकड़ा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): भारत में असंगठित औद्योगिक कामगारों, अन्य एशियाई देशों तथा विश्व के विकसित देशों के वेतन के तुलनात्मक आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

तालिका में सम्पूर्ण रूप से विनिर्माण तथा भारत, अन्य एशियाई तथा विकसित देशों में प्रभाग के बड़े औद्योगिक समूह में प्रति कामगार औसत मजदूरी

	मुद्रा	अवधि	1995
एशियाई देश			
भारत	रुपया	मासिक	1211.00
पाकिस्तान	रुपया	मासिक	1501.00 (1993)
श्रीलंका	रुपया	दैनिक	145.35
चीन	युआन	मासिक	430.55
हांगकांग	डॉलर	दैनिक	278.00
जापान	येन	मासिक	371356.00 (1993)
मलेशिया	सिंगिट	मासिक	928.00 (1994)
सिंगापुर	डॉलर	मासिक	2157.30
कोरिया गणतंत्र	वॉन	मासिक	1123.00
थाइलैंड	बहत	मासिक	5000.00
विकसित देश			
आस्ट्रेलिया	डॉलर	घंटावार	15.59
कनाडा	डॉलर	घंटावार	16.20
फ्रांस	फ्रैंक	घंटावार	50.63 (1993)
जर्मनी	मार्क	घंटावार	25.48
ब्रिटेन	पौंड	घंटावार	7.85
संयुक्त राज्य अमेरिका	डॉलर	घंटावार	12.37

टिप्पणी: – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 1997 की श्रम सांख्यिकी वार्षिकी।

– पुरुषों व महिलाओं के आंकड़े संयुक्त रूप से दिए गए हैं।

– बांगलादेश, भूटान, मालदीव तथा नेपाल के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में पेथालाजिकल परीक्षण के लिए प्रतीक्षा सूची

4954. **श्री भगवान शंकर रावतः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1998, 8 जून, 1998 और 10 जून, 98 के ''नवभारत टाइम्स'' में क्रमशः ''अस्पताल में साधारण टेस्ट के लिए महीनों इंतजार करो,'' ''सरकारी अस्पतालों में हद दर्जे की लापरवाही और दवाओं की जांच सुविधाओं का अभाव'' और ''सरकारी अस्पतालों में मरीज मौत का इंतजार करने जाते हैं।'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो परीक्षणों में लापरवाही, दवाइयों का अभाव और मरीजों के प्रति अस्पताल कर्मचारियों के निर्दयतापूर्वक व्यवहार के क्या कारण हैं; और

(ग) बहिरंग रोगी विभाग में और अन्तरंग रोगियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अस्पताली प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपस्करों का निर्विघ्न कार्यकरण और समुचित अनुरक्षण, दवाइयों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करें और यह भी देखें कि कर्मचारी मरीजों के प्रति शिष्टता बरतें। अस्पतालों द्वारा उसी अस्पताल के दूसरे विभागों/आपात विभाग से विकृति विज्ञानी और अन्य परीक्षण कराने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किये जाते हैं। भर्ती किए गए सभी मरीजों को अस्पताल की फारमूलरी के अनुसार निःशुल्क दवाइयां प्रदान की जाती हैं और अस्पताल में ठहराने की अवधि कम करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाती हैं ताकि पलंग जरूरतमंद दूसरे मरीजों को उपलब्ध कराये जा सकें। उपस्करों के कार्यकरण संबंधी स्थिति का नियमित अनुवीक्षण किया जा रहा है।

गायों की बलि के लिए निधियां

4955. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:**
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्रः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गायों की बलि देने के लिए विदेशों से धनराशि ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में किसी प्रकार की जांच का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में लेप्टोस्पिरोसिस का उन्मूलन

4956. **श्री पी.एस. गढ़वीः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कतिपय भागों में क्रंतक जनित ''लेप्टोस्पिरोसिस'' रोग व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य से इस रोग के उन्मूलन हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने सूचित किया है कि 1997 के दौरान वलसाड और सूरत जिलों में लेप्टोस्थाइरासिस मामलों की संख्या क्रमशः 448 और 209 थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में सूरत, मेहसाना और बनासकंठा जिलों का चयन किया गया है और प्रयोगशाला सुविधाओं को मजबूत करने हेतु 33.75 लाख रुपये जारी किए गए हैं ताकि इन रोगों की घटनाओं की रोकथाम की जा सके। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान लेप्टोस्पाइरासिस के निवारण तथा नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन देने में नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। राज्य और जिला स्तरों पर चिकित्सीय

कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी यह संस्थान सहायता प्रदान करता है।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. मामलों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित उपचार करने हेतु निगरानी कार्यकलापों को मजबूत करना जिससे उन्हें गंभीर रूप लेने से रोका जा सके और मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

2. उचित मामला प्रबन्धन के लिए स्थानीय अस्पतालों के स्तर पर उपचार सुविधाएं सृजित करना।

3. चिकित्सा से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों, खासकर अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों और अधीक्षकों, जिला कृषि अधिकारियों और पशुचिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ बड़ोदरा और सूरत के मेडिकल कालेजों के प्रोफेसरों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

4. अस्पताल के बालचिकित्सकों, चिकित्सकों एवं अधीक्षकों के लिए गुर्दा संस्थान अहमदाबाद में 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया ताकि जिला और उप जिला स्तर के अस्पतालों में रोगियों का उपचार किया जा सके।

5. राज्य स्तरीय अन्त:क्षेत्रीय समन्वय बैठक आयोजित की गई और लेप्टोस्पाइरासिस के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य और जिलों के लिए कार्ययोजना तैयार की गई।

6. राज्य सरकार ने महामारी होने के मौसम के दौरान दो जिलों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

7. राज्य सरकार की कार्ययोजना के अनुसार रोडन्ट नियंत्रण कार्यकलाप भी शुरू किए गए है।

8. स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का वितरण कार्य प्रारम्भ हो गया है और स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं।

तिहाड़ जेल में महिला कैदी

4957. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:**
श्रीमती कमल रानी:
श्री रामपाल सिंह:
श्री अशोक प्रधान:
श्री तारिक अनवर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जेलों में विशेष रूप से तिहाड़ जेल में महिला कैदियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी दशा सुधारने के संबंध में कोई टिप्पणी की है;

(ख) तिहाड़ जेल में इस समय महिला कैदियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा महिला कैदियों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) वर्ष 1996-97 के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-III(घ) में अन्य बातों के साथ-साथ, जेल में रखी गई महिलाओं की दशा के बारे में सिफारिशें/टिप्पणियां निहित हैं। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 9.6.98 को लोक सभा के सभा पटल पर रख दी गई है।

(ख) आज की तारीख तक तिहाड़ जेल के महिला कैदी वार्ड में 348 महिला कैद हैं।

(ग) चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची-II (राज्य सूची) प्रविष्टि-4 के अनुसार, ''जेल'' राज्यों का विषय है, नियमों, विनियमों तथा जेल मैनुअल के अनुसार जेलों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले से निपटने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार, जेलों, में मूलभूत सुधार और कैदियों के रहन-सहन के स्तर मे सुधार करने और जेलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता देने के लिए जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, दसवें वित्त आयोग ने भी पुराने जेल भवनों की मरम्मत और नवीकरण और जेलों में चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दिए जाने की सिफारिश की है।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में अनियमितताएं

4958. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया:**
श्री चेतन चौहान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली/नई दिल्ली में कार्यरत केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के खिलाफ कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न अनियमितताओं जैसे औषधालयों के खोलने के समय, कर्मचारियों द्वारा समय-पालन, दवाइयों की पर्याप्तता और असामयिक सप्लाई, मरीजों के प्रति चिकित्सा कर्मचारियों का उदासीन रवैया, औषधालयों में अनिवार्य दवाइयों की अनुपलब्धता, लाल फीताशाही और जटिल प्रतिपूरक, प्रक्रिया और अन्य बातों की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी औषधालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, हां। समय-समय पर औषधालयों को खोलने/बन्द करने में निर्धारित समय का पालन न करने, स्टॉफ सदस्यों द्वारा समय पाबन्दी न बनाए रखने, औषधों का अपर्याप्त और समय पर आपूर्ति न करने, चिकित्सा और पराचिकित्सा स्टॉफ का उदासीन व्यवहार तथा रवैया, आवश्यक औषधों की अनुपलब्धता, मेडिकल प्रतिपूर्ति में देरी तथा प्रक्रिया संबंधी जटिलताओं संबंधी कुछ तथाकथित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) यह सूचना संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(घ) प्राप्त शिकायतों की यथोचित जांच की जाती है तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। समय पाबन्दी, दवाओं की उपलब्धता तथा स्टाफ के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यालय में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को अव्यवस्थित, संचालित तथा मॉनिटर करने के लिए एक कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित किया गया है जो दावों को शीघ्र निपटान में मदद करता है।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त की गई हैं, का विवरण

I. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/यूनिटों का देर से खुलना

(1) फिजियोथिरेपी केन्द्र, किदवई नगर

(2) आर.के. पुरम, सेक्टर-4

(3) सादिक नगर

(4) आर.के. पुरम (आयुर्वेदा) (सेक्टर 12)

(5) यमुना बिहार

(6) नारायणा (यूनानी)

(7) गाजियाबाद।

II. औषधों की अपर्याप्त तथा समय पर न की जाने वाली आपूर्ति

(1) ऐन्ड्रयूज गंज

(2) लक्ष्मी बाई नगर

(3) नारायणा

(4) गुड़गांव

(5) जनकपुरी

III. स्टाफ की समय पाबन्दी

IV. कालकाजी-II मेडिकल स्टाफ का उदासीन रवैया

(1) लक्ष्मी बाई नगर

(2) आर.के. पुरम (आयुर्वेदा) सेक्टर-12

(3) आर.के. पुरम, सेक्टर-6

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी संबंधी विशेष परामर्श

4959. श्री बीरसिंह महतो: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में विशेष परामर्श देने के लिए परामर्श चैम्बर खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक शरू किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा

अनुसंधान परिषद की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक परामर्श चैम्बल खोला गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की अनुसंधान गतिविधियों के भाग के रूप में सफदरजंग अस्पताल में एक आयुर्वेद और एक होमियोपैथी का परामर्श चैम्बर खोला गया है।

[हिन्दी]

कृभकों में रिक्तियां

4960. **डा. रमेश चन्द तोमर:**
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत आठ महीने के दौरान श्रेणीवार कृषक भारती सहकारिता (कृभको) में कितनी रिक्तियां भरी गई;

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए अपनाए गए मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) कृभकों में पदोन्नतियों के लिए बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पदोन्नतियां करते समय इन नियमों का पालन किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) गत आठ महीनों के दौरान कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) द्वारा भरी गई रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इन श्रेणियों के पदों को भरने हेतु पात्रता मानदण्ड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कृभकों की इसके निदेशक मण्डल द्वारा यथा विधि अनुमोदित पदोन्नति नीति के अनुसार पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें पर की जाती हैं जो उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी सक्षमता, अनुभव, कार्यनिष्पादन, वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए करती है। कृभको के अनुसार इस नीति का पालन किया जा रहा है।

विवरण I

क्र.सं.	पदों की श्रेणी	भरी गई रिक्तियों की संख्या
1.	सहायक अभियन्ता	12
2.	कनिष्ठ प्रबन्धक	01
3.	सहायक आपरेटर/तकनीशियन	35
4.	लेखा सहायक	07
5.	स्टैनो-टाइपिस्ट	05
6.	सहायक (कार्मिक)	01
7.	सहायक (विपणन)	01
8.	टाइपिस्ट	03
9.	ड्राइवर ग्रेड-5	01
10.	ग्राइंडर	01
11.	कनिष्ठ अटैण्डैंट	03
	योग	70

विवरण II

(निर्धारित पात्रता मानदण्ड)

क्र.सं.	पदों की श्रेणी	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	अधिकतम आयु सीमा	अनुभव/आवश्यक प्रशिक्षण
1.	सहायक अभियन्ता	बी.ई.	27	$1^1/_2$ वर्ष कृभको में प्रशिक्षण
2.	कनिष्ठ प्रबंधक कोआपरेटिव रिलेशन्स	स्नातक+एम.बी.ए. (कोआपरेशन)	27	कृभकों में एक वर्ष का प्रशिक्षण
3.	सहायक आपरेटर/ तकनीशियन	बी.एस.सी./इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	25	कृभको में 2 वर्ष का प्रशिक्षण
4.	लेखा सहायक	बी. कोम.	30	एक वर्ष का प्रशिक्षण
5.	स्टैनो टाइपिस्ट	स्नातक+व्यवसाय में निपुणता	30	तीन वर्ष का अनुभव
6.	सहायक (कार्मिक)	स्नातक+एम.बी.ए./ एम.एस. डब्ल्यू.	25	एक वर्ष का प्रशिक्षण
7.	सहायक (विपणन)	स्नातक	30	एक वर्ष का अनुभव
8.	टाइपिस्ट	स्नातक+व्यवसाय में निपुणता	30	दो वर्ष का अनुभव
9.	ड्राइवर	मैट्रिकुलेशन+हैवी ड्यूटी लाइसेंस	30	पांच वर्ष का अनुभव
10.	ग्राइंडर	दसवीं पास- आई.टी.आई. पास को वरीयता	35	पांच वर्ष का अनुभव
11.	कनिष्ठ अटैण्डेंट	मैट्रिकुलेट को वरीयता	30	अनुभव की आवश्यकता नहीं।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियों में मारे गए व्यक्ति

4961. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो माह के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में देश में राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) मई, 1998 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, माह अप्रैल और मई, 1998 के दौरान आतंकवाद के कारण मारे गए व्यक्तियों के ब्यौरे निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	आतंकवाद के कारण मारे गए व्यक्तियों की संख्या	
		अप्रैल, 1998	मई, 1998
1.	जम्मू और कश्मीर	86	90
2.	असम	31	46
3.	मणिपुर	4	12
4.	मिजोरम	1	–
5.	त्रिपुरा	8	10
6.	नागालैंड	16	–

(ख) प्रभावित राज्य, आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराते हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उड़ीसा को शामिल किया जाना

4962. **श्री भर्तृहरि मेहताब:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उड़ीसा को इस योजना में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) सरकार की नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं संसाधनों की उपलब्धता की शर्त पर सर्वप्रथम देश के राज्यों की उन राजधानियों को प्रदान की जानी है जो 7,500 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के न्यूनतम मानक को पूरा करती है। संसाधनों की तंगी के कारण मानकों को पूरा करने वाली देश के राज्यों की राजधानी वाले शहरों को भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नहीं लाया जा सका।

भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय केवल महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ही है और इस

औषधालय का सारा खर्च भुवनेश्वर के महालेखाकार कार्यालय द्वारा वहन किया जाता है।

अधिकरणों का कार्यकरण

4963. **श्री नादेन्दला भास्कर रावः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें उनके देश वापिस भेजने के लिए असम में अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत अधिकरणों की संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात असम से अब तक कितने घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम को समाप्त करने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के अधीन असम में 16 अधिकरण कार्यरत हैं।

(ख) आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983 के तहत असम से 31 मई, 1998 तक 1452 अवैध प्रवासियों को अभी तक स्वदेश लौटाया जा चुका है।

(ग) और (घ) आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983 को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं

4964. **श्री चिन्मयानंद स्वामी:**
श्री प्रदीप कुमार यादवः
श्री कीर्ति वर्धन सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विधवाओं/विकलांगों और अल्पसंख्यकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सरकार का ध्यान पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की तरफ दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों/परिवारों की संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विकलांगों/अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों पर सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए कुल व्यय की राशि इस प्रकार हैं:

(रु. करोड़ में)

1995-96	125.07
1996-97	147.11
1997-98	152.59

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विकलांगों/अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में ऐसे किसी श्रेणीकरण को अपनाया नहीं जाता है।

(घ) सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए इस संबंध में आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों की हत्या

4965. **श्री प्रभुनाथ सिंहः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने वरिष्ठ नागरिकों की हत्याएं हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस आज भी उतनी ही नृशंस है जितनी वह 30 वर्ष पहले थी;

(ग) यदि हां, तो क्या राजधानी के वरिष्ठ पुलिस कर्मचारियों का समय-समय पर मानसिक तनाव और प्रसालाव्यता परीक्षण होगा जैसाकि स्काटलैंड यार्ड में किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान (अर्थात 1.7.97 से 30.6.98 तक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में चार वरिष्ठ नागरिकों की कथित रूप से हत्या की गई।

(ख) से (घ) पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने तथा उसमें बुनियादी मानव मूल्यों की भावना पैदा करने पर सरकार पर्याप्त रूप से जोर देती आ रही है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सहयोग से मानवाधिकारों पर अनेकों संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में विभिन्न स्तरों, अर्थात् कांस्टेबल से भा.पु. सेवा अधिकारियों के लिए प्रारम्भिक तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानवाधिकारों पर सामग्री और आचार संहिता सम्मिलित की है।

तथापि, पुलिस कार्मिकों की समय-समय पर मानसिक दबाव और सामान्य दशा की जांच करने जैसी कोई प्रथा नहीं है।

बोडो उग्रवादियों द्वारा आंदोलन

4966. **श्री तारिक अनवर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोडो उग्रवादी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने हाल ही में बम विस्फोट किये हैं और रेल मार्गों को अवरुद्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) अब कुछ वर्षों से बोडो उग्रवादी हिंसा में शामिल होते रहे हैं।

(ख) असम के कुछ क्षेत्रों में रेल यातायात को रोकने के प्रयास में बोडो उग्रवादियों ने पिछले मास बम-विस्फोट किये थे।

(ग) केन्द्र सरकार स्थिति पर निकट से निगाह रख रही है। रेल और रेलवे पुलों, रेल पटरियों की सुरक्षा सुदृढ़ की गई है और ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण दोनों किनारों पर गहन गश्त और स्थैतिक गार्ड व्यवस्था की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां लगायी गयी हैं। केन्द्र सरकार ने भी नरमपन्थी बोडो ग्रुपों के साथ विभिन्न लम्बित मामलों को हल करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया पुन: शुरू की है ताकि सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।

मणिपुर के विस्थापित लोग

4967. **कुमारी किम गंगटे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में संकट के कारण मणिपुर से लगभग एक लाख बारह हजार व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उन लोगों ने अब किन-किन स्थानों पर शरण ली है; और

(ग) उन्हें राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) मणिपुर हिल्स में नागा-कुकी और कुकी-जोमी जातीय झगड़ों के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। ये लोग, मणिपुर के अन्दर उन विभिन्न क्षेत्रों, जहां पर उनके आदिवासी अधिसंख्या में हैं तथा मिजोरम में शिविरों में भी शरण ले रहे हैं।

(ग) केन्द्र सरकार, शरणार्थियों के रख-रखाव के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है। जातीय झगड़ों के शिकार लोगों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने के लिए मणिपुर सरकार को 73.95 लाख रु. की राशि जारी की गयी है। मिजोरम सरकार को इस उद्देश्य के लिए आज तक 127.33 लाख रु. की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

[हिन्दी]

विषाक्त चावल से मृत्यु

4968. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में "बासी चावल खाने से अनाथालय के बच्चे बीमार" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली के प्रत्येक अनाथालय में खाद्य तथा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समुचित प्रबन्ध करने हेतु एक चिकित्सक नियुक्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि जैसाकि सचिव, आर्य बाल गृह, दरिया गंज ने सूचना दी है कि दिनांक 6.6.98 को पेट में दर्द तथा उल्टी की शिकायत के पश्चात 95 बच्चों को दो अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बच्चों ने उबले तले चनों तथा स्वीट लेमन के साथ बासी चावल खाए तथा कुछ प्रभावित बच्चों की उल्टी को तुरंत नैदानिक जांच के लिए तथा पेट की गड़बड़ी के कारणों का पता लगाने के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल भेज दिया गया। ये बच्चे 6.6.98 को भर्ती कराए गए तथा उन्हें 8.6.98 को वहां से छोड़ दिया गया।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचना दी है "महिला तथा बाल लाइसेंसिंग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से लाइसैंस प्राप्त है। सभी संस्थाओं को भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के घटित होने के विरुद्ध सुरक्षोपाय करने के लिए पर्याप्त सावधानियों के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में हिरासत में हुई मौतें

4969. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मई, 1998 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "ओवरक्राउडेड जेल्स काजिंग अनटाईम्ली डेथ्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई जांच से राज्य की जेलों में अत्यधिक भीड़-भड़ाके की गंभीर समस्या का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जेलों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्यों के दौरों और संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ की गई चर्चाओं के दौरान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह पाया कि जेलों में अत्यधिक भीड़-भाड़ मुख्य रूप से विचारणाधीन कैदियों की अधिक संख्या होने के कारण है, जिससे मानव के सम्मानपूर्वक जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, यद्यपि "जेल" राज्य का विषय हैं, फिर भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों पर आपराधिक न्यायिक पद्धति में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देती आ रही है ताकि विचारणाधीन कैदियों की संख्या को कम किया जा सके। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को जेलों के आधारभूत ढांचे और जेलों में रहन-सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन वित्तीय सहायता भी देती आ रही है। इसके अलावा, जेल भवनों की मरम्मत और उनके नवीकरण के लिए तथा जेलों चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दसवें वित्त आयोग ने वित्तीय सहायता देने की भी सिफारिश की है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 से नियम 2 (डङ) (III) का लोप

4970. डा. उल्हास वासुदेव पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 2(डड) (III) की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 से उक्त नियम का लोप करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह किस सीमा तक स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रभावित करेगा;

(ङ) क्या रोगियों का किसी एक चिकित्सा पद्धति से उपचार और उन्हें रोगमुक्त किया जा सकता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (छ) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम (डड) (III) में किसी राज्य के चिकित्सा रजिस्टर (होमियोपैथिक व्यवसायियों के पंजीकरण रजिस्टर से भिन्न) में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसको राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए सामान्य अथवा विशेष आदेश के जरिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रयोजनों के दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के रूप में घोषित किया जाता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले जिसमें नियम 2(डड) (III) को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधिकारातीत ठहराया गया था, के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने 29.1.97 को एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 से उक्त नियम 2(डड) (III) को हटाने के प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गई थीं।

विशेष अनुमति याचिका-मुख्तियार चंद बनाम पंजाब राज्य और अन्य में इस मामले को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय को जानकारी है। इस प्रकार मामला न्यायाधीन है।

चक्रवात प्रभावित पेट्रोलियम उद्योग

4971. **श्री रवि सीताराम नायक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में इंडियन आयल, रिलायंस पेट्रोलियम, एस्सार पेट्रोलियम उद्योग चक्रवात से प्रभावित हुए;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी अनुमानित हानि उठाई गई;

(ग) क्या उन्हें कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके द्वारा अपना व्यावसायिक उत्पादन कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गुजरात में इंडियन आयल कार्पोरेशन के सभी टर्मिनल नामत: मुख्य टर्मिनल, फोर-शोर टर्मिनल, के बी पी एल टर्मिनल और एल पी जी टर्मिनल चक्रवात से प्रभावित हुए।

रिलायंस पेट्रोलियम लि. और एस्सार आयल लि., जो कि निजी क्षेत्र की कम्पनियां हैं, के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) अनन्तिम रूप से आकलन किया गया है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन की लगभग 15 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कांडला में पारियों में उत्पाद प्राप्तियां 18.6.98 को पुन: शुरू हो गई थीं। कांडला टर्मिनलों से टैंक ट्रक लदाई 11.6.98 को पुन: शुरू की गई थी। कांडला में टैंक वैगन लदाई 24.6.98 को पुन: शुरू हो गई थी। कांडला भटिंडा पाइपलाइन में उत्पाद पम्पिंग 22.6.98 को पुन: चालू कर दी गई थी।

आयात प्राप्तियां और नियमित टैंक वैगन/टैंक ट्रक लदाई प्रचालन मध्य अगस्त, 1998 तक आरंभ किए जाने की आशा है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

4972. **श्री बासवराज पाटील सेडाम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में कोई धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन जाली मामलों की जांच के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अब भी खुली है जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या यह योजना अब भी क्रियान्वित की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। शिकायतों और जांच के आधार पर ऐसे कई मामले ध्यान में आए हैं जिनमें आवेदक द्वारा मिथ्या निरूपण अथवा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अथवा झूठे/जाली दस्तावेजों के आधार पर पेंशन स्वीकृत करा ली थी। ऐसे सभी मामलों में पेंशन निलम्बित कर दी गयी है और उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् यदि आवश्यक समझा गया तो अंतिम रूप से रद्द कर दी जाएगी। उन मामलों, जिनमें पेंशन रद्द कर दी गई है, के बारे में वसूली की प्रक्रिया राज्य सरकारों के माध्यम से शुरू की गयी है। उपयुक्त मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजना भी शुरू किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत न हो जाए जो पेंशन के लिए पात्र नहीं है, पेंशन के दावों की छान-बीन का कार्य अधिक सख्त बना दिया गया है। उन मामलों की राज्यवार सूची, जिनमें अब तक पेंशन निलम्बित और रद्द कर दी गयी है, संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) से (ङ) मुकुन्द लाल भण्डारी बनाम भारत संघ के बीच मुकदमें में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्ति के लिए कोई अंतिम तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती। चूंकि सम्मान पेंशन योजना बन्द नहीं हुई है अत: सरकार को संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत पेंशन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिन पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाता है।

विवरण

निलम्बित/रद्द पेंशन मामलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निलम्बित	रद्द
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	110	4
2.	बिहार	639	180
3.	दिल्ली	2	26
4.	गोवा	9	9
5.	हरियाणा	15	22
6.	हिमाचल प्रदेश	0	2

1	2	3	4
7.	कर्नाटक	570	261
8.	केरल	720	61
9.	मध्य प्रदेश	55	61
10.	महाराष्ट्र	227	37
11.	मणिपुर	35	0
12.	मेघालय	7	13
13.	उड़ीसा	38	85
14.	पांडिचेरी	9	13
15.	पंजाब	101	26
16.	तमिलनाडु	15	1
17.	उत्तर प्रदेश	228	222
18.	पश्चिम बंगाल	191	214
	कुल	2971	1317

अपंजीकृत जन्म संबंधी संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन

4973. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत सरकार को यूनीसेफ द्वारा प्रस्तुत किए गे प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक बच्चों का जन्म पंजीकरण नहीं हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जन्म का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) पंजीकरण का कम स्तर मुख्यत: ज्यादातर लोगों में इसकी आवश्यकताएं संबंधी जागरूकता में कमी और पंजीकरण के लिए अभिप्रेरणा की कमी के कारण है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जो भारत के महापंजीयक (गृह मंत्रालय) द्वारा लागू किया जाता है, के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही निम्न प्राथमिकता भी पंजीकरण के कम स्तर के लिए जिम्मेवार है।

(ग) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत देश में सभी जन्मों एवं मौतों का पंजीकरण पहले ही अनिवार्य बना दिया गया है।

भारत-चीन सीमा पर संयुक्त गश्त प्रारंभ करना

4974. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-चीन सीमा पर संयुक्त गश्त प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन की सरकार ने इस विषय में भारत सरकार को कोई सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं। श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

4975. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्पादन और अन्य समस्याओं के संबंध में मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) कॉपर-टी, कंडोम और मुख सेव्य गोलियां खरीदने/प्राप्त करने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड को सप्लाई आदेश देने पर विचार किया जा रहा है।

जनगणना कर्मचारी संघ

4976. **श्री जी.एम. बनातवाला:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय जनगणना कर्मचारी संघ ने सरकार को चौथे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत जनगणना संगठन में सांख्यिकीय/कारलोग्राफिक केडर के वेतनमान में विसंगति के बारे में ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जनगणना संगठन के सांख्यिकीय/मानचित्रीय संवर्गों के लिए चौथे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में विसंगतियों, यदि कोई हों, से संबंधित मामला सुलझाया जा चुका है और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात अब उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नक्सल गतिविधियां

4977. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्री ने दक्षिण राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान यह कहा था कि नक्सलाइट गतिविधियों को कुचलने के लिए कठोर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है और सभी राज्यों को पूर्ण सहायता प्रदान करने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने नक्सलाइट-विरोधी कार्यवाही में लगे पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रों की स्थापना करने और राज्यों को श्रम शक्ति उपलब्ध कराने पर भी सहमति प्रदान की थी।

(ग) यदि हां, तो राज्यों को अभी तक कितनी सहायता प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या इन सुरक्षोपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) केन्द्रीय गृह मंत्री ने वामपंथियों की गतिविधियों पर एक विस्तृत वक्तव्य आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 15.6.98 को हैदराबाद में बुलायी गयी एक बैठक में दिया था।

(ख) और (ग) यह निर्णय लिया गया था कि राज्य अपने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेंगे और केन्द्र सरकार उन्हें यथा सम्भव सहायता देगी।

आंध्र प्रदेश पुलिस के 370 कार्मिकों को, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में विगत में विद्रोह-विरोधी और आतंकवादी विरोधी पाठ्यक्रमों में से 8 से 12 सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया था।

(घ) और (ङ) चार प्रभावित राज्य में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की स्थिति और कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और प्रबोधन करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया गया है, जिस के सदस्य आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक हैं।

केरल में नर्सिंग कालेजों की घोषणा

4978. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः**
श्री टी. गोविन्दनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में कम सुविधाओं वाले नर्सिंग कालेजों को मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कालेजों का ब्यौरा क्या है तथा वे मानदंड कौन से हैं जिनके आधार पर राज्य-वार इन कालेजों को मान्यता प्रदान की जाती है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कालीकट तथा तिरुअनंतपुरम में नर्सिंग कालेजों की मान्यता रोके जाने के संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय नर्सिंग परिषद को सभी संस्थाओं पर लागू मानदण्डों का पालन करना पड़ता है।

(ग) से (ङ) भारतीय नर्सिंग परिषद ने सूचित किया है कि केरल में कालीकट और तिरुवनन्तपुरम स्थित नर्सिंग कालेजों को नवंबर, 1997 में किए गए निरीक्षणों के आधार पर अनुपयुक्त घोषित किया गया था।

परिषद ने 25.6.98 को हुई इसके सामान्य निकाय की बैठक में छात्रों को इस शर्त पर दाखिला देने का निर्णय किया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा 6 महीने के भीतर पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

[हिन्दी]

अपमिश्रित खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाइयां

4979. **श्री रामशकलः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान अपमिश्रित खाद्य पदार्थों और नकली दवाइयों के राज्य-वार कितने मामलों का पता लगा; और

(ख) ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) राज्य खाद्य प्राधिकरणों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचनानुसार 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान पता लगाई गई अपमिश्रित खाद्य सामग्रियों तथा नकली दवाइयों संबंधी मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाले विवरण I तथा II संलग्न हैं।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा डी एण्ड सी अधिनियम 1940 के यथा-प्रयोज्य उपबंधों के अंतर्गत मुकदमा चलाकर, अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

विवरण I

कैलेन्डर वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अपमिश्रित/गलत ब्रान्ड वाले पाए गए खाद्य नमूनों की राज्यवार संख्या के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना

(कैलेन्डर वर्ष 1996)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
अंडमान और निकोबार	शून्य
असम	144
दमन व दीव	02
दिल्ली	124
गोवा	37
गुजरात	561
जम्मू और कश्मीर	136
लक्षद्वीप	शून्य
मेघालय	08
मिजोरम	शून्य
राजस्थान	1120
तमिलनाडु	443
त्रिपुरा	25
उत्तर प्रदेश	2928
पश्चिम बंगाल	179

(कैलेन्डर वर्ष 1997)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
अरुणाचल प्रदेश	20
दिल्ली	88
लक्षद्वीप	शून्य
पश्चिम बंगाल	174

विवरण II

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 31.3.1998 के दौरान पता लगाई गई नकली दवाइयों के मामलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1996-97	वर्ष 1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य
4.	बिहार	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	गोवा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	गुजरात	15	1
7.	हरियाणा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर राज्य	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	कर्नाटक	13	02
11.	केरल	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
13.	महाराष्ट्र	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	मणिपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	मेघालय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य
		शून्य	शून्य

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण

4980. श्री जुआल उराम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु औद्योगिक एककों, कुटीर उद्योगों और अन्य कारोबारों की स्थापना करने तथा इनके उत्थान के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ऋणों पर क्या ब्याज दर वसूली जाती है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले और अन्य क्षेत्रों में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली कृषि, उद्योगों, परिवहन तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में 30 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लक्षित समूहों की योजनाएं स्वीकृत करता है।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम माध्यम एजेंसी से प्रति परियोजना/यूनिट 5.00 लाख रु. तक की ऋण राशि के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेता है तथा माध्यम एजेंसी द्वारा मूल लाभार्थियों से अधिकतम 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है। प्रति योजना/यूनिट 5.00 लाख रु. से अधिक ऋण राशि के लिए माध्यम एजेंसी से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है तथा माध्यम एजेंसियों द्वारा मूल लाभार्थियों से अधिकतम 8.5% प्रतिवर्ष लिया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कोई जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में तथा अन्य क्षेत्रों में वास्तविक वितरण क्रमश: 40.13 लाख रु. तथा 401.31 लाख रुपए हैं।

[हिन्दी]

महापंजीयक का कार्यालय

4981. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत महापंजीयक के कार्यालय के सांख्यिकीय संवर्ग के कर्मचारियों के तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के सांख्यिकीय संवर्ग के वेतनमानों में कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कर्मचारी संगठन अथवा विभाग की ओर से वेतनमानों में संशोधित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) भारत के महारजिस्ट्रार को अखिल भारतीय जनगणना कर्मचारी संघ की ओर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6.2.98 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/1/97-जे.सी.ए. के उल्लिखित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महामंत्री, विभागीय परिषद, कर्मचारी पक्ष के माध्यम से विभागीय विसंगति समिति के साथ मुद्दा उठाए।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बन्द होना

4982. श्रीमती उषा वर्मा: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की स्थान-वार संख्या और उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोई चीनी मिल बंद हुई है;

(ग) इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) विवरण I संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित चीनी मिलों के नाम और उनकी वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता दी गई है।

(ख) से (घ) विवरण II संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उन चीनी मिलों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने पिछले तीन चीनी वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान कार्य नहीं किया।

निरन्तर हानियों, विस्तार योजना आरम्भ करने, गन्ने की उपलब्धता न होने आदि जैसे विभिन्न कारणों से ये चीनी मिलें कार्य नहीं कर सकीं।

विवरण I

उत्तर प्रदेश राज्य में संस्थापित चीनी मिलों के नाम और उनकी वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता बताने वाला विवरण

31.5.98 की स्थिति

क्र.सं.	फैक्ट्री का नाम और स्थान	क्षेत्र	संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता (लाख टन में)
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1.	दी मोदी इंडस्ट्रीज लि. मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद	निजी	0.332
2.	दी सिंभोली शुगर मिल्स प्रा. लि. सिंभोली, जिला-गाजियाबाद	निजी	0.365
3.	दी. उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. यूनिट: मोहीउद्दीनपुर, जिला-मेरठ	सा.क्षेत्र	0.332
4.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. मलियाना, जिला-मेरठ	सा. क्षेत्र	0.162
5.	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला-मेरठ	निजी	0.598
6.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. यूनिट-सखौटी-ढांडा, जिला-मेरठ	सा. क्षेत्र	0.199
7.	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला-मेरठ	निजी	0.564

1	2	3	4
8.	दी बागपत सहकारी शुगर मिल्स लि., बागपत, जिला-मेरठ	सह.	0.332
9.	दी रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि. रमाला, जिला-मेरठ	सह.	0.332
10.	दी त्रिवेणी इन्जिनियरिंग वर्क्स लि. शुगर यूनिट दी अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, जिला-मेरठ	निजी	1.328
11.	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि., मंसूरपुर, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी	0.332
12.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., रोहाना-कलां डाकखाना-रोहाना मिल्स, जिला-मुजफ्फरनगर	सार्व. क्षेत्र	0.223
13.	दी अपर दोआब शुगर मिल्स लि., शामली, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी	0.664
14.	दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. तह. जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर	सह.	0.332
15.	मोनेट इंडस्ट्रीज लि., उन, तह. कैराना, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी	0.664
16.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., पन्नीनगर, जिला-बुलन्दशहर	सार्व-क्षेत्र	0.202
17.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. अनूपशहर, जिला-बुलन्दशहर	सह.	0.266
18.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., डोइवाला जिला-देहरादून	सार्व. क्षेत्र	0.332

1	2	3	4
19.	गंगेश्वर लि., देवबंद, जिला-सहारनपुर	निजी	1.328
20.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. यूनिट सहारनपुर, जिला-सहारनपुर	सार्व. क्षेत्र	0.332
21.	किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि. सरसावा, जिला-सहारनपुर	सह	0.332
22.	शाकुम्बरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि. स्थान टोडर (राघर) जिला-सहारनपुर	निजी	0.332
23.	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स (प्रा.) लि. लक्सर, जिला-हरिद्वार	निजी	0.465
24.	दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स कं. लि., इकबालपुर जिला-हरिद्वार	निजी	0.398
25.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. ननौता, जिला-सहारनपुर	सह.	0.332
26.	दी उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. यूनिट-बिजनौर, जिला-बिजनौर	सार्व. क्षेत्र	0.332
27.	अपर गंजेज शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि. सिहोरा, जिला-बिजनौर	निजी	0.486
28.	दी धामपुर शुगर मिल्स लि. धामपुर, जिला-बिजनौर	निजी	1.195
29.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., चांदपुर जिला-बिजनौर	सार्व. क्षेत्र	0.266
30.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. स्नेह रोड, फजलपुर, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर	सह.	0.332

1	2	3	4
31.	द्वारिकेश शुगर इंड. लि. बुंदकी, जिला-बिजनौर	निजी	0.332
32.	दी अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर, जिला-मुरादाबाद	निजी	0.332
33.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट अमरोहा जिला-मुरादाबाद	सार्व. क्षेत्र	0.398
34.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गजरौला, जिला-मुरादाबाद	सह.	0.332
35.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. यूनिट रामपुर, जिला-रामपुर	सार्व. क्षेत्र	0.404
36.	रुद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. बिलासपुर, जिला-रामपुर	सह.	0.266
37.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., बरेली, जिला-बरेली	सार्व. क्षेत्र	0.135
38.	दी केसर इंटरप्राइजिज लि., बहेरी, जिला-बरेली	निजी	0.465
39.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. सेमी खेड़ा, तह. और जिला-बरेली	सह.	0.332
40.	रोजा शुगर वर्क्स लि. (प्रोप. अवध शुगर मिल्स लि.) रोजा, जिला-शाहजहांपुर	निजी	0.332
41.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तिलहर जिला-शाहजहांपुर	सह.	0.166
42.	एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि., पीलीभीत, जिला-पीलीभीत	निजी	0.332

1	2	3	4
43.	दी किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि. मझौला, जिला-पीलीभीत	सह.	0.266
44.	बिलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बिलासपुर, जिला-पीलीभीत	सह.	0.332
45.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. तह. पूरनपुर, जिला-पीलीभीत	सह.	0.166
46.	डीएसएम एग्रो प्रोडक्टस लि., यूनिट काशीपुर जिला-नैनीताल	निजी	0.332
47.	दी बाजपुर सहकारी चीनी फैक्ट्री लि., बाजपुर जिला-नैनीताल	सह.	0.398
48.	किच्छा शुगर कं. लि., किच्छा, जिला-नैनीताल	सार्व. क्षेत्र	0.398
49.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., राजापुर-पूरनपुर-नदेही, डाक-जसपुर, जिला-नैनीताल	सह.	0.266
50.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तह. सितारगंज, जिला-नैनीताल	सह.	0.332
51.	दी नियोली शुगर फैक्ट्री, मनपूरनीगरिया, नियोली जिला-एटा	निजी	0.169
52.	दी अवध शुगर मिल्स लि., हरगांव, जिला-सीतापुर	निजी	0.332
53.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., महौती, जिला-सीतापुर	सार्व. क्षेत्र	0.202
54.	दी सेकसरिया बिसवान शुगर फैक्ट्री लि., बिसवान, जिला-सीतापर	निजी	0.332

1	2	3	4
55.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., मोहम्मदाबाद, जिला-सीतापुर	सह.	0.332
56.	बजाज हिन्दुस्तान लि., गोला गोकरननाथ, जिला-खेरी	निजी	0.637
57.	दी गोबिन्द शुगर मिल्स लि., डाकखाना-ऐरा एस्टेट, जिला-खेरी	निजी	0.332
58.	दी सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि., बेलरायन, जिला-खेरी	सह.	0.332
59.	बजाज हिन्दुस्तान लि., पलियाकलां, जिला-खेरी	निजी	0.332
60.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. सम्पूर्णानगर, तह. निगासन, जिला-लखीमपुर खीरी	सह.	0.332
61.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., हरदोई, जिला-हरदोई	सार्व. क्षेत्र	0.243
62.	दी यूनाइटेड प्रोविन्सस शुगर क. लि., स्योराही, जिला-पडरौना	निजी	0.332
63.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-बेतालपुर, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र	0.121
64.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., डाकखाना-गौरीबाजार, जिला-देवरिया	निजी	0.098
65.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-देवरिया, देवरिया	सार्व. क्षेत्र	0.128
66.	दी कनोरिया शुगर एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. कप्तानगंज, जिला-पडरौना	निजी	0.398

1	2	3	4
67.	दी उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., डाकखाना-राजाबाजार यूनिट-खड्डा, जिला-पडरौना	सार्व. क्षेत्र	0.166
68.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., छितौनी, जिला पडरौना	सार्व. क्षेत्र	0.108
69.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट लक्ष्मीगंज, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र	0.119
70.	गंगेश्वर लि., यूनिट रामकोला, जिला-देवरिया	निजी	0.332
71.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. यूनिट रामकोला, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र	0.105
72.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., पडरौना, जिला-पडरौना	निजी	0.239
73.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., कठकुंइया, जिला-देवरिया	निजी	0.133
74.	दी प्रतापपुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि., प्रतापपुर, जिला-देवरिया	निजी	0.332
75.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-भटनी, जिला-देवरिया	सार्व. क्षेत्र	0.135
76.	सराया शुगर मिल्स (प्रा.) लि., सरदारनगर, जिला-गोरखपुर	निजी	0.425
77.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. पिपराइच, जिला-गोरखपुर	सार्व. क्षेत्र	0.108
78.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., घुघली, जिला-महाराजगंज	सार्व. क्षेत्र	0.135

1	2	3	4
79.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., सिसवा बाजार, जिला-महाराजगंज	सार्व. क्षेत्र	0.332
80.	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कं.लि., आनन्दनगर, जिला-महाराजगंज	निजी	0.162
81.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., मुंडेरवा, जिला-बस्ती	सार्व. क्षेत्र	0.094
82.	दी बस्ती शुगर मिल्स कं.लि., डाकखाना-जिला-बस्ती	निजी	0.332
83.	गोविन्दनगर शुगर लि., डाकखाना-वलटरगंज, जिला-बस्ती	निजी	0.108
84.	खलीलाबाद शुगर मिल्स (प्रा.) लि., खलीलाबाद, जिला-बस्ती	निजी	0.093
85.	दी बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बभनान, जिला-गोंडा	निजी	0.465
86.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., नवाबगंज, जिला-गौंडा	सार्व. क्षेत्र	0.202
87.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि., बलरामपुर, जिला-गौंडा	निजी	0.328
88.	तुलसीपुर शुगर कं.लि., तुलसीपुर, जिला-गौंडा	निजी	0.332
89.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-जरवाल, जिला-बहराइच	सार्व. क्षेत्र	0.332
90.	सरस्वती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानपारा, जिला-बहराइच	सह.	0.166

1	2	3	4
91.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट बाराबंकी, जिला-बाराबंकी	सार्व. क्षेत्र	0.133
92.	दी उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-बुढ़वल, बाराबंकी	सार्व. क्षेत्र	0.108
93.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., यूनिट-शाहगंज जिला-जौनपुर	सार्व. क्षेत्र	0.135
94.	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स प्रा. लि., डाकखाना-मोतीनगर, जिला-फैजाबाद	निजी	0.332
95.	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि., ओराई, जिला-वाराणसी	सह.	0.166
96.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., रसड़ा, जिला-बलिया	सह.	0.166
97.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., कैमगंज, जिला-फर्रुखाबाद	सह.	0.166
98.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सठियान, जिला-आजमगढ़	सह.	0.166
99.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., घोसी, जिला-मऊ	सह.	0.166
100.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., डाकखाना-साथा, हरदेवगंज, जिला-अलीगढ़	सह.	0.166
101.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बदायूं, जिला-बदायूं	सह.	0.166
102.	छाता शुगर कं.लि., डाकखाना-छाता, जिला-मथुरा	सार्व. क्षेत्र	0.332

1	2	3	4
103.	नंदगंज सिहोरी शुगर कं.लि., दरियापुर, जिला-रायबरेली	सार्व. क्षेत्र	0.166
104.	नंदगंज सिहोरी, शुगर कं.लि., पो.ओ.-नंदगंज, जिला-गाजीपुर	सार्व. क्षेत्र	0.166
105.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सुल्तानपुर, अवध	सह.	0.166
106.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गदरपुर जिला-नैनीताल	सह.	0.332
107.	घाटमपुर शुगर कं. लि., तह. घाटमपुर, जिला-कानपुर	सार्व. क्षेत्र	0.166
108.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. पवायां, जिला-शाहजहांपुर	सह.	0.166
109.	ओसवाल एग्रो मिल्स लि., धनौरा, जिला-मुरादाबाद	निजी	0.332
110.	श्रीराम इंडस्ट्रीयल इन्टरप्राइजिज लि., तितावी, जिला-मुजफ्फरनगर	निजी	0.664
111.	धामपुर शुगर मिल्स लि., रोजागांव, तह. राम स्नेही घाट, जिला बाराबंकी	निजी	0.332
112.	वीनस शुगर लि., मझावली (भारतरा), तह. सम्बल, जिला-मुरादाबाद	निजी	0.332

1	2	3	4
113.	विलार्ड इंडिया लि., शुगर डिवीजन (अगौता शुगर एंड कैमिकल्स) अगौता, जिला-बुलन्दशहर	निजी	0.332
114.	डालमिया सीमेन्ट (भारत) लि., (यूनिट रामगढ़ चीनी मिल्स), तह. मिसरिख, जिला-सीतापुर	निजी	0.332
115.	धामपुर शुगर मिल्स लि., असमोली, तह. सम्भल जिला-मुरादाबाद	निजी	0.332
116.	किटपलाई इंडस्ट्रीज लि., रूपापुर, जिला-हरदोई	निजी	0.332
117.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि, मीरगंज, जिला-बरेली	निजी	0.332
118.	इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लि., मैजापुर, जिला-गोंडा	निजी	0.332
119.	चिलवरिया शुगर एण्ड कैमिकल्स प्रा.लि. चिलवरिया जिला-बहराइच	निजी	0.332
120.	उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स फिड्रेशन, धुरियापार ब्लाक उरवा, जि. गोरखपुर	सहकारी	0.332
121.	ओसवाल ओवरसीज लि. नवाबगंज, जिला-बरेली	निजी	0.332
122.	घाघड़ा शुगर लि., अजबापुर, जिला लखीमपुर खीरी	निजी	0.332

विवरण II

पिछले तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया, उनके नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मिल का नाम और स्थान
1994-95 मौसम	
1.	मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, आनन्द नगर, जिला-महाराजगंज
2.	मैसर्स खलीलाबाद शुगर मिल्स (प्रा.) लिमिटेड खलीलाबाद, जिला-बस्ती
3.	मैसर्स यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, नवाबगंज, जिला-गौंडा
1995-96 मौसम	
1.	मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. आनन्दनगर, जिला-महाराजगंज
2.	मैसर्स गोविन्द नगर शुगर लि., पो.ओ.-वाल्टरगंज, जिला-बस्ती
1996-97 मौसम	
1.	मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. आनन्द नगर, जिला-महाराजगंज
2.	मैसर्स कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, पो.आ.-गौरीबाजार, जिला-देवरिया

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में डेन्टल और मेडिकल कालेजों की स्थापना

4983. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पांच डेंटल और पांच मेडिकल कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने प्रस्तावित कालेजों की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इन प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक स्थान के लिए पृथक-पृथक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) इस संबंध में भारत सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

अतिक्रमणों का हटाया जाना

4984. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम जिला), नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में सरकारी कॉलोनियों में कितने अप्राधिकृत अतिक्रमणों का पता लगाया गया है;

(ख) 31 मई, 1998 को पुलिस द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अतिक्रमणों को हटाने की बजाय अतिक्रमण करने वाले अपने अतिक्रमणों का विस्तार कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों की अक्षमता के क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है तथा कब तक उन्हें हटा दिया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति

4985. **श्री आर. साम्बासिवा राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने किसी संस्था द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए 300 बिस्तर वाले निजी अस्पताल का होना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में अब तक कितने चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा चुके हैं;

(घ) क्या इन अस्पतालों की स्वीकृति की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक इन प्रस्तावों के मंजूर किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) नये मेडिकल कालेजों की स्थापना, मेडिकल कालेजों में अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का प्रारंभ और प्रवेश क्षमता में वृद्धि, विनियम, 1993 के अंतर्गत एक नये मेडिकल कालेज की स्थापना करने की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास प्रस्तावित मेडिकल कालेज के आसपास आवश्यक ढांचागत सुविधाओं सहित कम से कम 300 बिस्तरों वाला एक ऐसा अस्पताल हो तथा इसकी व्यवस्था हो जो कि एक शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जा सके जैसाकि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में 10 मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में खम्माम मेडिकल कालेज, खम्माम नामक एक नये निजी मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने की अनुमति मई, 1998 में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय श्रम नीति

4986. **श्री रंजीव बिस्वाल:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नयी राष्ट्रीय श्रम नीति आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) श्रम नीति की समीक्षा और अद्यतन करना एक सतत् प्रक्रिया है जिससे कि उभरती हुई आवश्यकताओं के साथ उसकी संबद्धता सुनिश्चित की जा सके। तथापि, 9वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संदर्भ में दिसम्बर, 1995 में श्रम नीति संबंधी कार्यकारी दल गठित किया गया था। इसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 96 में योजना आयोग को प्रस्तुत की गई थी। औद्योगिक शांति और सौहार्द बनाये रखने के लिए त्रिपक्षीयता के माध्यम से सृजित आधार को समेकित और सुदृढ़ करना श्रम नीति का मुख्य उद्देश्य होगा। नीति बनाने के पैरामीटरों में आर्थिक नीति के अनुरूप श्रम नीति का विकास शामिल है जिसमें समुचित रोजगार और मजदूरी नीति पर बल दिया जाये।

सुरक्षा संबंधी खतरा

4987. मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनीतिज्ञ, सेवा निवृत उच्च अधिकारी और सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी अपने व्यक्तिगत उपयोग अथवा ''प्रतिष्ठा के प्रतीक'' के लिए ''सुरक्षा संबंधी आवरण'' का लाभ उठाने के लिए ''सुरक्षा संबंधी खतरे'' की संकल्पना का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन लोगों को वास्तविक सुरक्षा संबंधी खतरे का पता लगाने के लिए कोई मानदण्ड अथवा कार्यप्रणाली तैयार की है; और

(ग) सुरक्षा वर्गीकरण के अंतर्गत कितने व्यक्तियों का अलग-अलग वर्गीकरण किया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सुरक्षा एजेन्सियों के आंकलन के अनुसार खतरे के ज्ञात स्तर के आधार पर व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है

(ग) इस समय दिल्ली पुलिस सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 391 व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का मारा जाना

4988. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 जुलाई 1998 के मुम्बई के न्यू गांव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ लोग मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पीड़ित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्री-मेडिकल परीक्षा

4989. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र से पूर्व विभिन्न मेडिकल महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु केन्द्रीयकृत प्री-मेडिकल परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो छात्रों में व्यापक असंतोष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार रविन्द्र कुमार राय बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य के मामले में दायर रिट याचिका संख्या 649/97 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में महाराष्ट्र सरकार के लिए वर्ष 1998 के बाद मेडिकल दाखिलों के लिए प्रि-मेडिकल परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य हो गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि भारत के उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में दायर 1992 की रिट याचिका संख्या 607 में अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि ''प्रत्येक प्राइवेट व्यावसायिक कालेज में कम से कम 50 प्रतिशत सीटें सरकार या विश्वविद्यालय, जैसा भी मामला हो, के नामित्तियों द्वारा भरी जाएंगी जिन्हें ''निशुल्क सीटें'' कहा जाएगा। इन छात्रों का चयन एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जहां यह आयोजित की जाती है के आधार पर तैयार की गई मेरिट के आधार पर या प्रवेश परीक्षा न होने की स्थिति में ऐसे मापदण्ड अपनाकर किया जाएगा जिनका निर्धारण सक्षम प्राधिकारी या उपयुक्त प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जा सकता है। तथापि, यह वांछनीय और उपयुक्त होगा कि इन कालेजों/संस्थाओं में दाखिलों को विनियमित करने के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए जैसाकि आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है।

विषाक्त भोजन के कारण बच्चों का अस्पताल में भर्ती होना

4990. **श्री डी.एस. अहिरे:**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 1998 में दिल्ली के जामा-मस्जिद स्थित आर्य समाज अनाथालय में सौ से अधिक बच्चे विषाक्त भोजन के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अभी तक कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने का क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) ''आर्य बाल गृह'' जिसे ''आर्य अनाथालय'' के नाम से अधिक जाना जाता है, एक ऐसा संस्थान है जिसे सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत किया गया तथा बेसहारा लोगों के लिए एक गृह चलाने के उद्देश्य से महिला और बाल संस्थान (लाइसेंसिंग) अधिनियम, 1956 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है। उक्त संस्थान के सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार को सूचित किया है कि 6 जून, 1998 को बासी चावल खाने के फलस्वरूप ''गृह'' के संवासियों में से 95 बच्चे बीमार पड़ गए और उन्होंने उल्टी आने की शिकायतें की। बीमार बच्चों को उसी दिन अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें 8 जून, 1998 को छुट्टी दे दी गई थी। यह घटना, रसोई पर्यवेक्षक की लापरवाही के कारण हुई बताई गई है जिसने चावल को संवासियों को बांटने से पहले उसकी जांच नहीं की थी। संस्थान के अधिकारियों ने तुरन्त उसका तबादला कर दिया। तथापि, प्रभावित व्यक्तियों को किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

वोहरा समिति

4991. **श्री चिन्ता मोहन:**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाज़रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वोहरा समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिवेदन के कुछ अंशों को अभी सार्वजनिक किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन को आंशिक रूप से प्रकाशित करने के क्या कारण हैं;

(घ) पूरे प्रतिवेदन को कब तक प्रकाशित किया जायेगा; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) संपूर्ण वोहरा समिति रिपोर्ट 1.8.1995 को सदन के पटल पर रख दी गई थी।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पेयजल की कमी

4992. **श्री चमन लाल गुप्त:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के कंडी क्षेत्र में पेयजल की गंभीर कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर के कंडी क्षेत्र विशेष रूप से कठआ, जम्मू, डोडा तथा उधमपुर जिलों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय एजेंडा के मद्देनजर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में योजना का क्या ब्यौरा है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवा कर उनके प्रयासों में मदद करती है। 1998-1999 के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य को 1232.06 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। राज्यों को अपनी जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्लान करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है।

कवर किए गए रिहायशी इलाकों के संबंध में जिला और क्षेत्रवार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। जम्मू व कश्मीर राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1.4.98 की स्थिति के अनुसार, राज्य के 15726 रिहायशी क्षेत्रों में से 8266 को पूर्णत: तथा 4397 को आंशिक रूप से कवर किया गया तथा 3064 को साफ पेय जल सुविधा के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार, नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य के उन सभी ग्रामीण रिहायशी क्षेत्रों को साफ पेय जल की सुविधा के अधीन कवर कर लिया जायेगा जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

आदिवासी वित्त बोर्ड

4993. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु एक "आदिवासी वित्त बोर्ड" का गठन किया है/गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए है या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार आदिवासी लोगों के शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार पहले ही आदिवासी व्यक्तियों के शैक्षिक तथा आर्थिक विकास के लिए केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ङ) ये योजनाएं इस प्रकार हैं:-आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान, आदिवासी लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास, आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल, आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, निम्न साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक, कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए योग्यता उन्नयन, विदेश में उच्चतर अध्ययनों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां तथा यात्रा अनुदान, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान, लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की आर्थिक वृद्धि तथा विकास में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना भी की गई है।

[अनुवाद]

निर्धारित मात्रा से कम गैस वाले सिलेंडर

4994. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**
श्री जगत वीर सिंह द्रोण:
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन आयल कार्पोरेशन और अन्य कंपनियों द्वारा देश में टूटी हुई सील और निर्धारित मात्रा से कम गैस से भरे सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) तेल कंपनियां भरण संयंत्रों में भरे गए प्रत्येक सिलेंडर पर व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण जांच करती है। एल पी जी भरण संयंत्रों में सभी सफल गुणवत्ता नियंत्रण जांचों के बाद लदाई करने और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों को भेजने से पहले प्रत्येक सिलेंडर को सीलबन्द किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों को सुपुर्दगी करने से पहले एल पी जी सिलेंडरों के साथ छेड़छाड़ न की जाए तेल कंपनियां केवल एल्यूमिनियम और पी वी सी की सीलें लगाती हैं।

तेल कंपनियां अपने एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के कार्यचालन की व्यापक नियमित/औचक जांच और निरीक्षण आयोजित करती हैं और शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच भी करती हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिन्हें विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न कदाचारों में लिप्त पाया जाता है।

तथापि, तेल कंपनियों को कमवजनी सिलेण्डरों की आपूर्ति के संबंध में एल पी जी ग्राहकों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) कमवजनी सिलेंडरों से संबंधित कदाचारों/अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 1997-98 के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य	डिस्ट्रीब्यूटर का नाम	स्थान	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
दिल्ली	मैसर्स मोहनिल एण्टरप्राइजेज	दिल्ली	रु. 2000/- का जुर्माना
	मैसर्स के.एस.बी. एण्टरप्राइजेज	दिल्ली	रु. 2000/- का जुर्माना
	मैसर्स एस.एस. एण्टरप्राइजेज	दिल्ली	रु. 2000/- का जुर्माना
	मैसर्स पेलीकॉन गैस एजेंसी	दिल्ली	रु. 2000/- का जुर्माना
हरियाणा	मैसर्स लाल एण्टरप्राइजेज	फरीदाबाद	रु. 2000/- का जुर्माना
पंजाब	मैसर्स दीवन गैस सर्विस	लुधियाना	चेतावनी पत्र जारी किया गया
	मैसर्स गिल्सन गैस सर्विस	लुधियाना	चेतावनी पत्र जारी किया गया
	मैसर्स केसरी गैस सर्विस	लुधियाना	रु. 2000/- का जुर्माना

1	2	3	4
	मैसर्स नीरगंज गैस सर्विस	लुधियाना	रु. 2000/- का जुर्माना
	मैसर्स मोनिका गैस सर्विस	लुधियाना	रु. 2000/- का जुर्माना
	मैसर्स नकोदर गैस सर्विस	नकोदर	चेतावनी पत्र जारी किया गया
	मैसर्स अवतार फ्लेम सैंटर	लुधियाना	रु. 2000/- का जुर्माना
उत्तर प्रदेश	मैसर्स पिथौरागढ़ गैस सर्विस	पिथौरागढ़	रु. 2000/- का जुर्माना
	मैसर्स मंजु चन्द गैस सर्विस	इलाहाबाद	सिविल प्राधिकारी द्वारा प्राथमिकी दायर कार्रवाई की गई।
	मैसर्स रुक्मिणी गैस सर्विस	लखनऊ	रु. 2000/- का जुर्माना
बिहार	मैसर्स ललित एण्टरप्राइजेज	रक्सौल	रु. 2000/- का जुर्माना
	मैसर्स आर.एन.बी. उद्योग	पटना	रु. 2000/- का जुर्माना
गुजरात	मैसर्स सौराष्ट्र ट्रेडिंग	जेतपुर	रु. 2000/- का जुर्माना

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में किशोर सुधार गृह

4995. **श्री कान्ति लाल भूरिया:**
श्री रामानन्द सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में किशोर सुधार गृह और महिला निगरानी गृह खोलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक खोल दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान, इस मंत्रालय ने किशोर सामाजिक कुसंमजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना के अंतर्गत 7 प्रेक्षणा गृहों (लड़कियों के लिए) तथा 2 किशोर गृहों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। तथापि, राज्य सरकार के पास पूर्व के वर्षों की निर्मुक्तियों में से व्यय न की गई ध्रुनराशि के रह जाने के कारण नए अनुदान

निर्मुक्त नहीं किये जा सके हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार से कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की विफलता

4996. **श्री रामटहल चौधरी:**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:
श्री महेश कनोडिया:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम आबंटित धन का दुरुपयोग किये जाने के कारण विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में शुरू किया गया था। अग्रणी कैंसर अस्पतालों/संस्थाओं को उपकरणों से सज्जित करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई थी। 1984-85 में इस कार्यनीति में संशोधन किया गया और निवारण तथा शीघ्र पता लगाने पर जोर दिया गया। कैंसर के उपचार के लिए देश में 214 विकिरण चिकित्सा एकक हैं। निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है जिसके लिए कोई जांच पड़ताल अपेक्षित हो। कैंसर की घटना और इसकी रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित योजनाओं का निर्धारण किया गया है:

1. जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना।
2. शीघ्र पता लगाने संबंधी कार्यकलापों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा शुरू करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।
3. मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में आन्कोलाजी स्कंध का विकास।
4. कोबाल्ट थिरेपी एकक की खरीद के लिए सहायता।
5. क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्रों को सहायता।

[अनुवाद]

भटिन्डा तेलशोधक कारखाना

4997. **श्री जी. गंगा रेड्डी:**
प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री चिन्ता मोहन:
श्री सुशील कुमार शिन्दे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भटिंडा में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के पूरा होने का क्या लक्ष्य है तथा इसकी क्षमता कितनी है और इससे कितने कच्चे तेल की आपूर्ति होगी;

(ग) इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है;

(घ) उक्त धनराशि किन स्रोतों से जुटाने का विचार है; और

(ङ) इस परियोजना को अनुमोदित करने में विलंब के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) प्रत्येक संयुक्त उद्यम पक्षकारों द्वारा 26 प्रतिशत के समांशता अंशदान से एक संयुक्त उद्यम रिफाइनरी क्रियान्वित करने के संबंध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी एफ आर) प्रस्तुत की गई है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनरी एवं

विद्युत संयंत्र की अनुमानित लागत क्रमश: 9644 करोड़ रुपए तथा 3364 करोड़ रुपए है। इस रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल अरब-गल्फ (ए जी) क्रूड बाजार जो कि आपूर्ति के संबंध में निकटतम स्रोत है, से प्राप्त करने की योजना है।

यह परियोजना सरकार के अंतिम अनुमोदन की तारीख से 48 माह के अंतर्गत पूरी होने की आशा है। इस परियोजना को 1:5:1 के ऋण समांशता अनुपात के जरिए संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा वित्तपोषित किये जाने की योजना है।

इराक में तेल की खोज

4998. **प्रो. पी.जे. कुरियन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक ने अपने देश में भारतीय तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम तथा रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के भारतीय संघ द्वारा अपने तूबा तेल क्षेत्र को विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इराक में तेल की खोज के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. तथा रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि. के परिसंघ ने इराक तेल मंत्रालय को टयूबा तेल क्षेत्र के संबंध में आरंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। इराकी प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

4999. **श्री एच.जी. रामुलू:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्नाटक के शाहाबाद तथा बेलगांव में अस्पताल का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या ये अस्पताल चालू हो गए हैं तथा इनका अन्तरण कर्नाटक सरकार को कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान कर्नाटक में निर्माण किए जाने वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) क.रा.बी. निगम ने शाहाबाद में क.रा.बी. अस्पताल के निर्माण के लिए 312.87 लाख रुपये और बेलगाम के क.रा.बी. अस्पताल के निर्माण के लिए 403.70 लाख रुपये व्यय किए हैं।

(ग) शाहाबाद स्थित क.रा.बी. अस्पताल चालू करने हेतु राज्य सरकार को पहले ही सौंप दिया गया है। बेलगाम स्थित क.रा.बी. अस्पताल के निर्माण से संबंधित कार्य अंतिम चरण पर है।

(घ) 1998-99 के दौरान कर्नाटक में नए अस्पताल के निर्माण के लिए किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया है।

अस्पतालों की अक्षमता

5000. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:**
श्रीमती मीरा कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1998 के ''दी हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''हास्पिटल्स केन्नाट हेंडल डिजास्टर्स'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों के पास उपहार सिनेमा अग्निकांड जैसी बड़ी दुर्घटनाओं और त्रासदी के पीड़ितों को बचाने हेतु उपचार केन्द्र और सुविधासम्पन्न अम्बुलेंस हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे अस्पतालों विशेषकर महानगरों के अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के पास पर्याप्त रूप से सज्जित एम्बुलेन्सों सहित उपचार सुविधाएं हैं।

(घ) ''स्वास्थ्य'' राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

(ङ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक सुव्यवस्थित आपदा योजना एक आपदा वार्ड विद्यमान है।

सफदरजंग अस्पताल/अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामत: डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा संबद्ध अस्पतालों में आपात/हताहत सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य को 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए 10.2.1998 को स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

पोटाश के म्यूरेट का आयात

5001. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:**
श्री रवि सीताराम नायक:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वास्तव में पोटाश के म्यूरेट का आयात रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयात रोकने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेश द्वारा प्रतिबंध लगाने के परिणामस्वरूप आयात रोका गया था;

(घ) यदि हां, तो आकस्मिकता से निबटने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) पोटाश के म्यूरेट का आयात बहाल करने के तथा इसके घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) पर से नियंत्रण अगस्त, 92 से समाप्त कर दिया गया है और इसके आयातों को जून, 93 से असरणीबद्ध कर दिया गया है। तब से सरकारी खाते में एम ओ पी के कोई आयात नहीं किए गए हैं। कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के ढांचे के भीतर इसके आयात स्वतंत्र रूप से निजी व्यवसाय खाते में किये जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अप्रैल-जून, 98 के दौरान निजी व्यवसाय खाते में 2.18 लाख मी. टन एम ओ पी का आयात किया गया है। जर्मन उदार ऋण जिसके लिए बातचीत लगभग पूरी होने वाली है, के तहत आपूर्ति के अलावा निजी व्यवसाय खाते में और एम ओ पी के लिए अनुबन्ध किया जा रहा है।

(ङ) भारत में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार न होने के कारण देश में एम ओ पी की समग्र आवश्यकता को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है।

बाड़ लगाने के कार्य में प्रगति

5002. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने और उन्हें पूरप्रदीप्त करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, किन सैक्टरों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रत्येक मामले में अब तक कितना समय लगा है;

(ख) इस कार्य को पूरा करने में हुई धीमी प्रगति और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सीमाओं पर बाड़ लगाने और उन्हें पूरप्रदीप्त करने संबंधी कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक मामले में कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) उन सीमाओं और नियंत्रण रेखा का ब्यौरा क्या है जिन पर अभी बाड़ लगाई जानी है और पूरप्रदीप्त करना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी):

भारत-पाक सीमा

(क) पंजाब सेक्टर

सीमा के 452 किलोमीटर में बाड़ लगाने और 460 किलोमीटर में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 1988-89 के दौरान विभिन्न चरणों में स्वीकृत किया गया था और 141.90 करोड़ रु. की लागत से दिसम्बर, 1993 तक पूरा कर लिया गया था। सीमा के सम्पूर्ण व्यवहार्य क्षेत्र में बाड़/तेजी रोशनी की व्यवस्था कर ली गई है।

राजस्थान

राजस्थान सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 1989-90, 1996-97 के दौरान विभिन्न चरणों में स्वीकृत किया गया था और 31 दिसम्बर, 1997 तक 354.48 करोड़ रु. की लागत से सीमा के 865 किलोमीटर में बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा कर लिया गया था। 167.5 कि.मी. सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है और इसे 56.24 करोड़ रु. की लागत से दिसम्बर, 1999 तक दो चरणों में पूरा किया जाना है। रेत के बदलते टीलों वाली शेष सीमा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सिंग्ल रो फेंसिंग (बाड़) लगायी जाएगी।

जम्मू सेक्टर

180 कि.मी./195.8 कि.मी. जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य, 71.16 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से मार्च, 1995 में शुरू किया गया था और यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जुलाई, 1995 में शुरू किया गया था लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी किए जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। इस कार्य को पुन: शुरू करने के संबंध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

गुजरात सेक्टर

लूनी बेसन में गुजरात सीमा के 10 किलोमीटर में बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 9.75 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से दिसम्बर, 1997 में स्वीकृत किया गया था और इसे दिसम्बर, 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 310 कि.मी. सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर भी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और राजस्थान सेक्टर में कार्य पूरा होने के बाद इसे शुरू किया जाएगा। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

भारत-बंगलादेश सीमा

कुल 4000 किलोमीटर लम्बी सीमा में से भारत-बंगलादेश सीमा पर 896 किलोमीटर लम्बी सीमा के लिए कंटीले तारों की बाड़ लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 779.68 कि.मी. में बाड़ लगाने का काम (मार्च, 1998 तक) पूरा कर लिया गया है। भारत-बंगलादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने की कोई स्कीम नहीं है। सेक्टर-वार ब्यौरे और कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है:

सेक्टर	अनुमोदित लंबाई (किलोमीटर)	मार्च, 98 तक पूरा किया गया कार्य	व्यय (रु. करोड़ों में)
असम	158	132.00	1551.65
पं. बंगाल	507	445.00	7515.24
मेघालय	231	202.68	2945.30
कुल	896	779.68	12012.19

अन्य सीमाओं पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भारत पाक परियोजना के तहत, सभी कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे कर लिये गये हैं। भारत-बंगलादेश सीमा पर कार्य की धीमी प्रगति के कारण ये हैं-(क) राज्य लोक निर्माण विभाग को असम सरकार द्वारा धन रोक-रोक कर जारी किया जाना; (ख) पश्चिम बंगाल में भूमि-अधिग्रहण में धीमी प्रगति; तथा (ग) कतिपय क्षेत्रों में स्थानीय जनता द्वारा आपत्ति करना।

(ग) बाड़ लगाने और फ्लड लाईट लगाने के कार्य में प्रगति की एक उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है जिसमें भूमि-अधिग्रहण इत्यादि जैसी देर करने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की जाती है। भारत-पाक सीमा पर, राजस्थान में बाड़ और फ्लड-लाइट लगाने और गुजरात में 10 कि.मी. में स्वीकृत कार्य दिसम्बर, 99 तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत-बंगलादेश सीमा पर कार्य मार्च, 2001 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(घ) पंजाब और राजस्थान में जहां-कहीं भी व्यवहार्य है, बाड़ और फ्लड-लाईट लगाई गई है/मंजूर कर दी गई है। फ्लड-लाईट उपलब्ध कराने तथा रेत बदलते टीलों वाले क्षेत्र में सिंगल-रो बाड़ लगाने का कार्य, जोकि जैसलमेर जिले के बाड़ न लगाए गए केवल 24 कि.मी. क्षेत्र में करना शेष है, शुरू कर दिया जाएगा बशर्ते कि निकट ही लगाई जा रही नमूना बाड़ का कार्य संतोषजनक हो।

जम्मू में 180 कि.मी. और 195 कि.मी. बाड़ लगाने और फ्लड-लाईट के कार्य को 1995 में मंजूरी दी गई। यह कार्य जून, 1995 में शुरू किया गया था परन्तु पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी किये जाने के कारण जुलाई, 1995 में इसे स्थगित करना पड़ा था। इस समय, जम्मू व कश्मीर सेक्टर में सीमा/नियंत्रण रेखा के शेष भाग में बाड़ और फ्लड-लाईट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात सेक्टर में सीमा की कुल लम्बाई 508 कि.मी. है जिसमें से करीब 310 कि.मी. में बाड़ लगायी जा सकती है। राजस्थान के क्रम में 10 कि.मी. में बाड़ और फ्लड-लाईट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जबकि शेष 300 कि.मी. के संबंध में सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

भारत-बंगलादेश सीमा में, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्य को कवर करती हुई सीमा की कुल लंबाई 4096 कि.मी. है अर्थात्, (पं. बंगाल-2217, असम-262, मेघालय-443, त्रिपुरा-856 और मिजोरम में 318)। इसके लिए 2784 कि.मी. कुल लम्बाई में सड़क कार्य और 896 कि.मी. में बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत अनुमान में भारत-बंगलादेश सीमा पर फ्लड-लाईट लगाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों की मुक्ति के लिए कृतक बल

5003. श्री जगतवीर सिंह "द्रोण": क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम प्रथा समाप्त करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 465/86 में दिए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और अन्य राज्यों में कृतक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार बाल श्रमिकों की मुक्ति और उनके पुनर्वास करने के क्षेत्र में अब तक कृतक बल द्वारा कितनी सफलता हासिल की गई है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका 465/86 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया है कि समुचित सरकार के श्रम विभाग में अलग से एक प्रकोष्ठ सृजित किया जाना चाहिए और यह कि बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि जिला-वार अथवा क्षेत्र-वार बनायी जानी चाहिए। नागालैंड के अलावा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने राज्य स्तर पर अलग से बाल श्रम प्रकोष्ठ सृजित करने की सूचना दी है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में जिला स्तर पर बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण निधि के गठन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलग से एक प्रकोष्ठ स्थापित किया है और एक करोड़ रुपये के आरम्भिक अंशदान से तथा जोखिमकारी उद्योग/व्यवसाय/प्रक्रिया में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के नियोजकों से वसूल की जाने वाली 20,000.00 रुपये प्रति बालक की राशि से जिला स्तर पर बाल श्रम पुनर्वास-सह कल्याण निधि बनाने का निर्णय लिया है।

रिट याचिका सं. 465/86 में माननीय न्यायालय के निर्णय में किसी कृतक बल के गठन के लिए कोई निर्देश नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का खराब होना

5004. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल:
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों में वर्ष 1997-98 के दौरान पृथक रूप से खराब हुई चीनी, उर्वरकों और खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात, कांडला में हाल ही में आए चक्रवात और वर्षा से खराब हुए/नष्ट हुए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त खाद्यान्नों की किस्म कौन-कौन सी थी और उनकी लागत कितनी थी; और

(घ) सरकार ने राज्य में समुचित व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) 1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों में भण्डारण के दौरान "पुष्ट" से "क्षतिग्रस्त" श्रेणी में स्थानान्तरित खाद्यान्नों और उर्वरकों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। 1997-98 के दौरान चीनी में क्षति होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) दिनांक 9.6.98 को कांडला में चक्रवात और वर्षा के कारण प्रभावित खाद्यान्न स्टाक के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चल रहे छंटाई (सालवेजिंग) प्रचालनों के पूरा होने के बाद ही क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की वास्तविक मात्रा और लागत निश्चित की जा सकेगी।

(घ) खाद्यान्नों स्टाकों के उचित रखरखाव के लिए भंडारण एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) गोदामों का निर्माण वैज्ञानिक तरीकों से किया जा रहा है। ये गोदाम कृन्तक और नमी रहित हैं।

(2) खाद्यान्नों को वैज्ञानिक तरीकों से भंडारित किया जाता है और भाण्डारित अनाज में कीट-जन्तु को नियंत्रित करने के लिए नियमित रोग-निरोधी और रोगहर उपचार (छिड़काव और प्रद्यूमन) किये जाते हैं।

(3) ढके हुए गोदामों की कमी के कारण खाद्यान्नों को कैप (कवर और प्लिंथ) में भी भंडारित किया जाता है। यह एक अस्थायी भण्डारण प्रणाली है जिसमें एहतियाती उपाय करते हुए खाद्यान्नों को पर्याप्त वैज्ञानिक तरीके से भण्डारित किया जाता है। इस प्रकार के खुले परिसर (केप) में भंडारित स्टाक को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाता है।

(4) खाद्यान्नों को लकड़ी के क्रेट्स पोली पेल्लेट्स आदि जैसी उपयुक्त निभार सामग्री पर भंडारित किया जाता है और कम घनत्व वाले बनाये गए विशिष्ट वाटर प्रूफ और वर्षा से अनाज को बचाने वाले पोलेथिन कवरों से ढका जाता है।

(5) तेज हवाओं के दौरान कवरों के फूलने के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए पोलेथिन कवरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियों, "कवर-टोप्स" और मौनो फिलामेन्ट जालों का इस्तेमाल किया जाता है।

(6) इस विषय पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए गोदामों का सम्बद्ध और नियमित निरीक्षण के लिए अनुदेशों की पुनरावृत्ति की जाती है और उच्च स्तर पर इसकी उचित मानीटरिंग की जाती है।

विवरण I

1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों और उर्वरकों की राज्यवार प्राप्ति बताने वाला विवरण

(मात्रा टन में)

क्षेत्र	खाद्यान्न		उर्वरक	
	(भा.खा.)	(के.भ.नि.)	(के.भ.नि.)	(भा.खा.नि.)
1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	13963	31	1.174	–
बिहार	812	–	–	–

1	2	3	4	5
उड़ीसा	134	–	–	–
असम	1291	–	–	–
उत्तर पूर्वी सीमान्त (अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैण्ड और मेघालय)	133	–	–	–
दिल्ली	228	–	–	–
पंजाब	32806	42.5	–	–
हरियाणा	1698	–	–	–
राजस्थान	2618	–	–	–
उत्तर प्रदेश	6561	–	122.2	–
हिमाचल प्रदेश	शून्य	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	969	–	–	–
तमिलनाडु	161	–	–	–
आंध्र प्रदेश	1040	–	–	–
कर्नाटक	1153	–	–	–
केरल	244	–	–	–
महाराष्ट्र	1256	–	–	–
गुजरात	7160	–	–	–
मध्य प्रदेश	3462	–	–	–
	75,689	73.5	123.374	–

विवरण II

कांडला में 9.6.1998 को चक्रवात और वर्षा के कारण प्रभावित खाद्यान्न स्टाक के ब्यौरे

क्र.सं.	एजेंसी	जिन्स	प्रभावित मात्रा
1.	भारतीय खाद्य निगम	आस्ट्रेलियन गेहूं	756 टन में
2.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	1. परमल चावल	16312 बोरियां
		2. बासमती चावल	2155 बोरियां
		3. मसूर दाल	1159 बोरियां
		4. उत्तम चावल	43562 बोरियां
		5. सेला चावल	693 बोरियां
		6. तुअर साबुत दाल	37419 बोरियां

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सहायता

5005. **श्री अजित जोगी:**
श्री विठ्ठल तुपे:
श्री माधव राव पाटील:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितने स्वयंसेवी संगठन कार्यरत हैं;

(ख) प्रत्येक स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि राज्य-वार तथा वर्ष-वार प्रदान की गई;

(ग) क्या इन स्वयंसेवी संगठनों को सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इन संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या 1466 थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) यदि किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा सहायता अनुदान के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच करने के आदेश दिये जाते हैं और सहायता अनुदान की आगे की किश्त की निर्मुक्ति ऐसी जांच के लम्बित रहने तक रोक दी जाती है। निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं को कम करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन को, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वर्ष में एक बार गैर सरकारी संगठन को अनुदान की दूसरी किश्त निर्मुक्त करने से पहले राज्य सरकार तथा/अथवा केन्द्र/राज्य एजेंसियों से निरीक्षण रिपोर्ट भी वर्ष में एक बार आवश्यक है।

(च) जबकि कार्यान्वित की जाने वाली योजना/कार्यक्रम के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक योजना तथा सेवाएं प्रदान किए जाने वाले समूह के लिए निर्धारित मानदंड अलग-अलग है, गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान निर्मुक्त करने में निम्नलिखित सामान्य मानदंडों का अनुपालन किया जाता है:

(1) लाभ न कमाने के लिए स्थापित एक सोसाइटी, न्यास या एक कंपनी और जो कुछ समय से क्षेत्र में कार्य कर रही है, विचार किए जाने के लिए पात्र है।

(2) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश उपलब्ध है।

[अनुवाद]

औद्योगिक न्यायाधिकरण

5006. **श्री के.सी. कोंडय्या:**
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक न्यायाधिकरण में अब तक राज्यवार कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या उक्त न्यायाधिकरण में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उक्त पद कब से रिक्त रखा गया है;

(घ) क्या सरकार का पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के जिला न्यायाधीशों का नया पैनल बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) 30.4.98 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय, बंगलौर में 630 मामले लम्बित हैं। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	मामलों की संख्या
1.	कर्नाटक	607
2.	तमिलनाडु	18
3.	आंध्र प्रदेश	2
4.	केरल	3
		630

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, बंगलौर के पीठासीन अधिकारी का पद 1.3.98 से खाली था। पीठासीन अधिकारी का चयन कर लिया गया है तथा उसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की संस्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं पर प्रतिबंध

5007. **श्री जयसिंह जी चौहान:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नशीली दवाइयों के सेवन से कितने लोगों की जानें गई; और

(घ) सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) स्वापक औषधी तथा मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार स्वापक औषधी तथा मनप्रभावी पदार्थों का उपभोग करना निषेध है।

(ग) उन सूचित किए गए मृतकों के बारे में कोई सूचना नहीं है जिन्हें सीधे नशीली दवा के दुरुपयोग के कारण माना जा सके।

(घ) यह मंत्रालय मद्य-निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जो एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसमें स्वयंसेवी संगठनों को अनेक कार्यकलाप अर्थात् निवारणात्मक शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रमों और नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों के लिए योजना के अंतर्गत मानदंडों के अनुसार अनुमोदित व्यय के 90% तक की सीमा तक सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। वर्ष 1997-98 के अंत तक यह मंत्रालय समस्त देश में 370 केन्द्रों, को सहायता प्रदान करता रहा है। यह मंत्रालय नेहरू युवा केन्द्रों, एन.एस.एस. युवा क्लबों आदि के माध्यम से युवाओं में जागरूकता के सृजन के लिए युवा कार्यक्रम विभाग के साथ सहयोग भी करता है।

[अनुवाद]

तरणतालों का कार्यकरण

5008. **श्री मित्रसेन यादव:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में बहुत से तरण-तालों में ऐसी असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं जो नागरिक जीवन के लिए अशोभनीय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लापरवाही के लिए दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5009. **श्री नृपेन गोस्वामी:**
श्री चन्द्रशेखर साहू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रयोजन और स्वरूप क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार और स्थानवार क्रियान्वित किये जाने वाले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज, सीमा के निकट के अगम्य इलाकों का संतुलित विकास करना, इन क्षेत्रों में प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना और लोगों को उनकी समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ करने में लगाना है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम के अधीन राज्य को निधियां आबंटित की जाती है। निधियों का आगे स्कीम-वार और स्थानिक आबंटन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संवीक्षा समिति द्वारा किया जाता है। अत:, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित और प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पूर्वोत्तर में कार्यान्वित योजनाएं मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाओं समेत आधार-भूत ढांचे के विकास, प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा से संबंधित मदों, इत्यादि से संबंधित हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान निधियों के राज्य-वार आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

डोडा में नरसंहार

5010. **श्री एम. राजैया:**
श्री अमर पाल सिंह:
श्री पंकज चौधरी:
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री के.एस. राव:
श्री आदित्य नाथ:
श्री प्रभूदयाल कठेरिया:
श्री नरेश पुगलीया:
श्री अजय कुमार एस. सरनायक:
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:
श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के एक गांव में बारात के कुछ व्यक्तियों को आतंकवादियों द्वारा मार डाला गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मृतकों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या गुप्तचर एजेंसियों ने इस हमले की संभावना के बारे में जानकारी सरकार को पहले ही दे दी थी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है;

(च) यदि हां, तो उसका नाम क्या है और इस संबंध में गिरफ्तार किए गए/पहचाने गए आतंकवादियों की संख्या कितनी है;

(छ) क्या सरकार का विचार घाटी में आतंकवाद की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना सूत्रबद्ध करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

18 जून, 1998 को जिस समय दो बारातों के सदस्य, प्रेम नगर (डोडा जिला) ले जाए जाने के लिए एक बस के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसी समय अपहृत की गई एक मारुती वैन में पांच सशस्त्र उग्रवादी चम्पनारी (प्रेम नगर से 8 कि.मी. दूर) आए और एक विशेष समुदाय के लोगों से पंक्ति में खड़े होने को कहा और उन पर गोलियां बरसा दीं जिससे 25 व्यक्ति मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए।

जहां तक इस प्रकार की घटनाओं में मारे गए अथवा घायल हुए व्यक्तियों के निकट संबंधी को अनुग्रह स्वरूप राशि प्रदान करने का प्रश्न है, यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/नीतियों के अनुसार अदा की जाती है।

(ग) और (घ) उग्रवादियों की योजनाओं के संबंध में आसूचना एजेंसियों द्वारा आसूचना का आदान-प्रदान समय-समय पर सुरक्षा बलों के साथ किया जाता है।

(ङ) और (च) यद्यपि इस घटना के लिए जिम्मेदार ग्रुप की पहचान की जा चुकी है तथा उनके बारे में चौकन्ना भी कर दिया गया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(छ) से (झ) जम्मू व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, भीतरी प्रदेश में उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना, आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, विकास कार्यक्रमों में तेजी लाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तीव्र करना आदि शामिल है। सुरक्षा बलों से उग्रवाद विरोधी उपाय इत्यादि को मजबूत करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है।

केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान

5011. श्री अर्जुन सेठी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संबंधी कितने संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान इसके प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने हेतु 14 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता उपलब्ध थी;

(ग) क्या अन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलाजी (सिपेट) के 11 केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ख) से (घ) आठवीं योजनावधि के दौरान सिपेट को आधुनिकीकरण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए 12 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता प्राप्त हुई थी तथा सहायता की पूरी राशि का उपयोग सभी केन्द्रों के लिए पूर्ण रूप से किया गया है।

कूप इच्छापुर-I की जांच

5012. **डा. असीम बाला:**
श्री हरिन पाठक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आलिगोसीन तेल में इच्छापुर-I कूप की जांच अधूरी रही;

(ख) यदि हां, तो अधूरी जांच के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम के वैज्ञानिकों द्वारा किन कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कुएं से कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इच्छापुर-I कूप पर ओलीगोसीन सैण्ड से तरल और गैसयुक्त हाइड्रोकार्बनों के संकेत मिले। प्रवाह इतना नगण्य था कि वाणिज्यिक उत्पादन की कोई गुंजाइश नहीं थी।

इच्छापुर-I की उत्पादन संभाव्यता और ओलीगोसीन पे सैण्ड के रिजर्वायर प्राचलों का मूल्यांकन करने के लिए कूप की री-एन्ट्रि/साईड ट्रेकिंग की जा रही है। पाए जाने वाले संभावित तेल की मात्रा का पूर्वानुमान पुन: परीक्षण के पूरा होने और उसके बाद री-एन्ट्रि कूप में रिजर्वायर के भौगोलिक-वैज्ञानिक आकलन के बाद ही किया जा सकता है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन

5013. **श्री वैको:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार मानवाधिकारों के उल्लंघन के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा पीड़ितों को मुआवजे की अदायगी के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, प्रकाश में आए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार दर्ज मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा पीड़ितों को मुआवजा अदा करने की सिफारिश करता रहा है।

3. हालांकि ''पुलिस'' राज्य का विषय है और चूक करने वाले पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केन्द्र सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की विस्तृत अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अलावा, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि आम जनता के प्रति पुलिस के दृष्टिकोण और व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, सहित अनेक पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार को एक विषय के रूप में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है और इसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र अर्द्ध-सैनिक बलों को परिचालित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पंजीकृत मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या		
	1.4.95 से 31.3.96	1.4.96 से 31.3.97	1.4.97 से 31.3.98 (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	326	481	811
अरुणाचल प्रदेश	16	16	29
असम	106	119	198
बिहार	1091	2413	3127
गोवा	14	27	41
गुजरात	105	227	422
हरियाणा	273	525	1082
हिमाचल प्रदेश	35	81	166
जम्मू और कश्मीर	147	317	400
कर्नाटक	117	217	398
केरल	201	383	490

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	718	932	2555
महाराष्ट्र	450	740	1730
मणिपुर	49	81	48
मेघालय	8	18	14
मिजोरम	5	4	18
नागालैण्ड	31	67	27
उड़ीसा	497	708	725
पंजाब	320	384	592
राजस्थान	448	981	1899
सिक्किम	6	2	5
तमिलनाडु	1110	1064	1311
त्रिपुरा	23	19	33
उत्तर प्रदेश	2679	8668	17638
पश्चिम बंगाल	494	651	732

1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	5	-
संघ शासित चंडीगढ़ प्रशासन	7	14	
दादरा और नगर हवेली	–	2	
दमन और दीव	1	3	42*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	900	1340	
लक्षद्वीप	2	4	
पांडिचेरी	13	21	

*अलग-अलग संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में आंकड़े संयोजित किए गए हैं और इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा एकल आंकड़ों के रूप में सूचित किया गया है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों को सहायता

5014. **श्री रामपाल सिंह:**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 1998 के ''दैनिक जागरण'' में ''राजौरी-पुंछ में सक्रिय आतंकवादियों को स्थानीय नेताओं का वरदहस्त शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) सरकार को ऐसे समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग) राज्य में राज्य सरकार और एकीकृत मुख्यालय, विभिन्न सुरक्षा बलों और आसूचना एजेंसियों के बीच, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उग्रवादियों और स्थानीय नेताओं/निवासियों के बीच सांठ-गांठ की किसी भी शिकायत की जांच-पड़ताल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय से पर्याप्त कदम उठाये जाते हैं तथा तदनुसार सूचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

चीनी मिलों का परिचालन

5015. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान परिचालन के पश्चात् राज्यवार कितनी चीनी मिलें रुग्ण हो गई; और

(ख) राज्यवार कितनी चीनी मिलें प्रोत्साहन अवधि के दौरान रुग्ण हुई?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) देश में चीनी इकाइयां तीन

क्षेत्रों नामत: सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में वर्गीकृत की गई हैं। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत रुग्ण चीनी मिलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) से पंजीकरण कराना अपेक्षित नहीं होता है तथा इनके संबंध में राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की रुग्ण चीनी इकाइयां रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन आती हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अनुसार, 30.6.98 तक उनके पास 37 चीनी मिलें पंजीकृत की गयी हैं। बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत राज्य-वार रुग्ण चीनी मिलें निम्नवत हैं:

राज्य	चीनी मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3
बिहार	3
केरल	1
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	3
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	16
पश्चिम बंगाल	1
जोड़	37

(ख) प्रोत्साहन अवधि के दौरान रुग्ण हो गई चीनी मिलों की राज्यवार संख्या निम्नवत है:

राज्य	चीनी मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
बिहार	1
पंजाब	1
मध्य प्रदेश	1
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	1
जोड़	6

[हिन्दी]

यात्रियों को लूटना

5016. श्री दादा बाबूराव परांजपे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाराणसी-कुरला हालीडे एक्सप्रेस के यात्रियों को 25.4.98 को सतना (मध्य प्रदेश) में लूट लिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच-पड़ताल कार्रवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) अपराध की अलग-अलग घटनाओं के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। अपराध को दर्ज करने, जांच पड़ताल करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिए राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस नामक एक पृथक संगठन होता है।

[अनुवाद]

देश में कार्यरत विदेशी गुप्तचर एजेंसियां

5017. **डा. सरोजा वी.:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ गुप्तचर एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त देशों के नाम क्या है; और

(घ) ऐसी एजेंसियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्री मान।

(ख) पाकिस्तानी आई.एस.आई. के पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने और कश्मीर में उग्रवाद को तेज करने के संगठित पनापाक इरादे हैं। दिल्ली में और अन्यत्र बसों, रेलगाड़ियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में आतंक पैदा करने के लिए विस्फोट करने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। मुम्बई में हुए बम विस्फोट (27 फरवरी, 1998) की जांच पड़ताल से यह पता चला है कि ये विस्फोट पाक आई.एस.आई. द्वारा प्रशिक्षित और प्रोत्साहित उग्रवादियों द्वारा किए गए थे। जुलाई, 1998 में हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए 12 व्यक्तियों में (4 पाक राष्ट्रिकों सहित) से एक विस्तृत ''हब-एण्ड-स्पोक नेटवर्क'' होने का पता चला है, जिसे पाक आई.एस.आई. द्वारा लस्कर-ए-ताईबा नेटवर्क के बैनर तले स्थापित किया गया है।

(ग) पाकिस्तान।

(घ) हिंसा को बढ़ावा देने के लिए गुमराह युवकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें लक्ष्य बनाने सहित देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां प्रायोजित करके और भारत को अस्थिर करने के पाक आई.एस.आई. के नापाक इरादों की सरकार को जानकारी है। इसलिए स्थिति पर कड़ी और सतत निगरानी रखी जा रही है और आतंकवादियों और विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इन नापाक इरादों को सफल न होने दिया जाए। सरकार ने अनेक कदम उठाए है, जिनमें सम्मिलित हैं: आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना और संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान और समन्वित कार्रवाई करना, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गश्त गहन करना, रात और दिन में प्रभावी निगरानी के लिए उपकरणों की आपूर्ति, नाकाओं (निगरानी चौकियों) की संख्या में बढ़ोत्तरी करना और पाक आई.एस.आई. एजेंटों, राष्ट्र विरोधी तत्वों और विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही बनाना और सावधान करना।

जीवनरक्षक औषधों का अभाव

5018. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कई बार अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधों का अभाव पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधों के नाम क्या हैं; और

(ग) देश में अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधों की यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) सरकार एक ऐसी पद्धति चला रही है जिसके द्वारा राज्य औषधि नियंत्रक इस विभाग को अवगत कराते हुए दवाइयों की स्थानीय रूप से हुई कमी की सूचना संबंधित विनिर्माताओं को देते हैं; अर्थात् कमी का अनुवीक्षण राज्य स्तर पर किया जाता है।

कमियों के संबंध में प्राप्त हुई रिपोर्टों के आधार पर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग संबंधित क्षेत्रों में दवाइयों की तेजी से उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विनिर्माताओं के साथ यह मामला उठाता है।

प्राप्त रिपोर्टों के सामान्य विश्लेषण से जाहिर होता है कि अनिवार्य/जीवनरक्षक औषधियों की कोई सामान्य (जनरल) कमी ध्यान में नहीं आयी है। कुछेक खास ब्रान्ड वाले फरमुलेशनों का स्थानीय रूप से अभाव होने की सूचना दी गई है। अस्थायी

अभावों के ऐसे मामलों में यह देखा गया है कि इन दवाइयों की चिकित्सीय दृष्टि से समकक्ष दवाइयां आमतौर पर उपलब्ध रहती हैं।

[हिन्दी]

लेवी चीनी के मूल्य

5019. **श्री विठ्ठल तुपे:**
श्री प्रदीप कुमार यादव:
श्री डी.एस. अहिरे:
श्री माधव राव पाटील:
श्री अशोक नामदेव राव मोहोल:
श्री विजय कुमार "विजय":

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान चीनी मिलों से कितनी लेवी चीनी खरीदी और यह किस दर पर खरीदी गई;

(ख) क्या सरकार ने लेवी चीनी की खरीद के लिए वर्ष 1997-98 के लिए खरीद मूल्य निर्धारित नहीं किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिए लेवी चीनी के मूल्यों की अभी तक घोषणा नहीं की है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1997-98, 1998-99 के लिए लेवी चीनी के मूल्यों की कब तक घोषणा कर दिए जाने की संभावना है; और

(ज) इस विलम्ब के कारण राज्यों को विशेषकर उत्तर प्रदेश को हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (छ) चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) 1996-97 के दौरान 41.30 लाख टन लेवी चीनी की वसूली की गई थी जबकि चीनी मौसम 1997-98 (15.6.1998 तक) में 33.5 लाख टन लेवी चीनी की वसूली हुई है। चीनी मौसम 1996-97 के लिए लेवी चीनी का वसूली मूल्य 1000.77 रुपए प्रति क्विंटल था जबकि चीनी मौसम 1997-98 के लिए यह मूल्य 1022.46 रुपए प्रति क्विंटल है। 1998-99 चीनी मौसम 1.10.1998 से आरम्भ होगा और इस मौसम के लिए लेवी मूल्य इस मौसम के दौरान अधिसूचित किये जायेंगे।

(ज) लेवी मूल्य, चाहे जब भी अधिसूचित किए जाएं, उस मौसम की पहली अक्तूबर से प्रभावी होते हैं जिस चीनी मौसम के लिए से लागू होते हैं। किसी मौसम के लिए लेवी मूल्य अधिसूचित करने से पूर्व मिलों को पिछले मौसम के लेवी मूल्यों की दर पर अनंतिम भुगतान किया जाता है, और संगत मौसम के लेवी मूल्य अधिसूचित हो जाने के पश्चात इसे उस मौसम की पहली अक्तूबर से पूर्वगामी प्रभाव के साथ लागू किया जाता है। अत: किसी भी चीनी मिल को कोई हानि नहीं होती।

[अनुवाद]

एजेंसियों में कदाचार

5020. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:**
कर्नल सोनाराम चौधरी:
श्री जयसिंहजी चौहान:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कदाचार में लिप्त पाए गए पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन बिक्री केन्द्रों और एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए है;

(ग) ऐसे रसोई गैस वितरकों की संख्या कितनी है जो 1994 के बाद अनियमितताएं करने के लिए दंडित नहीं किए गए हैं;

(घ) वितरकों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के बावजूद अनियमितताओं में वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर पता लगे कदाचारों/अनियमितताओं की कुल संख्या नीचे दी गई हैं:-

खुदरा बिक्री केन्द्र

वर्ष	पता लगे कदाचारों/ अनियमितताओं की संख्या
1995-96	295
1996-97	525
1997-98	602

एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

वर्ष	पता लगे कदाचारों/ अनियमितताओं की संख्या
1995-96	650
1996-97	629
1997-98	556

(ख) अप्रैल, 1995 से मार्च, 1998 तक के दौरान कदाचारों/अनियमितताओं में लिप्त पाए गए 10 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 45 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समाप्त की गई थी।

(ग) 1994 से अब तक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के ऐसे तीन मामले हैं जहां वर्ष 1997-98 के दौरान अनियमितताओं का पता लगा था और उनके विरुद्ध अंतिम कार्रवाई की जानी है।

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कदाचारों/अनियमितताओं में एक वर्द्धमान प्रवृत्ति दिखाई दी है। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के मामले में कदाचारों/अनियमितताओं की संख्या वर्ष 1996-97 के दौरान कुछ कम हुई थी तथा वर्ष 1997-98 के दौरान इसमें कुछ वृद्धि हुई।

(ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मिलावट तथा अन्य कदाचारों को रोकने के लिए मिट्टी तेल की फरफ्यूरल डोपिंग, मिट्टी तेल को नीला रंग देना, तथा घनत्व जांच जैसे कदम उठाए जाते हैं तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर तेल कंपनियों के क्षेत्राधिकारियों द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण, संयुक्त उद्योग दलों, चल प्रयोगशालाओं तथा राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं। तेल उद्योग, कदाचारों, जिनमें खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मिलावट सम्मिलित है, को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाता रहा है तथा ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाता रहा है।

गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अधीन कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा एम एस/एच एस डी नियंत्रण आदेश के अधीन कार्रवाई भी की जाती है।

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के मामले में तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण किये जाते हैं। राज्य सरकार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी निरीक्षण किये जाते हैं। गलती कर रहे वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में उचित दर की दुकानें

5021. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में उचित दर की दुकानों से राशन की कालाबाजारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कालाबाजारी के कितने मामलों का पता लगाया गया और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां। इस संबंध में समय-समय पर सूचना/शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) सूचना/शिकायतों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों की जांच की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

के खाद्य और आपूर्ति विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा 840 उचित दर दुकानों की जांच की गई थी। 21 मामलों में आवश्यक जिन्स अधिनियम, 1955 के अधीन कार्रवाई करने के लिए संबंधित उचित दर दुकानदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 65 मामलों में उचित दर दुकान के प्राधिकार को निलम्बित/रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। 663 मामलों में प्राधिकार धारकों पर दण्ड लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई हैं।

उत्पादन और विपणन

5022. श्रीमती सूर्यकांता पाटील:
डा. रवि मल्लू:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसायन और उर्वरकों के उत्पादन और विपणन के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें किसी तरह का विवाद है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ङ) कृषि के लिए अपेक्षित तीन प्रमुख उर्वरक पोषकों में से देश में मुख्यत: नाइट्रोजन के लिए कच्चे माल उपलब्ध हैं। सरकार की नीति का उद्देश्य स्वदेशी फीडस्टाकों के उपयोग के आधार पर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में अधिकतम स्वावलम्बन प्राप्त करना है। कच्चे मामलों अथवा तैयार उर्वरकों के रूप में फास्फेट की अधिकांश आवश्यकता तथा पोटाश की समग्र आवश्यकता का आयात किया जाता है। देश में पोटाश के वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद कोई ज्ञात भंडार नहीं हैं।

वर्तमान में, यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य, वितरण तथा संचलन नियंत्रण के तहत है। प्रत्येक फसल मौसम के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में यूरिया की आवश्यकता का आंकलन किया जाता है और निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्राओं को निर्दिष्ट करते हुए एक विस्तृत आपूर्ति आयोजना तैयार की जाती है। इस प्रकार आंकलित आवश्यकता तथा घरेलू स्रोतों से सम्भावित उपलब्धता के बीच के अन्तर को आयातित यूरिया द्वारा पूरा किया जाता है। सभी अन्य नियंत्रणयुक्त उर्वरकों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे आकलन और आबंटन नहीं किये जाते। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मांग और आपूर्ति को बाजार शक्तियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत स्कीम इन उर्वरकों की मांग और आपूर्ति को भी प्रभावित करती है। सरकार को उर्वरक विपणन नीति के संबंध में किसी विवाद की जानकारी नहीं है।

जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप कुछेक हानिकारक रसायनों को छोड़कर रसायनों के उत्पादन को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। इन मदों का उत्पादन शुरू करने से पूर्व उद्यमियों द्वारा औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) दायर किया जाना अपेक्षित है। हानिकारक रसायनों के संबंध में, इनके उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित है जो सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण, सुरक्षा दृष्टि आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। सरकार देश में रसायनों के मूल्य, वितरण तथा विपणन पर निगरानी नहीं रखती है।

[अनुवाद]

सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति

5023. श्री समर चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब और असम को सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों के अनुरोध सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक प्रतिपूर्ति किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। 1990-98 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय के रूप में जम्मू व कश्मीर राज्य को 1045.31 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है (जिसमें चुनावों के लिए 146.97 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है) तथा 1990-95 तक की अवधि के दौरान असम राज्य को 131.91 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

पंजाब के मामले में, सुरक्षा संबंधी किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। तथापि 1984-85 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान पंजाब को दिए गए विशेष अवधि ऋण के संबंध में वर्ष 1997-2000 के मूलधन और ब्याज की किस्त, जो कि 2114.66 करोड़ रुपये बनती है, केन्द्र द्वारा माफ कर दी गई है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) केन्द्र सरकार, पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में दिशा-निर्देश और पात्रता के मानदण्ड तैयार करने और उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में दिशा-निर्देश का अनुमोदन हो जाने और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जाने के बाद ही प्रतिपूर्ति करना सम्भव होगा।

नैफथा आधारित यूरिया कारखाना

5024. **श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नैफथा आधारित यूरिया कारखाने को मंजूरी देने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की सामान्यत: आवश्यकता नहीं है। उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को फीडस्टाक संयोजन प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता दी जाती है। नेफथा का आबंटन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। छ: परियोजना प्रस्तावों के संबंध में नेफथा आबंटन हेतु अनुरोधों पर कार्यवाही को उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय को अंतिम रूप दिये जाने तक लम्बित रखा गया है। ये प्रस्ताव आंध्र प्रदेश (2), हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, पं. बंगाल और मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित हैं।

बाल श्रमिक

5025. **श्री सुशील कुमार शिन्दे:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि तथा घरेलू क्षेत्र में राज्यवार कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) कांच, चूड़ियों, आतिशबाजी और माचिस की फैक्टरियों में कितने बाल श्रमिक काम कर रहे हैं; और

(ग) देश में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) कामकाजी बालकों की संख्या के संबंध में उद्योग-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सरकार ने जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची के भाग अ और ब में दिए गए 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं गठित की गई हैं। बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत किया गया एक प्रमुख कार्यकलाप बाल श्रमिकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पोषणाहार, छात्रवृत्ति, चिकित्सा देख-रेख आदि मुहैया करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। अभी तक 11 बाल श्रम बहुल राज्यों में 1.5 लाख कामकाजी बालकों का पुनर्वास करने के लिए 75 बाल श्रम परियोजनायें गठित की गई हैं। इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी चिन्ता व्यक्त की गई है जिन्होंने अपने 10.12.96 के अधिनिर्णय में अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें जोखिमकारी व्यवसायों में बालकों को नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा मुआवजा की अदायगी किया जाना भी शामिल है। इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए सरकार ने पहले ही अनेक कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

5026. **श्री मोतीलाल वोरा:**
श्रीमती रानी चित्रलेखा भोंसले:
श्री के.पी. नायडू:
श्री जी. गंगा रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेष रूप से आतंक प्रभावित राज्यों में राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या राज्यवार बजट प्रावधान किए गए हैं;

(घ) 1998-99 के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई कुल कितनी धनराशि है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन मांगों की जांच कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (च) चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है अत: अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, उनकी पुलिस संबंधी आधारभूत सुविधाओं में सुधार के मामले में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत, मैचिंग आधार पर उन्हें 1969-70 से केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न राज्यों के सामने आ रही विशेष समस्याओं से निपटने के लिए सहायता भी शामिल है। वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष अर्थात 1998-99 के लिए अनुमोदित आवंटन 50.00 करोड़ रुपए है। आतंकवाद/उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए, 1998-99 के दौरान निम्नलिखित राज्यों ने निम्नानुसार वित्तीय सहायता की मांग की है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	मांगी गई विशेष सहायता (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	197.90
2.	बिहार	70.18
3.	जम्मू व कश्मीर	13.45
4.	कर्नाटक	9.00
5.	मध्य प्रदेश	16.22
6.	उड़ीसा	1.50
7.	तमिलनाडु	10.00
	कुल	318.25

ये प्रस्ताव जांचाधीन हैं।

विवरण

वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को जारी निधि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1997-98 के दौरान जारी राशि
1	2
आंध्र प्रदेश	1209.560
अरुणाचल प्रदेश	96.270
असम	47.715
बिहार	983.120
गोवा	कोई अनुदान जारी नहीं किया गया
गुजरात	150.180
हरियाणा	71.710
हिमाचल प्रदेश	20.345
जम्मू और कश्मीर	81.540
कर्नाटक	150.800
केरल	113.990
मध्य प्रदेश	387.820

1	2
महाराष्ट्र	कोई अनुदान जारी नहीं किया गया
मणिपुर	217.315
मेघालय	51.880
मिजोरम	87.780
नागालैण्ड	238.430
उड़ीसा	164.610
पंजाब	284.650
राजस्थान	154.920
सिक्किम	42.015
तमिलनाडु	296.750
त्रिपुरा	246.530
उत्तर प्रदेश	626.300
पश्चिम बंगाल	174.770
कुल	5750.000

नोट: 1997-98 के दौरान गोवा और महाराष्ट्र सरकारों को कोई राशि जारी नहीं की गयी क्योंकि उन्होंने 1996-97 के दौरान जारी की गई राशि के पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे।

आयुर्वेद में अष्टांग चिकित्सा

5027. **डा. महादीपक सिंह शाक्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेद में अष्टांग चिकित्सा में शल्य चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान था;

(ख) क्या आयुर्वेद महाविद्यालयों में शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो एलोपैथी के समतुल्य जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) जी, हां। सर्जरी अर्थात् शल्य तन्त्र अष्टांग आयुर्वेद की आठ शाखाओं में से एक है।

(ख) और (ग) वर्तमान में, आयुर्वेद कालेजों में शव परीक्षा नहीं की जाती है। फिर भी, आयुर्वेद के छात्रों को न्यायिक चिकित्सा अर्थात् अगद तंत्र तथा व्यवहार आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है और शव परीक्षा जांचों के प्रदर्शन हेतु उन्हें आधुनिक अस्पतालों में ले जाया जाता है।

वर्तमान में छात्रों को आयुर्वेद के शल्य तन्त्र के साथ-साथ आधुनिक सर्जरी की शिक्षा भी दी जा रही है।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ में भवनों का रख-रखाव

5028. **श्री सत्यपाल जैन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अथवा चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान चंडीगढ़ में सरकारी भवनों का रख-रखाव करने के लिए कोई धनराशि आवंटित की है;

(ख) इन भवनों के रख-रखाव के लिए वास्तविक रूप से कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) पंजाब और हरियाणा राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग कुल कितने भवन हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। गत तीन वर्षों के दौरान इन सरकारी भवनों के रख-रखाव पर आया खर्च नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	खर्च की गयी राशि (लाख रुपयों में)
1995-96	540.60
1996-97	643.50
1997-98	762.42

(ग)विभिन्न एजेंसियों के अधिपत्य में गैर-आवासीय सरकारी भवनों की संख्या निम्नानुसार है:

(1) पंजाब सरकार	10
(2) हरियाणा सरकार	06
(3) पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से	03
(4) चंडीगढ़ प्रशासन	470

इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रक्रियानुसार पंजाब और हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को 15,028 रिहाइशी इकाईयां आवंटित की गयी हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में तपेदिक के मामले

5029. **श्री के. येरननायडू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तपेदिक पुन: उभर आई है और यह भारत में भयावह ढंग से फेल रही है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर गरीबी ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) पिछले कई वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित किये गये देश में क्षयरोग मामलों की प्रवृत्ति लगभग स्थिर रही है। तथापि राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार पूर्णता दर केवल लगभग 40% थी। कम से कम 85% रोग मुक्ति दर प्राप्त करने के लिए एक संशोधित कार्यनीति जो कि भारत में प्रायोगिक तौर पर परखी जा चुकी है, विश्व बैंक सहायता से शुरू की गई है। सरकार की संशोधित कार्यनीति को 102 जिलों में लागू करने और भविष्य में 203 एस.सी.सी. जिलों को संशोधित कार्यनीति अपनाने के लिए सुदृढ़ करने का विचार है।

[हिन्दी]

नायलान फिलामेंट यार्न

5030. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नायलान के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण नायलान फिलामेंट यार्न के हथकरघा बुनकरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीने के दौरान नायलान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) नायलान के मूल्य में तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (घ) पिछले 6 महीनों के दौरान नायलान फिलामेंट यार्न (एन.एफ.वाई.) के मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी 1998 महीने में एन एफ वाई की जो कीमत थी उसकी अपेक्षा जून, 98 में उसकी कीमत में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। 1998-99 के बजट में एन एफ वाई पर बुनियादी उत्पाद शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है तथा कैप्रोलेक्टम, जो कि एन एफ वाई के विनिर्माण हेतु कच्चा माल है, पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है। आशा है कि इन उपायों से एन एफ वाई के मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा एन एफ वाई पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है और इसका मूल्य विपणन शक्तियों द्वारा नियत होते रहते हैं। एन.एफ.वाई. ओ.जी.एल. के अंतर्गत मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

[अनुवाद]

''माडेल फायर बिल''

5031. **प्रो. अजित कुमार मेहता:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अंगीकार तथा सुझाव देने के लिए ''माडेल फायर बिल'' परिचालित किया था;

(ख) क्या कई राज्य सरकारों ने इसके परिचालन के 40 वर्षों के पश्चात भी ''माडेल फायर बिल'' को अंगीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों पर इसे अंगीकार करने के लिए दबाव डालने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये/किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा तैयार माडल फायर फोर्स बिल, अधिनियमन के लिए वर्ष 1958 में राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभी तक 13 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और सिक्किम ने यह बिल अंगीकार नहीं किया है। केन्द्र सरकार ने इस बिल को अंगीकार करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को कहा है। तथापि, चूंकि मामला प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है अत: बिल का अधिनियमन सुनिश्चित करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता

5032. श्री माधवराव पाटील: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी की कितनी आवश्यकता है और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार चीनी उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अनेक चीनी मिलों ने राज्यवार अब तक अनुमानत: कितनी चीनी का उत्पादन किया है;

(ग) क्या गन्ने का उत्पादन चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) चीनी मिलों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और 1995 से चीनी मिलें राज्यवार कितनी अधिष्ठापित क्षमता-प्रतिशत पर कार्य कर रही हैं;

(च) सरकार ने चीनी मिलों के कार्यकरण में सुधार लाने और किसानों को बेहतर कीमतें देने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(छ) क्या चीनी मिलों द्वारा खरीद न किये जाने के कारण गन्ना बेकार पड़ा हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किसानों को इस संबंध में कितना नुकसान हुआ है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) वर्तमान चीनी मौसम 1997-98 के दौरान घरेलू खपत के लिए चीनी की अनुमानित आवश्यकता 143.0 लाख टन है। चीनी के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं क्योंकि यह विभिन्न तथ्यों जैसे जलवायु की स्थितियां, गन्ने की उपलब्धता, पेरे गए गन्ने से चीनी की रिकवरी की प्रतिशतता आदि पर निर्भर करता है।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम (1997-98) के दौरान, 15.6.98 को स्थिति के अनुसार, चीनी का राज्यवार उत्पादन विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। चीनी के उत्पादन के लिए उपयोग के अलावा गन्ने का उपयोग गुड़ और खांडसारी का उत्पादन करने तथा चूसने और बीज तैयार करने के लिए किया जाता है।

(ङ) 31.5.98 को स्थिति के अनुसार देश में चीनी मिलों की संस्थापित क्षमता 141.7 लाख टन थी। विवरण संलग्न है जिसमे चीनी मौसमों 1995-96 तथा 1996-97 के संबंध में चीनी मिलों की राज्यवार संस्थापित क्षमता तथा क्षमता उपयोग का ब्यौरा दिया गया है।

(च) चीनी मिलों के कार्य में सुधार लाने तथा गन्ना किसानों की सहायता के लिए सरकार ने विभिन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किये हैं, जो निम्नवत् हैं:

(1) 1.10.97 से 15.11.97 तक की अवधि में उत्पादन के लिए सांविधिक लेवी से आंशिक छूट के द्वारा शीघ्र पेराई प्रोत्साहन।

(2) 2.5.98 से 31.7.98 तक की अवधि में उत्पादन के लिए सांविधिक लेवी से आंशिक छूट के द्वारा विलम्बित पेराई प्रोत्साहन।

(3) किसानों द्वारा गन्ने की उन्नत खेती के लिए आदान खरीदने हेतु चीनी विकास निधि से कम ब्याज पर ऋण मुहैया करना।

(4) गन्ना विकास तथा मौजूदा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/ विस्तार से संबंधित परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से कम ब्याज पर ऋण मुहैया करना।

(5) चीनी के उत्पादन के लिए नई क्षमता की स्थापना हेतु सांविधिक लेवी से श्रेणीगत छूट।

(6) असामान्य रूप से अधिक स्टाक वाली अवधि में चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से बफर सब्सिडी मुहैया करना।

(छ) और (ज) चीनी मौसम 1997-98 के दौरान गन्ने का उठान न किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

वास्तव में, चीनी उद्योग की यह अवधारणा है कि गन्ने की उपलब्धता पर्याप्त नहीं रही है।

विवरण I

वर्तमान चीनी मौसम 1997-98 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 15.6.98 तक चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा

क्र.सं.	राज्य	मात्रा लाख टन में
1.	पंजाब	3.07
2.	हरियाणा	3.81
3.	राजस्थान	0.23
4.	उ.प्र.	39.04
5.	मध्य प्रदेश	0.71
6.	गुजरात	8.84
7.	महाराष्ट्र	38.55
8.	बिहार	3.08
9.	असम	0.03
10.	उड़ीसा	0.57
11.	पं. बंगाल	0.03
12.	नागालैंड	–
13.	आंध्र प्रदेश	7.76
14.	कर्नाटक	8.69
15.	तमिलनाडु	10.96
16.	पांडिचेरी	0.37
17.	केरल	0.05
18.	गोवा	0.10
	जोड़-अखिल भारत	125.89

विवरण II

चीनी मौसम 1995-96 तथा 1996-97 के संबंध में चीनी मिलों की राज्यवार संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1995-96		1996-97	
	संस्थापित क्षमता (लाख टन)	क्षमता उपयोग %	संस्थापित क्षमता (लाख टन)	क्षमता उपयोग %
1	2	3	4	5
पंजाब	6.249	101.13	6.249	98.09
हरियाणा	3.914	115.99	4.266	114.86
राजस्थान	0.232	99.13	0.232	80.13
उ.प्र.	34.793	125.31	36.389	112.23
मध्य प्रदेश	0.987	130.69	0.987	88.14
गुजरात	8.537	131.89	8.963	107.88
महाराष्ट्र	39.8657	134.85	43.005	80.13
बिहार	4.122	91.94	4.007	90.34
असम	0.184	38.04	0.184	27.17
पं. बंगाल	0.067	119.4	0.067	74.62
उड़ीसा	1.018	80.55	1.018	76.62
आंध्र प्रदेश	6.788	127.57	7.498	103.02

1	2	3	4	5
कर्नाटक	8.366	151.44	8.366	103.99
तमिलनाडु	12.63	128.42	12.725	82.51
नागालैंड	0.064	15.62	0.064	
पांडिचेरी	0.383	148.82	0.383	86.16
केरल	0.17	76.47	0.102	49.01
गोवा	0.093	204.3	0.093	161.29
जोड़	128.4627		134.593	

बाल श्रमिक पुनर्वास अधिनियम

5033. **श्री चन्द्रशेखर साहू:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में शिवाकाशी स्थित पटाखा उद्योग में बाल श्रमिकों की संख्या में कमी लाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) देश में बाल श्रमिकों की उद्योगवार/खान-वार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) देश में बाल श्रमिकों की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार, राज्य-वार बाल-श्रमिकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। उद्योग-वार/खान-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। बाल-श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, इस अधिनियम की अनुसूची के भाग अ और ब में वर्णित 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बाल श्रम का नियोजन प्रतिषिद्ध है। कानूनी उपायों के अलावा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का गठन किया गया है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप रोजगार से हटाए गए बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक-प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि का प्रावधान करने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। बाल श्रम बहुलता वाले 11 राज्यों में लगभग 1.5 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए अभी तक 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं संचालित की गयी हैं। तमिलनाडु में शिवाकाशी, कामराजार जिलों में, कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए 87 विशेष स्कूलों की स्थापना की गयी है।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार कार्यरत बच्चों का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र	कुल कामगार
1	2
1. आंध्र प्रदेश	1,661,940
2. असम	327,598
3. बिहार	942,245
4. गुजरात	523,585
5. हरियाणा	109,691
6. हिमाचल प्रदेश	56,438
7. जम्मू और कश्मीर	**
8. कर्नाटक	976,247
9. केरल	34,800
10. मध्य प्रदेश	1,352,563
11. महाराष्ट्र	1,068,418
12. मणिपुर	16,493
13. मेघालय	34,633
14. नागालैंड	16,476
15. उड़ीसा	452,394
16. पंजाब	142,868
17. राजस्थान	774,199
18. सिक्किम	5,598
19. तमिलनाडु	578,889
20. त्रिपुरा	16,478
21. उत्तर प्रदेश	1,410,086
22. पं. बंगाल	711,691
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,265
24. अरुणाचल प्रदेश	12,395
25. चंडीगढ़	1,870
26. दादरा और नगर हवेली	4,416
27. दिल्ली	27,351
28. दमन व दीव	941
29. गोवा	4,656
30. लक्षद्वीप	34
31. मिजोरम	16,411
32. पांडिचेरी	2,680
	11,285,349

**जनगणना नहीं की जा सकी।

टिप्पणी- 1991 के आंकड़े 5-14 वर्ष की आयु समूह के कामगारों से संबद्ध है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

5034. **श्री केवल प्रसाद:**
डा. रामविलास वेदांती:
श्रीमती उषा वर्मा:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम इस समय कहां-कहां स्थित हैं तथा इनमें से प्रत्येक में रखे गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है;

(ख) इन गोदामों में खाद्यान्न की ढुलाई तथा उतराई में अत्यधिक समय लगने के क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हुआ;

(घ) इन गोदामों में इस वर्ष खाद्यान्न की कम आवक के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम दयनीय स्थिति में हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इन गोदामों की दशा को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ज) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन गोदामों के रख-रखाव तथा विकास पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) विवरण I में संलग्न है जिसमें राज्यवार और एजेंसीवार भण्डारण क्षमता और उनमें भण्डारित खाद्यान्नों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) सामान्यतया लदान और उतरान रेलवे के परामर्श से अंतिम रूप से तैयार की गई मासिक संचलन योजना के अनुसार ही किये जा रहे हैं। ऐसे अवसर हो सकते हैं जब भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रण से बाहरी कारणों से कुछ विलम्ब हो सकता है।

(ग) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में बर्बाद हुए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकड़े टन में)

वर्ष	चावल	चावल के हिसाब से धान
1994-95	16778	160
1995-96	22593	214
*1996-97	21293	288

*अनंतिम आंकड़े

(घ) इन गोदामों में इस्तेमाल की जा रही क्षमता 80 प्रतिशत से अधिक होने से पता चलता है कि खाद्यान्नों की आमद पर्याप्त है।

(ङ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का रख-रखाव नियमित आधार पर किया जा रहा है। जब कभी मरम्मत अपेक्षित होती है तब इस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) में दी गई स्थिति की दृष्टि में लागू नहीं होता।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के रख-रखाव और विकास पर खर्च की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

राज्य-वार और एजेंसी-वार भंडारण क्षमता तथा भंडारित खाद्यान्न की मात्रा बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

निम्न तारीख को स्थिति के अनुसार	अपनी	ढकी किराये की	जोड़	अपनी	कैप (खुली) किराये की	जोड़	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
I. 31.5.1998 की स्थिति के अनुसार							
1. क्षमता	12475.96	7607.63	20083.59	1624.56	2490.73	4115.29	24198
2. स्टाक	9918.14	6904.67	16822.81	723.72	2259.32	2983.04	19805
3. उपयोगिता	79%	91%	84%	45%	91%	72%	82%
II. 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार							
1. क्षमता	12439.23	6991.83	19431.06	1591.87	1791.87	3390.85	22821
2. स्टाक	9015.84	6080.15	15095.99	433.84	1348.25	1782.09	16878
3. उपयोगिता	72%	87%	78%	22%	75%	53%	74%
III. 31.5.1998 की स्थिति के अनुसार							
1. क्षमता	12422.67	6935.09	19357.76	1514.94	1440.35	2955.29	22313.00
2. स्टाक	7452.48	5186.30	12638.78	326.18	741.70	1067.88	13706.60
3. उपयोगिता	60%	75%	65%	22%	51%	36%	61%

दिनांक 31.05.1998 की स्थिति के अनुसार भण्डारण क्षमता (निजी एवं किराये पर ली गई/ढकी हुई एवं खुले में), स्टॉक एवं उसकी उपयोगिता प्रतिशत का विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित संघ का नाम		ढकी हुई						योग किराये (4 से 8)	योग ढकी हुई (3 से 9)	केप खुले में			
			निजी	रा.सर.	सीडब्ल्यू सी.	एसडब्ल्यू सी.	एआरडीसी	सामान्य			निजी	किराये पर	योग	महायोग (10+13)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. एन.ई.एफ. अंचल														
1.	असम	क्षमता	187.16	3.70	–	11.19	–	73.30	88.19	275.35	–	–	–	275.35
		स्टाक	82.48	3.06		10.57		42.40	55.83	138.31				138.31
		उपयोगिता	44%	83%		94%		58%	63%	50%				50%
2.	अरुणाचल प्रदेश	क्षमता	17.50	–	–	–	–	–	–	17.50	–	–	–	17.50
		स्टाक	3.04							3.04				3.0
		उपयोगिता	17%							17%				17%
असम क्षेत्र का योग		क्षमता	204.66	3.70	–	11.19	–	73.30	88.19	292.85	–	–	–	292.85
		स्टाक	85.52	3.06		10.57		42.20	55.83	141.35				141.35
		उपयोगिता	42%	83%		94%		58%	63%	48%				48%
3. एन.ई.एफ. क्षेत्र														
(क)	मेघालय	क्षमता	10.00	6.80	–	–	–	–	6.80	16.80	–	–	–	16.80
		स्टॉक	3.68	1.25					1.25	4.93				4.93
		उपयोगिता	37%	18%					18%	29%				29%
(ख)	मणिपुर	क्षमता	12.50	1.00	–	–	–	–	1.00	13.50	–	–	–	13.50
		स्टाक	1.35	0.38					0.38	1.73				1.73
		उपयोगिता	11%	38%					38%	13%				13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ग)	मिजोरम	क्षमता	17.59	1.00	–	–	–	3.79	4.79	22.38	–	–	–	22.38
		स्टाक	2.50	0.05				0.64	0.69	3.19				3.19
		उपयोगिता	14%	05%				17%	14%	14%				14%
(घ)	मेघालय	क्षमता	7.72	–	10.13	–	–	3.20	13.33	21.05	–	–	–	21.05
		स्टाक	0.74		6.96			1.55	8.51	9.25				9.25
		उपयोगिता	10%		59%			48%	64%	44%				44%
(ङ)	त्रिपुरा	क्षमता	17.47	4.80	10.92	–	–	1.67	17.39	34.86	–	–	–	34.86
		स्टाक	4.18	3.85	7.12	–	–	0.57	11.54	15.72				15.72
		उपोयगिता	24%	80%	65%			34%	66%	45%				45%
एन.ई.एफ. क्षेत्र		क्षमता	65.28	13.60	21.05	–	–	8.66	43.31	108.59	–	–	–	108.59
का योग		स्टाक	12.45	5.53	14.08			2.76	22.37	34.82				34.82
		उपयोगिता	19%	41%	67%			32%	52%	32%				32%
एन.ई.एफ. अंचल का योग		**क्षमता**	**269.94**	**17.30**	**21.05**	**11.19**	**–**	**81.96**	**131.50**	**401.44**	**–**	**–**	**–**	**401.44**
		स्टाक	**97.97**	**8.59**	**14.08**	**10.57**		**44.96**	**78.20**	**176.17**				**176.17**
		उपयोगिता	**36%**	**50%**	**67%**	**94%**		**55%**	**59%**	**44%**				**44%**
II. पूर्व आंचल														
4.	बिहार	क्षमता	411.08	8.44	27.92	20.50	–	84.68	141.54	552.62	–	–	–	552.62
		स्टाक	265.93	5.72	26.39	22.99		83.86	138.96	404.89				404.89
		उपयोगिता	65%	68%	95%	112%		99%	98%	73%				73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	उड़ीसा	क्षमता	253.83	2.90	58.95	115.80	–	15.00	192.65	446.48	–	–	–	446.48
		स्टाक	246.39	0.74	46.95	115.39		17.64	180.72	427.11				427.11
		उपयोगिता	967%	26%	80%	100%		118%	94%	96%				96%
पश्चिम बंगाल														
6.	पश्चिम बंगाल	क्षमता	291.34	102.75	12.60	3.70	57.17	12.20	188.42	479.76	–	–	–	479.76
		स्टाक	279.16	66.09	6.45	2.12	19.47	9.89	104.02	383.18				383.18
		उपोयगिता	96%	64%	51%	57%	34%	81%	55%	80%				80%
7.	जे.एम. (पोओ) कलकत्ता	क्षमता	559.77	67.00	–	–	40.00	–	107.00	666.77	–	–	–	666.77
		स्टाक	309.49	26.50			29.77	56.27	365.76					365.76
		उपयोगिता	55%	40%			74%		53%	55%				55%
पश्चिम बंगाल का योग		क्षमता	851.11	169.75	12.60	3.70	97.17	12.20	295.42	1146.53	–	–	–	1146.53
		स्टाक	588.65	92.59	6.45	2.12	49.24	9.89	160.29	748.94				748.94
		उपयोगिता	69%	54%	51%	57%	51%	81%	54%	65%				65%
8.	सिक्किम	क्षमता	7.30	2.65	–	–	–	6.61	9.26	16.56	–	–	–	16.56
		स्टाक	5.27	5.06				10.17	15.23	20.50				20.50
		उपयोगिता	72%	191%				154%	164%	124%				124%
पूर्व अंचल का योग		क्षमता	1523.32	183.74	99.47	140.00	97.17	118.49	638.87	2162.19				2162.19
		स्टाक	1106.24	104.11	79.79	140.50	49.24	121.56	495.20	1601.44				1601.44
		उपयोगिता	73%	57%	80%	100%	51%	103%	77%	74%				74%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. उत्तर आंचल														
9.	दिल्ली	क्षमता	354.01	–	5.00	–	–	–	5.00	359.01	8.50	–	8.50	367.51
		स्टाक	254.13		4.17				4.17	258.30	4.67	–	4.67	262.97
		उपयोगिता	72%		83%				83%	72%	55%		55%	72%
10.	हरियाणा	क्षमता	770.90	6.38	69.84	109.80	260.00	–	446.02	1216.92	303.63	22.00	325.63	542.55
		स्टाक	706.84	7.37	69.84	110.77	270.31		458.29	1165.13	98.36	17.57	115.93	1281.06
		उपयोगिता	92%	115%	100%	100%	100%		103%	96%	32%	80%	36%	83%
11.	हिमाचल प्रदेश	क्षमता	10.84	9.38	5.37	–	–	0.87	15.62	24.46	–	–	–	26.46
		स्टाक	8.05	17.15	4.00			3.31	24.46	32.51				32.51
		उपयोगिता	74%	182%	74%			380%	157%	123%				123%
12.	जम्मू और कश्मीर	क्षमता	77.34	23.60	–	–	–	–	23.60	100.94	10.00	–	10.00	110.94
		स्टाक	50.11	17.06					17.06	67.17	–	–	–	67.17
		उपयोगिता	65%	72%					72%	67%	–	–	–	61%
पंजाब क्षेत्र														
13.	पंजाब	क्षमता	2103.54	327.32	322.58	743.40	1295.46	60.37	2749.13	4852.67	452.51	1905.26	2357.77	7210.44
		स्टाक	1972.68	312.88	308.67	715.82	1228.26	60.79	2626.42	4599.10	355.72	1740.69	2096.41	6695.51
		उपयोगिता	94%	95%	96%	96%	95%	100%	96%	95%	79%	91%	89%	93%
14.	चण्डीगढ़	क्षमता	39.94	0.50	17.33	4.20	–	–	22.03	61.97	2.90	11.38	14.28	76.25
		स्टाक	37.20	–	18.21	4.20			22.41	59.61	–	4.33	4.33	63.94
		उपयोगिता	93%	–	100%	100%			102%	96%	–	38%	30%	84%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	पंजाब क्षेत्र का योग	क्षमता	2143.48	327.82	339.91	747.60	1295.46	60.37	2771.16	4914.64	455.41	1916.64	2372.05	7286.69
		स्टाक	2009.88	312.88	326.88	720.02	1228.26	60.79	2648.83	4658.71	355.72	1745.02	2100.74	6759.45
		उपयोगिता	94%	95%	96%	96%	95%	100%	96%	95%	77%	91%	89%	93%
15.	राजस्थान	क्षमता	707.03	–	18.24	68.90	148.35	1.00	236.49	943.52	154.05	177.08	331.13	1274.65
		स्टाक	643.45	–	18.24	70.60	144.47	0.72	234.03	877.48	64.47	231.23	295.70	1173.18
		उपयोगिता	91%		100%	100%	97%	72%	99%	93%	42%	131%	89%	92%
16.	उत्तर प्रदेश	क्षमता	1501.58	133.68	274.72	423.69	83.84	52.46	968.39	2469.97	355.44	250.07	605.51	3075.48
		स्टाक	1130.85	131.63	281.54	425.09	78.24	30.25	946.75	2077.60	45.21	226.28	271.49	2349.09
		उपयोगिता	75%	98%	102%	100%	93%	58%	98%	84%	13%	90%	45%	76%
	उत्तर अंचल का योग	**क्षमता**	**5565.18**	**500.86**	**713.08**	**1349.99**	**1787.65**	**1144.70**	**4466.28**	**10031.46**	**1287.03**	**2365.79**	**3652.82**	**13684.28**
		स्टाक	**4803.31**	**486.09**	**704.67**	**1326.48**	**1721.28**	**95.07**	**4333.59**	**9136.90**	**568.43**	**2220.10**	**2788.53**	**11925.43**
		उपयोगिता	**86%**	**97%**	**99%**	**98%**	**97%**	**83%**	**97%**	**91%**	**44%**	**94%**	**76%**	**87%**
IV.	दक्षिणांचल													
17.	आंध्र प्रदेश	क्षमता	1140.09	–	563.54	358.40	–	63.92	985.86	2125.95	114.58	–	114.58	2240.53
		स्टाक	1058.75		533.64	317.82		56.03	987.49	1966.24	88.85		88.85	2055.09
		उपयोगिता	93%		95%	89%		88%	92%	92%	78%		78%	92%
18.	जेएम (पीओ) हैदराबाद	क्षमता	41.56	–	–	–	–	–	–	41.56	–	–	–	41.56
		स्टाक	21.96							21.96				21.96
		उपयोगिता	53%							53%				53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश का योग	क्षमता	1181.65	–	563.54	358.40	–	63.92	985.86	2167.51	114.58	–	114.58	2282.09
	स्टाक	1080.71		533.64	317.82		56.03	907.49	1988.20	88.85		88.85	2077.05
	उपयोगिता	91%		95%	89%		88%	92%	92%	78%		78%	91%
19. केरल	क्षमता	524.52	–	5.00	0.33	6.35	–	11.68	536.20	–	–	–	536.20
	स्टाक	456.51		4.68	0.33	3.02		8.03	464.54				464.54
	उपयोगिता	87%		94%	100%	48%		69%	87%				87%
20. कर्नाटक	क्षमता	273.87	–	59.00	74.85	–	20.45	154.30	428.17	51.68	–	51.65	479.82
	स्टाक	246.94		44.18	64.81		16.56	125.55	372.49	14.37		14.37	386.86
	उपयोगिता	90%		75%	87%		81%	81%	73%	28%		28%	81%
तमिलनाडु क्षेत्र													
21. तमिलनाडु	क्षमता	547.28	3.60	157.76	54.69	–	–	216.05	763.33	10.00	–	10.00	773.33
	स्टाक	418.53	0.15	126.25	44.89			171.29	589.82	7.73	–	7.73	597.50
	उपयोगिता	76%	04%	80%	82%			79%	77%	77%		77%	77%
22. जे.एम. (पीओ) मद्रास	स्टाक	40.00	–	–	–	–	–	–	40.00	–	–	–	40.00
	स्टाक	19.56							19.56				19.56
	उपयोगिता	49%							49%				49%
23. पांडिचेरी	क्षमता	41.20	–	–	–	–	–	–	41.20	–	–	–	41.20
	स्टाक	29.39							29.39				29.39
	उपयोगिता	71%							71%				71%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
तमिलनाडु क्षेत्र का योग		क्षमता	628.48	3.60	157.76	54.69	–	–	216.05	844.53	10.00	–	10.00	854.53
		स्टाक	467.48	0.15	126.25	44.89			171.29	638.77	7.73		7.73	646.50
		उपयोगिता	74%	04%	80%	82%			79%	76%	77%		77%	76%
दक्षिणांचल का योग		**क्षमता**	**2608.52**	**3.60**	**785.30**	**488.27**	**6.35**	**84.37**	**1367.89**	**3976.41**	**176.23**	**–**	**176.23**	**4152.64**
		स्टाक	**2251.64**	**0.15**	**708.75**	**427.85**	**3.02**	**72.59**	**1212.36**	**3464.00**	**110.95**		**110.95**	**3574.95**
		उपयोगिता	**86%**	**04%**	**90%**	**88%**	**48%**	**86%**	**89%**	**87%**	**63%**		**63%**	**86%**
V. पश्चिम अंचल														
गुजरात क्षेत्र														
24. गुजरात		क्षमता	347.51	12.11	26.46	–	–	209.38	247.95	595.46	19.38	29.94	49.92	645.38
		स्टाक	238.97	6.06	26.46			123.98	156.50	395.47	19.50	22.52	42.02	437.49
		उपयोगिता	69%	90%	00%		–	59%	63%	66%	98%	75%	84%	68%
25. जे.एम.(पीओ) कांडला		क्षमता	143.86	–	3.88	–	–	–	3.88	147.74	62.00	–	62.00	209.74
		स्टाक	91.14		3.88				3.88	95.02	13.59		13.59	108.61
		उपयोगिता	63%		100%				100%	64%	22%		22%	52%
गुजरात का योग		क्षमता	491.37	12.11	30.34	–	–	209.38	251.83	743.20	81.98	29.94	111.92	855.1
		स्टाक	330.11	6.06	30.34			123.98	160.38	490.49	33.09	22.52	55.61	546.1
		उपयोगिता	67%	50%	100%			59%	64%	66%	40%	75%	50%	64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
महाराष्ट्र क्षेत्र													
26. महाराष्ट्र	क्षमता	1177.11	75.89	81.05	31.01	42.50	–	230.45	1407.56	62.33	–	62.33	1469.89
	स्टाक	576.27	18.20	75.41	22.58	32.72		148.91	725.18	–	–	–	725.18
	उपयोगिता	49%	24%	93%	73%	77%		65%	52%	–	–	–	49%
27. गोवा	क्षमता	15.00	–	–	–	–	–	–	15.00	–	–	–	15.00
	स्टाक	10.33							10.33				10.33
	उपयोगिता	69%							69%				69%
महाराष्ट्र का योग	क्षमता	1192.11	75.89	81.05	31.01	42.50	–	230.45	1422.56	62.33	–	62.33	1484.89
	स्टाक	586.60	18.20	75.41	22.58	32.72		148.91	735.51	–	–	–	735.51
	उपयोगिता	49%	24%	93%	73%	77%		65%	52%	–	–	–	50%
28. मध्य प्रदेश	क्षमता	825.52	30.71	161.78	203.04		125.28	520.81	1346.33	16.99	95.00	111.99	1458.32
	स्टॉक	742.27	25.40	151.92	186.85		111.86	476.03	1218.30	11.25	1.70	27.95	1246.25
	उपयोगिता	90%	83%	94%	92%		89%	91%	90%	66%	18%	25%	85%
पश्चिम अंचल का योग	क्षमता	2509.00	118.71	273.17	234.05	42.50	334.66	1003.09	3512.09	161.30	124.94	286.24	2798.86
	स्टाक	1658.98	49.66	257.67	209.43	32.72	235.84	785.32	2444.30	44.34	39.22	83.56	2527.86
	उपयोगिता	66%	42%	94%	89%	77%	70%	78%	70%	27%	31%	29%	67%
समस्त भारत का महायोग	क्षमता	12475.96	824.21	1892.07	2223.50	1933.67	734.18	7607.63	20083.59	1624.56	2490.73	4115.29	24198.88
	स्टाक	9918.14	648.60	1764.96	2114.83	1806.26	570.02	6904.67	16822.81	723.72	2259.32	2983.04	19805.85
	उपयोगिता	79%	79%	93%	95%	93%	78%	91%	84%	45%	91%	72%	82%

टिप्पणी: (1) स्टाक स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयों के आंकड़ों पर आधारित है।
(2) (*) 30.04.1998 की स्थिति के अनुसार।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के रख-रखाव और विकास पर खर्च की गई राशि की राज्यवार स्थिति बताने वाला विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1995-96	1996-97 (अनंतिम)	1997-98 (संशोधित अनुमान)
1	2	3	4
1. जम्मू और कश्मीर	29.32	37.27	38.42
2. पंजाब	119.90	113.19	116.63
3. हरियाणा	68.82	65.77	67.18
4. उत्तर प्रदेश	108.07	152.27	156.97
5. राजस्थान	54.46	65.86	67.89
6. दिल्ली	42.02	40.02	41.25
7. हिमाचल प्रदेश	0.18	0.68	0.70
8. आंध्र प्रदेश	276.51	359.02	370.10
9. तमिलनाडु	81.68	119.29	123.49
10. कर्नाटक	53.11	61.76	63.67
11. केरल	148.53	141.58	145.95

1	2	3	4
12. मध्य प्रदेश	109.38	98.77	101.82
13. महाराष्ट्र	188.13	207.73	214.14
14. गुजरात+कांडला	106.51	113.37	116.87
15. बिहार	85.63	79.08	81.52
16. उड़ीसा	67.21	63.32	65.27
17. पश्चिम बंगाल (एस.आर.एम.)	107.12	103.49	106.68
18. पं. बंगाल (पी.ओ. कलकत्ता)	65.78	149.46	154.07
19. असम	30.41	42.24	43.54
20. एन.ई.एफ. (शिलांग)	7.96	21.31	21.97
21. आंचलिक कार्यालय (एन.ई.)	–	1.81	1.87
जोड़	1750.73	2037.14	2100.00

[अनुवाद]

त्रिपक्षीय समिति

5035. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उद्योग-वार त्रिपक्षीय समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार इन समितियों की बैठकें कब हुई थीं और उन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) उन समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस औद्योगिक समितियों की पिछली बैठक की तारीखों, इन समितियों में लिए गए निर्णयों और इन निर्णयों के कार्यान्वयन के बारे में प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का नाम और पिछली बार आयोजित की गयी बैठक की तारीक	बैठक के मुख्य निर्णय और उन पर की गयी कार्रवाई
1	2
चीनी उद्योग पर औद्योगिक समिति, 15.12.1997	इस पर मतैक्य था कि निकट भविष्य में चीनी उद्योग के लिए दूसरा वेतन बोर्ड गठित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर समिति हुई कि एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार किए जाने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता अपेक्षित है और इसे औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति के वर्तमान ढांचे में नहीं किया जा सकता है। तथापि, खाद्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो, राज्य सरकारों, प्रबंधन और कर्मकार प्रतिनिधियों से विस्तृत सूचना मंगवाए जाने के पश्चात् चीनी उद्योग पर एक पृष्ठभूमि दस्तावेज तैयार किया जा सकता है। मसौदा पृष्ठभूमि दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और उसे अंतिम रूप दिए जाने की कार्रवाई चल रही है।
सूती वस्त्र पर औद्योगिक समिति, 8.11.95	यह निर्णय लिया गया था कि वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी समस्याओं पर कपड़ा मंत्री की मौजूदगी में अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय वस्त्र उद्योग के पुनरुज्जीवन के लिए एक समुचित रणनीति तैयार करने की कार्रवाई कर रहा है। सूती कपड़ा संबंधी औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की अगली बैठक आयोजित किये जाने के बारे में सरकार को अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
पटसन उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति, 18.7.95	यह सिफारिश की गई थी कि जूट उद्योग के लिए उपायों का एक पैकेज तैयार किया जाए जिसमें विविधीकरण, बाध्यकारी आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन, आधुनिकीकरण उत्पादकता स्तरों का निर्धारण, श्रम शक्ति का प्रबंधन आदि शामिल किए जाएं। रुग्ण उद्योगों की दशा में रा.न.नि. की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम और भारतीय जूट निगम ने भी रा.न.नि. के अधीन स्वै. सै.नि. योजना का लाभ प्राप्त किया है। राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम की समस्याओं पर एक मंत्रिमंडलीय नोट तैयार किया गया था और उस पर 27.11.97 को मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया था जिसमें मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि मंत्रिदल पूरे मामले की नए सिरे से जांच करे।
इंजीनियरी उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति, 30.11.94	समिति ने सुझाव दिया कि बी आई एफ आर को संदर्भित रुग्ण कम्पनियों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने में मदद की जाए।

1	2
	इस मामले को बार-बार वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
रसायन उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति, 4.2.94	यह निर्णय लिया गया था कि आई डी पी एल, एफ सी आई और एच एफ सी के लिए एक समुचित पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जाए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय उपर्युक्त इकाइयों के लिए ऐसा एक पैकेज तैयार करने की कार्रवाई कर रहा है।
सड़क परिवहन संबंधी औद्योगिक समिति, 13.3.93	यह सुझाव दिया गया था कि अगली परिवहन नीति समिति के विचारार्थ विषय में मूल्य निर्धारण, कराधान, राज्य सड़क परिवहन निगमों का व्यावसायिक प्रबंधन, सदृश मजदूरी नीति, सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि जैसे मुद्दे शामिल किये जाने चाहिए। सड़क परिवहन उद्योग पर त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, योजना आयोग ने राज्य सरकारों/एस आर टी यू को संचालनात्मक दक्षता, वित्तीय निष्पादन और यात्री ट्राफिक के लिए वेतनवृद्धि की मांग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया।
विद्युत उत्पादन और वितरण संबंधी औद्योगिक समिति, 13.11.92	समिति ने निर्णय लिया कि प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, प्रभावकारी शिकायत निपटान तंत्र, उत्पादकता में सुधार, विद्युत उपभोग में सतर्कता, अनुपयोगी कार्यों की पहचान के संबंध में प्लांट स्तर पर त्रिपक्षीय समितियां गठित की जाएं। सभी संबंधित मंत्रालयों/राज्य विद्युत बोर्डों/व्यवसाय संघों से अनुरोध किया गया है कि वे मामले पर जरूरी कार्रवाई करें। नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने आश्वासन दिया है कि वे निरंतर आपसी सहयोग के माध्यम से उद्योग की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

आठवीं अनुसूची में भाषा का शामिल किया जाना

5036. **श्री विजय सिंह सोयः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को शामिल करने के लिए विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) सरकार का प्रस्ताव भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी एक अथवा अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय गठित करने का है। आठवीं अनुसूची में किसी भाषा के शामिल करने के प्रश्न पर प्रस्तावित निकाय द्वारा तैयार किए गए मानदण्डों के आधार पर विचार किया जाएगा।

कच्चे तेल, मिट्टी के तेल और डीजल की कमी

5037. **श्री अजय कुमार एस. सरनायकः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को कच्चे तेल, मिट्टी के तेल और डीजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल, मिट्टी के तेल और डीजल का आयात करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो खाड़ी के देशों से एल एन जी और एल पी जी के आयात की संभावनाओं और प्रमात्रा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 1998-99 के दौरान क्रूड, एच एस डी तथा मिट्टी तेल की अनुमानित मांग की तुलना में इनका स्वदेशी उत्पादन निम्नवत् है:

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

	मांग	स्वदेशी उत्पादन
क्रूड	67.86	34.79
एच.एस.डी.	40.84	24.73
मिट्टी तेल	10.64	6.74

मागं और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तराल को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

(ख) चालू वर्ष अर्थात् 1998-99 के दौरान आवधिक आधार पर कच्चे तेल, मिट्टी तेल तथा एच एस डी की निम्नवत आपूर्ति करने के संबंध में इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा मैसर्स आबू धाबी नेशनल आयल कंपनी (ए डी एन ओ सी), संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

कच्चा तेल* (अपर जाकूम)	मिट्टी तेल	एच एस डी (0.25 प्रतिशत एस)
4.0	0.3	0.6

*अपर जाकूम/मुरबान क्रूड की। मिलियन मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति के लिए प्रावधान है, बशर्ते कि मैसर्स ए डी एन ओ सी के पास इसकी उपलब्धता हो।

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान खाड़ी देशों से आवधिक आधार पर एल पी जी आपूर्ति की संभावना के बारे में इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा निम्नांकित देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों से निम्नांकित प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं:

कुवैत – 200 हजार मीट्रिक टन

कतर – 150 हजार मीट्रिक टन

संयुक्त अरब अमीरात – 100-200 हजार मीट्रिक टन

जहां तक एल एन जी के आयात का संबंध है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। खाड़ी देशों में से कतर तथा ओमान एल एन जी आपूर्ति की क्षमता रखते हैं। एल एन जी के आयात की संभावना का पता लगाने के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन, इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन की एक संयुक्त उद्यम कंपनी तैयार की गई है।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैन्य बलों में भर्ती

5038. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और जिला पुलिस के लिए कितनी बार भर्ती की गई;

(ख) क्या बेरोजगार और योग्य युवाओं की भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली में ऐसी भर्ती किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) बिहार में केन्द्रीय रिजर्व बल और सीमा सुरक्षा बल द्वारा जितनी बार भर्ती

की गई उनकी संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	सीमा सुरक्षा बल
1995	4	10
1996	4	25
1997	2	14

बिहार राज्य में स्थानीय पुलिस में भर्ती के ब्यौरे केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) कांस्टेबलों की भर्ती के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आवेदन आधारित पद्धति अपनाई जा रही है। बिहार राज्य से भर्ती हेतु विशेष रूप से उल्लिखित ग्रुप सेंटरों में आवेदन पत्र मांगे जाते हैं जहां मुजफ्फरपुर और वैशाली अथवा बिहार के किसी भी अन्य स्थान के उम्मीदवार सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य को आवंटित रिक्तियों को भरने के लिए सीमा सुरक्षा बल, बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में भर्ती रैलियां आयोजित करता है। भर्ती वर्ष 1998 के दौरान, भर्ती के लिए पहचान किए गए स्थान हजारीबाग, बेतिया, मोकमघाट, गया और रांची हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली के उम्मीदवार बिहार के किसी भी भर्ती स्थल में भर्ती होने के पात्र हैं। प्रत्येक भर्ती वर्ष में भर्ती केन्द्र/रैलियों के स्थान भी बारी-बारी से बदलते रहते हैं।

अनधिकृत अतिक्रमण

5039. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मई, 1998 के ''दैनिक जागरण'' में ''पुलिस के असहयोग से अवैध निर्माण बेखौफ जारी'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1998 माह के दौरान दिल्ली नगर निगम ने उन्हें सूचित किया था कि उत्तर-पूर्व जिले में भवन गिराने के छह अभियान चलाये जाने थे। इनमें से, दो मामलों में दिल्ली पुलिस की मदद से अभियान चलाए गए थे, जबकि अन्य दो मामलों में दिल्ली पुलिस, पुलिस कार्मिकों के उपलब्ध न होने के कारण, पुलिस सहायता नहीं दे सकी। शेष दो मामलों में से एक में भवन गिराने के कार्यक्रम को दिल्ली नगर निगम द्वारा स्थगित कर दिया गया था क्योंकि इस कार्य के लिए निर्धारित दिवस को राजपत्रित अवकाश घोषित कर दिया गया था, जबकि अन्य दूसरे मामले में, दिल्ली नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने संबंधित थाने में रिपोर्ट नहीं की जबकि पुलिस बल को तैयार रखा गया था।

भारत-ईरान और भारत-ओमान पाइप लाइन परियोजना

5040. **श्री दत्ता मेघे:**
श्री फ्रांसिस्को सारदीना:
श्री रवि सीताराम नायक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-ईरान और ओमान तथा तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के बीच कतिपय पाइप लाइन परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को लागू करने में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ङ) क्या इसकी वजह से सरकार को एल.एन.जी. आयात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो पाइपलाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में प्रधान शर्तों पर ओमान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। परन्तु, इस परियोजना को कार्यान्वित

नहीं किया गया है क्योंकि तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरे नहीं हुए हैं और ओमान तेल कंपनी को ओमान में पर्याप्त गैस भण्डार सिद्ध करने हैं। जहां तक भारत-ईरान पाइपलाइन का संबंध है, ईरान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे परन्तु व्यवहार्यता साबित नहीं हो पाई है क्योंकि पाइपलाइन मार्ग का सर्वेक्षण पूरा नहीं हो पाया। अत: यह परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई है। गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के संबंध में मध्य एशियाई देशों के साथ कोई विशिष्ट समझौता नहीं है।

(ङ) प्राकृतिक गैस की मांग पूरी करने के एक उपाय के रूप में सरकार ने एल एन जी का भारत में आयात करने की संभावना का पता लगाने के लिए गेल, ओ एन जी सी, ओ आई एल और बी पी सी एल को शामिल करके संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का अनुमोदन कर दिया है।

(च) पाइपलाइन परिवहन की री-गैसीफिकेशन के बाद ही जरूरत पड़ती है। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय पाइपलाइनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा मानक निर्धारित करता है और उनकी जांच-पड़ताल करता है।

कश्मीर के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक

5041. **श्री विजय गोयल:**
श्री के.एस. राव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कश्मीर के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा चर्चा हेतु लिए गए विषयों का ब्यौरा क्या है और उस बैठक में क्या निर्णय किए गए;

(ग) ये निर्णय पिछली सरकारों द्वारा अपनाई गई रीति से किस हद तक भिन्न है;

(घ) क्या बैठक में राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा की गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 24.6.98 को श्रीनगर में जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ राज्य विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। बैठक में केन्द्रीय रक्षा, पर्यटन, रेलवे और ऊर्जा मंत्रियों तथा राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों ने भाग लिया। इसके अलावा, सेना के कमाण्डरों समेत केन्द्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

विकास कार्यक्रमों को तेज करने के लिए बैठक में पहले से चल रही योजनाओं की पुनरीक्षा की गई क्योंकि राज्य में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए इसे रणनीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में देखा जाता है। जबकि चर्चा में मुख्य जोर विकास के पहलुओं पर था, फिर भी सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

इस बैठक के दौरान, यह घोषणा की गई थी कि जम्मू व कश्मीर पुलिस को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही दो इंडिया रिजर्व बटालियनें बनाई जाएंगी तथा एक और बटालियन 1999-2000 में बनाई जाएगी। इसके अलावा, राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। 114 सीमा पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी, जिन पर जम्मू व कश्मीर की पुलिस तैनात होंगी। विशेष पुलिस के 3500 अतिरिक्त अधिकारी भी नियुक्त किये जायेंगे।

पावर सैक्टर से संबंधित मुद्दे, राज्य की रेलवे परियोजनाओं में हुई प्रगति तथा योजना परिव्यय को अंतिम रूप देने की आवश्यकता तथा राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता

5042. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और अप्रैल, 1998 तक देश में प्रति व्यक्ति, प्रति दिन, प्रति माह खाद्यान्नों की उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) पिछले तीन वर्षों और 1998 में अप्रैल तक के दौरान किलोग्राम/वर्ष और ग्राम/दिन के रूप में गणना किए गए खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार है:

खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता

वर्ष	किलोग्राम/वर्ष	ग्राम/दिन
1995	185.3	507.7
1996	177.3	485.8
1997	186.9	512.1
1998 (अप्रैल तक)	178.4	488.8

(ख) और (ग) 1997-98 मौसम के दौरान उत्पादन में कमी होने के कारण 1998 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता में 1997 की तुलना में गिरावट आई है। खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ''चावल, गेहूं और मोटे अनाज पर आधारित फसल प्रणाली'' क्षेत्रों में समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना आदि फसल विशिष्ट योजनाएं लागू कर रही हैं जिससे अन्ततः उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए शिक्षा

5043. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कितनी बालिकाओं को शिक्षित किया गया है; और

(ख) ये कक्षाएं कहां-कहां आयोजित की जा रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) अत्यंत निम्न साक्षरता वाले स्तरों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में केवल कक्षा एक के लिए निःशुल्क आवासीय स्कूलों की अलग-अलग जिला परिषदों के माध्यम से स्थापना की परिकल्पना की गई है। ऐसे प्रत्येक स्कूल में कक्षा एक में 25 लड़कियां होगी जिनमें से कम से कम 90% अनुसूचित जाति की लड़कियों में से होनी चाहिए तथा शेष अनुसूचित जनजाति में से हो सकती हैं।

(ख) इस योजना में केवल ऐसे जिले शामिल हैं जिनमें 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं में साक्षरता दर 2% से कम है। वर्ष 1997-98 तक निम्नलिखित स्थानों में ऐसे 16 स्कूल शुरू किए गए:

क्र.सं.	स्थान का नाम
1.	मुहूपुरा शाजापुर, मध्य प्रदेश
2.	छत्तरपुर सिटी, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश
3.	जीरापुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश
4.	विल्ल सिरसी, तहसील गुना, गुना मध्य प्रदेश
5.	विलेज रेकरा, तहसील दवाई, पन्न, मध्य प्रदेश
6.	कुशमी ब्लाक, सिद्धी, मध्य प्रदेश
7.	विल्लेज ससूधा, ब्लाक नागोद, सतना, मध्य प्रदेश
8.	रेवा, मध्य प्रदेश
9.	तहसील रघोगढ़, गुना, मध्य प्रदेश
10.	तहसील मुंगावली गुना, मध्य प्रदेश
11.	तहसील अशोर नगर, गुना, मध्य प्रदेश
12.	विल्लेज पुरकालन, तहसील तलभेत, ललितपुर, उत्तर प्रदेश
13.	चौ. चरण सिंह केट, सिकार, राजस्थान
14.	मेनपुरा, तहसील गंगापुर, सवाय माधोपुर, राजस्थान
15.	तहसील एवं गांव देवजी, टोनक, राजस्थान
16.	विल्लेज अरियान, करनपुर, गंगानगर, राजस्थान

पोटाश का आयात

5044. श्री संदीपान थोरातः क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पोटाश के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के परिणामस्वरूप देश में विशेषत: महाराष्ट्र में मिश्रित रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पोटाश मिश्रित रासायनिक उर्वरकों की कमी के संबंध में वास्तविक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) चालू खरीफ फसल मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषत: महाराष्ट्र में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है और इनकी मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) म्यूरियेट आफ पोटाश को अगस्त, 1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और इसके आयातों को जून, 1993 से असरणीबद्ध कर दिया गया है। तब से सरकारी खाते में एमओपी का आयात नहीं किया गया है। इसका आयात स्वतंत्र रूप से निजी व्यवसाय खाते में कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के ढांचे के अंतर्गत किया जाता है। खरीफ, 98 के दौरान पोटाश के कम आयातों के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी कमी हो गई। फलस्वरूप, इसने पोटाश मिश्रित रसायन उर्वरकों की उपलब्धता को प्रभावित किया है और महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों ने इन उर्वरकों की कम उपलब्धता की रिपोर्ट की है। चूंकि पोटाश मिश्रित रसायन उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में आंकड़े न तो भारत सरकार द्वारा रखे जाते हैं और न ही राज्य सरकारों द्वारा, इसलिए इन उर्वरकों की राज्यवार उपलब्धता अथवा कमी बताना सम्भव नहीं है। तथापि, पोटाश की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार के कृषि तथा सहकारिता विभाग ने सरकारी खाते में 2.75 लाख मी. टन एमओपी का आयात करने के लिए इंडियन पोटाश लि. को अधिकृत किया है।

(घ) चालू खरीफ मौसम के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में 30.6.98 तक प्रमुख रसायन उर्वरकों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। एकमात्र नियंत्रित उर्वरक "यूरिया" हेतु खरीफ 98 के लिए महाराष्ट्र वास्ते आकलित मांग 11.25 लाख मी. टन है। इसे पूर्णत: पूरा किया जायेगा। नियंत्रणमुक्त डीएपी और एमओपी उर्वरकों की उपलब्धता को आपूर्ति तथा मांग की बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

विवरण

30.6.98 तक मुख्य रासायनिक उर्वरकों की राज्यवार उपलब्धता

(लाख मी. टन)

क्र.सं.	राज्य	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6.18	1.34	0.15
2.	कर्नाटक	2.43	1.60	0.33
3.	केरल	–	–	0.12

1	2	3	4	5
4.	तमिलनाडू	2.34	0.67	0.24
5.	गुजरात	2.39	1.76	0.21
6.	मध्य प्रदेश	4.98	1.88	0.11
7.	महाराष्ट्र	6.43	1.66	0.26
8.	राजस्थान	3.24	0.90	0.01
9.	हरियाणा	3.84	0.90	
10.	पंजाब	7.01	1.54	0.02
11.	उत्तर प्रदेश	16.79	1.63	0.02
12.	बिहार	4.93	0.65	
13.	उड़ीसा	2.08	0.25	0.09
14.	पं. बंगाल	3.20	0.51	0.06
15.	आसाम एण्ड उत्तर-पूर्वी राज्य	0.50	0.06	0.02
16.	अन्य	1.02	0.18	0.01
	योग	67.36	15.53	1.65

प्रतिबंधित औषधियों का इस्तेमाल

5045. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्व के अन्य भागों में प्रतिबंधित ऐसी कतिपय औषधियों का देश में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन औषधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने हेतु नियामक निकाय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) और (ख) देश के अन्य भागों में प्रतिबंधित औषधों के देश में प्रयोग के बारे में कोई रिपोर्टें/शिकायतें नहीं हैं।

अन्य देशों में औषधों को वापस उठाने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहित विशेषज्ञों की राय आमतौर पर प्राप्त की जाती है। इसके बाद औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की अंतिम सिफारिश के आधार पर औषधों के आयात, विनिर्माण और वितरण पर केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। अब तक सरकार द्वारा 57 औषधों/औषध सम्मिश्रणों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ग) प्रतिबंधित औषधों के विषय में सूचना राज्य औषध प्राधिकारियों को विस्तृत रूप से जारी की जाती है। राज्य सरकारों के औषध नियंत्रण संगठन औषधों की बिक्री/वितरण की मानिटरिंग के लिए विनियामक निकाय हैं। किसी भी प्रतिबंधित औषध के संभावित प्रचलन पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें समय समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं।

[हिन्दी]

सतना जिले में सीमेन्ट फैक्ट्रियां

5046. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सतना जिले में स्थित सीमेन्ट फैक्ट्रियों और उनमें कार्यरत श्रमिकों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) नियमित और संविदागत आधार पर कार्यरत श्रमिकों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) नियमित और संविदागत आधार पर श्रमिकों को दी जा रही अलग-अलग मजदूरी क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले में छह सीमेन्ट फैक्ट्रियां हैं। इकाई-वार रोजगार आंकड़े निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	सीमेन्ट फैक्ट्री का नाम	वर्ष 1997 के दौरान नियोजित किए गए मजदूरों की प्रतिदिन औसत संख्या	
		नियमित आधार पर	ठेकागत आधार पर
1.	सतना सीमेन्ट वर्क्स	1093	140
2.	बिड़ला विकास सीमेन्ट	651	35
3.	प्रिज्म सीमेन्ट	253	1268
4.	मैहर सीमेन्ट यूनिट-1	336	437
5.	मैहर सीमेन्ट यूनिट-2	120	403
6.	चित्रकूट ामेन्ट प्रा.लि.	88	शून्य

(ग) लोडिंग और अनलोडिंग के कार्य में नियोजित सीधी भर्ती के श्रमिकों और ठेकागत श्रमिकों को सीमेन्ट वेतन बोर्ड एवार्ड के तहत नियत मजदूरी अदा की जाती है जिसे उद्योग स्तरीय त्रिपक्षीय समझौते द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है, और अन्य ठेकागत श्रमिकों को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन की अदायगी की जाती है। चूंकि चित्रकूट सीमेन्ट प्रा. लि. सीमेन्ट वेतन बोर्ड एवार्ड के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अत: उसके श्रमिकों को 1650/- रु. से 2,500/- प्रतिमाह मजदूरी अदा की जाती है।

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों में युवकों की भर्ती

5047. **श्री भीम दाहाल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से अर्द्धसैनिक बलों में युवकों की भर्ती के लिए विशेष अभियान शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अर्द्धसैनिक बलों में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से युवकों की भर्ती करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चलाए गए अभियानों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों से अर्द्ध सैनिक बलों में युवकों की भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। सिक्किम में ऐसे किसी विशेष अभियान को चलाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष भर्ती अभियान के लिए कांस्टेबलों की कुल 1967 रिक्तियां रिलीज की गई थीं। ये रिक्तियां आगे प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य के लिए उनके परस्पर जनसंख्या अनुपात के आधार पर आवंटित की गई थीं। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भर्ती अभियानों में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम से भर्ती किए गए कांस्टेबलों की संख्या निम्नानुसार है:

	पूर्वोत्तर राज्य	सिक्किम	कुल
1995	1323	06	1329
1996	835	59	894
1997	477	51	528

[हिन्दी]

महिला एवं बाल श्रमिकों का शोषण

5048. **श्री पुन्नुलाल मोहले:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने श्रम कानून लागू हैं;

(ख) क्या ये श्रम कानून बाल और महिला श्रमिकों को उनके शोषण से मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली के अध्यापकों द्वारा बाल श्रमिकों के बारे में कोई अनुसंधान कार्य करवाया था;

(घ) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य बातों पर जोर दिया गया था;

(ङ) क्या पूर्व सरकार ने अनुसंधान कार्य में की गई सिफारिशों को व्यावहारिक नहीं पाया था; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित किए गए और देश में प्रवर्तित किए जा रहे विभिन्न श्रम कानूनों वाली एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

बाल श्रमिकों और महिला श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने से संबंधित मुख्य-मुख्य श्रम कानून निम्नलिखित हैं:

* श्रम गिरवीकरण अधिनियम, 1933
* कारखाना अधिनियम, 1948
* बागान श्रम अधिनियम, 1951
* खान अधिनियम, 1952
* जहाजरानी अधिनियम, 1958
* प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
* मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961
* बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

* समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

* बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986।

बाल श्रमिकों और महिला श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपर्युक्त कानूनों को कार्यान्वित किया जाता है। संबंधित सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वयन की गति और प्रगति का प्रबोधन और समीक्षा की जा रही है।

(ग) से (च) सरकार को दिल्ली के अध्यापकों के माध्यम से करवाए गए बाल श्रम संबंधी किसी अनुसंधान कार्य की जानकारी नहीं है।

विवरण

कारखानें

1. भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
2. कपास ओटाई और दवाई कारखाना अधिनियम, 1925
3. कारखाना अधिनियम, 1948

खानें

4. खान अधिनियम, 1952
5. खान अधिनियम (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974
6. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957
7. कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
8. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
9. कोयला खान राष्ट्रीयकरण कानून (संशोधन) अधिनियम, 1986

बागान

10. चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970
11. बागान श्रम अधिनियम, 1951

परिवहन

12. भारतीय रेल अधिनियम, 1890
13. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948
14. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958
15. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

16. साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942

मजदूरी और बोनस

17. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
18. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
19. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
20. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1936

सुरक्षा और कल्याण

21. भारतीय डॉक श्रमिक अधिनियम, 1934
22. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946
23. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947
24. कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, 1952
25. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961
26. चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972
27. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
28. लौह अयस्क खान और मेगनीज़ अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976
29. लौह अयस्क खान और मेगनीज़ अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

30. सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

31. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986

32. खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983

33. सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981

सामाजिक सुरक्षा

34. घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855

35. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

36. नियोजक दायित्व अधिनियम, 1938

37. युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1943

38. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

39. कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेन्शन और बोनस योजनाएं अधिनियम, 1948

40. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

41. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

42. वैयक्तिक क्षति आपात उपबंध अधिनियम, 1962

43. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966

44. वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963

45. उपदान संदाय अधिनियम, 1972

औद्योगिक संबंध

46. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

47. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946

48. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

49. औद्योगिक विवाद (बैंककारी कं.) विनिश्चय अधिनियम, 1955

50. औद्योगिक विवाद (बैंककारी तथा बीमा कंपनियां) अधिनियम, 1949

51. औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1950

52. औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1956

53. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

54. श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम, 1958

55. व्यवसाय संघ (मान्यता) अधिनियम, 1977

56. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984

57. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985

बच्चों का संरक्षण

58. बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

59. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

विविध

60. कपास उद्योग (सांख्यिकी) अधिनियम, 1926

61. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

62. सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 1953

63. शिक्षु अधिनियम, 1961

64. बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

65. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

66. केन्द्रीय श्रम विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1970

67. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

68. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976

69. नारियल अधिनियम, 1977

70. घरेलू कर्मकार (सेवा शर्त) अधिनियम, 1977

71. आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981

72. सिने कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981

73. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979

74. निरसन और संशोधन अधिनियम, 1988

75. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण) अधिनियम, 1988

76. श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरण भरने और रजिस्टरों के रखरखाव से छूट) अधिनियम, 1988

77. जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981

78. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, हितों की रक्षा और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995

[अनुवाद]

यूनानी पद्धति में अनुसंधान अधिकारी

5049. **श्री रामेश्वर पाटीदार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान अधिकारी (यूनानी) के स्थायी/नियमित पद पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अनिवार्य होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह पद राजपत्रित पद है;

(घ) यदि हां, तो इस पद को कब से उन्नयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ङ) चौथे वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप एलोपैथिक चिकित्सकों की समतुल्यता के लिए दिनांक 17.2.1989 के आदेश संख्या ए. 60011/3/87 भा.चि.प. के द्वारा 1.1.1986 से अनुसंधान अधिकारी (यूनानी)/चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद का समूह ''क'' राजपत्रित पद के रूप में दर्जा बढ़ाया गया था। इस पद के लिए भर्ती की पद्धति संघ लोक सेवा आयोग के जरिए 100% सीधी भर्ती द्वारा है।

वक्फ बोर्ड

5050. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ''कौमी आवाज'' समाचार पत्र यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत सोमब्रज मस्जिद की 11 बीघे 20 बीसवा भूमि को किसी व्यक्ति को बेच दिया गया है/पट्टे पर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास यह तथ्य भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के छत्तरपुर के निकट गड़ियापुर गांव में 25 बीघे जमीन तथा पंचशील पार्क, दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड की 8 बीघे भूमि की भी बिक्री कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार महरौली, नई दिल्ली में कांति मस्जिद तथा कब्रिस्तान, जिसका खसरा सं. 1151/3 (1665) है, जिसे सोहन बुर्ज (न कि सोम ब्रुज) के नाम से भी जाना जाता है, को भारत के राजपत्र के 17 मई, 1997 के अंक के भाग-3 खंड-4 में दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा सुन्नी वक्फ के रूप में अधिसूचित किया गया जिसमें इसका क्षेत्र लगभग 11 बीघा दिया गया। इस सम्पत्ति के मुतवली को डी डब्ल्यू डी अर्थात् दिल्ली वक्फ बोर्ड के रूप में बताया गया है। क्रम सं. 16 पर टिप्पणियों के कालम, यह उल्लेख किया

गया है कि "इस सम्पत्ति की देखभाल जनाब मोबिन लतीफ पुत्र डा. अब्दुल लतीफ, निवासी 86-जोर बाग, नई दिल्ली" द्वारा की जा रही है।

(ग) से (ङ) दिल्ली में छतरपुर में गांव गदईपुर में तथा पंचशील पार्क में वक्फ भूमि के संबंध में तथ्य उपलब्ध नहीं है तथा इन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मांगा गया है इनके प्राप्त होते ही इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति

5051. **श्री जोगेन्द्र कवाड़े:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति लागू न करने के संबंध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस कनेक्शन

5052. **डा. रवि मल्लू:**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री एच.जी. रामुलू:
श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री वी.एम. सुधीरन:
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:
श्री रंजीब बिस्वाल:
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:
श्री संदीपान थोरात:
श्री सी. कुप्पुसामी:
श्री सुरेश चंदेल:
श्री नरेन्द्र बुडानिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कंपनी-वार प्रत्येक राज्य में विभिन्न कंपनियों द्वारा कितने रसोई गैस और डबल बाटलिंग कनेक्शन दिए गए;

(ख) राज्यवार अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक ऐसे कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने नये रसोई गैस और डबल बाटलिंग कनेक्शन जारी किए जाने का प्रस्ताव है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता आधार पर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत नए कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों द्वारा जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों/दोहरे सिलेंडरों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	जारी किए गए नए कनेक्शन (लाख)	जारी किए गए दोहरे सिलेंडर (लाख)
1995-96	20.6	18.20
1996-97	23.4	22.41
1997-98	41.4	30.06

(ख) एल पी जी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्या दिनांक 01 अप्रैल, 1998 को लगभग 127.56 लाख थी। ग्रामीण अथवा शहरी आधार पर प्रतीक्षा सूची का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) एल पी जी कनेक्शन राज्यवार आधार पर जारी नहीं किए जाते हैं। नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता,

एल पी जी वितरकों के पास उपलब्ध बकाया और इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए पूरे देश में प्रतीक्षा सूची के प्रति एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। चूंकि एल पी जी से संबंधित मांग एल पी जी उपलब्धता तथा इसके संभव आयातों से अधिक हो जाती है इसलिए वर्ष दर वर्ष आधार पर सरकार द्वारा नई एल पी जी नामांकन योजनाएं अनुमोदित की जाती है। वर्ष 1998-99 के लिए नई एल पी जी नामांकन/दोहरे सिलेंडर योजना को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 9वीं योजना अवधि के दौरान शहरी बाजारों में नए एल पी जी और दोहरे सिलेंडरों प्रत्येक के 165 लाख कनेक्शन तथा ग्रामीण बाजारों में नए एल पी जी और दोहरे सिलेन्डरों प्रत्येक के 50 लाख कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) पारंपरिक ईंधनों की बढ़ती अनुपलब्धता एवं एल पी जी की उपयोग में सुविधा के कारण रसोई ईंधन के रूप में बढ़ती लोकप्रियता के साथ तथा वनों के आगे और विनाश को रोकने के लिए सरकार ने एल पी जी का विपणन देहाती क्षेत्रों में भी आरंभ करने के विषय में निर्णय लिया है।

तेल उद्योग की 9वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में 50 लाख नए एल पी जी ग्राहकों का नामांकन करने की योजना है।

राष्ट्रीय महिला कोष को सहायता

5053. श्री ए. सिदराजू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला कोष से कर्नाटक में कितने गैर-सरकारी और सामाजिक कल्याण संगठनों को सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) चामराजनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान कर्नाटक राज्य में आर.एम.के. द्वारा स्वीकृत ऋणों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/जिला	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	ऋण लेने वालों की स. अनुमानित	क्रेडिट सीमा			निर्मुक्त धनराशि		
				एसटी	एमटी	कुल	एसटी	एमटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		आर.एम.के. मुख्य योजना							
कर्नाटक									
1.	क. चित्रदुर्ग	ग्रामीण अभिमरूधि मैथ्यू अध्ययन केन्द्र ट्रस्ट, वानी नीलया III क्रास, वी.पी. एक्सटेंशन चित्रदुर्ग	600	15.000	5.000	20.000	10.000	0.000	10.000
2.		श्री शक्ति महिला मंडली, शक्ति पहाड़ी के पीछे गुण्टूर कालोनी, मरिहर, गुटटूर चित्रदुर्ग	250	8.000	2.000	10.000	4.000	1.000	5.000
3.		श्री मैत्री महिला मंडली दोड्डाबाथी पो.आ. दावनगिरी ताल्लुक चित्रदुर्ग	250	8.000	2.000	10.000	4.000	1.000	5.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	(ख) मैसूर	व्यक्ति विकास संगठन ''प्रगति'' बन्निमनताप ''बी'' लेआउट मैसूर	420	12.000	3.000	15.000	0.000	0.000	0.000
5.		प्रगति मैसूर, 570, ई-ब्लाक, 16वां मुख्य जे.पी. नगर, मैसूर	0	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000
6.		सुमन, पी.वी. नं. 5, सिद्धार्थनगर मैसूर	300	10.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000
	कुल		1820	53.000	12.000	65.000	21.000	2.000	23.000

रिवाल्विंग निधि योजना

कर्नाटक

1.		व्यक्ति विकास संगठन मैसूर	2000	20.000	0.000	20.000	0.000	0.000	0.00
	कुल		2000	20.000	0.000	20.000	0.000	0.000	0.00

ऋण प्रोत्साहन योजना

कर्नाटक

(क)	बंगलौर	श्री साथा श्रृंग विद्या समस्ते कामाक्षिपाल्या मगाडी मेन रोड, चेक पोस्ट के निकट, बैंगलूर	80	2.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000
(ख)	कोलार जिला	कम्यूनिटी एक्शन फार सोशल एजुकेशन सोसायटी, तीसरा क्रास संत टेरेसा हाई स्कूल के सामने राबर्टसनपेट, के.जी.एफ. कोलार जिला	80	2.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000
	कुल		160	4.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000

*एसएचजी विकास योजना

कर्नाटक

1.	क. चित्रदुर्ग	श्री मैत्री महिला मंडली दोडडाबाथि पी.ओ. देवंगिरी ताल्लुक चित्रदुर्ग	0	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
2.		श्री शक्ति महिला मंडली, शक्ति पहाड़ी के पीछे गुट्टूर कालोनी, हरिहर गुट्टुर चित्रदुर्ग	0	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
	कुल		0	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	2.000

*25 एस.एच.सी. बनाने के लिए प्रति गैर-सरकारी संगठन को 1.00 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

जहर खाने के कारण मौतें

5054. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के पास जहर खाने के कारण हुई मौतों की जांच करने हेतु कोई प्रयोगशाला है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस को प्रयोगशाला उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस की इस समय अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। तथापि, ऐसे मामले जिनमें यह अंदेशा होता है कि मृत्यु जहर खाने से हुई है। दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए चंडीगढ़, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों की डीलरशिप आबंटन में महिलाओं के लिए आरक्षण

5055. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोल पम्प और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की डीलरशिप के आबंटन में महिलाओं को आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) विद्यमान नीति के मुताबिक 01 अप्रैल, 1997 से विविध पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नांकित आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है:

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.)	25 प्रतिशत
(2) शारीरिक रूप से विकलांग लोग (शा.वि.)	5 प्रतिशत
(3) रक्षाकर्मी (र.क.)	8 प्रतिशत
(4) अर्द्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी (अ.सै.पु.क.)	8 प्रतिशत
(5) स्वतंत्रता सेनानी (स्व.से.)	2 प्रतिशत
(6) असाधारण खिलाड़ी (अ.खि.)	2 प्रतिशत
(7) सामान्य श्रेणी (अ.)	50 प्रतिशत

उपरिउल्लिखित सभी श्रेणियों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की 33 प्रतिशत उस श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और यह 1996-98 से अनुमोदित विपणन योजना से प्रभारी है। अन्य बातों के समान रहते, विधवाओं को तथा 40 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी अविवाहित महिलाओं जिनके मातापिता अर्जन नहीं कर रहे हैं उन्हें सभी श्रेणियों के अंतर्गत दूसरों के ऊपर वरीयता दी जाएगी।

दहेज़ संबंधी हत्याएं

5056. **डा. प्रभा ठाकुर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दहेज के कारण होने वाली हत्याओं और महिलाओं के मौन शोषण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे अमानवीय कृत्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ कड़े कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपराधों की समीक्षा

5057. **श्रीमती रानी चित्रलेखा भोंसले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1998 के "राष्ट्रीय सहारा" में "आंकड़ों में अपराध कम दिखाना बेहद खतरनाक: आडवाणी अधिकारी मामला दर्ज न करे इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, पुलिस जनता का विश्वास प्राप्त करे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यातथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) कथित वक्तव्य पुलिस प्रशिक्षण स्कूल झरोदाकलां में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते समय इस बात का विशेष उल्लेख करते हुए किया गया था कि जनता द्वारा दर्ज शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करना और ऐसी शिकायतों को दर्ज न करने की प्रवृत्ति से बचना पुलिस बल के सदस्यों की मूल ड्यूटी है। दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष शिकायतें दर्ज करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट अनुदेश जारी किए है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1997 जो 13 नवम्बर, 1997 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 648(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1304/98]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (पहला संशोधन) विनियम, 1998 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या इपी. 1/(3)/98 के अंतर्गत प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1305/98]

(3) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखाओं को लेखा वर्ष समाप्त होने के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1306/98]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1307/98]

भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1308/98]

पास्च्योर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया, कूनूर का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) पास्च्योर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पास्च्योर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पास्च्योर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1309/98]

(3) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1310/98]

(5) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1311/98]

(7) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1312/98]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 7 जुलाई, 1998 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा द्वारा अपनी 3 जून, 1998 को हुई बैठक में स्वीकृत किए गए प्रस्ताव में निर्धारित प्रयोजनों के लिए लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के नाम से जाने जाने वाली दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाए और संकल्प करती है कि यह सभा उक्त संयुक्त समति में शामिल हो और एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व

[महासचिव]

प्रणाली के अनुसार उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए इस सभा के सदस्यों में से पांच सदस्य निर्वाचित करे।''

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित किए गए हैं:

1. श्री ई. बालानन्दन

2. श्री कपिल सिब्बल

3. श्री राजशेखर मूर्ति

4. श्री ओंकार सिंह लखावत

5. श्री सतीशचन्द्र सीताराम प्रधान

(दो) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

अपराह्न 12.03 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

बीड़ी कर्मकार कल्याण (उपकर) संशोधन विधेयक के बारे में प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): महोदय, मैं बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक 1998 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में 'शून्य काल' होगा।

...(व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै): महोदय, मैंने एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात पर आऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। मैं आप सभी को अनुमति दूंगा।

अपराह्न 12.04 बजे

महाराष्ट्र के दो भूतपूर्व मंत्रियों को सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या की धमकी दिए जाने और उनके साथ हाथापाई किए जाने के आरोप के बारे में

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड): महोदय, मुझे मुम्बई में घटित एक बहुत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। कल महाराष्ट्र कैबिनेट में शिव सेना के राज्य मंत्री (ऊर्जा) श्री सुरेश नवले ने महाराष्ट्र विधान सभा को उन्हें मारने के प्रयासों के बारे में सूचित किया।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के समूचे गांव पानी में डूब गए हैं नारायणी नदी की मुख्य धारा बदल गई। इससे कुशीनगर जनपद प्रभावित हुआ और वहां लाखों लोग पानी में डूब गए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बाद में बोलना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री पृथ्वीराज चव्हाण को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: उन्होंने एक वक्तव्य में महाराष्ट्र विधान सभा को उन्हें मारने के प्रयासों के बारे में सूचित किया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पृथ्वीराज चव्हाण के भाषण के अलावा यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महोदय, मुझे मुम्बई में घटित एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बताते हुए दुख हो रहा है। महाराष्ट्र कैबिनेट में ऊर्जा राज्य मंत्री शिव सेना के श्री सुरेश नवले ने विधान सभा को उनको मारने के प्रयासों के बारे में सूचित किया। विधान सभा के समक्ष दिए गए वक्तव्य में वे कहते हैं और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

"....आज सुबह 11.00 और 12.30 के बीच जब मैं कुछ शिष्टमंडलों के सदस्यों से भेंट कर रहा था, कोई 200 से 250 कार्यकर्ताओं ने 25 के समूहों में मेरे घर में प्रवेश किया। वहां पर तैनात सिपाही ने अनुरोध किया कि केवल उतने ही लोग कक्ष में जाएं जितने लोगों को वहां जगह मिल सके। किंतु पूरी भीड़ ने उसकी अनदेखी की और अन्दर चले गए। वहां घुसकर प्रत्येक सदस्य ने यही कहा—हम लोग वह सब कुछ जानते हैं जो हो रहा है और यदि आपने किसी दूसरे रास्ते पर जाने का साहस किया तो हम आपको गोली मार देंगे। *...(व्यवधान)* उनमें से कुछ सम्माननीय सदस्यों ने अपनी कमीज के बटन तोड़े और मुझे अपने पास के हथियार दिखाने के लिए अपनी कमीजें उतारीं इस घटना के दौरान मुझे यह यकीन नहीं था कि क्या मैं एक मंत्री के घर में बैठा हूं या किसी गैंगस्टर की मांद में। *...(व्यवधान)* मैं अपने बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यदि किसी मंत्री के सरकारी आवास में घुसने और उसे धमकाने के ऐसे प्रयास सफल हो सकते हैं तो यह महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत दुखद दिन होगा। मैंने इस बात को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री को बताया है *...(व्यवधान)*

वे आगे बताते हैं जब यह सब कुछ हो रहा था कैबिनेट के एक अन्य सदस्य श्री अर्जुन खोतकर वहां आए *...(व्यवधान)* वे आगे कहते हैं, "मैं केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय गृह मंत्री से अपील ही कर सकता हूं" *...(व्यवधान)* कल घटी ऐसी ही एक अन्य घटना में शिव सेना के श्री गुलाबराव गवान्डे, जो पूर्व मंत्री हैं, ने विधान सभा के अध्यक्ष और अन्य नेताओं को पत्र लिखा *...(व्यवधान)* मैं बताता हूं क्या हुआ था। मैं उस पत्र से उद्धृत करता हूं: "पिछले आठ दिनों में मुझे चार गुमनाम टेलीफोन काल आए *...(व्यवधान)* सभी टेलीफोनों में मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी अर्थात, "यदि आपने शिव सेना के विरुद्ध कार्य किया या यदि आपने गणेश नाईक से संबंध जारी रखे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे।" *...(व्यवधान)* तथापि, मैंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया।"

अध्यक्ष महोदय: श्री चव्हाण, यह राज्य विषय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर रोज हम संसदीय मामलों के बजाय राज्य मामलों के बारे में अधिक चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: उन्होंने आगे कहा है "आज 19.7.1998 के लगभग 10 बजे मुझे गुमनाम कॉल आई जिसमें मेरे खिलाफ काफी भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया था और मुझे कहा गया कि यदि मैंने शिव सेना के खिलाफ बोला अथवा यदि मैंने गणेश नाईक का साथ दिया तो मेरा अन्त सन्निकट है। जिसके बाद मैंने उनसे पूछा तुम्हें यह किसने कहा है "जिसके उत्तर में उन्होंने बताया "हमें ऊपर से आदेश है।" *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज हमारे पास अपना कार्य भी है।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, जब वे विधान सभा से बाहर आ रहे थे, तीनों मंत्रियों को आश्वासन दिया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। *...(व्यवधान)* महाराष्ट्र टाइम्स में रिपोर्ट छापी है कि गृह मन्त्री को शिवसेना विधायक द्वारा धमकी दी गई थी—उनका नाम दिया गया है लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा—जिन्होंने उनसे पूछा, "आप इन देशद्रोहियों को सुरक्षा क्यों प्रदान कर रहे हैं?" *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रतिदिन माननीय सदस्य राज्यों के कानून और व्यवस्था के बारे में अधिक चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास अपना कार्य भी है।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महोदय, आपको याद होगा कि पिछली लोक सभा में महाराष्ट्र राज्य की कानून और व्यवस्था की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई थी। *...(व्यवधान)* हमने महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था के खत्म हो जाने के कारण अनुच्छेद 356 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को बरखास्त करने की मांग की थी। *...(व्यवधान)* तत्कालीन माननीय गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त मुम्बई गए थे। वे मुख्य मंत्री, गृह मन्त्री और श्री बाल ठाकरे से मिले थे। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि ऐसी घटनाएं पुन: घटित नहीं होंगी *...(व्यवधान)* लेकिन वही स्थिति पुन: उत्पन्न हो गई है। *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, जब यह मामला पिछली लोक सभा में चर्चा के लिए आया था तो तत्कालीन माननीय गृह मंत्री जी ने सभा को सूचित किया था कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार से आश्वासन मिला है कि ये घटनाएं पुन: घटित नहीं होंगी लेकिन यह स्थिति पुन: उत्पन्न हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें तो बताना चाहिए कि वहां वास्तव में क्या घटित हुआ है, अन्यथा वे एक दल वहां भेज सकते हैं जो यह देखे कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था बहाल हो गई है। *...(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): वे महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं *...(व्यवधान)* उस राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में उनकी चिन्ता को मैं समझता हूं *...(व्यवधान)* ऐसी ही स्थिति वहां तब भी उत्पन्न हुई थी जब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस के शासन काल के दौरान पांच विधायकों की दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी गई थी *...(व्यवधान)* कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री पर भी उनके अपने विधायकों द्वारा हमला किया गया था। *...(व्यवधान)* क्या वह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं थी? *...(व्यवधान)* यह स्थिति उस स्थिति की तरह नहीं है। पूरी सभा ने नोट किया है कि बिहार में भी कई विधायकों की हत्या की गई है *...(व्यवधान)* मैं इसे न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने में सक्षम है *...(व्यवधान)* वहां उनके विधायक हैं और यदि फिर भी इस मामले को उठाना है तो इसे उठाने का उपयुक्त मंच महाराष्ट्र विधान सभा ही है *...(व्यवधान)* उसके माध्यम से वे महाराष्ट्र विधान सभा में इस मामले को उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)* मेरा अनुरोध है कि हमें इस तरह की सभी गतिविधियों को रोकना चाहिए ताकि सभा की कार्यवाही ठीक प्रकार से चल सके। *...(व्यवधान)* इससे सभा का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है और यह अनावश्यक है। उन्हें यह मामला संसद में नहीं उठाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) बिहार में कौन सी घटना हो रही है? *...(व्यवधान)* बिहार की बात को प्रोसीडिंग्ज से निकलवाइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना): महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं माननीय गृह मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुकुल वासनिक: मैं केवल एक मिनट लूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, माननीय गृह मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े हो गए हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए कि गृह मंत्री जी खड़े हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रावले, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कल रात्रि को विपक्ष के नेता श्री शरद पवार ने मुझे टेलीफोन करके इस बात से परिचित करवाया कि महाराष्ट्र के किसी मंत्री के निवास स्थान पर लोग इस प्रकार से घुस गए और

ये-ये शब्दों का प्रयोग हुआ। उसके बाद मैंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से संपर्क किया और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुझे कहा कि वे इस घटना के संदर्भ में पूरी रिपोर्ट आज मुझे भेजेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय में आपको निर्णय करना है कि महाराष्ट्र की विधान सभा जब चल रही हो तो ऐसे मसलों की चर्चा हम यहां करें या महाराष्ट्र की विधान सभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): यह स्थिति अलग है। वहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक: महोदय, वहां संवैधानिक तन्त्र पूरी तरह से चौपट हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): वहां के मंत्री की जान खतरे में है। ...*(व्यवधान)* गैर-भाजपा शासित राज्यों की चर्चा तो यहां खूब होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे विश्वास है कि वहां पर जो कुछ भी हुआ होगा, उसकी अधिकृत जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास आज पहुंच जाएगी, लकिन उस विषय में आपकी सलाह के अनुसार मैं जाऊंगा। आप जो भी निर्णय करेंगे, मैं उसके अनुसार जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): महोदय, अभी कुछ देर पहले एक घटना का संदर्भ दिया गया था जो पिछले वर्ष मुम्बई में घटित हुई थी जब मैं गृह मंत्री था। विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं में से एक नेता श्री भुजबल हैं। जिनका मकान, सरकारी आवास, सचिवालय के बिल्कुल सामने है। इसके घर को उन लोगों के गिरोह द्वारा लूटा गया था जो उसके घर में घुस गए थे और इन्हें ढूंढ़ रहे थे ...*(व्यवधान)* आप हमें बता सकते थे कि वे कौन लोग थे।

वे लोग उनकी पिटाई करने के लिए उनको ढूंढ़ रहे थे और वे किसी प्रकार बच कर निकल गए। इसके बाद, मैंने कुछ जांच पड़ताल की। मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री बाल ठाकरे से अनुरोध किया क्योंकि मुझे श्री भुजबल द्वारा बताया गया था कि वे सभी लोग जो उनके घर में घुस गए थे और जिन्होंने लूटपाट की थी वे सभी शिव सैनिक थे। यह बात मुझे पता नहीं थी। इसलिए मैंने श्री बाल ठाकरे से सम्पर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे कुछ समय निकालें और मुझे राजभवन में आकर मिलें जहां मैं रुका हुआ था। वे वहां आए और उन्होंने इस घटना की भर्त्सना की। उन्होंने कहा "हम कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पहले ही कदम उठा रहे हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है" यह कार्य हमारे किसी अनुदेशों अथवा निर्देशों पर नहीं किया गया था कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया था। उन्होंने कहा "मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ऐसी घटनाओं की यहां पुनरावृत्ति नहीं होगी।" अब हमें यह सुनकर दुख होता है निसन्देह जो भी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्री आडवाणी जी को दी जाती है—कि उसी प्रकार की घटना पुन: वहां घटित हुई है और कछ मंत्रियों को धमकाया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी और लोग हथियारों के साथ उनके घर में घुस गए हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार: इतिहास में पहली बार ऐसा घटित हुआ है। उन्होंने संरक्षण की मांग की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: कुछ अन्य राज्यों के सम्बन्ध में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप क्यों नहीं हम वहां भी एक प्रतिनिधिमण्डल भेजें जो इस बात का पता लगाए कि वहां पर क्या हो रहा है? यह बड़ी अजीब बात है। मुख्य मंत्री, गृह मन्त्री और श्री बाल ठाकरे सभी ने मुझे आश्वासन दिया था कि ऐसी घटना को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। यदि ऐसी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

स्थिति पुन: उत्पन्न हो गई है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि इस मामले पर इस सभा में नहीं, महाराष्ट्र विधान सभा में अवश्य चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि यह घटित हो गया है और हमारी जानकारी में लाया जा चुका है इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम माननीय गृह मंत्री जी यह कह सकते हैं कि वे एक सरकारी दल अथवा बीजेपी दल महाराष्ट्र भेजें जो यह पता लगाए कि ये लोग क्यों इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं और इसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड): उन्होंने गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस घटना का संबंध है यह समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित हुआ है और विशेषकर महाराष्ट्र से कुछ माननीय सदस्यों ने इसे उठाया है यदि यह सही है तो मैं अवश्य इसकी निन्दा करूंगा और इसकी भर्त्सना की भी जानी चाहिए। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से सहमत हूं क्योंकि मैं कई सभाओं में कई वर्षों से यह कहता रहा हूं कि ऐसे मामले इस सभा में नहीं उठाए जाने चाहिए। श्री आडवाणी जी यहां बैठे हैं और वे हमारी बात का समर्थन करते रहे हैं। अब अचानक विपक्ष से सत्ता पक्ष में आते ही उनके कई आयाम भी बदल गए हैं अर्थात् अच्छे शासन की चयनात्मक अनुप्रयुक्तता। मैं तो कहूंगा कि इस सभा के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों की चर्चा न की जाए। इस पहलू को वह अब चयानात्मक रूप से लागू कर रहे हैं। उनके अनुसार विपक्ष का कहना है कि वह नियम उन पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें अपने डांवाडोल साझी सरकार को भी संभालना है।

उपस्थित माननीय सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बैठने की व्यवस्था को देखने से पता चलता है कि इस देश में क्या हो रहा है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस पद और प्रतिष्ठा वाले नेता केवल इसलिए भारत के संविधान के नियमों और उपबन्धों तथा प्रत्येक परम्परा को नहीं तोड़ेगा कि वह अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करता है और अब हमें यह बताया जाएगा कि हमें इस मसले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह ठीक नहीं है। इस बात पर मैं उनसे सहमत हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार से संबंधित प्रत्येक मामला, विशेषकर कानून और व्यवस्था के मामले पर यहां चर्चा की जा रही है। दल भेजे जा रहे हैं; धमकियां दी जा रही हैं। यद्यपि आपकी पक्की धारणा है कि आप धारा 356 को लागू नहीं करेंगे और हमारी मांग के अनुसार आप इसे हटाने की बात भी कर रहे हैं, अब यह धमकी दी जा रही है। क्या देश इसी तरह चलेगा? यह देश को विभाजित करने और देश में तनाव पैदा करने का तरीका है। अब स्थिति यह है कि आपके अपने ही दल का साथी अथवा श्री सरपोतदार के नेतृत्व में आपका सहयोगी दल सामने आ रहा है। वे यहां उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां तक कि उन पर वर्तमान मंत्रियों को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले की गम्भीरतापूर्वक समुचित प्राधिकारियों द्वारा जाँच कराई जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले जी कृपया बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यहां क्या बताया गया है? ...*(व्यवधान)* उन्हें इस बात की मुझसे अधिक जानकारी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपको यह समझना चाहिए कि उन्हें राज्य के मामलों में, विशेषकर कानून और व्यवस्था कि स्थिति के बारे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* उन्हें अपनी शक्तियों का राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करने में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी जी क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम): महोदय, मैं यहां सरकार द्वारा बनाई गई योजना को अधिसूचित करने में हुए असाधारण विलंब के विरोध में खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वे चुप बैठे हैं। उन्हें बोलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं आपके निर्देशों को मानूंगा। अगर आप चाहते हैं और जैसाकि इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, मैं सदन में आऊँगा ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए अध्यक्षपीठ की अनुमति की क्या आवश्यकता है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्यों नहीं?

श्री राजेश पायलट: यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)* वक्तव्य सभा में ही दिया जाता है।

श्री शरद पवार: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे विश्वास है कि इस मामले पर आज महाराष्ट्र राज्य विधान सभा में चर्चा होगी। परंतु अगर आप चाहते हैं तो मैं सभा में आ सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली): क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं? आप भारत के गृह मंत्री हैं। आपको माननीय अध्यक्ष महोदय को उनसे निर्देश मांगकर उनको दुविधा में नहीं डालना चाहिए।

श्री राजेश पायलट: जी हां, यह गलत है।

श्री पी. शिवशंकर: इसलिए आपको फैसला करना है। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय को दुविधा की स्थिति में मत डालिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं सभा में आकर बताऊंगा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने मुझे क्या रिपोर्ट भेजी है।

अपराह्न 12.23$^{1}/_{2}$ बजे

कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम पंचाट के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री आर. मुथैया जी बोलेंगे।

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम): महोदय, मैं कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा जारी अंतरिम फैसले को लागू करने के लिए इस सरकार द्वारा बनाई गई योजना को अधिसूचित करने में हुए असाधारण विलंब के विरोध में बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): यह बहुत गंभीर मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.24 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। श्री मुथैया जी को अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब श्री मुथैया जी को अपनी बात पूरी करने दें। आप सभी एक साथ कैसे बोल सकते हैं? कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: महोदय, कल हमने सरकार से अनुरोध किया था और अब मैं सरकार से कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं? कृपया आप सभी अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): कल भी यही बात हुई थी। ...*(व्यवधान)* यह सब कितने दिनों तक चलता रहेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन जी, कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: महोदय, रोज वही बात...*(व्यवधान)* ऐसा कब तक ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री राधाकृष्णनजी क्या आप अपने स्थान पर बैठने की कृपा करेंगे? मैं बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री मुथैया जी को बोलने के लिए कहा है। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जो कुछ श्री मुथैया जी कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. शिव शंकरः महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदयः श्री पी. शिवशंकर जी आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री आर. मुथैयाः महोदय मैं इस सभा में यह मुद्दा उठा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री मुथैया जी, श्री शिव शंकर जी इस समय व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री आर. मुथैयाः महोदय, वे किसी भी समय बोल सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकरः महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री मुथैया जी, इस मुद्दे को रोज ही उठा रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैयाः महोदय, मैं यह मुद्दा केवल यहीं उठा सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकरः अब आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? *...(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैयाः महोदय, इस मुद्दे को उठाने के लिए कोई अन्य मंच नहीं है। *...(व्यवधान)* इसीलिए मैं इसे यहां उठा रहा हूं। *...(व्यवधान)* महोदय, इस मुद्दे को मैं यहीं उठा सकता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, अगर आप इस तरह खड़े होते रहे तो आपको अपराह्न 1.00 बजे तक भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप सभी को मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर. मुथैयाः महोदय, मैं कावेरी नदी जल विवाद को उठा रहा हूं *...(व्यवधान)* महोदय, हम चाहते हैं कि कावेरी जल विवाद के बारे में अधिकरण के अन्तरिम आदेश का कार्यान्वयन किया जाए *...(व्यवधान)* महोदय, मैं सरकार के उस प्रयास का भी विरोध कर रहा हूँ जिसने इस मुद्दे में उच्चतम न्यायालय में मामले को दो माह के लिए स्थगित करने को कहा है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया मुझे उनकी बात सुनने दो।

...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर): महोदय, वही मुद्दा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री धनंजय कुमार, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमारः महोदय यह मुद्दा कल उठाया गया था *...(व्यवधान)* महोदय, मंत्री जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री धनंजय कुमार, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमारः महोदय, सरकार ने पहले ही उत्तर दे दिया है *...(व्यवधान)* महोदय, हर दिन वही मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैयाः महोदय, मैं इस मुद्दे को यहां उठा सकता हूं। आज सरकार इस मामले को दो माह तक स्थगित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में गई है *...(व्यवधान)* महोदय, हम सरकार से चाहते हैं *...(व्यवधान)* हम अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री मुथैया आपके अपने सदस्य आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री आर. मुथैयाः महोदय, हम सरकार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री धनंजय कुमार क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? मैं बोल रहा हूँ। आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सभा में इस तरह अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुथैया को बोलने की अनुमति माननीय अध्यक्ष जी ने दी है। उन्हें अपनी बात पूरी करने, सभा में आचरण करने का यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, उन्हें उसी मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): आप उन्हें अनुमति देने वाले कौन होते हैं? *...(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष ने उन्हें अनुमति दी है *...(यवधान)*

श्री आर. मुथैया: महोदय, मैं उसी मामले को नहीं उठा रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, एक ही मामले को प्रतिदिन सभा में नहीं उठाया जा सकता है *...(व्यवधान)* यही नियम है *...(व्यवधान)* वे उसी मामले को कैसे उठा सकते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री धनंजय कुमार क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

सभापति महोदय: हमने इस मामले को कल भी लिया था। आप संक्षेप में बोलिए।

श्री आर. मुथैया: मैं उसी मुद्दे को नहीं उठा रहा हूँ। हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार: महोदय, नियमों के अंतर्गत वे उसी मुद्दे को पुन: नहीं उठा सकते हैं। मैं नहीं समझता कि परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है कि उसी मुद्दे को पुन: उठाया जा सकता है। परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है *...(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: आज सरकार पुन: उच्चतम न्यायालय में गई है और मामले को स्थगित करने का आग्रह किया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनकी बात समाप्त होने के बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार: सरकार ने कल इसका समुचित उत्तर दे दिया है *...(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: पीछे सरकार सात बार अर्थात 15.7.97, 30.9.97, 6.1..97, 11.11.97, 30.3.98 और 28.4.98 को इस मामले को स्थगित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में गई। आज भी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से इस मामले को स्थगित करने को कहा है। तमिलनाडु की जनता को भाजपा से बहुत आशाएं हैं और उस पर बहुत विश्वास है तथा उन्होंने बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान किया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री आर. मुथैया: मैं उसी मुद्दे को नहीं उठा रहा हूं। कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं। हम प्रभावित लोग हैं। इस सरकार की कार्यवाही से हम आज भी प्रभावित हुए हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरे विचार से खुराना जी कुछ बोलना चाहते हैं। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें। उन्हें कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जाना है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री मुथैया, आप अपना निवेदन पूरा कर सकते हैं।

श्री आर. मुथैया: मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय: यह शून्यकाल है। आपको केवल पांच मिनट बोलना होता है और आपने 15 मिनट से अधिक समय ले लिया है।

श्री वैको: उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है *...(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: महोदय, अभी मैंने इस मुद्दे पर बोलना शुरू नहीं किया है। इस सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस मामले को स्थगित करने के लिए कहने से यहां तक कि आज भी तमिलनाडु की जनता प्रभावित हुई है। तमिलनाडु की जनता का भाजपा से बड़ी आशाएं होने तथा उस पर बड़ा विश्वास होने के कारण उसने उसके पक्ष में मत दिया। संयुक्त मोर्चा सरकार के

[श्री आर. मुथैया]

कार्यकाल के दौरान भी सरकार ने इस मामले को स्थगित कराकर तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा किया था ...*(व्यवधान)* वे मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः क्या आप अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे? मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री जालप्पा कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं बोल रहा हूं। क्या आप अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, इस मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। संयमित व्यवहार कीजिए। इस तरह का व्यवहार न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री मुथैया अपनी बात पूरी करें।

श्री आर. मुथैयाः मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, महोदय ...*(व्यवधान)* भारत सरकार ने पंचाट की अधिसूचना के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए उच्चतम न्यायालय से इस मामले को स्थगित करने को कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री वी. धनंजय कुमारः महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप किस नियम के अधीन अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री वी. धनंजय कुमारः लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का नियम 377(ग) कहता है, "कोई भी सदस्य सप्ताह के दौरान एक से अधिक विषय नहीं उठाएगा।" ...*(व्यवधान)*

श्री वैकोः अध्यक्ष को किसी भी सदस्य को अनुमति देने की सभी शक्तियां हैं और उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है।

श्री आर. मुथैयाः मैं एक नया मामला उठा रहा हूं। यह घटना आज ही घटी है ...*(व्यवधान)* मैं केवल आज की घटना का ही वर्णन कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* इस सरकार ने स्पष्टीकरण पूछते हुए उच्चतम न्यायालय से स्थगन मांगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैयाः सरकार ने सुनवाई के स्थगन के लिए कहा है ...*(व्यवधान)* अन्तरिम निर्णय 1991 में ही पारित हुआ था। अब इस सरकार ने अधिकरण के पंचाट पर कुछ स्पष्टीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता यह सरकार कावेरी जल अधिकरण के पंचाट को अधिसूचित करने में क्यों हिचकिचा रही है।

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): आप सरकार से पूछिए। आप उसके सहयोगी हैं।

सभापति महोदयः श्री जालप्पा, कृपया बाधा मत डालिए।

श्री आर. मुथैयाः मैं समझता हूं केवल दृढ़ राजनीति इच्छाशक्ति ही इस समस्या का हल निकाल सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में, इस बी.जे.पी. सरकार में हमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव देखने को मिल रहा है। मैं इस पर इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। महोदय ...*(व्यवधान)* संयुक्त मोर्चा सरकार ने टी एम सी और डी एम के पार्टियों के साथ मिलकर तमिलनाडु के लोगों को धोखा दिया है। यह सरकार भी तमिलनाडु के लोगों के साथ धोखा कर रही है। इन परिस्थितियों में हम सरकार से अनुरोध करते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्री मुथैया, आपने अपनी बात कह ली है।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: उन्हें अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं करने दी गई।

श्री आर. मुथैया: भारत सरकार ने वक्तव्य दिया है कि संघ सरकार अन्तरिम पंचाट को अधिसूचित करने की योजना तैयार करने के लिए सहमत हो जाएगी ...*(व्यवधान)* उस वक्तव्य के खिलाफ उनका उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ जाना है। ...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य: महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बाहर जा रहे हैं।

सभापति महोदय: वह कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। अन्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, यह संवेदनशील मामला है। मन्त्री महोदय को सदन में वापस आना चाहिए।

श्री आर. मुथैया: महोदय, उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ जाना न्यायालय की अवमानना करना है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री शास्त्री, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: महोदय, मैं जानना चाहता हूं। क्या यह सरकार इस परिस्थिति में बैठकं बुलाने जा रही है ...*(व्यवधान)* और क्या वह इसमें सहमत होने जा रहे हैं अथवा असहमत। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या वह अपना पक्ष उच्चतम न्यायालय में रखने जा रही है अथवा नहीं ...*(व्यवधान)* मैं इस मामले पर सरकार से जवाब चाहता हूं ...*(व्यवधान)* सरकार का इस पर क्या दृष्टिकोण है? ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, यह अत्यन्त संवेदनशील मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: महोदय, यह सरकार इस मामले का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मुथैया, कृपया समाप्त करिए। आपने काफी समय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: महोदय, चूंकि सरकार इस मामले पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है हम इस सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान निकालने में विलम्ब करने के विरोध में इस सभा का बहिष्कार कर रहे हैं।

अपराह्न 12.42 बजे

इस समय श्री आर. मुथैया, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, मैं केवल दो मिनट लूंगा। मुझे भी मौका दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने श्री कृष्णदास का नाम पुकारा है। आप उनके बाद बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, कावेरी जल विवाद न केवल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का मामला है बल्कि इसे निपटाने में केरल की भी उतनी ही रुचि है। यह कावेरी नदी मामले में सीमावर्ती राज्य भी है। कावेरी नदी के जल में केरल का भी 20 प्रतिशत योगदान है और वह जल की निर्धारित मात्रा पाने का हकदार है।

केरल सरकार में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस मामले का निपटारा किया जाए ताकि जल संसाधनों का सौहार्दपूर्ण बंटवारा सम्भव हो सके। केरल के मुख्य मंत्री ने कई बार प्रधान मंत्री जी को लिखा है जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया कि केरल राज्य की राय पर विचार किये बिना कोई एकपक्षीय घोषणा नहीं की जानी चाहिए।

अब रिपोर्ट छपी है कि केन्द्र सरकार इस मामले पर विचार करने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने जा रही है। महोदय, मैं इस सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि केरल राज्य को शामिल किए बिना कोई निर्णय इस समस्या का हल नहीं कर पाएगा। अत: मैं केन्द्र सरकार से

[श्री एन.एन. कृष्णदास]

अनुरोध करता हूं कि सभी सम्बद्ध राज्यों की बैठक बुलाएं और केरल राज्य सहित सभी सम्बद्ध राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले का सौहार्दपूर्ण निपटारा करे। मेरा यह अनुरोध है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप बैठ जाइए। मैंने बोलने का अवसर श्री वैको को दिया है।

श्री वैको: महोदय, भारत सरकार ने इस योजना को अधिसूचित न करके, इस योजना को तैयार न करके 16 माह पूर्व उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष भारत सरकार अथवा महान्यायवादी द्वारा दी गई वचनबद्धता को पूरा न करके भारी गलती की है। भारत सरकार बुरी तरह से असफल हो गई है ...*(व्यवधान)*

श्री आर. एल. जालप्पा: महोदय, यह सब बातें कई बार कही जा चुकी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, भारत सरकार वचन को पूरा करने में असफल रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको, आप क्या चाहते हैं, इस सरकार को क्या करना चाहिए?

श्री वैको: महोदय, भारत सरकार को अधिकरण के अन्तरिम निर्णय को लागू करने के लिए इसे कल ही अधिसूचित कर देना चाहिए था। अब इसमें और वार्ता की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने इसमें समय लिया। इसके लिए बैठक की। अन्त में उच्चतम न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा। इसके बाद, महोदय, उच्चतम न्यायालय को दी गई वचनबद्धता का मान न करते हुए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप क्या चाहते हैं? इस समस्या को क्या करना चाहिए?

श्री वैको: महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। महोदय तमिलनाडु के लोगों और तमिलनाडु राज्य के साथ भारी अन्याय किया गया है। यह एक राज्य अथवा दो राज्यों का मामला नहीं है। यह केन्द्र सरकार के अधिकार के बारे में है। यह उस अधिकार के बारे में है जिसे उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। इस देश की भावी एकता और अखण्डता के लिए भयंकर संकेत है। अत: महोदय, मैं इस सरकार के इस रवैये का विरोध करता हूं। पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार ने तमिलों के साथ धोखा किया था।

सभापति महोदय: श्री वैको, कृपया समाप्त कीजिए। श्री मारन, कृपया शान्त रहें।

श्री वैको: तमिलनाडु और कर्नाटक के दोनों मुख्यमंत्रियों ने संदिग्ध भूमिका निभाई है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वैको जी कृपया मुझे कोई कड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर न करें। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री वैको: भारी मन से, बहुत दुख एवं विषाद के साथ मुझे सरकार के इस रवैये का विरोध करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सभा से बहिर्गमन करता हूँ।

अपराह्न 12.46 बजे

इस समय श्री वैको सभा भवन से बाहर चले गए

सभापति महोदय: मुझे सभा का संचालन शांतिपूर्ण ढंग से करने दीजिए। प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका मिलेगा। श्री मरान जी, कृपया आप बोलें।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास मध्य): महोदय, यहां बैठे माननीय सदस्य तथ्यों को भूल गए हैं। कावेरी जल की प्रारूप योजना का मसौदा तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप दने का काम संयुक्त मोर्चा सरकार ने किया था। इसका श्रेय संयुक्त मोर्चा सरकार को जाता है। अब सवाल यह है कि सरकार को कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह बहुत पेचीदा मामला है। इसमें कई राज्य शामिल हैं। केरल शामिल है। कर्नाटक भी शामिल है। वे कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकते। वे विलम्बकारी दांव-पेंच क्यों अपना रहे हैं? इसीलिए आज उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले को आगे स्थगित करने का आग्रह किया है। इसलिए, मैं सरकार की विलंबकारी रवैये की निंदा करता हूं और सभा से बहिर्गमन करता हूं।

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय श्री मुरासोली मारन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको भी बुलाऊंगा।

श्री के. करुणाकरन (तिरुअनन्तपुरम): कावेरी जल का मुद्दा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का मुद्दा नहीं है। यह मामला केरल से भी संबंधित है। मेरा सरकार से यही सुझाव या अनुरोध है कि वे केरल से परामर्श किए बिना कोई कार्रवाई न करें। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): सभापति जी, ऑल-इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में जो समाचार-पत्रों में आ रहे हैं और जिस तरीके से वहां के डायरेक्टर रिश्वत लेते पकड़े गये हैं, वह मामला मैं उठाना चाहता हूं। सभापति जी, मुझे आप इजाजत दीजिए। देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री गोयल जी कृपया हस्तक्षेप न करें। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री के. करुणाकरन: मेरी मांग यह है कि सरकार को केरल सरकार से परामर्श किए बिना और केरल के लोगों की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर वे कोई भी निर्णय केरल के लोगों की सहमति के बिना लेते हैं तो इस पर केरल प्रतिक्रिया करेगा।

श्री जयराम आई.एम. शेट्टी (उदुपी): कर्नाटक के लोग काफी वर्षों से कावेरी जल से वंचित रहे हैं। अगर आप वास्तविकता की जड़ तक जाएं तो आप पाएंगे कि जलग्रहण क्षेत्र का 64 प्रतिशत भाग कर्नाटक में पड़ता है। तमिलनाडु के लोग 205 टी एम सी जल प्रयोग में ला रहे हैं। वे वर्तमान स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। वे संसद का लाभ उठा रहे हैं। वे इस परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं। हम कर्नाटक के किसान, पिछले 10 वर्षों से तमिलनाडु के आगे झुकते रहने के कारण काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों के हितों की रक्षा करें। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। इसे सभा पटल पर नहीं सुलझाया जा सकता है। कर्नाटक राज्य के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, अब मंत्री जी की तरफ से इसका जवाब आ जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति जी, कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में अभी हल नहीं निकला है।

[अनुवाद]

श्री वी. धनन्जय कुमार: महोदय, मंत्री जी के उत्तर देने से पहले मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा।

सभापति महोदय: जी, नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना: सभापति महोदय, कावेरी विवाद का अभी कोई हल नहीं निकला है। संबंधित राज्य अपने कथनों पर अड़े हुए हैं। हम और समय सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं। हमें जो समय मिलेगा, उसमें इसका हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। हम जानते हैं कि अगर हल नहीं निकला तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। संबंधित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से प्रधान मंत्री बात करेंगे और चाहेंगे कि कोई रास्ता निकले। भारत सरकार समूचे तथ्यों को निकट लाने का प्रयत्न करेगी। *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, अन्ना डी.एम.के. की वाकआउट करने की बात तो मुझे समझ में आती है लेकिन अप्रैल 1997 में मारन साहब ने आश्वासन दिया था कि चार और छः हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में बताएंगे। इनका 11 महीने तक राज रहा। उस समय उन्होंने वाकआउट नहीं किया लेकिन आज वाकआउट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* आप उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कल, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। आज भी व्यवस्था का प्रश्न उठा है। हर दिन व्यवस्था का प्रश्न

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[सभापति महोदय]

उठाया जाता है। मुझे यह सुनने दीजिए कि वे किस नियम के अंतर्गत क्या कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री चमन लाल गुप्त जी, मुझे इस सभा का संचालन करने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः क्या आप मुझे इस सभा का संचालन करने देंगे? मैंने श्री लालू प्रसाद को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि माननीय मंत्री ने ठीक जवाब दिया। यहां हरेक दिन कावेरी का सवाल उठाया जाता है। खुराना जी ने मारन साहब से कहा कि उन्होंने अपने शासन काल में कावेरी के पानी की समस्या का हल नहीं निकाला। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः इस तरह के आक्षेप न करें। आपको अपने शब्द वापिस लेने होंगे। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्री आर.एल. जालप्पाः वे यहां ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कृपया उन शब्दों को वापिस लीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री के. कृष्णमूर्ति (मयिलादुतुराई): हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। तमिल मनिला कांग्रेस की तरफ से हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.53 बजे

इस समय श्री के. कृष्णमूर्ति और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, 11 महीने में संविद सरकार फेल हो गई। इनको घोर नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। यह सरकार भी इस प्राब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। अब इनको भी इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इनका भी वही हाल होने वाला है जो पहले की सरकार का हुआ। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चॉयल): सभापति महोदय, हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फिर भी हम जातिवादी व्यवस्था से पिस रहे हैं। देश की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली पर इस प्रकार के सवालिया निशान लग रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। मैं आपका ध्यान इलाहाबाद की स्थानीय निचली अदालत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। श्री बी. प्रसाद अपर जिला जज इलाहाबाद (उ.प्र.) का दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हुआ। वहीं पर नियुक्त श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला जज ने पूरे चैम्बर को गंगा जल से धुलवाया जो बड़े शर्म की बात है। श्री बी. प्रसाद अनुसूचित जाति के अधिकारी थे। यह बहुत गम्भीर मामला है। जब श्री बी. प्रसाद ने इसकी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन से शिकायत की तो श्री बी. प्रसाद का स्थानांतरण दो वर्ष के अन्दर मैनपुरी कर दिया गया। वे हार्ट पेशेंट हैं जिनका इलाज जसलोक अस्पताल में चल रहा हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे उच्चतम न्यायालय को रैफर किया जाये ताकि श्री बी. प्रसाद को किसी तरह से संरक्षण मिले और उनका स्थानान्तरण निरस्त हो। चूंकि मैनपुरी से मुम्बई के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है और मुम्बई में उनका इलाज चल रहा है, उनकी दशा की गंभीरता को देखते हुए आपसे मांग करता हूं कि श्री बी. प्रसाद से मकान खाली न कराया जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, जब किसी अधिकारी या न्यायाधीश का स्थानान्तरण हो जाता है तो दफ्तर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। यह छूआछूत की मानसिकता है। आज हम देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और गांधी जी के नाम पर जी रहे हैं और इसके लिए

लड़ भी रहे हैं। इसीलिए वुमैन्स बिल पर जोर दे रहे हैं। सभापति महोदय, जो मामला उठाया गया है, वह अत्यंत ही गंभीर मामला है। इस बात को नोटिस में लिया जाये। सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है? अगर ज्युडिशियरी में इस तरह से होगा कि यदि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में यह कहकर कि दलित है, बदला जायेगा और गंगा जल से धुलवाकर दफ्तर को पवित्र किया जायेगा, यह न किया जाये। सभापति महोदय, इस मामले में आप रूलिंग दीजिए।

सभापति महोदयः मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता।

श्री मुलायम सिंह यादवः सभापति महोदय, आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः यदि आप सब खड़े हो जायेंगे तो कैसे चलेगा?

श्री राजेश पायलट (दौसा): सभापति जी, आपने जो सवाल उठाया है इसके लिए सरकार से यह पूछ सकते हैं। दफ्तर को धुलवाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उसको साफ करवा सकता है, लेकिन गंगाजल से धुलवाना और उसका प्रचार करना, यह भावनाओं से खेलने वाली बात है। सरकार इस पर रिपोर्ट मंगाये। ऐसी चीजों की शुरुआत तो होती है, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है।

[अनुवाद]

सरकार के माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वे राज्य सरकार से यह रिपोर्ट ले सकते हैं कि क्या *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह बहुत गम्भीर मामला है, उन्होंने शिकायत की है और जब शिकायत की तो उनका स्थानान्तरण कर दिया गया *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): मैंने माननीय सदस्य की भावना सुनी है, जिसमें उन्होंने बताया कि बिना किसी बात के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का स्थानान्तरण हुआ और उनकी जगह दूसरे जज आये और अपने दफ्तर को गंगाजल से धुलवाया। अनुसूचित जाति के जज ने मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को शिकायत की। सभापति महोदय, इसलिए यह मामला बहुत गंभीर है। सरकार से पूछा जाए कि क्या यह सच है, यदि सच है तो इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई?

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): सभापति महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): सभापति महोदय, ऐसी घटना निश्चित रूप से खतरनाक है। यदि कोई इस तरह का काम करता है तो ठीक नहीं है। यह न्यायालय का मामला है और यदि न्यायालय में इस तरह की घटना हो जाए तो इसे कौन देखेगा, हम कहां जायेंगे?

सभापति महोदयः इसलिए यह मामला श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने उठाया।

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर कोई रूलिंग दें कि यदि इस तरह की घटना हो गई तो उसको कहां देखा जायेगा। अगर कोई छोटी जाति में पैदा होता है तो वह नीच और यदि कोई बड़ी जाति में पैदा होता है तो उच्च कहलाता है, क्या यह उचित है? यह व्यवस्था हमारे यहां न रही है और न रहनी चाहिए। इस बारे में साफ-साफ सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि इसके लिए कौन दोषी है और दोषी को क्या सजा दी जानी है?

सभापति महोदयः वीरेन्द्र सिंह जी, जीरो ऑवर में जो मुददे उठाये जाते हैं, उस पर सरकार के जो भी मंत्री हैं, वे नोट करते हैं। ऐसे मामलों में अगर कोई रीएक्ट करना चाहता है, वह रीएक्ट कर सकता है। यहां से बैठकर उनको डायरेक्शन नहीं दी जा सकती है और आपको मालूम है कि यह कानून हमारे पास है। इसलिए शैलेन्द्र कुमार ने जीरो ऑवर में मेन्शन किया, सभा की जो प्रतिक्रिया है और मंत्री इसके बारे में नोट करेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

सभापति महोदयः मैंने कहा प्रभुनाथ जी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः जीरो आवर में जो भी मेन्शन होता है, मिनिस्टर इधर रहते हैं और नोट करते हैं। अगर प्रतिक्रिया करनी है तो करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजमः सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः गंभीर मामला होने की वजह से सरकार ने नोट कर लिया होगा।

श्री लालू प्रसादः एक जज को इस तरह से अपमानित किया गया है। *...(व्यवधान)* हमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहिए कि इस मामले को देखें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः जो भी हो, इस मामले को सरकार नोट करेगी।

श्री लालू प्रसादः सरकार कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। आप निर्देश दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः वह रियेक्ट नहीं करना चाहते तो मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजमः महोदय, आपके द्वारा मेरा नाम पुकारे जाने के बाद दस मिनट से अधिक हो गए हैं। मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए। मैंने सूचना दी है। *...(व्यवधान)* आपने मेरा नाम पुकारा है। यह अच्छा नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः मुलायम सिंह जी, यह आपके नियम के मुताबिक है कि इसमें चेयर गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती। आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्शन नहीं दे सकते यह नियम है, इसलिए सरकार को अगर रियेक्ट करना है तो वह रियेक्ट कर सकती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

प्रो. ए.के. प्रेमाजमः महोदय, मैं किसी के बोलने में व्यवधान नहीं कर रही हूँ। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मंत्री महोदय, क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे?

प्रो. ए.के. प्रेमाजमः महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदयः इस मामले पर मंत्री जी द्वारा बोलने के पश्चात् मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): एक मिनट हमारी बात भी सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप बैठिए। मंत्री जी रियेक्ट करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंहः हम अनुशासित रहते हैं तो सुनते नहीं हैं। जो जोर से बोलते हैं उनको ही बोलने का मौका मिलता है। *...(व्यवधान)*

हम कहना चाहते हैं कि आये दिन न्यायपालिका की उच्च कुर्सी पर बैठने वाले लोग मनमाना निर्णय करते हैं। इतना ही नहीं,

इन लोगों के मनमाने निर्णय की वजह से कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने रिजाइन कर दिया है और रिजाइन करके चले गए। हम जानना चाहते हैं कि इस तरह न्यायपालिका की उच्च कुर्सी पर बैठने वाले लोग मनमानी करेंगे और जब न्यायपालिका के लोग ही हमको न्याय नहीं दे सकते तो दूसरों को न्याय मिलने की उम्मीद कहां है? इसलिए इस पर एक विशेष चर्चा कराई जाए और उसका निदान ढूंढा जाए।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य): सभापति जी, आजादी के 50 साल बीतने के बाद भी अनटचेबिलिटी हमारे देश में है तो सरकार से इतना ही निवेदन है कि अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने वाले जो भी लोग हैं, ये देशद्रोही हैं और हमारे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में सरकार को कुछ न कुछ काम करना चाहिए और आज ही हमें इसका रिप्लाई चाहिए और इसके संबंध में कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए।

डा. विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर): सभापति जी, छूआछूत का मुद्दा फिर से सदन में उठाया गया है। इस मुद्दे के पीछे कटुता पैदा करने के अलावा और कोई भावना नहीं है। *...(व्यवधान)* पहले मेरी बात सुनिये। *...(व्यवधान)* मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिये। *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, आप इनको चुप कराइये।

सभापति महोदय: आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, वह बताइये।

[अनुवाद]

डा. विजय सोनकर शास्त्री: महोदय, कृपया मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। *...(व्यवधान)* वे क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कवाडे कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री: मैं कह रहा हूं कि इस देश का वातावरण बदल चुका है, इन सब बातों के पीछे कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। छोटी-मोटी घटनाओं को दिखाकर इस देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सरकार को क्या करना है यह बताइये। *...(व्यवधान)*

डा. विजय सोनकर शास्त्री: मेरी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है, इस पर सबकी बात सुन लेनी चाहिए। जिस तरह से कुछ लोग इस देश में वर्ग और जातियों के बीच में फिर से भ्रम पैदा करके समूचे राष्ट्र को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी सुनवाई होनी चाहिए।

सभापति महोदय: रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): माननीय सभापति जी, अभी सदन में माननीय सदस्यों ने जिस गहन चिंता के साथ बातें कही हैं, निश्चित रूप से जिस प्रकार की कार्यवाही का वर्णन किया गया है, उस पर किसी की दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि भारत के संविधान में भी अस्पृश्यता के बारे में जो प्रावधान है, उस बारे में जो मान्यता है, उस दृष्टि से अब इस देश में ज्यादा समय तक इस प्रकार की बात नहीं चल सकती। निश्चित रूप से जो घटना है उसके तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और उसकी जो भी जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर जो आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए, उसकी अपेक्षा मैं करता हूं। *...(व्यवधान)*

डा. विजय सोनकर शास्त्री: आप नहीं-नहीं क्या कर रहे हैं, छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। वह क्राइम आफेन्स है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, हमने भी सूचना दी है।

सभापति महोदय: जब तक हर कोई सभा में उचित आचरण नहीं करता मैं क्या कर सकता हूँ? अब प्रो. प्रेमाजम बोलेंगी।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष जी, यह अस्पृश्यतावादी सरकार *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, हर वक्त वरिष्ठ सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं। मुझे बोलने नहीं दिया जाता। हर वक्त वे खड़े हो रहे हैं। मैं किसी के बोलने में व्यवधान नहीं डाल रही हूँ *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने तीन-चार बार उनका नाम पुकारा।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: सभापति महोदय, मुझे इस सम्माननीय सभा के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी जाए। देश भर से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग एक लाख से अधिक शिक्षक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संगठन परिसंघ के आह्वान पर आज संसद भवन की ओर कूच कर रहे हैं। उनकी जायज मांग है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को सरकार लागू करे।

इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संगठन परिसंघ ने 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है। यदि हड़ताल आरम्भ हुई तो जहां तक छात्रों का संबंध है उन्हें अनेक कठिनाइयां होंगी और यह महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संपूर्ण कार्यकरण को भी गड़बड़ा देगा। यह एक बहुत गंभीर मामला है जो संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करेगा।

इसलिए मैं सरकार विशेष रूप से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अपील करती हूं कि उनकी वैध मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और संपूर्ण देश के विश्वविद्यालय शिक्षकों को हड़ताल में न घसीटें जैसा कि डाक कर्मचारियों के मामले में हुआ है। उनकी हड़ताल सात दिन से अधिक चली थी। मैं सरकार से एक बार पुन: गौर करने और इसे तुरंत लागू करने का प्रयास करने की अपील करती हूँ *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, सरकार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हजारों विश्वविद्यालय शिक्षक संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): महोदय, मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी: महोदय, सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति नहीं दे रही है।

वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह उनकी एक मांग है। सरकार को इस पर तत्काल अपनी अनुक्रिया दिखानी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री प्रेमचन्द्रन आप कह सकते हैं कि आप उसका समर्थन करते हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं जो कहा गया है उसका समर्थन करता हूं। 1986 में चौथा यू.जी.सी. वेतन आयोग गठित किया गया था और उस समय से 12 वर्ष बीत गये हैं। चौथे वेतन आयोग के बाद अब पांचवां वेतन आयोग भी गठित किया गया था। प्रो. रस्तोगी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इसकी सिफारिशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री प्रेमचन्द्रन आपको उनके मत का समर्थन करना था न कि भाषण देना। श्री प्रभुनाथ सिंह।

*...(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, देश भर में गवर्नमेंट कालेज टीचर्स एसोसिएशनों की ओर से दिल्ली में आए हुए लोगों का हम स्वागत करते हैं और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि उनकी मांगें मान ली जाएं जिससे शिक्षा में सुधार हो।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, माननीय सदस्या ने जो मामला उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश से लोग दिल्ली आए हैं और दिल्ली में रैली निकाल कर संसद की ओर आ रहे हैं। उनकी दो मुख्य मांगें हैं—एक तो यू.जी.सी. द्वारा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सुझाए गए वेतनमानों को लागू किया जाए और दूसरी मांग है कि उनकी उम्र दो साल बढ़ाई जाए।

सभापति महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है और वह है बिहार में जे.पी. यूनिवर्सिटी में 10 दिन से ताला लगा हुआ है। वहां इसलिए तालाबंदी हुई है कि बिहार सरकार के जो निर्णय हुए हैं वे दूरदर्शितापूर्ण नहीं हैं, अदूरदर्शितापूर्ण हैं। जे.पी. यूनीवर्सिटी के कर्मचारियों का मासिक वेतन का भुगतान 99 लाख रुपए होता है, लेकिन जो बिहार सरकार ने आदेश दिया था उसके अनुसार स्थानीय कालेज जगदम के 20 कर्मचारियों का बकाया 88 लाख रुपए का भुगतान हो गया और जो जून मास का बकाया 99 लाख रुपए का भुगतान था वह नहीं हुआ। इसलिए मेरा कहना यह है कि एक ओर एक कालेज के कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है और दूसरी ओर यूनिवर्सिटी के अन्य कर्मचारियों की वैसी ही मांग नहीं मानी जाती है। इसलिए जे.पी. यूनिवर्सिटी के लोग वहां तालाबंदी किए हुए हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, वह बताइए।

श्री प्रभुनाथ सिंहः सभापति महोदय, भारत सरकार के अधीन तो पूरा देश ही आता है। जहां कहीं भी देश में कोई बात होती है, तो उस मामले को संसद में उठाया जा सकता है और उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड): सभापति महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपने नोटिस नहीं दिया है। इसलिए आपका नाम लिस्ट में नहीं है।

डा. राम लखन सिंहः सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने लिखकर दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैंने आपको बताया कि यदि आपने सूचना दी होती तो आपका नाम सूची में होता। आपने सूचना नहीं दी है। आपका नाम सूची में नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया व्यवधान न डालें। आपने सूचना नहीं दी है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो इसका मतलब है आपने सूचना नहीं दी। आप कल के लिए सूचना दे सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस मामले को कल उठा सकते हैं कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सूचना नहीं दी है। आप कल सूचना दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंहः सभापति महोदय, मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले को संसद में उठाने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

सभापति महोदयः ऐसे कैसे संरक्षण देंगे? आपने लिखकर दिया होता, तो यहां आपका नाम होता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः सारे गंभीर मामले उठाए है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अनेक लोगों के नाम सूची में हैं। मैं आपको कैसे मौका दे सकता हूँ? आपका नाम सूची में नहीं है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप नोटिस दीजिए। आपको कल मौका मिलेगा आज नहीं, आपका नाम सूची में नहीं है। आपने दस बजे से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): माननीय सभापति महोदय, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के ग्रुप ''सी'' और ''डी'' के 70,000 से अधिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण चिकित्सा सेवाएं ठप्प हो गई हैं। कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में 24 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 25 जुलाई, 1998 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल के कारण दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के कारण वार्डों में खून लगी पट्टियां, पेशाब की थैलियां और अन्य प्रकार की गंदगी बिखरी पड़ी है। केन्द्र सरकार हड़ताली कर्मचारियों की समस्या और मांगों का शीघ्रातिशीघ्र निवारण करे।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, महोदय मैं इस महत्वपूर्ण मामले को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है। मैं उससे उद्धृत करता हूं:

> ''मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में 1.10.1998 से आंध्र प्रदेश मादक आसव (विज्ञापन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 प्रवृत्त किया गया था। यह विधान किसी भी प्रकार के शराब के प्रयोग या पेश करने को प्रतिषिद्ध करता है तथापि अनेक बार कुछ शराब कंपनियां उक्त विधान का उल्लंघन करते हुए इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आप मुझसे सहमत होंगे कि एल्कोहल के विज्ञापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग व्यापक जनहित के विरुद्ध है।''

इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उसे यथासंभव शीघ्र शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महाराष्ट्र में 6 दिसम्बर, 1992 और 6 जनवरी, 1993 को बहुत दंगे हुए थे और उसके संबंध में श्रीकृष्ण कमीशन बनाया गया था। *...(व्यवधान)* श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट अभी तक महाराष्ट्र की असैम्बली में नहीं रखी गई है। *...(व्यवधान)* सरकार ने ऐनाउंस किया है कि हम उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने का प्रयत्न करेंगे लेकिन इस सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है। केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र की सरकार को बताना चाहिए कि श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट कब मंगाई जाएगी। *...(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): सभापति महोदय, यह बहुत ही अहम मामला है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अहम मामला होगा, आपको नोटिस देना था। आपने नोटिस नहीं दिया। इसलिए वह अहम मामला होने से भी आपको उसमें चांस नहीं मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उसकी रिपोर्ट तैयार है। *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) (बिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, यह बहुत सीरियस मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मामला बहुत सीरियस है, इसीलिए उनको चांस दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हम लोग भी यह चाहते हैं कि सारे सदन के सामने मामला आये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने सूचना नहीं दी है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, यह बहुत सीरियस मामला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री फातमी, यह कोई तरीका नहीं है। अन्य सदस्य भी हैं जिन्होंने अपने नाम दिए हैं। बहुत से अन्य सदस्य यहां बैठे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सभापति जी, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति महोदय, एक नजीर आपके सामने आ चुकी है। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट थी, हमारे खिलाफ एक मजिस्ट्रेट की जांच थी, वह यहां सभापटल पर रखवाई गई थी, इसलिए आज आप ...*(व्यवधान)* श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट यहां रखवा सकते हैं। वह एक नजीर बन गई है। अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का सवाल है या एक स्टेट का सवाल है।

सभापति महोदय: वह सही है। मुलायम सिंह जी, बात यह है कि जिन ऑनरेबल मैम्बर्स द्वारा यहां नोटिस दिये जाते हैं, उन्हीं का नाम यहां लिस्ट किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: एक ही मुद्दे पर अभी 3-4 लोगों ने नाम दिया था, उन सब को एण्डोर्स करने के लिए हमने बुलाया। इसी तरह अगर इनका नाम नहीं है तो मैंने इनको चांस नहीं दिया। इसी तरह इनको भी नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं।

मैंने बोलने के लिए श्री सुशील कुमार सिंह का नाम पुकारा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: एक व्यवस्था का सवाल है, पाइण्ट ऑफ आर्डर। माननीय भूतपूर्व गृह मंत्री बैठे हुए हैं, एक्स होम मिनिस्टर बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट सदन में पेश कर चुके हैं और इसलिए आप अगर यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट हाउस में ले हो सकती है तो इसको ले करने में क्या हर्ज है? ...*(व्यवधान)*

डा. रामकृष्ण कुसमरिया: इस तरह से हम लोगों का नम्बर नहीं आयेगा, ये लोग बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप यहां सदन के पटल पर रख सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं मध्य बिहार के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जो श्री सुशील कुमार सिंह कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह: जो क्षेत्र से पूरी तरह प्रभावित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सदन और इस सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री फातमी, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

अपराह्न 1.24 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए

सभापति महोदय: यह कोई तरीका नहीं है। आप अपने स्थान पर जाएं।

[हिन्दी]

आप अपनी सीट पर जाइये। आप पहले सीट पर जाइये। पहले आप उधर जाइये। पहले आप अपनी सीट पर जाइये। यह ठीक नहीं है। मेरे सरकार से रिएक्शन पूछने के पहले आप अपनी सीट पर जाइये। मैं सरकार से रिएक्शन पूछूंगा, आप जाइये।

अपराह्न 1.25 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी अपने स्थान पर वापस चले गए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2.25 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.25 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.32 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 02.32 बजे पुन: समवेत हुई

[**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में गिरावट आने के कारण रबड़ उत्पादकों को हो रही कठिनाइयां

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"देश में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट आने के कारण रबड़ उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अवसर दिया। यह केरल राज्य की अत्यधिक गम्भीर समस्या से संबंधित है।

जैसाकि इस सभा के अधिकांश माननीय सदस्य जानते हैं, देश में होने वाले कुल रबड़ के उत्पादन का 93 प्रतिशत भाग केरल में उत्पादित होता है। केरल के किसान रबड़ की खेती की ओर रबड़ बोर्ड के माध्यम से केन्द्र सरकार के सक्रिय संरक्षण के कारण आकर्षित हुए थे। कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए थे और किसानों को यह बताया गया था कि जब कभी कीमतों में उतार-चढ़ाव होगा तो केन्द्र सरकार किसानों की सहायता बाजार में हस्तक्षेप के माध्यम से करेगी।

आप शायद यह मानते होंगे कि यह उत्पादक समृद्ध किसान हैं। इनमें से 85 प्रतिशत किसान छोटे या सीमान्त किसान हैं जिनके पास केवल एक या दो एकड़ भूमि है। पिछले एक वर्ष के दौरान रबड़ की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई हैं। हमारी शिकायत यह है कि इस बारे में कई बार आन्दोलन होने और सभा के सभी पक्षों से कई बार माँग करने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने रबड़ उत्पादकों के संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया।

[श्री सुरेश कुरुप]

मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े का अत्यधिक सम्मान करता हूं। परन्तु मेरे आदर और सम्मान के बावजूद भी मुझे यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि उन्होंने केरल, कर्नाटक के किसानों और रबड़ उत्पादकों के संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया।

हम यह मान रहे थे कि ऐसा व्यक्ति, जिसे उत्पादकों की समस्याओं की व्यक्तिगत रूप से जानकारी हो, वह कुछ करेगा। परन्तु आज तक रबड़ के लिए उपयुक्त मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। पहले ऐसी बात नहीं थी। परिस्थिति पूरी तरह भिन्न हुआ करती थी। पिछले दो दशकों में जब कभी भी रबड़ की कीमत में उतार-चढ़ाव आया करता था तो सरकार हस्तक्षेप किया करती थी और एस.टी.सी. भारत सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर रबड़ खरीदा करती थी। यह सारे बदलाव नई आर्थिक नीति के कारण आए हैं। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख है कि 'ऑटोमोबाइल' उद्योग में मंदी का दौर चल रहा है। मैं भी मानता हूं कि टायर उद्योग में मंदी छायी हुई है। रबड़ के मूल्य में गिरावट टायर उद्योग में मंदी के कारण ही नहीं है अपितु ऐसे कई अन्य घटक हैं जिनका उल्लेख माननीय मंत्री महोदय ने नहीं किया है।

महोदय, सरकार के पास रबड़ के आयात के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आजकल रबड़ सार्वजनिक सूचना, अग्रिम लाइसेंसीकरण के तहत और विशेष आयात लाइसेंस के तहत आयात किया जा सकता है। इस प्रकार इन सब तरीकों से टनों से रबड़ का आयात किया जा रहा है। सरकार को कम से कम कुछ समय तक रबड़ के आयात को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप: वक्तव्य को पहले ही परिचालित कर दिया गया है।

पिछले पचास वर्षों के दौरान टायर देश में आयात द्वारा नहीं मंगाया गया था। आजकल टायर का आयात किया जा रहा है, साइकिल की ट्यूब का आयात हो रहा है और उपयोग में लाए गए टायरों का आयात किया जा रहा है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): यह प्रक्रिया नहीं है। माननीय मंत्री को पहले वक्तव्य देना है। तभी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: पहले मंत्री जी को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): यदि मैं सभा पटल पर वक्तव्य को रख पाता तो इससे मेरी मेहनत बच जाती। आमतौर पर वक्तव्य को पढ़ा जाता है। यदि आप वक्तव्य में क्या कहा गया है यह जानने के लिए उत्सुक हैं तो मैं वक्तव्य पढ़ना चाहूँगा जिससे कि अन्य माननीय सदस्यों को भी इसकी जानकारी मिल सके।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): यदि आप सभा पटल पर वक्तव्य रखते हैं तो हम इस पर कुछ प्रश्न पूछे पायेंगे।

श्री रामकृष्ण हेगड़े: क्या माननीय सदस्य का आशय चर्चा को शाम तक चलाने का है?

सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के रूप में निम्नलिखित वक्तव्य देने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

प्राकृतिक रबड़ की कीमत में गिरावट के कारण देश के रबड़ उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित कराया गया है। इस संबंध में मैं भारत सरकार द्वारा घरेलू बाजार में रबड़ के मूल्यों में गिरावट के रुझान को रोकने के लिए और साथ ही देश के रबड़ उत्पादकों को लाभकारी कीमत दिलाने के लिए उठाए गए कदमों का निम्न ब्यौरा देता हूँ।

1994 और 1995 में प्राकृतिक रबड़ के घरेलू मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया था। 1994 में प्राकृतिक रबड़ का मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल से 4200 रुपए प्रति क्विंटल तक देखा गया था। फिर भी जून 1995 में प्राकृतिक रबड़ का मूल्य अत्यधिक उच्च स्तर 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया था। इसके बाद घरेलू बाजार में रबड़ की कीमतों में गिरावट होती रही और यह रुझान 1996 और 1997 में भी जारी रहा। आर.एस.एस.-IV, जोकि स्तरीय अच्छी गुणवत्ता वाला शीट रबड़ है, का औसत मूल्य अप्रैल, 1998 में कोट्टायम के प्राथमिक घरेलू बाजार में 2663 रुपये प्रति क्विंटल था। यद्यपि कोलालमपुर से सूचित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय

मूल्यों का ही अनुकरण घरेलू मूल्यों ने किया, फिर भी घरेलू मूल्यों में फिर से दृढ़ता आ रही है और ये अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले प्रति क्विंटल 300 रुपये 400 रुपये ज्यादा चल रही है।

टायर उद्योग जिसमें आटोमोबाइल/साइकिल टायर और ट्यूब शामिल है, घरेलू उपभोग के 60 प्रतिशत भाग की खपत पूरी करता है। इस क्षेत्र की उपभोग की क्षमता में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। आटोमोबाइल टायर उद्योग, जोकि घरेलू उपभोग का 47 प्रतिशत भाग की खपत पूरी करता है, पिछले कुछ वर्षों के लगभग नौ प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि दर के पश्चात् 1997-98 में लगभग 2 प्रतिशत के ऋणात्मक आँकड़े को दर्शा रहा है।

मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि संसद के कई सदस्य और केरल सरकार ने रबड़ की कीमतों में जारी गिरावट के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। भारत सरकार ने पहले राज्य व्यापार निगम द्वारा बाजार हस्तक्षेप को प्राधिकृत किया था और अगस्त, 1997 में राज्य व्यापार निगम को प्रचलित मूल्यों पर सरकार की ओर से 10,000 मीट्रिक टन प्राकृतिक रबड़ खरीदने का निर्देश दिया गया था। राज्य व्यापार निगम ने 9596 मीट्रिक टन की खरीद की थी और यह सूचित किया गया है कि केरल सरकार की दो एजेन्सियों मैसर्ज रबको और केरल स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ने भी 20,000 मीट्रिक टन की खरीद की थी।

फिर भी इससे कीमतों में गिरावट नहीं रुकी और अप्रैल 1998 में कीमतें गिरकर 2663 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गई। मई, 1998 महीने के मध्य में भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 3400 रुपये प्रति क्विंटल से अनधिक प्रचलित बाजार मूल्य पर सरकार की ओर से 20,000 मीट्रिक टन रबड़ खरीदने के लिए प्राधिकृत किया था।

भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम को यह भी निर्देश दिया कि वह घरेलू बाजार में खरीदी गई मात्रा को पुन: न बेचे और खरीदे गए रबड़ की पूरी मात्रा को या तो निर्यात करे या इसे अग्रिम लाइसेंसधारकों को बेच दें।

प्राकृतिक रबड़ का बेंचमार्क मूल्य फरवरी, 1994 में आर.एस.एस.-IV ग्रेड के लिए 2490 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। श्रम की लागत और विभिन्न आदानों की लागत में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखकर, वाणिज्य मंत्रालय ने परिवर्द्धित बेंचमार्क मूल्य को निर्धारित करने के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय में वित्त मंत्रालय की लागत लेखाकार शाखा की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है सरकार रबड़ उत्पादकों की कठिनाईयों के बारे में पूरी तरह सजग है और प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। वास्तव में राज्य व्यापार निगम द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के बाद प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में 6.5.98 को 2525 रु. प्रति क्विंटल से बढ़कर 18.7.98 को 3300 रु. प्रति क्विंटल होने से सुधार हुआ है और यह उम्मीद की जाती है कि कीमतों में वृद्धि की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है और प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सभी कदम उठाए हैं।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि श्री सुरेश कुरूप बड़े नाप-तौल कर किसी बात की प्रशंसा करते हैं लेकिन उनको कुछ गलत धारणा हो गई है कि भारत सरकर ने रबड़ उत्पादकों की सहायता के लिए कुछ नहीं किया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि केरल सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य है और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में हमारा विश्व में तीसरा स्थान है। प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट अनेक कारणों से है और उनमें से अनेक कारण ऐसे हैं जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। सामान्य मंदी के संबंध में, ऐसा केवल भारत में ही नहीं है कि रबड़ की कीमतें नीचे गिरी हों बल्कि पूरे विश्व में ऐसा हुआ है। यदि रबड़ निर्यात करने की सम्भावना होती तो हम निश्चित रूप से ऐसा करते। रबड़ की माँग नहीं है और केवल घाटा उठाने के लिए रबड़ निर्यात करने का कोई तुक नहीं बनता। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के वर्तमान मूल्य हमारे देश के वर्तमान मूल्यों से काफी कम हैं।

अनेक माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मुझे मिले, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और सभा पटल पर अपने विचार व्यक्त किए कि जब तक गिरते हुए मूल्यों पर काबू नहीं पा लिया जाता तब तक उत्पादकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूँ। उत्पादन लागत बढ़ गई है। मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूँ कि लगभग 80 प्रतिशत उत्पादक छोटे उत्पादक हैं और वे बड़े उत्पादक नहीं हैं। इसलिए मैं यह समझता हूँ और यह आवश्यक भी है और सरकार का कर्तव्य भी है कि जहाँ तक सम्भव हो वह उनकी सहायता करे।

मुझे माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मिले और अनेक सुझाव दिए। मैंने उन सुझावों पर पहले ही कार्यवाही कर ली है। पहला, वे बाजार में राज्य व्यापार निगम का हस्तक्षेप चाहते हैं। श्री कुरूप ने कहा है कि पिछले दो दशकों के दौरान जब भी

[श्री रामकृष्ण हेगड़े]

कीमतें गिरी हैं सरकार ने राज्य व्यापार निगम को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बाजार में रबड़ खरीदने को कहा था। यह सच नहीं है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि पिछली बार भी, जब बाजार हस्तक्षेप का सहारा लिया गया था, अब अधिकतम मूल्य 34 रु. निर्धारित किया गया था। इस बार, हमने सोचा चूँकि राज्य व्यापार निगम ने 20,000 टन की बड़ी मात्रा खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश कर लिया है इसलिए कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ीं। इस बारे में कोई शंका नहीं है। इसका मूल्य 2700 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ कर अब यह 3400 रु. प्रति क्विंटल हो गया है। शायद यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

प्राकृतिक रबड़ और रबड़ उत्पादों के आयात के बारे में, मैं यहाँ इस बात का उल्लेख अवश्य करूँगा कि हमने अग्रिम लाइसेंस धारकों द्वारा किये जाने वाले आयात के अतिरिक्त रबड़ के किसी तरह के आयात की अनुमति नहीं दी है। हम उन्हें रोक नहीं सकते। यह उनका अधिकार है। जो निर्यात करते हैं, वह आयात के लिए 'अग्रिम लाइसेंस' का आवेदन कर देते हैं और उसमें यह विनिर्दिष्ट नहीं होता कि वह क्या आयात करने जा रहे हैं। कतिपय उत्पादों का निर्माण करने के लिए कुछ विशेष किस्म के रबड़ का आयात करना आवश्यक भी है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित कर दूं कि उनके द्वारा की गई मांगों में से एक माँग यह थी कि जैसाकि वर्ष 1994 में बैंचमार्क मूल्य 24 रु. प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था जो कि 2400 रु. प्रति क्विंटल बैठता है, उसी प्रकार अब भी बैंचमार्क मूल्य निर्धारित किया जाए। यह एक बहुत उपयुक्त मांग थी। मैं तत्काल सहमत हो गया और जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है, एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न आदानों की लागत को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट तैयार की। मैं नहीं जानता कि वास्तव में रिपोर्ट में क्या है। जैसे ही वित्त मंत्रालय इसे मंजूरी देता है हम इसे कार्यान्वित कर देंगे। यदि कीमतें और गिरती हैं, तो मैं माननीय सदस्यों से परामर्श करूँगा कि हमें और आगे क्या कदम उठाने चाहिए। मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि कीमतें और नहीं गिरेंगी और यदि कीमतें और गिरती हैं तो हम फिर बैठक करेंगे और जो भी आप आवश्यक समझें मैं उसी तरह की कार्यवाही करूंगा।

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, जिस बात का उल्लेख मैंने पहले किया है, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। सरकार चाहे कुछ भी दावा करे, वास्तविकता यह है कि रबड़ की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। अब, केरल में मानसून का मौसम है। जून, जुलाई तथा अगस्त के महीने में रबड़ नहीं निकाला जाता है। सामान्यत: रबड़ की कीमतों में हल्की सी बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति रहेगी। बढ़िया किस्म के रबड़ की वर्तमान कीमत 33 रु. प्रति किलोग्राम है। थोड़े से घटिया किस्म की रबड़ की वर्तमान कीमत 29 रु. प्रति किलोग्राम है, जिसका उत्पादन अधिकतर उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इसलिए, इससे प्रतीत होता है कि कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। हम सब व्यक्तिगत रूप से वाणिज्य मंत्री से मिले। हमने अनेक प्रतिवेदन दिए। सरकार ने तत्काल बैंचमार्क मूल्य निर्धारित करने का वचन दिया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान डेढ़ महीने पहले मेरे तथा अन्य सदस्यों के साथ हुई बैठक की ओर दिलाता हूँ। उन्होंने हमें वचन दिया था कि बैंचमार्क बाजार मूल्य तत्काल निर्धारित कर दिया जाएगा और जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने बैंचमार्क मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं।

मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा हूं वह यह है कि इस देश में आयात की जाने वाली रबड़ की मात्रा के बारे में सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है टायर और साईकिल ट्यूबें आयात की जा रही हैं। इस्तेमाल किए गए टायरों का भी आयात किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इस्तेमाल किए गए टायरों का आयात किस उद्देश्य से किया जा रहा है। विकसित देश इस्तेमाल किए गए बेकार पड़े टायरों के कबाड़ को अपने यहाँ से हटाकर तीसरी दुनिया के देशों में डाल देना चाहते हैं क्योंकि इससे वहाँ पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस्तेमाल में लाए गए टायरों का आयात किया जा रहा है और हमारे देश को कूड़ा घर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

अब मैं सिन्थेटिक रबड़ के आयात के बारे में भी बात करता हूँ। हाल में मेरे विद्वान मित्र, प्रो. पी.जे. कुरियन ने पालयूरेथेन के आयात के बारे में मंत्री जी से जिक्र किया था। पालयूरेथेन का आयात किया जाता है। यह अपकेन्द्री अपरिष्कृत रबड़ (सेन्ट्रिफ्यूगल लेटेक्स) को प्रतिस्थापित कर सकता है। एक अन्य पदार्थ भी है जिसे 'टोलून डीओसोसाइनेट' कहा जाता है, जो कि अन्य उपलब्ध स्थानीय पदार्थों के साथ पालयूरेथेन का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। अन्तत: इससे रबड़ की कीमतें प्रभावित होती हैं।

मेरा निवेदन यह है कि प्राकृतिक रबड़, कृत्रिम रबड़, अन्य रसायनों, टायरों, इस्तेमाल में लाए गए टायरों आदि और इन सभी चीजों के आयात को कम से कम फिलहाल रोके जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि सरकार उदारीकरण की आर्थिक नीति के साथ आगे बढ़ रही है। आपका रबड़ उत्पादकों के प्रति भी कोई कर्तव्य है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह लोग केवल केन्द्र सरकार के संरक्षण के कारण ही रबड़ उत्पादन की ओर उन्मुख हुए। अब सरकार इन कृषकों के संरक्षण तथा रबड़ का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है।

अन्त में, यह उत्पादक उन उद्योगपतियों की दया पर आश्रित हैं जो कि रबड़ उत्पादों का उत्पादन करते हैं। भारत में टायर कम्पनियाँ, जिन्होंने प्राकृतिक रबड़ की कीमत अधिक होने पर टायरों की कीमतें बढ़ा दी थी, रबड़ की कीमतें कम होने पर टायर की कीमतों में एक रुपए की कमी करने की भी परवाह नहीं की। वास्तविकता यह है कि टायर की कीमतें बढ़ रही हैं जबकि प्राकृतिक रबड़ की कीमतें कम हो रही हैं। क्या किसी पर आरोप लगाया जा सकता है यदि वह यह सोचते हैं कि सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों, बड़े-बड़े टायर निर्माताओं के हाथों में खेल रही है और रबड़ उत्पादकों के हित को ध्यान में नहीं रख रही है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है, यह आपका लास्ट प्वाइंट था, अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, कृपया मुझे कहने दीजिए। यह सभा की परम्परा है। मैं केवल दो मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: क्लैरीफिकेशन ही पूछना है। इसमें भाषण की जरूरत कहाँ है? कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, जब आप यहाँ हमारे साथ बैठते हैं, तब आप लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं...*(व्यवधान)* यह बात बिल्कुल गलत है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप क्या चाहते हैं? नियमों के अनुसार ही तो काम होगा। स्पष्टीकरण आप पूछ सकते हैं। चार माननीय सदस्य और भी हैं। उनको भी बोलने का समय देना है। आप अपना लास्ट पाइंट रखिए। चार माननीय सदस्य और हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, यह सदन की प्रक्रिया रही है ...*(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): महोदय, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, रबड़ इलास्टिक है और यह खींचा जाएगा। यहां पर भी वही हो रहा है।

श्री सुरेश कुरुप: महोदय, इन कम्पनियों के बीच ऐसा अल्प विक्रेता अधिकार प्रबन्धन कायम हो गया है कि गिरते हुए बाजार में वे मन्दी का माहौल पैदा कर देते हैं और वे ऊर्ध्वगामी बाजार में पीछे हट जाते हैं। यहां यही हो रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार रबड़ का बैंचमार्क मूल्य के निर्धारण के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार इस बैंचमार्क मूल्य पर बाजार से रबड़ की खरीद करेगी। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसे सरकार को करना चाहिए। सरकार को इसकी घोषणा तुरन्त करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): महोदय, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य मैंने जो कुछ कहा है, उसे समझ नहीं पाए हैं।

श्री सुरेश कुरुप: मूल्यों में गिरावट आ रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो कुछ थोड़ा बहुत सरकार ने किया भी है उसका बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामकृष्ण हेगड़े: यह हो सकता है कि मैं उनकी तरह सुबोध नहीं होऊं। मैंने कहा है कि हमने बैंचमार्क मूल्य निर्धारित करने के लिए कदम उठाए हैं।

श्री सुरेश कुरुप: तो अब आप इसकी घोषणा कीजिए।

श्री रामकृष्ण हेगड़े: मैं अभी तदर्थ तरीके में इसकी घोषणा नहीं कर सकता। इसकी एक प्रक्रिया है। विशेषज्ञ दल इसका अध्ययन करता है और उसे विभिन्न कारकों जैसे आदानों की लागत श्रम लागत आदि को ध्यान में रखना होता है। मैंने कहा रिपोर्ट तैयार है इसे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित करना है। हो सकता है इसमें दो-तीन दिन लग जाएं। यदि रिपोर्ट मंजूर हो जाती है तो मैं तुरन्त इसे प्रकाशित कर दूंगा।

मुझे कहना है कि माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है क्या माननीय मन्त्री जी हमें बताएंगे क्या खंड स्तर चिह्न मूल्य पर खरीदा जाएगा। तो इसका उत्तर 'हां' है।

क्या अब आप सन्तुष्ट हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): महोदय, क्या आप हमें बताएंगे कि एस.टी.सी. द्वारा कितने टन रबड़ खरीदा गया है?

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आप सिर पर क्यों खड़े हो गए। कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोसः मैं माननीय मन्त्री जी से बस यही जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः शान्ति रखिए। जोस साहब आपका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में नहीं है। आप कृपया बैठिए।

श्री रामकृष्ण हेगड़ेः मैं आपको आंकड़े भी दूंगा।

यहां इस प्रकार का सुझाव दिया गया था कि यह सरकार बड़े उद्योगपतियों के एकाधिकार आदि से प्रभावित है। यह सत्य नहीं है। मैं इसका पुरजोर खण्डन' करता हूं।

महोदय, माननीय सदस्यों को पता है वे समाचार-पत्र पढ़ते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में मन्दी है। हमारे देश में भी आटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादन में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। अशोक लेलैण्ड, टेल्को आदि जैसे कुछ आटोमोबाइल उद्योगों में भी मन्दी का दौर चल रहा है। रबड़ कौन खरीदेगा? जब मांग नहीं होगी टायर विनिर्माता निर्माण नहीं करेंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): टायर मूल्यों में कभी भी कमी नहीं आई वे तो हमेशा बढ़ते ही गए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

श्री रामकृष्ण हेगड़ेः क्या मैं समाप्त कर दूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः अब तो कम्पलीट हो गया।

[अनुवाद]

श्री चेंगारा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, मैं आपका ध्यान अपने देश के रबड़ उत्पादकों की ओर दिलाना चाहता हूं। प्राकृतिक रबड़ का लगभग 92 प्रतिशत केरल में उत्पादित किया जाता है। ज्यादातर रबड़ उत्पादक मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। यह सोचते हुए कि रबड़ की खेती लाभप्रद है छोटे किसानों ने टैपियोका और धान की खेती करना बन्द किया और रबड़ की खेती करने लगे। अब रबड़, जहां तक केरल राज्य का सम्बन्ध है, अलाभकारी फसल के रूप में पाई जा रही है। इसने केरल की मौलिक अर्थव्यवस्था को भी हिला दिया है।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य वर्ष 1994 के दौरान 2600 से 4200 रु. प्रति क्विंटल के बीच था और 1996 में यह 6000 रु. प्रति क्विंटल से अधिक हो गया। इसके बाद घरेलू मूल्य में तेजी से गिरावट आई और यह गिरावट 1996 और 1997 के दौरान भी जारी रही। लेकिन आज प्राकृतिक रबड़ का मूल्य बहुत कम हो गया है। भारत सरकार के पहले राज्य व्यापार निगम को बाजार में हस्तक्षेप करके 10,000 मि. टन प्राकृतिक रबड़ खरीदने के लिए प्राधिकृत किया था। तथापि उसमें गिरावट को रोका न जा सका और रबड़ का मूल्य गिरकर 3300 रु. प्रति क्विंटल तक पहुंच गया।

सरकार प्राकृतिक रबड़ के मूल्य को सुधारने और रबड़ उत्पादकों की प्रगति के लिए अविलम्ब कदम उठाए। सरकार रबड़ और रबड़ उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर रबड़ उत्पादकों की सहायता कर सकती है। मेरी मांग है कि रबड़ के मूल्य की गिरावट रोकी जाए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): महोदय, 3.00 बजे मारूति मामले पर चर्चा शुरू की जानी थी। मुझे इस चर्चा के समाप्त होने का इन्तजार करने में आपत्ति नहीं है। बशर्ते अध्यक्षपीठ विशेष विनिर्णय दे कि जैसे ही यह चर्चा समाप्त होगी मारुति के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः ठीक बात है। मारुति पर बहस है उसको इसके बाद होना है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मारुति को भी टायरों की जरूरत होती है और टायरों के लिए हमें रबड़ की आवश्यकता है इसलिए माननीय सदस्य कुछ समय इन्तजार कर सकते हैं।

श्री पी.सी. चाक्को: माननीय सदस्यों ने जो बातें कह दी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और कतिपय मुद्दों पर उनका स्पष्टीकरण चाहता हूं। रबड़ उत्पादकों की व्यथा के लिए आपको कुछ वर्षों पीछे जाना होगा जब आपने माननीय मन्त्री जी के रूप में कोट्टायम का दौरा किया था। उस समय भी हमने आपका ध्यान रबड़ उत्पादकों की समस्याओं की ओर दिलाया था। यहां मैं सबकी जानकारी के लिए पूरी बात विस्तार से बताता हूं। हम अपने देश में 6 लाख टन रबड़ टन का उत्पादन कर रहे हैं। इसकी लागत 60 रु. प्रति कि. हुआ करती थी और अब इसकी लागत 30 रु. प्रति कि. है। इस प्रकार पूरे देश में रबड़ उत्पादकों को लगभग 3,000 करोड़ रु. का घाटा बैठता है। 1960 में हम 15,000 टन रबड़ का उत्पादन कर रहे थे आज हम लगभग 6 लाख टन रबड़ का उत्पादन कर रहे हैं जो भारतीय उद्योग के लिए पर्याप्त है। रबड़ उत्पादकों को उनके कठोर परिश्रम के लिए दण्डित किया जा रहा है। आप एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए यदि वे 6 लाख टन रबड़ का उत्पादन न करते तो भारतीय उद्योग की रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होता। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। हमने इस मामले को न केवल इस सभा में ही उठाया है बल्कि स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति जैसे अन्य मंचों पर भी उठाया है। हाल ही में माननीय मंत्री जी वहां उपस्थित थे और हमने प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से संबंधित लोगों की बातें सुनीं।

एक बार इसी सभा में देश में गन्ना उत्पादकों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा 150 करोड़ रुपये की अनुदान संबंधी अनुपूरक मांग रखी गई थी। उस समय हमने मांग की थी कि रबड़ निर्यातकों को राजसहायता देने के लिए अनुदान संबंधी अनुपूरक मांग क्यों नहीं रखी जा सकती और वाणिज्य मंत्रालय में इसके लिए एक कोष का सृजन क्यों नहीं किया जा सकता। हम रबड़ का अधिक उत्पादन कर रहे हैं। रबड़ का निर्यात किया जा सकता है हो सकता है यह लाभप्रद मूल्य पर न हो इस प्रकार की स्थिति में यदि भारत सरकार राजसहायता देती है अथवा कम से कम निर्यात के कारण होने वाले घाटे को पूरा करती है तो यह रबड़ उत्पादकों की बहुत बड़ी सहायता होगी। इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? यह राशि उस राशि से आधी भी नहीं है जो गन्ना और विभिन्न अन्य फसलों के लिए उपलब्ध कराई गई थी।

यह बात सत्य है कि आयात हो रहा है। माननीय मंत्री ने बताया कि अग्रिम लाइसेंसीकरण योजना को बन्द नहीं किया जा सकता है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अग्रिम लाइसेंसीकरण योजना वर्तमान में चल रही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यातक को आयात करने का अधिकार होता है। परन्तु जब आप कतिपय वस्तुओं के आयात पर रोक लगाते हैं तो यह अग्रिम लाइसेंसीकरण योजना के अन्तर्गत नहीं आएगा। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि रबड़ के टायरों के लिए विभिन्न ग्रेड के रबड़ की आवश्यकता पड़ती है। टायर के निर्माण के लिए आवश्यक प्राकृतिक रबड़ की कोई भी ग्रेड जो मलेशिया या श्रीलंका में उपलब्ध है वह अपने देश में भी उपलब्ध है। इसीलिए इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि देश का कोई उद्योगपति—चाहे उसका अग्रिम लाइसेंसीकरण हक कुछ भी हो—देश में रबड़ के एक किलोग्राम का भी आयात करे। जब हमारी आपूर्ति और मांग की परिस्थिति न्यायोचित नहीं है तो बाहर से रबड़ को आयात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हाल ही में समाचार-पत्रों में एक बड़ा विज्ञापन प्रकाशित हुआ था कि भारत में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने अपने टायर बेचना शुरू किया है। वे अपने टायर का विपणन कर रहे हैं। मैं उस कम्पनी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। यह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी थी जिसने भारत में अपने टायर बेचना आरम्भ किया है। उपयोग में लाए जा चुके टायरों का आयात किया जा रहा है। हमने प्रश्न उठाया था और हमें बताया गया था कि इसके पीछे रीट्रेडिंग लॉबी का हाथ है। जैसाकि श्री कुरूप ने कहा था, हमने सभा में ण्लीउरेथेन फोम (पफ) के बारे में लगातार कई बार बहुत कुछ कहा सुना था। पी.यू.एफ. पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत था; इसे कम कर 40 प्रतिशत कर दिया गया था; फिर इसे 25 प्रतिशत कर दिया गया; अब यह 15 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि रबड़ को जो भी चीज प्रतिस्थापित करती है—चाहे वो उपयोग में लाए गए टायर हों, नए टायर के रूप में हो या पी.यू.एफ. के रूप में हो—उसका आयात किया जा रहा है। जब देश में पर्याप्त मात्रा में रबड़ का उत्पादन हो रहा है तो यह पूरी तरह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वह उस वस्तु पर अग्रिम लाइसेंसीकरण पर रोक लगाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माननीय मन्त्री महोदय या सरकार इस समस्या से अवगत नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मंत्री जी इससे चिन्तित नहीं हैं। मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय इस बात से अत्यधिक चिन्तित है। परन्तु प्रश्न यह है कि जब वे राज्य व्यापार निगम से रबड़ की बड़ी मात्रा को खरीदने के लिए कहते हैं तो इससे रबड़ किसानों को सहायता नहीं मिल रही है। इसके लिए एक बेंचमार्क मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा था कि यह बात वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। वे कृपया इस बात का पता अपने अधिकारियों से करें। यह मामला कम से कम 20 दिन पहले वाणिज्य मंत्रालय को वापस भेज दिया गया था। वित्त मंत्रालय के

[श्री पी.सी. चाक्को]

लागत लेखाकारों ने आंकड़ों को निकालकर इसे वापस वाणिज्य मंत्रालय को भेज दिया था। यह एक दूसरी बात है कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है।

सरकार लगातार काम करने वाली प्रणाली है। सभा में पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने कहा था कि जब कभी मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम कम हुए तो विभिन्न वस्तुओं के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप को अपनाया गया है। ऐसी हस्तक्षेप योजना रबड़ के लिए कहाँ है? राज्य व्यापार निगम द्वारा बाजार मूल्य पर रबड़ की खरीद को बाजार हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। वे बाजार मूल्य पर रबड़ खरीदते हैं और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तब वे बेच देते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। यह बाजार में हस्तक्षेप करना नहीं हुआ। बाजार हस्तक्षेप का अर्थ होता है एक बेंचमार्क मूल्य एक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करना और उस मूल्य पर उस विशेष वस्तु को खरीदना। यह माननीय मंत्री के विरुद्ध हमारा क्रोध नहीं है अपितु यह हमारी मनोव्यथा है। हम उनसे आज सभा में यह घोषणा करने का अनुरोध करते हैं कि आगामी अमुक तारीख को बेंचमार्क मूल्य निर्धारित किया जाएगा। वे ऐसा 24 घण्टों में कर सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उत्पादन लागत क्या है। वे एक रबड़ उत्पादक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें 45 रुपये से 50 रुपये तक का न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए। यदि यह मूल्य निर्धारित किया जाता है और यदि यह कहें कि, उस न्यूनतम मूल्य पर 5000 टन रबड़ की खरीद की जाती है तो स्थिति में सुधार आएगा।

अग्रिम लाइसेंसीकरण योजना समाप्त की जानी चाहिए। बेंचमार्क मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और उस बेंचमार्क मूल्य पर राज्य व्यापार निगम को खरीद करनी चाहिए। तभी हम लोग बच पाएंगे। किसान ने रबड़ के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। किसान ने रबड़ के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: फार्मर्स का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

श्री पी.सी. चाक्को: सभापति जी, आप भी सुनिए।

[अनुवाद]

कृपया मेरी बात समझिए महोदय। हमें मंत्री महोदय पर पूरा विश्वास है और मैं माननीय मंत्री से आज घोषणा करने का अनुरोध करता हूं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं केन्द्र सरकार, विशेषकर माननीय वाणिज्य मंत्री का ध्यान पूरे देश के और विशेष रूप से केरल के रबड़ उत्पादकों की निराशाजनक स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसाकि आप जानते हैं केरल के अधिकांश रबड़ की खेती करने वाले किसान सीमान्त किसान हैं और उनके पास मात्र एक या दो एकड़ भूमि ही है। वे बड़े किसान नहीं हैं। इस प्रकार वहाँ पर अत्यधिक गम्भीर स्थिति है।

मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि रबड़ उत्पाद का बड़ा भाग केरल में उत्पादित होता है। यह मामला बार-बार, विशेष रूप से सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान, सरकार के ध्यान में लाया गया। मैंने स्वयं चर्चा के दौरान यह बात उठायी थी। केरल के लोगों और सभा में केरल के सदस्यों के लिए यह अत्यन्त खेद का विषय है कि स्थिति को सुधारने के लिए और कृषकों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया।

माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा उस संबंध में मुझे कतिपय शंकाएं हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय या सरकार ने मूल्यों को सुधारने और किसानों की सहायता करने के लिए प्रत्येक सम्भाव्य कदम उठाया है। परन्तु रबड़ के मूल्य को सुधारने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया या उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया गया। यदि हमारे द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से कुछ सुधार होता। परन्तु सब कुछ इसके उलट हो रहा है।

जब तक कि सरकार अपनी आयात नीति नहीं बदलती जैसाकि अन्य सदस्यों द्वारा कई बार कहा जा चुका है, तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। जब देश में रबड़ की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है और देश के औद्योगिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए अपेक्षित रबड़ का उत्पादन करने में केरल अकेले ही सक्षम है तो फिर आयात क्यों होना चाहिए? कम से कम कुछ समय तक के लिए जब तक कि मूल्य को उठाया नहीं जाता, तब तक सरकार अपनी आयात नीति क्यों नहीं बदल सकती।

माननीय मंत्री ने कहा था कि अग्रिम लाइसेंस प्रणाली से संबंधित नियमों को बदलना सम्भव नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह इतनी मुश्किल बात है। हमने अपने संविधान में कई बार संशोधन किए हैं। अग्रिम लाइसेंसीकरण नीति को बदलने से सरकार को कौन रोकता है? मैं नहीं समझता कि यह एक ऐसा अपरिवर्तनीय मुद्दा है जिसे बदला नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि लोहे की ईंटों को भी किसी दूसरी वस्तु के रूप में बदला जा सकता है।

यही बात है जिसे मैं सभा में उठाना चाहता हूं और मैं इस पर सरकार से उत्तर चाहता हूँ।

सभापति महोदय: हाँ, अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, कृपया एक मिनट रुकिये। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह कहते रहे हैं कि उन्होंने अपनी सीमा में सम्भव सारे प्रयास कर लिये हैं। इस सरकार को सत्ता में आए महीनों बीत गए हैं। रबड़ का मौसम बीत गया है। अब मानसून का मौसम है। यही समय है जब मूल्य में तेजी आनी चाहिए। परन्तु सरकार द्वारा अभी तक बेंचमार्क मूल्य तय नहीं किए जाने के कारण इसमें तेजी नहीं आ पा रही है।

जब तक कि बेंचमार्क मूल्य तय नहीं किया जाता है तब तक राज्य व्यापार निगम द्वारा की जा रही खरीद का कोई फायदा नहीं होगा।

सभापति महोदय: ठीक है। कृपया अब अपने स्थान पर बैठिए।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैं केरल के लोगों की ओर से इस बात को उठा रहा हूँ मुझे इस तरह चुप नहीं कराया जा सकता।

सभापति महोदय: एक ही बात बार-बार दोहरायी जा रही है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मुझे खेद है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है। मैं चाहता हूं सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए और बेंचमार्क मूल्य तय करे। मैं यह भी चाहता हूं सरकार तय किये गये मूल्य पर रबड़ की खरीद भी करे।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं इस हस्तक्षेप के बाद बाजार से राज्य व्यापार निगम टायर की कितनी मात्रा की खरीद कर रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: नियम यह है कि जिनके नाम इसमें दिए गए हैं उनके अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। इस पर सारे माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो हम किसको बुलाएँ और किस को छोड़ें।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, हमें भी इस पर बोलना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ध्यानाकर्षण में डिबेट की गुंजाइश नहीं होती है। जिन माननीय सदस्यों के इसमें नाम हैं वे स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं और हमने उन सबको बोलने का समय दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: हम उपयोग में लाए गए टायर किस लिए आयात करते हैं? उपयोग में लाए गए टायरों का आयात नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम सरकार को तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा कुछ न हो *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है, आपका पाइंट हो गया, अब आप आसन ग्रहण कीजिए। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य): सभापति जी, देश में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में गिरावट आने के कारण केरल के रबड़ उत्पादकों को हो रही कठिनाइयों की ओर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और हम रबर फार्मर्स की मांगों का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामकृष्ण हेगड़े: मैं समझ नहीं पा रहा हूं जब नए टायरों की ही माँग नहीं है तो कोई उपयोग में लाए गए पुराने टायरों का आयात कैसे कर सकता है? यह एक तरह का भ्रम है। पहली बात बेंचमार्क मूल्य के सम्बनध में है जिसका निर्धारण नहीं किया गया है। मैंने कहा कि मुझसे तीन सप्ताह पहले, शायद, एक महीने भर पहले मिलने के पश्चात् हमने तुरन्त कदम उठाए थे और रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट वाणिज्य विभाग के पास है। इसे प्रक्रिया के नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसे मंत्रिमंडल में ले जाना होगा। इस मामले को यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि मंत्रिमंडल इसे स्वीकृति दे देगा।

[श्री रामकृष्ण हेगड़े]

दूसरा, एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार राज्य व्यापार निगम या अन्य किसी एजेन्सी के माध्यम से उच्चतम मूल्य पर प्राकृतिक रबर खरीदेगी। मेरा उत्तर था, जी, हां। सरकार जो भी उच्चतम मूल्य होगा, उस पर खरीदेगी।

श्री जोस ने एक प्रश्न पूछा था कि राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदे गए रबड़ की वास्तविक मात्रा क्या है। राज्य व्यापार निगम ने 4,500 मीट्रिक टन रबर के लिए आदेश दिए थे। राज्य व्यापार निगम सीधे या निजी एजेन्सियों से नहीं खरीदती। यह सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदती है। परन्तु सहकारी समितियों ने एक मुद्दा उठाया है कि उन्हें रखरखाव के लिए मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए वे 50 पैसे अधिक मांग रहे हैं। मैं राज्य व्यापार निगम के साथ बातचीत कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि "अगर केरल सरकार इसमें भागीदारी करने को तैयार हो तो मैं कुल लागत के 50 प्रतिशत की भागीदारी करने को तैयार हूँ। केरल सरकार ने ऐसा पहले किया है। मैंने केरल के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है कि वे इस मामले पर विचार करें और उन्हें भी मदद करनी चाहिए। पिछली बार उन्होंने ऐसा किया था। इस वर्ष भी उन्हें इस ओर कदम उठाना चाहिए।

इसके अलावा, मैंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखे हैं कि वे अपने राजमार्गों पर रबड़ बिछाने का काम शुरू करें। मैंने अपने सहयोगी जल भूतल परिवहन मंत्री को भी पत्र लिखा है। मेरे पास उस पत्र की प्रति है। मैं उन्हें लिख चुका हूँ। अब रबड़ का बाजार मंदी में चल रहा है और रबड़ का मूल्य घट गया है। किसानों के लिए इसे उगाना अब महंगा पड़ रहा है। अगर वे इसे उगाना बंद कर देते हैं तो हमें इसका आयात करना पड़ेगा। इससे काफी विदेशी मुद्रा खर्च होगी। यह इस उद्योग या किसी अन्य उद्योग की ही स्थिति नहीं है। यहां रबड़ का दाम उन देशों की तुलना में अधिक क्यों गिरता है जहां कि रबड़ का उत्पादन यहां से अधिक होता है? वास्तव में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और हर जगह ही प्राकृतिक रबड़ का मूल्य हमारे देश से अधिक तेजी से घटा है। इसलिए मैं माननीय मंत्रियों को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं भी चिन्तित हूँ और मैं भी यथासंभव काम करूँगा। साथ ही, उन्हें केरल के मुख्य मंत्री पर कुछ दबाव डालना चाहिए जिससे वे भी किसानों की मदद के लिए आगे आएं।

जैसे ही मंत्रिमंडल निर्णय लेती है उच्चतम मूल्य की घोषणा की जाएगी हो सकता है अगली बैठक में ही हो। मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी उच्चतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा, चाहे कोई भी लागत हो राज्य व्यापार निगम उस मूल्य पर खरीदेगा। मैं इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब तक हम बाजार में नहीं जाते तब तक रबड़ का मूल्य बढ़ता रहेगा।

उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की उत्पादकता उच्चतम है, वृद्धि दर प्रति वर्ष नौ प्रतिशत से भी अधिक है, हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गलत निष्कर्ष न निकालिए कि सरकार किसानों की सहायता के लिए आगे नहीं आ रही है। हम जितनी अधिक से अधिक सहायता कर सकेंगे, करेंगे। उनका कहना है कि रबड़ को खींचा जा सकता है परन्तु अगर हम इसे खींचते हैं तो यह टूट जाएगी।

प्रो. पी.जे. कुरियनः ऐसा न कीजिए।

केवल स्पष्टीकरण के लिए ही माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रयोग किए गए टायरों का आयात करना संभव नहीं है। यह ठीक है। मैं जानता हूँ कि उनका निर्यात नहीं किया जा सकता। परन्तु क्या किसानों के हित में, मंत्री जी नए टायरों का आयात करने के लिए तैयार हैं? संभवतः चूंकि नए टायरों का आयात किया जा रहा है इसलिए उद्योग भी प्रभावित होता है। क्या वे नए टायरों का आयात करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं?

श्री रामकृष्ण हेगड़ेः रेडियल टायर।

प्रो. पी.जे. कुरियनः दूसरे, मंत्री जी ने कहा है कि राज्य व्यापार निगम पहले ही 4,000 टन रबड़ खरीद चुका है और उनका लक्ष्य 20,000 टन का है। 4,000 या 20,000 टन रबड़ देने के बाद जो भी भारतीय बाजार में आए, क्या वे इसका निर्यात करने के लिए तैयार हैं। यह सच है कि जब हम निर्यात करेंगे तो उन्हें घाटा हो सकता है। वह घाटा चाहे जितना हो, भारत सरकार को वह घाटा उठाना होगा। भारत सरकार द्वारा उस घाटे को उठाए जाने की स्थिति में क्या वे उस रबड़ का निर्यात करने को तैयार हैं? ये दो विशेष मांगें हैं जो केरल सरकार और केरल के लोग कर रहे हैं। इन दो बातों की तरफ उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): माननीय सदस्य ने इस बात को माना है कि उन्होंने आयात की अनुमति दी है। उस बात को स्पष्ट करना चाहिए।

श्री रामकृष्ण हेगड़ेः हमने कोई अनुमति नहीं दी है। आयात की कुल लागत 2 करोड़ रुपये से कम रही है। अफवाहों की ओर ध्यान न दें। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गत वर्ष हमने 9900 लगभग 10000 मिट्रिक टन रबड़ प्राप्त की थी। यह अब भी राज्य व्यापार निगम में पड़ा है। हम नहीं जानते, चाहे हम इसे कुछ भी कहें।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): जापान से मांग आई है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े: क्या आप एजेन्सी लेंगे?

श्री पी.सी. थामस: केरल में एक कम्पनी है। वह एजेन्सी लेने को तैयार है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े: कृपया उन्हें यहां भेजिए। उन्हें एस टी सी से संपर्क करने के लिए कहें। वे निर्यात करने के लिए तैयार हैं।

श्री पी.सी. थामस: उनके पास 20,000 टन का निर्यात आदेश है। उनके पास धन नहीं है। जैसा कि प्रो. कुरियन ने कहा है अगर भारत सरकार घाटा उठाने को तैयार है तो ऐसी कम्पनियां भी हैं जो निर्यात के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं।

श्री रामकृष्ण हेगड़े: क्या आप उस कम्पनी से कहेंगे जो निर्यात करने के लिए तैयार है कि वह एस टी सी से सम्पर्क करे।

श्री पी.सी. थामस: कम्पनी का नाम पालाजी टायर्स, कोट्टायम, केरल है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े: यद्यपि इससे कुछ हानि होगी अधिक नहीं। तथापि, एस.टी.सी. उस कम्पनी के माध्यम से निर्यात करेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समाप्त हुआ। अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। अगर सभा की अनुमति हो तो मैं माननीय सदस्यों के नाम पुकारता हूँ। उनके नियम 377 पढ़े हुए माने जाएंगे।

1. श्री कृष्ण लाल शर्मा
2. डा. राम लखन सिंह
3. श्री गिरधारी लाल भार्गव
4. श्री गोरधनभाई जावीया
5. श्री नरेन्द्र बुडानिया
6. श्री के.जी. सुल्तानपुरी
7. श्री अभय सिंह एस. भोंसले
8. डा. असीम बाला
9. श्री सी. गोपाल
10. मोहम्मद अली अशरफ फातमी
11. श्री अकबर अली खाण्डोकर
12. श्री बी.एम. मेसिंकई

अपराह्न 3.23 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में एक व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): राजधानी में काफी लंबे समय से दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य राजधानी में जरूरतमंद और गरीब लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराना था। परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने मुख्य उद्देश्यों से दूर हो गया है और व्यावसायिक धंधों में लग गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भविष्य के लिए भी राजधानी में आवास उपलब्ध कराने के संबंध में कोई व्यापक नीति नहीं बनाई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना किसी ठोस योजना के भूमि का काफी भाग प्राप्त कर लिया है जिससे सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। इसके अलावा बुनियादी और आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण काफी वर्षों से राजधानी के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फ्लैटों के बड़े-बड़े ब्लाक खाली पड़े हैं। ये फ्लैट काफी लंबे समय से आबंटित नहीं किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण के राजस्व में काफी घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ काफी बड़ी संख्या में इच्छुक खरीददार और जरूरतमंद लोग घर पाने की लंबी लाइन में खड़े हैं। यह सब सही नियोजन की कमी और अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ समन्वय की कमी तथा डी.डी.ए. की व्यापक नीति न होने की वजह से हुआ है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के संबंध में एक अन्य चौंकाने वाली बात ब्याज वसूल करने के संबंध में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने आवासों के इच्छुक खरीददारों से प्राप्त जमा राशि पर काफी कम ब्याज देती है और आवासों की लागत

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

के लिए देय किस्तों का भुगतान करने से चूकने वाले लोगों से काफी अधिक ब्याज वसूल करती है।

इन सब बातों से पता चलता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की छवि को सुधारने के लिए काफी कुछ किए जाने की आवश्कता है।

सबसे पहले मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के अब तक के किए गए कार्यों के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करे। दूसरा, भूमि अधिग्रहण, क्षति पूर्ति के भुगतान, तैयार आवासों के आवंटन, नए निर्माण और अतिक्रमण को दूर करने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक व्यापक नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(दो) मध्य प्रदेश के भिण्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिंड (मध्य प्रदेश) के अन्तर्गत लाहार, आलमपुर, दबाऊ, सेवड़ा, अमाइन आदि स्थानों पर पिछले 6 माह से टेलीफोन व्यवस्था एकदम ठप्प पड़ी हुई है, न तो लोग यहां से कहीं टेलीफोन कर पा रहे हैं और न उन्हें कोई टेलीफोन की सूचना ही मिल पा रही है जिसके कारण व्यापारी वर्ग तथा आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यापारियों के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा टेलीफोन ठीक न होने के कारण काफी नुकसान होता जा रहा है।

इस क्षेत्र के लोगों का अन्य शहरों के लोगों से टेलीफोन संपर्क कट गया है। अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त स्थानों पर संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सम्पूर्म भारत में एक मात्र संस्था है जहां कि व्यवस्था ठीक नहीं है। इस संस्था में मुफ्त में दवा नहीं मिलती है। एमरजेंसी में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और रात्रि को कोई स्टाफ नहीं रखा है। इस संस्थान के पास वनस्पति उद्यान नहीं है व द्रव्यगुण की जानकारी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है व इस संस्थान में शरीर रचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए मृत बॉडी भी नहीं पाई जाती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सम्पूर्ण भारत में स्थित एकमात्र संस्था राष्ट्रीय आयुर्वेद की व्यवस्था की कमियों को दूर करने की कृपा करें।

(चार) दिल्ली-पोरबन्दर एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाये जाने की आवश्यकता

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया (पोरबन्दर): महोदय, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर एवं गांधी जी जन्म की 125 जयंती के उपलक्ष्य में एवं जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए "दिल्ली पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन" शुरू की गई लेकिन यह ट्रेन सिर्फ सप्ताह में एक ही दिन चलाई जाती है।

इस ट्रेन का लाभ सिर्फ पोरबंदर ही नहीं बल्कि पूरा सौराष्ट्र, गुजरात एवं देश के अन्य हिस्सों के लोग भी लेते हैं जो लाखों सहेलगाह गांधी जी के जन्म स्थान पोरबंदर आते हैं, उसके अलावा पोरबंदर एवं आसपास के विस्तार औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुआ है जिससे बहुत व्यापारी और औद्योगिक लोग भी लाभ ले रहे हैं और पास में दुनिया के प्रसिद्ध द्वारकाधाम, जहां भगवान श्रीकृष्ण जी ने राज्य किया था एवं औखावेट जहां श्रीकृष्ण भगवान को अपने सखा सुदामा जी ने चावल भेंट किया था। ये सब यात्राधाम एवं प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की वजह से बहुत ट्रैफिक होने से इस ट्रेन को सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलाया जाना चाहिए जो आसानी से चलाया जा सकता है क्योंकि यह ट्रेन चार दिन तक पोरबंदर बेकार खड़ी रहती है।

इस ट्रेन के अलावा ट्रेनों के बहुत मसले हैं जिसमें अहमदाबाद, राजकोट की ट्रेनें पोरबंदर तक बढ़ाना, ट्रेनों का समय कम करना, रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाना, मुख्य-मुख्य स्टेशनों पर कम्प्यटरीकरण, जनता की शिकायतें आदि मसलें भी हैं जिसके लिए एक उच्चस्तरीय रेल कमेटी भेजकर रिपोर्ट देना।

आशा है रेल मंत्री इस पर तुरंत ध्यान देंगे।

(पांच) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू): महोदय, सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के ग्रामीण क्षेत्रों

में विद्युत व्यवस्था पूर्णत: ठप्प है, जिसके कारण किसान अपने कुओं से खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तथा उनकी खड़ी फसल सिंचाई के अभाव में चौपट हो रही है। जहां एक ओर किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, वहीं विद्युत के अभाव में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई भी बाधित हो रही है, जिसके कारण ऐसी भयंकर गर्मी में जनता पेयजल के लिए तरस रही है। विद्युत आपूर्ति के अभाव में ढाणियों एवं गांवों में अंधेरा रहता है, जिससे चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले कुछ महीनों में इन क्षेत्रों में चोरी एवं लूटपाट तथा डकैती की अनेक घटनाएं हुई हैं। जहां कहीं विद्युत सप्लाई होती भी है, वहां बहुत कम वोल्टेज पर आती है, जिसके कारण किसान अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाते हैं।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार को निर्देश दे कि ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर चुरू लोक सभा क्षेत्र के ग्रामों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे ताकि किसानों की खड़ी फसल चौपट होने से बचें, ग्रामीण एवं नगरों में जल आपूर्ति नियमित रूप से हो सके तथा चोरी एवं लूटपाट की घटनाओं से बचा जा सके। किसानों को उनके कुओं पर विद्युत कनैक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएं ताकि अन्न का उत्पादन बढ़ सके।

(छह) हिमाचल प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्राथमिक पाठशाला से लेकर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवम् कालेज पिछली सरकार द्वारा खोले गए जिसकी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। प्रधानाचार्य एवम् मुख्याध्यापकों की नियुक्तियां भी हुई, परन्तु अभी तक सैकड़ों प्राथमिक पाठशालाएं, माध्यमिक पाठशालाएं तथा कालेज ऐसे हैं जहां पर अभी भी अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं जिससे छात्रों और छात्राओं के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनके माता-पिता परेशान हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में अध्यापक नहीं जा रहे हैं। यहां तक हो गया है कि जिन कालेजों को पिछली सरकार ने चालू करने की अनुमति दी थी, उनकी कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं की गई हैं। जिला शिमला में ठियोग में कालेज खोलने के लिए प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी हुई, परन्तु दु:ख इस बात का है कि अभी तक भी वहां पर कालेज में कक्षाएं शुरू नहीं की गई, जिससे लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो गई है। लोग भूख-हड़ताल पर बैठे हैं और वह मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद न किया जाए। राज्य सरकार को इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर राज्य सरकार के पास धन का अभाव है और वह इस बात में सक्षम नहीं है कि वह सारे अध्यापकों को वेतन दे सके तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि वह राज्य सरकार को इसके लिए आर्थिक सहायता दे। जो शिक्षा केन्द्र खोले गए है वहां स्टाफ को भेजकर इस कठिनाई को दूर किया जाए।

[अनुवाद]

(सात) मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर रह रहे गंदी बस्ती निवासियों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री अभय सिंह एस. भोंसले (सतारा): महोदय, स्वातंत्र्योत्तर काल में औद्योगिकीकरण के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने मुम्बई में प्रवास किया फलत: राज्य सरकार की भूमि, अन्य अर्द्ध-सरकारी भूमियों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों अर्थात रेलवे और विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर अनेक गंदी बस्तियां बनीं।

गंदी बस्तियों की अस्वस्थकर दशाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गंदी बस्तियों के उन निवासियों की जीवन दशाओं में सुधार के लिए कदम उठाए हैं जिनके नाम 1980 और 1985 की निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए गए थे और जो वर्तमान में उसी स्थान पर रह रहे हैं।

राज्य सरकार ने गंदी बस्तियों के निवासियों के जीवन स्तर और गंदी बस्तियों की पर्यावरणीय दशाओं में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं अर्थात गंदी बस्ती सुधार योजना, गंदी बस्ती उन्नयन योजना, गंदी बस्ती पुनर्विकास योजना कार्यान्वित की हैं। किंतु इन योजनाओं का लाभ केन्द्रीय सरकार की भूमि पर रह रहे गंदी बस्ती निवासियों को नहीं पहुंचा है चूँकि केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग ने योजना के कार्यान्वयन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है।

1976, 1980 और 1985 की जनगणना के अनुसार वृहद् मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर 168 गंदी बस्तियां स्थित हैं, चूँकि इन भूमियों का स्वामित्व केन्द्रीय सरकार के विभागों का है अत: केन्द्रीय सरकार की भूमि पर स्थित गंदी बस्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनसे 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' की आवश्यकता होती है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान करें।

(आठ) पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना–चरण दो को स्वीकृति दिए जाने और इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. असीम बाला (नवद्वीप): महोदय, गंगा कार्य योजना-चरण-एक के अन्तर्गत कार्य पूरा हो गया है। पश्चिम बंगाल में गंगा कार्य योजना-चरण-दो का कार्यक्रम अभी शुरू किया जाना है। राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन केन्द्रीय सरकार को 348.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव सौंपा गया जिसे अक्तूबर 1996 में प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई ह। विभिन्न संघटकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्टों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य सरकार ने पहले ही केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि राज्य के बजट में परियोजना लागत के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए संसाधन प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की जुलाई, 1997 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी यह निर्णय किया गया था कि गंगा कार्य योजना-चरण दो की स्कीमों को पूरी धनराशि भारत सरकार देगी।

पर्यावरण सुधार के संबंध में गंगाकार्य योजना के अन्तर्गत स्कीमें काफी महत्वपूर्ण हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन न होने से उन क्षेत्रों अर्थात शहरों के पर्यावरण और गंगा नदी के जल की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा इसके अलावा स्थानीय लोगों में असंतोष उपजेगा। इसलिए, पश्चिम बंगाल के शहरों की योजनाओं को, जिनके लिए भारत सरकार ने पहले ही प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, गंगा कार्य योजना चरण-दो के अंतर्गत यथासंभव स्वीकृति दी जाए।

(नौ) जरूरतमंद निर्धन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम): महोदय, यह सर्वविदित तथ्य है कि इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कनारा बैंक, बैंक आफ इंडिया सहित कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे राष्ट्र के निर्धन लोगों के जीवनस्तर के उत्थान के उद्देश्य के लिए किया गया था। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य उक्त बैंकों के माध्यम से निर्धन लोगों को ऋण देना था। किंतु उक्त उद्देश्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। ये बैंक केवल धनी लोगों को ही ऋण देने में रुचि रखते हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्धन बुनकरों, किसानों, छोटे व्यापारियों, युवा स्नातकों, शिल्पकारों और वास्तुकारों को ऋण देने का निदेश दें। जैसा हम जानते हैं इंडियन बैंक जैसे बैंकों ने समाज के निर्धन लोगों को ऋण देने की नीति को नहीं अपनाया था और कहा जाता है कि बैंक को अभी संपन्न लोगों से 2000 करोड़ रुपए की ऋण राशि को वसूल करना है, इस ऋण की अदायगी का उनका कोई इरादा नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले की जांच करने के आदेश देने तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के निदेश देने का अनुरोध करता हूँ।

(दस) बिहार में दरभंगा में महाप्रबंधक, दूरसंचार के कार्यालय के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए वहां पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र में अभी हाल में स्थापित महाप्रबंधक दूरसंचार की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां पर टी.डी.एम. के स्थान पर महाप्रबंधक कार्यालय की स्थापना कर दी गई है किन्तु अभी तक न तो महाप्रबंधक महोदय ने चार्ज लिया है और पूर्व में जो टी.डी.एम. व्यवस्था थी वह भी समाप्त हो गई है। इन सब के कारण दूरसंचार के विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और विकास के संबंध में जो कार्य किये जाने थे वह ठप्प पड़े हुए हैं।

सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय जो स्थापित किया है उसके लिए पर्याप्त स्टाफ यहां पर पदास्थापित किया जाये और महाप्रबंधक दूरसंचार को यहां पर बैठने हेतु निर्देशित किया जाये जिससे यहां के दूरसंचार के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में हुगली स्थित डनलप इंडिया लिमिटेड के एकक को पुनः खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर): महोदय, एशिया की सबसे बड़ी टायर विनिर्माता रही कंपनी डनलप इंडिया लिमिटेड ने कार्य निलम्बन की घोषणा की है। परिणामस्वरूप लगभग 7000 कामगार बेकार हो गए हैं। यह एकक हुगली जिले के चिनसुरा

में स्थित है। यह कंपनी रुग्ण हो गई है और इसे औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने साहागंज एकक के प्रबंधन का अधिग्रहण करने का आश्वासन दिया है। किंतु आज तक इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। कामगार और उनके परिवार के सदस्य भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इन गरीब कामगारों के बच्चे, स्कूलों और कालेजों को छोड़ने के लिए बाध्य हो गए हैं चूँकि वे फीस देने में असमर्थ हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस एकक को पुन: खोलकर इस मामले में मध्यस्थता करे।

(बारह) बंगलौर सी एस टी मुम्बई एक्सप्रेस को हवेरी और राणेबेन्नूर में रोके जाने की आवश्यकता

श्री बी. एम. मेनसिंकाई (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, ट्रेन संख्या 1018 बंगलौर सी एस टी मुम्बई एक्सप्रेस बारास्ता मिराज को जिला मुख्यालय हवेरी और राणेबेन्नूर, जो एक व्यावसायिक और औद्योगिक केन्द्र है, में रुकने की व्यवस्था की जाए।

इस क्षेत्र के लोगों के घनिष्ठ व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षिक और भावनात्मक संबंध है। यह क्षेत्र पहले बम्बई-कर्नाटक में था। पहले मीटर लाईन रेलवे के समय महालक्ष्मी एक्सप्रेस हवेरी और राणेबेन्नूर में रुका करती थी। अब किसी रेलगाड़ी के अभाव में इस क्षेत्र के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन भी चलाया जाना चाहिए। मैं एक बार पुन: इस वास्तविक मांग को पूरा करने का अनुरोध करता हूँ।

अपराह्न 3.27 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

मारूति उद्योग लिमिटेड

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब नियम 193 के अधीन बहस शुरू होगी। माननीय सदस्य श्री एस. जयपाल रेड्डी।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आज गुस्से की बजाए दु:खी होकर बोलने के लिए उठा हूँ क्योंकि मैं एक वरिष्ठ सदस्य श्री सिकंदर बख्त का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय के साथ समस्या यह है कि वह सब कुछ व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि वर्षों के हमारे संबंधों का लिहाज करते हुए वह इस बार ऐसा नहीं करेंगे। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 3.28 बजे

(प्रो. रीता वर्मा *पीठासीन* हुईं)

महोदया, मैं अब मारूति कम्पनी के सुजुकीकरण के विषय पर बात कर रहा हूँ। सरकार की अपनी मारुति कम्पनी लिमिटेड को पहला झटका 1992 में लगा था। ऐसा तब हुआ जबकि कांग्रेस सरकार ने सुजुकी कम्पनी को अपनी इक्विटी 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी थी, इसका कारण वह सरकार बेहतर जानती है। अंतिम झटका इस सरकार द्वारा लगा है। मैं इतनी कठोर टिप्पणी देने के लिए क्षमा चाहता हूं।

इससे पहले कि मैं इस समझौते के गुण-दोष बताऊँ, मैं इस पूरे मुद्दे के थोड़े इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। सुजुकी कम्पनी की इक्विटी 50 प्रतिशत बढ़ाने से पहले श्री भार्गव मारुति कम्पनी के प्रबंध निदेशक थे। वह सरकार के मनोनीत प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी के प्रबंध निदेशक थे। वह सात वर्ष के लम्बे समय तक कम्पनी के प्रबंध निदेशक रहे। जब इक्विटी को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया और बारी से प्रबंध निदेशक का नामांकन करने के लिए सुजुकी के पास आया तो सुजुकी ने उन्हीं श्री भार्गव का नाम अपनी इच्छा से चुना। सुजुकी कम्पनी की ओर से प्रबंध निदेशक बनने से पहले श्री भार्गव के विरुद्ध बहुत से गंभीर आरोप थे। उन आरोपों की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा करवाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कम्पनी के प्रबंध निदेशक के पद से हट जाने के बाद सी.बी.आई. ने श्री भार्गव के विरुद्ध कुछ आरोपों की जांच की तथा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किए।

मैं इस समय कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं उस समय राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का सभापति था। यह मामला समिति के ध्यान में लाया गया था तथा इस मामले की विस्तार से जांच करने के पश्चात् समिति ने सर्वसम्मति से सरकार को यह सिफारिश की कि चूँकि श्री भार्गव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दायर हैं, उन्हें प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया जाना चाहिए। समिति की यह रिपोर्ट 25 अगस्त, 1995 को प्रस्तुत की गई थी। मैं समिति की रिपोर्ट

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

से उद्धरित करता हूँ:

"समिति का यह विचार है कि सरकार को कम्पनी कानून के अंतर्गत तथा सुजुकी को ऊँचे तथा स्पष्ट शब्दों में यह बताते हुए कि सरकार उनके द्वारा तैनात गलत मनोनीत व्यक्ति को नहीं रखेगी। श्री भार्गव के विरुद्ध उनको उनके पद से हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।"

यह समिति की सिफारिश थी। मुझे यहाँ यह अवश्य कहना चाहिए कि तत्कालीन उद्योग मंत्री, श्री करूणाकरन ने इस सर्वदलीय समिति की सर्वसम्मति से दी गई सिफारिश पर बहुत गंभीरता से विचार किया और सराहनीय शीघ्रता तथा तत्परता से कार्य किया। उन्होंने सुजुकी को श्री भार्गव के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मनोनीत करने के लिए लिखा। चूँकि उस समय सुजुकी कम्पनी के पास अपनी पसन्द का व्यक्ति चुनने का विशेषाधिकार था, सरकार ने सुजुकी को लिखित में जानकारी दी कि श्री भार्गव के विरुद्ध अनेक आरोप पत्र हैं और इसलिए वह इस कम्पनी के प्रबंध निदेशक बनने के लायक नहीं हैं। सुजुकी कम्पनी ने श्री भार्गव को हटाने से साफ मना कर दिया। सुजुकी ने अपनी पसंद का मनोनीत व्यक्ति चुनने के अपने निहित अधिकार की दुहाई दी। उस समय सरकार समिति की सिफारिश के अनुसार इस मामले में कदम उठवाने के लिए कम्पनी बोर्ड के पास गई।

मुझे एक अन्य कदम उठाने के लिए श्री करूणाकरन को बधाई देनी चाहिए जो कदम बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। श्री जगदीश खट्टर भी मारुति बोर्ड के निदेशक के रूप सरकार के एक मनोनीत व्यक्ति थे। जब उन्हें सुजुकी कम्पनी के साथ सांठ-गांठ करते देखा गया तो श्री करूणाकरन ने आदेश दिए कि उन्हें निदेशक मंडल से हटा दिया जाए।

इस बीच, नई सरकार सत्ता में आई और श्री मुरासोली मारन ने उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने भी मामले में उतना ही कड़ा रुख अपनाया। श्री करुणाकरन के आदेश को श्री मुरासोली मारन ने लागू किया था। और इससे अधिक क्या? श्री मारन ने श्री भास्कररूडु को प्रबन्ध निदेशक के रूप में मनोनीत करने के लिए कदम उठाया। सुजुकी ने यह कहकर इसका विरोध किया कि श्री भास्कररूडु उस कमपनी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। श्री मारन ने कहा कि आप अपनी दोनों बातें नहीं मनवा सकते हैं। जब हमने आपको श्री भार्गव को हटाने के लिए कहा तो आप सहमत नहीं हुए। आपने अपने पूर्ण विशेषाधिकार का दावा किया। अब प्रबंध-निदेशक चुनने की हमारी बारी है और हमारी पसन्द को भी उसी तरह माना जाना चाहिए। इस बात को माना नहीं जा सकता और सुजकी इतने नाराज हुए कि वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए।

अब, मारूति कम्पनी कैसे गठित की जाए? महोदया, मारूति कम्पनी को न केवल विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में संरक्षण प्रदान किया गया अपितु देश के कार निर्माताओं से भी संरक्षण प्रदान किया गया। उन्हें उस 'माइल्डवैड' कार, 'एम्बैसडर' और एक अन्य 'माइल्डवैड' कार 'फिएट' से भी संरक्षण प्रदान किया गया। मारूति उद्योग लिमिटेड की उत्पाद शुल्क में छूट 2200 करोड़ रु. तक हो गई। मैं अपनी कल्पना से यह आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। यह आँकड़े अपने मामले में सफाई पक्ष के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे।

मारूति में सुजुकी कम्पनी द्वारा क्या निवेश किया गया था? उसकी पूँजी केवल 103 करोड़ रु. थी और सुजुकी को उसके बदले क्या मिला? उसे लाभ के रूप में अथवा रायल्टी के रूप में 350 करोड़ रु. मिले। सुजुकी कम्पनी ने 4200 करोड़ रु. के कलपुर्जे तथा उपकरण बेचे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे इतना अधिक लाभ कमाया है। सामान्य अनुमान यह है कि उपकरण पर निर्भर करते हुए लाभ 20 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा।

जब सरकार द्वारा मनोनीत श्री भास्करूडु ने कम्पनी में कार्यभार संभाला, सुजुकी ने दूसरा रास्ता अपनाया। वह था इक्विटी को 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने की कोशिश करना। उसने अनेक विस्तार योजनाओं और नई पेंटिंग कम्पनियों के सुझाव देने आरम्भ किए। विश्लेषण ने यह साबित किया कि उनकी सभी योजनाएँ इक्विटी बढ़ाने के लिए हैं न कि कम्पनी को मजबूत करने के लिए हैं। इसलिए सरकार बिल्कुल भी नहीं झुकी। बाजार में इस कम्पनी का वर्तमान मूल्य क्या है? मैं रुपए में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि रुपए का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह एक अन्य मामला है। मैं मुख्य विषय से हटना नहीं चाहता हूँ। इस कम्पनी का बाजार मूल्य तीन बिलियन डॉलर से कम नहीं है। आज सरकार की इक्विटी 1.5 बिलियन डॉलर के बराबर है। यह देश में करदाताओं के पैसे से बनाई गई है।

हमारी सरकार ने छिप कर समझौता किया है। सरकार ने शनिवार, 6 जून 1998 को करार किया था। क्या मैं उस समझौते से उद्धरित करूँ? मेरे पास समझौते की एक प्रति है। इसलिए मैं समझौते से उद्धरित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यदि मंत्री जी चाहें तो मैं इसे सभापटल पर रख सकता हूँ। इसके उपबन्धों को सार्वजनिक नहीं किया गया। मैं समझौते से उद्धरित कर रहा हूं:

"2.2. दोनों पक्ष श्री जगदीश खट्टर को नियुक्ति करने के लिए सहमत हैं, जिनको 9 जून 1998 तक मारूति का सरकार द्वारा नामित पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया जाएगा क्योंकि दूसरे संयुक्त प्रबंध निदेशक जून, 1998 से और विलम्ब किए बिना 1 जुलाई, 1999 से प्रभावी होंगे।"

यह उपबंध, जो मैंने पढ़ा है, के तीन पहलू हैं। एक श्री जगदीश खट्टर जिनको पहले सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में हटा दिया गया था, उन्हें 2,002 तक के लिए तत्काल वापस लाया जाएगा। दूसरा उन्हें तत्काल दूसरा संयुक्त प्रबंध निदेशक बना दिया जाएगा। फिर बाद में उन्हें दूसरा प्रबंध निदेशक बना दिया जाएगा। मंत्री जी ने 8 तारीख को सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में सभा को इन तथ्यों के बारे में बताना उचित नहीं समझा। श्री जगदीश खट्टर को सुजुकी कम्पनी ने चुना और उन्हें सरकार द्वारा नामित माना गया।

अब इस समझौते में सुजुकी कम्पनी अपनी पसन्द का सभापति बनाएगी और अपनी पसंद का प्रबंध निदेशक बनाएंगी। मैंने पहले राज्य सभा की समिति की रिपोर्ट से उद्धरित किया है जिसमें श्री भार्गव को थोपा गया और एक भ्रष्ट नामित कहा गया है। श्री जगदीश खट्टर श्री भार्गव के एक विख्यात उत्तराधिकारी होंगे। श्री भार्गव ने भी उनका लाभ लिया था। वे उनके अनुयायी थे। सुजुकी को परम शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह किसी भी सरकार के नामनिर्दिष्ट को अपने रूप में ढाल सकती है। श्री भास्करूडु को कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वह सुज़की कम्पनी की कठपुतली नहीं बने। यह सरकार श्री भास्करूडु को उनके देशप्रेम के लिए दण्डित कर रही है। स्वदेशी की बात करने वाली इस सरकार ने एक देशभक्त कहे जा सकने वाले श्री भास्करूडु को दण्डित किया।

मैं इस समझौते जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया है से पुन: उद्धृत करूंगा:

> "6.3 संयुक्त उद्यम समझौते के संशोधित अनुच्छेद 5.7 में दिये गए प्रावधान के अनुसार मारुति की प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन के संबंध में सुजुकी के अनुभव और तकनीक को मान्यता और सम्मान दिया जाएगा। इसमें दिन प्रतिदिन प्रबन्धन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय और प्रबंधन नीतियों संबंधी निर्णय शामिल है। सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया और वह इससे सहमत हुई कि मारुति को इसे स्वीकार करने के लिए कहा जाए।"

इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रौद्योगिकी अथवा प्रौद्योगिकी के मूल्य अथवा प्रबंधन के तरीके के संबंध में सुजुकी जो कुछ भी कहे, मारुति कम्पनी को इससे सहमत होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। इस खण्ड का यही अभिप्राय है। इसमें यह भी कहा गया है कि "दिन प्रतिदिन प्रबंधन के संबंध में सुजुकी कम्पनी के निर्णय अंतिम होंगे।" आप मुझे विश्व के निगमित क्षेत्र में कोई अन्य समझौता दिखाइए जहां ऐसी शर्मनाक शर्तें लगाई गई हों।

महोदया, यह पूरी चीज ऐसे गुप्त रूप से की गई कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष गवाह प्रस्तुत करने में सरकार को कठिनाई हो रही है। एक व्यक्ति है—उनका नाम पढ़ने में मैं असमर्थ हूँ। उनका नाम वास्तव में—श्री आर.जे. शर्मा है मुझे यह पता लगाना होगा। मैं नहीं जानता। वह मंत्री महोदय के निजी सचिव हैं। मुझे मंत्री जी के निजी सचिव के साथ कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार वह एक सरकारी कर्मचारी हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए साक्षी केवल मंत्री महोदय के निजी सचिव हैं। क्या इससे अधिक आपत्तिजनक, हास्यास्पद और अपमानजनक कुछ और होगा?

इस प्रकार का समझौता शनिवार को किया गया था। मैं यहां पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारी उद्योग मंत्रालय को विश्वास में नहीं लिया गया था। सचिवों की किसी समिति द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। मंत्रियों के किसी ग्रुप द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। यह मामला केबिनेट के सम्मुख कभी नहीं उठाया गया था। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव, श्री शंकर जो इसके सचिव थे को 5 जून तक इसके बारे में पता नहीं था। उन्हें शनिवार को बुलाया गया और इस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। इस मामले पर किन व्यक्तियों को विश्वास में लिया गया और मंत्री जी ने इसे उचित क्यों नहीं समझा कि किसी समिति द्वारा गहराई से इस मामले का अध्ययन किया जाए। इस समझौते को करने के लिए सरकार के समक्ष क्या बाध्यताएं थी। सरकार ने पोखरण दौर के बाद आर्थिक रणनीति के तौर चतुराई से इसे टालने का प्रयास किया उनके साथ छल हो रहा है। सुजुकी जापान की एक बहुत छोटी कम्पनी है। इसके जापान में आटो मोबाइल्स क्षेत्र के 7 प्रतिशत शेयर है और हमारे मंत्री और भारत सरकार को विश्वास है कि सुजुकी जापान सरकार को प्रभावित कर सकती है।

महोदया, मैं कठोर शब्द कह कर मंत्री जी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं लेकिन इस घोटाले की चर्चा दूर-दूर तक हो रही है और मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इस घोटाले की जांच करने की आवश्यकता है। यदि मंत्री जी को विश्वास है कि यह समझौता उनके अपने विभाग की जानकारी के बिना और संसद की जानकारी के बिना और भारत के लोगों की कीमत पर किया गया है तो उन्हें संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच करने के लिए सहमत होना चाहिए। इससे उन गंभीर राजीनामों का पता चलेगा जो इस प्रश्न पर समझौता करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय हित को दांव पर लगाकर किये हैं।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इस घोटाले की चर्चा इस सरकार के गिरने तक जारी रहेगी जो ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए मंत्री जी को पूरे मामले पर जोरदार विलाप करके और अधिमानी अभिकल्पों द्वारा बचने न दिया जाए जिसके लिए वे जाने जाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, भारत सरकार और सुजुकी कम्पनी के बीच 8 जून 1998 को किया गया करार इस वर्ष का यदि सही न भी हो तो, सबसे बड़ा घोटाला है। सुजुकी कम्पनी के साथ उपलब्धि के दावे और समझौते जापान की बहुराष्ट्रिक कम्पनी के दबाव के सन्मुख घुटने टेकने हैं।

मारुति कम्पनी लिमिटेड की स्थापना 1981 में की गई थी लेकिन वर्ष 1982 में इस कम्पनी में सुजुकी मोटर कम्पनी के 26 प्रतिशत शेयर थे तत्पश्चात् यह बढ़कर 40 प्रतिशत हो गए और भारत सरकार ने अपने शेयर 50 प्रतिशत तक ही रखे। तत्पश्चात् 1992 में सुजुकी के शेयर बढ़कर 50 प्रतिशत हो गए जब यह मारुति कम्पनी लि. के प्रबन्धन के लिए अधिकारी हो गए। उस समय मारुति और सुजुकी, भारत सरकार और सुजुकी के बीच करार हुआ था। मैं, 1992 के करार की धारा 5.1 से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा:

> ''निदेशक मण्डल का चेयरमैन सुजुकी और सरकार द्वारा इन शर्तों पर मनोनीत किया जाएगा कि निदेशक मण्डल के चेयरमैन को मनोनीत करने वाली पार्टी ही ऐसे चेयरमैन को हटाने और पूर्ववर्ती के कार्यकाल की समाप्ति तक निदेशक मण्डल के नए चेयरमैन को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत होगी। कम्पनी और सरकार को शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक में निदेशक मण्डल के अगले चेयरमैन को चुनने का अधिकार होगा।''

करार के अनुसार भारत सरकार ने चेयरमैन की नियुक्ति की और प्रबन्ध निदेशक सुजुकी द्वारा मनोनीत व्यक्ति बना। श्री भार्गव को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया और वह सुजुकी द्वारा मनोनीत किए गए थे।

इस सदन के साथ-साथ दूसरे सदन में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने यह मामला उठाया और श्री भार्गव पर अनेक आरोप लगाए गए दूसरे सदन में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने इस मामले पर आश्वासन दिया और राज्य सभा की आश्वासन समिति ने मामले पर विचार करना आरंभ किया और श्री भार्गव को हटाने के पक्ष में जोरदार सिफारिश की क्योंकि उन पर लगाए गए गम्भीर आरोपों को सच पाया गया।

जब राज्य सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उस समय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री टी.आर. प्रसाद को सिफारिश की। उन्होंने सुजुकी मोटर कारपोरेशन को पत्र लिखा और उन्हें उसका जवाब भी मिला। और वह जवाब क्या था? मैं सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने प्रेजीडेन्ट और सीईओ श्री कोसमो सुजुकी से प्राप्त पत्र को उद्धृत करता हूं:

> ''मारुति एक निजी कम्पनी है जिसमें भारत सरकार और सुजुकी मोटर कारपोरेशन के बराबर के शेयर हैं और निगमित संस्था के निदेशक मण्डल की नियुक्ति और उनकी स्थिति दोनों शेयरधारकों के बीच हुए करार के पश्चात् निर्धारित की गई है। प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति दोनों शेयरधारकों द्वारा मनोनीत बोर्ड सदस्यों से बारी-बारी से की जाएगी। वास्तव में यह आपसी समझौता था कि मारूति के प्रबन्ध निदेशक का चुनाव दोनों शेयरधारकों ने प्रतिनिधियों के करार के अनुसार कराया जाता था। इस करार के आधार पर, प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया और मैंने सुजुकी मोटर कारपोरेशन का प्रतिनिधित्व किया, दोनों श्री आर.सी. भार्गव को प्रबन्ध निदेशक के रूप में चुनने के लिए जून 1992 में सहमत हुए थे। चुने गए प्रबन्ध निदेशक को किसी एक पार्टी अथवा आपके अकेले निर्णय पर दोनों शेयर धारकों की आपसी सहमति के बिना हटाया नहीं जा सकता।''

सुजुकी मोटर कारपोरेशन के प्रेजीडेन्ट और सीईओ से यह जवाब प्राप्त हुआ था।

जब भारत सरकार ने सुजुकी मोटर कारपोरेशन द्वारा मनोनीत प्रबंध निदेशक को हटाना चाहा तो सुजुकी मोटर कारपोरेशन उस पर राजी नहीं हुआ। श्री भार्गव के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् जब श्री भास्करूडु को कम्पनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तो सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने आपत्ति उठाई। श्री भास्करूडु भारत सरकार के मनोनीत व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना कम्पनी को पसन्द नहीं है। वे चाहते थे कि श्री खट्टर को प्रबंध निदेशक बनाया जाए।

श्री खट्टर को 1996 में निदेशक के रूप में वहां से हटाया गया था। उन्हें निदेशक के पद से हटाया गया था। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब यहां सरकार का नेतृत्व कांग्रेस (आई) कर रही थी और जब संयुक्त मोर्चा सत्ता में आई तो श्री खट्टर को निदेशक पद से हटाया गया था। उन्हें निदेशक पद से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उन पर गम्भीर आरोप लगाया गया था।

वे तो सुजुकी मोटर कारपोरेशन के द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति थे। वे भारत सरकार के हितों की रक्षा नहीं कर रहे थे और वे भार्गव के आदमी थे। इसी कारण भारत सरकार श्री खट्टर

को हटाना चाहती थी और उन्हें बाद में हटा दिया गया। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे भारत सरकार ने हटा दिया था और जो सुजुकी मोटर कारपोरेशन के आदमी सिद्ध हुए। सुजुकी मोटर कारपोरेशन चाहता था कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री खट्टर बनें।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदया, जब संयुक्त मोर्चा सरकार इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी, अर्थात् सुजुकी कम्पनी, के दबाव में नहीं आयी और उसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं किया तो सभी वर्गों का समर्थन सरकार को मिला था। मैं श्री प्रमोद महाजन द्वारा उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन को एक सशक्त कदम उठाने के लिए बधाई देने हेतु लिखे गए पत्र का उल्लेख कर सकता हूं।

> "सरकार को जापानी फर्म को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि यदि वे हमारे देश में व्यापार जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा।"

फिर, इस सरकार को क्या हो गया है? श्री जार्ज फर्नान्डीज इस समय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उन्होंने भी एक जोरदार पत्र लिखा था क्योंकि वे भी श्री आर.सी. भार्गव के पद पर बने रहने के विरुद्ध थे। उन्होंने सभा में भी इस मामले को उठाया था। उन्होंने सी.बी.आई. जाँच की मांग की थी। उन्होंने भी श्री मुरासोली मारन को सशक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बधाई देते हुए पत्र लिखा था। यह वास्तव में सशक्त कदम था। सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों आया है? इस बात का हमें पता लगाना होगा। मैं श्री जयपाल रेड्डी के इस दृष्टिकोण का समर्थन करता हूँ कि यह एक गम्भीर मामला है जिसमें न केवल करोड़ों रुपये जुड़े है अपितु यह देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

महोदया, सुजुकी कम्पनी का कुल निवेश कितना है? यह 100 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा है। वह धन कितना है जो इन्होंने 100 करोड़ रुपये के निवेश से इस कम्पनी से लेकर गए हैं? लाभांश और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के द्वारा उन्हें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

श्री जयपाल रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि यह जापान की कोई बहुत बड़ी कम्पनी नहीं है। ऑटोमोबाइल उद्योग में उसकी भागीदारिता अत्यधिक कम है। इसकी मात्र सात प्रतिशत की भागीदारिता है। ऐसी स्थिति में क्यों भारत सरकार सुजुकी कम्पनी के दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर रही है। संसद में इसपर विचार-विमर्श क्यों नहीं किया गया? अचानक संसद की अपेक्षा करते हुए एक समझौते पर संसद को ताक पर रखते हुए हस्ताक्षर किए गए। माननीय मंत्री ने स्वयं संसद में एक वक्तव्य दिया था। संसद में इस समझौते पर चर्चा क्यों नहीं हुई थी? हम इस बात की चर्चा कर सकते थे यह समझौता देश के हित में है या नहीं। जरूर कुछ गुप्त समझौता भी हुआ होगा। हम संसद के सत्र के पहले ही भाग में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। समय आबंटित किया गया था, परन्तु हमें देश की प्रतिष्ठा, देश के हितों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

ऐसा क्यों हुआ था? इस पर सरकार ने क्या कहा था? मंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था:

> "मतभेदों को शीघ्र दूर करने और व्यापार के विकास और प्रौद्योगिकी के सुधार के महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने मध्यस्थता कार्यवाही से अलग बातचीत के जरिए समाधान के लिए अपनी सहमति व्यक्ति की है।"

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समझौते के अनुसार पूर्व में सुजुकी मोटर लिमिटेड द्वारा प्रौद्योगिकी की आपूर्ति की गई थी? उन्होंने आपूर्ति नहीं की थी। अब वे 8000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जापान की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी मारूति उद्योग लिमिटेड को हथियाना है।

इस समझौते के द्वारा हमारे हितों की रक्षा नहीं की गई है। उद्योग मंत्री हमें बताएंगे कि इस समझौते के द्वारा हमारे देश के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी। 1992 में जो समझौता किया गया था उसे निष्प्रभावी क्यों बनाया गया है? हम उस कम्पनी के बाजार शेयर को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने का विरोध करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। उस समय सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा में व्यापकता लायी गई थी। जब बराबर शेयर दिए गए थे तो सुजुकी मोटर्स लिमिटेड को 12 निदेशकों के साथ प्रबन्धन में भागीदारिता की अनुमति दी गई थी। 50 प्रतिशत मारुति या भारत सरकार के होंगे और 50 प्रतिशत सुजुकी मोटर्स लिमिटेड से होंगे। इस समझौते को निष्प्रभावी क्यों बनाया गया? समझौते को किए जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? सुजुकी मोटर्स लिमिटेड की शर्तें और निबन्धनों को मानने की क्या जल्दी थी? ऐसी कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं थी। इस पर संसद के बाहर निर्णय क्यों लिया गया? भारत सरकार ने सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के दबाव में आकर आत्मसमर्पण क्यों किया?

[श्री बसुदेव आचार्य]

मैं मांग करता हूं कि इस समझौते के सभी पक्षों की जांच करने और प्रतिष्ठित कम्पनी मारूति उद्योग लिमिटेड को बेचे जाने की जाँच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाये जिससे कि वह संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके। यह एक गम्भीर मामला है और इसे जल्दबाजी में निपटाया गया। मैं मांग करता हूं कि सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के दबाव के समक्ष झुकने या आत्मसमर्पण करने या सहमत होने के पीछे निहित उद्देश्यों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त संसदीय दल की जाँच का आदेश दिया जाये।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति महोदया, आज यहां पर उद्योग मंत्री द्वारा 8 जून, 1998 के मारूति उद्योग लिमिटेड के संबंध में दिये गये वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा चल रही है।

जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हम लोग विदेशों से मोटरगाड़ियां आयात किया करते थे। हम लोग 1947 में इस देश में आस्टिन गाड़ी देखा करते थे। इसके बाद इस देश में 2-3 कम्पनियों ने गाड़ियां बनाना शुरू किया। पहले फिएट और उसके बाद पाल मोटर्स ने गाड़ी बनाने का काम शुरू किया। उस समय इंग्लैंड की मौरिस गाड़ी के सामान को आयात करके उस

अपराह्न 4.11 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

समय की हिन्दुस्तान नाम की गाड़ी में लगाया गया जो बाद में अम्बैसेडर के नाम से जानी गई। इसी बीच में स्टैंडर्ड नाम से भी एक गाड़ी आई लेकिन कुछ दिनों बाद यह बननी बंद हो गई। शायद एक-दो गाड़ी ही सड़कों पर देखी जाती थी। तब केवल दो गाड़ियों यानी फिएट एवं अम्बैसेडर का निर्माण ही रह गया। जब मैं 1961 में मैडिकल कालेज से डाक्टर बना तो यही सोचा था कि मेरे पिता जी ने मेरे नाम से कोई गाड़ी क्यों नहीं बुक की ताकि जब मैं डाक्टर बन जाता तो गाड़ी मुझे मिल जाती। उस समय देश के लोगों ने गाड़ी खरीदने के लिए नम्बर लगाये और राशियां जमा कीं। उस समय 20-25 हजार रुपया गाड़ियों के लिए जमा किया जाता था और लोग लाईन में लगे रहते थे। गाड़ी वर्षों में मिलती थी। उसके बाद एक समय आया।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): आपके जमाने में आया।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: हां, मेरे जमाने में वह समय आया। देश की इस मांग को लेकर देश में एक कल्पना बनी कि कोई एक ऐसी गाड़ी आये जो आम नागरिकों के लिए बने। मैं स्व. संजय गांधी का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने एक गाड़ी बनाने का सपना लिया। उन्होंने न जाने कहां कहां से सामान और पुर्जे इकट्ठे करके, उद्योग मेले में एक गाड़ी के रूप में दिखलाये। मैं भी उस उद्योग मेले में आया था और देखने से लगा कि शायद कोई अच्छी गाड़ी बन रही है लेकिन उसका सारा सामान विदेश से घपले में लाकर बनाया गया था। उसके बाद यह मारूति उद्योग लि. के नाम से कम्पनी बनी। इसमें एक शैड के अलावा और कुछ नहीं बना। तब मारूति उद्योग लि. तथा सुजूकी के साथ एक समझौता हुआ और सुजूकी मारूति के नाम से गाड़ी यहां आई। उस समय शायद इस गाड़ी का दाम 46-47 हजार रुपये था। देश की आजादी के बाद बहुत सी ऐसी.....

श्री लालू प्रसाद: उसका मैकेनिक नहीं मिला करता था।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: अब तो गांव-गांव में मिल रहे हैं। मारूति का जितना विस्तार हुआ है उतना किसी और का नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, जब यह गाड़ी मार्केट में आई तो दाम कम था लेकिन आज कामन मैन को इसका दाम 2 लाख से ज्यादा देना पड़ रहा है। उस समय जिस गाड़ी का दाम 46-47 हजार रुपये था, वह आज 2 लाख रुपये से ऊपर की हो गई है। स्व. संजय गांधी के बाद इस देश में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी बने। वे भी गाड़ी के शौकीन थे और गाड़ी खुद चलाया करते थे। वे इतने शौकीन ये कि गाड़ी लेकर अपनी सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए मारूति चलाया करते थे।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): चेयरमैन साहब, यह नियम 193 के तहत बोल रहे हैं या और कुछ और कह रहे हैं। जो आदमी इस सदन में मौजूद नहीं, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: सभापति महोदय, मैं मारूति उद्योग के बारे में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: आप विषय पर बोलिये।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: सभापति जी, भारत सरकार का इसमें जितना शेयर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, उस समय कोई शेयर का परिवर्तन नहीं किया गया। इसके पहले वाली सरकारों ने शेयरों में 50-50 प्रतिशत का बंटवारा किया। *...(व्यवधान)* आप सुन तो लीजिए। लालू जी मेरे पुराने मित्र हैं। वह नहीं चाहेंगे कि मदन जायसवाल बोले। इसलिए बीच-बीच में टोक रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: सभापति जी, आप समझ लीजिए कि ये कैसे डॉक्टर हैं, क्या डाइगनोसिस करते होंगे। अभी भूमिका ही बांध रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राजवीर सिंह (आंवला): आपके डॉक्टर यही रहे होंगे, इसलिए आपकी तबीयत गड़बड़ रहती है। *...(व्यवधान)*

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: आज कारों के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आया है। इस देश में मारूति के बाद बहुत सी गाड़ियां आ गई। अब हमारे देश में मर्सिडीज बन रही है, होण्डा सिटी आ गई है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में रेवोल्यूशन राजीव गांधी की देन है। *...(व्यवधान)* आज जिस बिन्दु पर चर्चा हो रही है, मैं उस बिन्दु पर आ रहा हूं। संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय जो समझौता हुआ सरकार और मारूति उद्योग के बीच, वह समझौता मारूति कंपनी से मिलकर होना था और सरकार ने एक मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की। इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी। चर्चा हुई कि सरकार ने सुजुकी कम्पनी की बात न मानकर अपनी मर्जी से यह नियुक्ति की है जबकि कंपनी के साथ मिलकर यह फैसला करना था। वह नहीं हुआ और इसको लेकर केस चला। आर्बिटरेशन में सुजुकी कंपनी गई। यह मामला लंबा खिचता। अब उसमें जो नयी गाड़ियां और मॉडल आ रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय सदस्य न केवल तत्कालीन सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं परन्तु वे शायद अनजाने में देश के हितों की भी अनदेखी कर रहे हैं। मैं 'अनजाने में' इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे अपने स्वयं के सूत्रीकरण के व्यापक प्रभावों से अवगत नहीं हैं।

तत्कालीन सरकार पूर्णत: अपने प्रबन्ध निदेशक को नियुक्त करने के लिए अधिकार सम्पन्न थी। प्रबन्ध निदेशक को सुजुकी कम्पनी से परामर्श कर चुना जाना कभी भी आवश्यक नहीं था। यह माननीय सदस्य की गलत धारणा है। मेरे विचार से उन्हें भारत की संसद के सदस्य के रूप में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: सभापति महोदय, बात यहीं तक सीमित होती तो सुजुकी को आर्बिटरेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रेड्डी जी का मैं आदर करता हूं और वे बड़े प्रखर वक्ता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर यह स्थिति होती तो उनको आर्बिटरेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मारुति उद्योग में नई गाड़ियों को आना था, गाड़ियों की नई व्यवस्था होनी थी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करें।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): आप जब चाहे मुझसे उत्तर की मांग कर सकते *...(व्यवधान)* जब मेरी बारी आएगी मैं उत्तर दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं श्री जयराम रमेश, जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, के इस विषय पर एक लेख की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उन्होंने तो आपको अनुरोध नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह 22 जून, 1998 की 'इंडिया टुडे' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने इसका अनुरोध नहीं किया है। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: इस देश में बहुत सी पब्लिक सैक्टर कंपनियां हैं, यह भारत सरकार का काम नहीं है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं श्री जयपाल रेड्डी द्वारा रखे गए एक तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं *...(व्यवधान)* महोदय, मैं

[श्री खारबेल स्वाईं]

लाँछन नहीं लगा रहा हूँ ...*(व्यवधान)* महोदय, लेख में लिखा है मैं उद्धृत करता हूं:

"इस संयुक्त उद्यम समझौते से प्रत्येक भागीदार को 1997 से बारी-बारी से एक प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने का अधिकार मिला है। इस बार भारत की बारी थी ...."

सभापति महोदयः इसे आप तब पढ़िये जब बोलने की आपकी बारी हो।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसादः हम भी बुद्धिजीवी हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: आप सब कुछ थे, आप मुझे यही सिखा रहे हैं, मैं तो नया आया हूं। *...(व्यवधान)* इंटेलेक्चुअल आ गये हैं, हम जो करते हैं, खराब करते हैं। आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप जो बोलेंगे, वह सही है, हम जो बोलेंगे वह गलत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया व्यवधान न डालें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवालः सभापति महोदय, सुजुकी कंपनी का बहुत सा डेवलपमेंट का काम था। भारत सरकार एक छोटी सी कंपनी नहीं है कि सुजुकी कंपनी से डर जाएगी। सुजुकी कंपनी जैसी प्रवासी कंपनियों को भारत सरकार देख सकती है, जापान की सैकड़ों कंपनियों को भारत सरकार देख सकती है। भारत सरकार की जिस तरह से तुलना की जा रही है, वह बड़े शर्म की बात है। एक छोटी सी कंपनी को लेकर भारत सरकार की तुलना की जा रही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा यही है कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि सरकार व्यापार करना सीख जाती या व्यापार करती तो आज आई.डी.पी.एल. बंद नहीं हो जाता, आज एच.ई.सी., रांची में अपना रोना नहीं रोती, आज मेकॉन मरने की स्थिति में नहीं आती। आज जितनी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे 'भेल' हो या जो भी हो, सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए। सरकार ने जो फैसला लिया है, सुजुकी कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट किया है, वह सही है। वह देश के हक में है। सरकार को व्यापार में नहीं जाना चाहिए। सरकार गाड़ी बनाने लगे, सरकार बिजनेस हाउस बन जाए, यह सरकार का काम नहीं है। सरकार को देश के हर नागरिक के बारे में सोचने का अधिकार है। *...(व्यवधान)*

आज देश की इकोनोमी क्यों चरमरा गई है, आज देश की हालत ऐसी क्यों हो गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री स्वाईं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएँ।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवालः चाहे कोयला उद्योग था या जो भी उद्योग थे, जो नफे में थे, वे सरकार ने ले लिए। अब वे घाटे में चल रहे हैं। आज एच.ई.सी. क्यों बंद हो गई, 'भेल' की आज क्या हालत हो गई है। जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं इन्होंने देश की इकोनोमी को बर्बाद किया है और देश को अरबों रुपयों का घाटा उठाना पड़ा है। उसी को लेकर आज हमारे मित्र जो यहां बैठे हुए हैं, उन्हीं के नेता श्री मनमोहन सिंह जी ने यह तय किया कि इन कंपनियों के जितने लोग हैं, उन्हें फेज वाइज वोलन्टरिली रिटायर किया जाए। ऐसी व्यवस्था की गई और उनके शेयर बेचने शुरू किये गये।

सभापति महोदय, इन कंपनियों के शेयर विदेशों में बेचे जा रहे हैं। आज इन कंपनियों की क्या स्थिति बन गई है। हम आज घाटे का व्यापार कर रहे हैं। आज हम देश में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। आप क्या उस प्रवृत्ति पर रोक लगाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम सुजुकी के साथ समझौता न करे?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने सुजुकी के साथ जो समझौता किया है, वह सही दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, उद्योग की दृष्टि से, इस देश के हक में है। हम चाहते हैं कि इस देश में और नई गाड़ियां आएं और सस्ती कारें बने। इसलिए सरकार ने जो फैसला किया है और माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह सही है। मैं उसका पक्षधर हूं और मैं उनका समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरन (तिरुअनन्तपुरम): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री जयपाल रेड्डी जी को इस मामले को बहुत ही

सत्यपूर्ण और विश्वासपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ। अभी भी काफी बातें सामने आनी हैं। जब उद्योग मंत्री ने सभा में यह विवरण दिया था तो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था। मैं सोच रहा था कि माननीय मंत्री जी को क्या हुआ है। मेरे मन में उनके लिए काफी आदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उद्योग मंत्री जी ऐसा निर्णय लेंगे।

जैसा कि ठीक ही कहा गया है, मैं जानता हूं कि मंत्री जी इस बारे में एकदम अनभिज्ञ हैं। यहां तक कि उनके विभाग को भी सुजुकी की तथा तथाकथित सरकार के बीच होने वाली बात से अलग रखा गया था। ऐसी कौन सी बात थी जिसने सरकार को सबसे खराब निर्णय लेने पर मजबूर किया था। ऐसा निर्णय हमारे देश के इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया। यह बिना बात के झुकना है। संभवत: जब मंत्री जी उत्तर देंगे वे यह कहेंगे कि एक विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लंबित पड़ा था जो इस उद्योग की प्रगति के लिए घातक था। अब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष क्या मामला है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष यही प्रश्न था कि क्या प्रबंधन निदेशक और चेयरमैन को परामर्श या सम्मति से नियुक्त किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष केवल यही मुद्दा है। यदि उसका निर्णय बुरा भी होता फिर भी इससे अधिक बुरा नहीं होता। सरकार और उद्योग उतना प्रभावित न होते जितना ये आज हुए हैं।

मैं मंत्री जी या सरकार के विरुद्ध भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यह सरकार केवल नाम की है। मैं जानता हूँ कि विभाग से संबंधित अधिकारियों से परामर्श नहीं किया गया। यहां तक कि करार करने से पहले समुचित कानूनी सलाह भी नहीं ली गई। करार करने में इतनी जल्दी क्यों की? न केवल करार करने में जल्दी की गई बल्कि इसे लागू करने में भी जल्दी की गई थी। करार पर 6 तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे और निदेशक, प्रबंध निदेशक और चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित सारी प्रक्रिया 9 तारीख तक पूरी कर दी गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि सुजुकी ने मारूति को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की थी। मैं इसे अपने पिछले अनुभव से स्पष्ट करना चाहता हूँ।

सुजुकी ने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया है, इसने कभी कोई करार नहीं किया। जब सुजुकी का इक्विटी शेयर 20 से 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, तो यह एक स्पष्ट आपसी सहमति के साथ किया गया था। सहमति यह थी कि सुजुकी मारूति को प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण कर देगी। शर्त यह थी कि 10 वर्षों में पूरी प्रौद्योगिकी मारूति को सौंप दी जाएगी। तथापि, यह अब तक नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों में से एक सदस्य विशिष्टता हासिल करने के लिए सुजुकी की प्रशंसा कर रहा था परंतु यह केवल सुजुकी का ही योगदान नहीं है। यह योगदान हमारे प्रतिभावान कुशल तकनीकी व्यक्तियों और उत्कृष्ट प्रबंधन है। सरकार इसका पूरी तरह संरक्षण कर रही थी। यहां तक कि सरकार ने किसी अन्य कंपनी को भी मारूति की प्रतिस्पर्धा में नहीं आने दिया। निर्यात मूल्य के लिए भी उन्हें एक खाली चेक दिया गया था। जब मारुति की काफी अधिक भाग थी तो इसकी खुली बिक्री की बजाय इसका निजीकरण कर दिया गया। मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता। सुजुकी ने अपना वायदा ही पूरा नहीं किया था बल्कि उसने एक बार तो सरकार को भी धमकी दी थी। मैं यह बात इसलिए नहीं भूला हूँ क्योंकि यह सदस्यों की उपस्थिति में किया गया था। यह पूछे जाने पर कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है तो उनका उत्तर था, "मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। मैं परिस्थिति का सामना कर सकता हूं।" इस प्रकार उन्होंने अधिकांश प्रौद्योगिकी का विशेषकर गियरबॉक्स प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण नहीं किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है। फिर मैंने उन्हें बड़े ठण्डे दिमाग से कहा, "अगर भारत वे चीजें बना सकता है जो आज वह उत्पादित कर रहा है तो क्या आप यह सोचते हैं कि भारत उसे बदलने में सफल नहीं होगा।"

मैं परामर्श के लिए इटली गया था। मैं इस मामले में और आगे नहीं जाना चाहता। एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। सरकार द्वारा नामित निदेशक (विपणन और बिक्री) तथा प्रबंध निदेशक का सुजुकी प्रबंधन के साथ गुप्त समझौता चल रहा था। सरकार क्या कर सकती थी। सरकार के पास एक ही रास्ता बचा था कि उन्हें बदल दे। इन सभी बातों के साथ भी हम अपनी स्थिति को बनाए रखने में कामयाब रहे। आज देश में मारुति का उत्पादन स्तर अच्छे उत्पादन स्तरों में से है। तीनों डिजाइनों की कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं परन्तु मारुति को कोई भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं की गई है।

अब सरकार और सुजुकी के बीच करार हुआ है परंतु मारुति और सुजुकी के बीच नहीं। मारुति को अंधकार में रखा गया है। मारुति के शेयर धारकों में इसके मजदूर भी शामिल है। मारुति के निदेशक मण्डल से परामर्श नहीं किया गया था।

इसे पुष्टि के लिए जल्दबाजी में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। मुझे समझ नहीं आया कि यह जल्दी क्यों की गई थी। न्यायालय का फैसला और भी बुरा होता। अगर वे यह कहते हैं कि यह परामर्श नहीं परन्तु सहमति है तो इतनी जल्दबाजी में निर्णय क्यों लिया गया है? इसके पीछे कोई न कोई बात जरूर है अन्यथा ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि कुछ गुप्त रूप से कुछ घटित हुआ है। इसे

[श्री के. करूणाकरन]

देश के समक्ष लाया जाना चाहिए। अगर यह सरकार निष्ठावान और ईमानदार है तो जैसा कि मेरे मित्र का सुझाव रहा है, इस मामले को समिति को क्यों नहीं सौंपा गया? सरकार इस बारे में चिन्ता क्यों करे? मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार की छवि सामने आ जाएगी और यह निर्णय भ्रष्टाचार का उदाहरण बन जाएगा। मैं 'एक्स' या 'वाई' नहीं कहता। मैं तो इसे सरकार के निर्णय का परिणाम के बारे में बता रहा हूँ।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है एक हफ्ते में ही सभी नियुक्तियां की गई थी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो सरकार के विरुद्ध सुजुकी के साथ गुप्त बातचीत कर रहा था, उसे संयुक्त प्रबंध निदेशक फिर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि उन्हें इस पद के लिए किसलिए नियुक्त किया गया है।

महोदय, अगर आप मारुति का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि भास्कररूडु का योगदान सराहनीय रहा है। मैं अधिकारी की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। वे एक निष्ठावान अधिकारी हैं और तकनीकी योग्यता प्राप्त काफी सक्षम एवं प्रतिभावान व्यक्ति हैं। सुजुकी ने उन्हें काफी मनाना चाहा परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। जो पुरस्कार सरकार किसी विशेष अधिकारी को दे रही है। मैं डा. स्वामी के शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहता, वह उसके योग्य बिल्कुल नहीं है।

महोदय, इससे किसे लाभ होने वाला है? आज निदेशक मंडल की स्थिति क्या है? निदेशक मंडल ने तुरंत बैठक करके दो समितियां नियुक्त की थी-क्रय समिति और विक्रय समिति। अगर यह आवश्यक है हमारे पास कई समितियां हो सकती है क्योंकि समितियों के अध्यक्ष सुजुकी की पसंद के होंगे और समितियों के सदस्यों को सुजुकी द्वारा नामित किया जाएगा। इसका मतलब है कि सभी खरीद और बिक्री का कारोबार सुजुकी द्वारा किया जाएगा, जो उनकी कम्पनी से इस कम्पनी में होगा। कोई कोटेशन नहीं दिया गया था, किसी अन्य कम्पनी को अपने मूल्य का कोटेशन देने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसी से भी परामर्श नहीं किया गया।

निदेशक मंडल मूल्य दर में वृद्धि करने संबंधी इस प्रकार रहा—पहले चार प्रतिशत वृद्धि की गई, फिर छह प्रतिशत उसके बाद आठ प्रतिशत तथा इसी प्रकार इसमें वृद्धि होती गई। अगर आवश्यक हुआ, करार ज्ञापन की एक प्रति के अतिरिक्त निदेशक मंडल की कार्यवाही के मैं सभी ब्यौरे देने को तैयार हूं। अब स्थिति क्या है? क्या कोई कम्पनी के शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं? यदि सरकार शेयर जारी करने का निर्णय लेती है तो कोई भी उचित मूल्य देने के लिए तैयार नहीं होगा।

अब मैं आधुनिकीकरण और विस्तार की बात करता हूँ। जब यह करार 1992 में किया गया था तो सुजुकी ने कहा कि वे अपनी कम्पनी का आधुनिकीकरण और विस्तार करेंगे। वे धन और प्रौद्योगिकी लाएंगे। बाद में, सुजुकी ने सरकार से संपर्क करके यह कहा कि "सब कुछ तैयार है, हम धन चाहते हैं।" सौभाग्यवश, उस समय, किसी ने कहा था कि सरकार धन का इन्तजाम नहीं कर सकती।

उपर्युक्त आधार पर सुजुकी ने हमसे उस समय संपर्क किया जब मैंने उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला। सुजुकी ने मुझसे कहा "सरकार धन नहीं दे रही है; हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि वे सरकारी उपक्रम के लिए कुछ भी नहीं दे सकते"। यद्यपि वे धन नहीं लगाना चाहते फिर भी उन्होंने कहा "जब तक आप धन नहीं देते तब तक हम यह काम नहीं कर सकते।" मैंने कहा, आपने हमसे वादा किया था कि आपके पास धन, प्रौद्योगिकी और सब कुछ है फिर आपने अब यह कदम क्यों उठाया? फिर भी, मैंने उनसे एक परियोजना रिपोर्ट देने के लिए कहा था। मैंने कहा, जब सरकार रिपोर्ट स्वीकार कर लेगी मैं आपको 24 घंटे के अंदर धन उपलब्ध करा दूंगा। परन्तु उससे पहले, आप मुझे एक परियोजना रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने महीनों लगा दिए। उन्होंने परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी। मैंने कई अनुस्मारक भेजे हैं। उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी।

चाहे जो भी हो, उसके बारे में भूल जाओ। आज स्थिति क्या है? समझौते के अनुसार प्रबंध निदेशक सहमति से ही नियुक्त किया जा सका है। इस समय सरकार की बारी है। यदि सुजुकी सहमत नहीं होती तो प्रबंध निदेशक तथा चेयरमैन की भी नियुक्ति नहीं होती। ऐसा इसलिए है कि सुजुकी वैसा रवैया अपनाती है। हम वैसा रवैया नहीं अपनाएंगे। अब सुजुकी खुश है। चेयरमैन उसका आदमी है। प्रबंध निदेशक व्यवहार में नाममात्र का होता है। सुजुकी ने अपने मनपसंद के व्यक्ति की नियुक्ति अपर प्रबंध निदेशक पद पर की और वह इस पद पर 2002 तक रहेगा। हम नहीं जानते कि यह सरकार कितने समय तक चलेगी। इस समय मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। तो फिर इस अल्पावधि में किसी समझौते की आवश्यकता कहां है हम उसके समक्ष बिल्कुल झुक गए हैं। मैं नहीं जानता कि क्या हम इसे कुछ समय पश्चात अपनी स्थिति को पुन: कायम कर पाएंगे अथवा नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम अपनी स्थिति को पुन: कायम कर लेंगे। जब कोई स्थिति पैदा होती है तो हम बचाव का रास्ता पा सकते हैं। मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। हम अपनी स्थिति को पुन: कायम कर सकते हैं। किंतु चिंताजनक बात यह है कि एक ईमानदार उद्योग मंत्री, जिसका मैं आदर करता हूँ, ने ऐसा क्यों किया।

प्रो. पी.जे. कुरियन: उन्होंने यह स्वयं नहीं किया।

श्री के. करुणाकरन: मैं जानता हूँ वे निर्दोष हैं। उनके मंत्रालय के अधिकारियों को यह जानकारी क्यों नहीं है कि क्या हुआ है? हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति की ओर से सचिव ने किए थे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हस्ताक्षर सचिव ने नहीं किए। यह मंत्री जी के निजी सचिव ने किया था।

श्री के. करुणाकरन: सरकार का आदेश राष्ट्रपति का आदेश है। तकनीकी दृष्टि से यह राष्ट्रपति का आदेश होता है। मारुति उद्योग से परामर्श नहीं किया गया। क्या आपने इस बारे में कानूनी राय ली? एक निदेशक को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन भेजने के बारे में कानूनी राय क्या थी? इस प्रकार गुप्त रूप से अनेक गंदी बातें हुई। यह एक गंभीर आरोप है। इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इसका एकमात्र समाधान यह है कि इस सभा द्वारा इस मामले की जांच की जाए या इसकी जांच एक संयुक्त संसदीय समिति करे। मेरे प्रिय आदरणीय माननीय मंत्री जी को इस मांग को मान लेना चाहिए यह न केवल सभा के सभी सदस्यों की मांग है अपितु सारे देश की मांग है। यदि आप आज या कल इस मांग को स्वीकार नहीं करते भगवान आपको दंडित करेगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां बोलते हुए मूलत: चार बातें उठाई हैं। पहली, राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि यह अपनी प्रतिष्ठा को बेचना है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बेचना है। पूर्णत: समर्पण है और कुछ भी नहीं के लिए पूर्णत: समर्पण है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै): यह कुछ भी नहीं के लिए नहीं है यह जरूर किसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर किया गया होगा *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: मैं उस बात पर आ रहा हूँ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: आप बदले में कुछ प्राप्त किए बिना ऐसी चीज के लिए सहमत नहीं हुए हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: और दूसरा, उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सरकार सुजुकी के दबाव के समक्ष झुकी है। माननीय सदस्यों ने यह आरोप भी लगाया है।

दूसरी बात यह है कि इस व्यक्ति, श्री खट्टर को क्यों नियुक्त किया गया है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनके बोलने में व्यवधान न डालें।

श्री खारबेल स्वाईं: उन्हें मत रोकिए। जब माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ शिष्टाचार सीखो। मैं भी उन्हें वही बात कहूँगा।

श्री खट्टर की नियुक्ति क्यों की गई? उन्होंने इस बात को उठाया है।

तीसरी बात उन्होंने ऐसी नियुक्ति की अल्यावश्यकता और उसमें की गई जल्दबाजी के बारे में उठाई है, सदस्यों ने एक गंभीर बात उठाई है कि इसकी एक संयुक्त समिति संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इन चार बातों को उठाया है।

पहले मैं राष्ट्रीय हित की बात पर आता हूं कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया गया है।

सभापति महोदय: कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डालें।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया गया है। कम से कम माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार कभी भी समझौता नहीं करेगी। तथापि हर कोई जानता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी किस प्रकार के व्यक्ति है और जिस सरकार का वे नेतृत्व कर रहे हैं वह समझौता करने में अक्षम है *...(व्यवधान)* माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि यह किस आधार पर किया गया था। श्री एस. जयपाल रेड्डी राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए कह रहे थे कि यह क्यों किया गया और उन्होंने जापान के हितों के बारे में भी बात की। मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने वैसा कुछ नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): सभापति जी, मेरा पाईंट ऑफ आर्डर है। जब 50-50 की रेशों में शेयर दोनों का है तो प्रबंधन या व्यवस्था के नियम क्या हैं?

सभापति महोदय: किस नियम के मुताबिक आप पाइंट ऑफ आर्डर रेज कर रहे हैं?

श्री लाल मुनी चौबे: नियम के मुताबिक यह है कि जब व्यवस्था का प्रश्न उठे तो सारी कार्यवाही ठप्प हो जाए।

सभापति महोदय: चौबे जी, आप बैठ जाइये, आपका कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री लाल मुनी चौबे: जब कोई नियम नियमन का नहीं बनाया गया है तो व्यवस्था कैसे होगी और बहस किस चीज पर हो रही है, यह निरर्थक बहस है, यही मेरा कहना है।

सभापति महोदय: चौबे जी, आप बैठ जाइये। श्री स्वाईं की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सही निर्णय लिया है।

पोखरण-दो के बाद क्या हुआ? पोखरण-दो के बाद विश्व के अनेक देश जैसे अमेरिका, जापान, इंगलैंड आदि भारत के विरुद्ध बोलने लगे और वे भारत के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की बात करने लगे।

मेरा कहना है कि सुजुकी एक छोटी कंपनी है इसका जापान के आटोमोबाइल उद्योग के बाजार में सात प्रतिशत हिस्सा है। यह जापान की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं डाल सकती है। मैं इस बात को जानता हूँ। किंतु मैं कह सकता हूँ कि इसके द्वारा हमने जापान को कड़े संदेश भेजे हैं कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं।

महोदय, जैसा हम सभी जानते हैं कि जब पोखरण-दो परीक्षण हुए तो जापान बढ़-चढ़कर बोल रहा था कि भारत के विरुद्ध और अधिक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था। किंतु सुजुकी समझौते के बाद जापान द्वारा प्रतिबंधों के बारे में सारी बातें बंद कर दी गई है। मैं आपको कह सकता हूँ कि यह भारत सरकार द्वारा पूर्णत: सौदा करना है। भारत कुछ बातों के बारे में समझौता करने का इच्छुक है।

देश की विदेश नीति क्या है? विदेश नीति का मतलब है देश के हितों की रक्षा करना। यदि देश के हितों की सुरक्षा करनी है तो हम समझौता कर ऐसा कर सकते हैं। सुजुकी कंपनी के साथ समझौता कर हमने जापान और शेष विश्व को एक कड़ा संदेश दिया है कि भारत समझौता करने का इच्छुक है। हमने यह पहला संदेश भेजा है।

यहां यह उल्लेख किया गया था कि श्री भास्करूडु एक देश भक्त हैं, हम जानते हैं कि वे देशभक्त हैं। वे एक कुशल अधिकारी है वे लम्बे समय से वहां है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार अधिकारी को कभी भी नहीं हटाया जाएगा, यदि उन्हें हटाया जाता है तो वे कहते है कि कोई गुप्त सौदा हुआ है।

दूसरा, श्री जयपाल रेड्डी कह रहे थे कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि दोनों पक्षों से परामर्श किया जाएगा। किंतु मैं कांग्रेस पार्टी के श्री जयराम रमेश द्वारा लिखित लेख का उल्लेख कर रहा हूँ। यह लेख इंडिया टुडे के 22 जून, 1998 के अंक में प्रकाशित हुआ है। मैं उसकी तीन पंक्तियों को पढ़ता हूँ:

> "उनका रुख था कि संयुक्त उद्यम समझौता दोनों में से प्रत्येक पार्टनर को बारी-बारी से एक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का परम अधिकार देता है, वह केवल उस अधिकार का प्रयोग कर रहा है। सुजुकी का रुख था कि समझौते में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से पूर्व परामर्श और सहमति का प्रावधान है।
>
> मारान के कठोर रुख को देखते हुए सुजुकी भारत को अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम न्यायालय में ले गया जहां पर सुनवाई ९ जुलाई से आरंभ होने की संभावना है।"

मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा प्रावधान था और ऐसे प्रावधान के कारण ही सुजुकी न्यायालय में जा सका।

अब सुजुकी कम्पनी से एक समझौता कर लिया गया है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वह किसी समझौते पर पहुँचे। सुजुकी कम्पनी ने अंतर्राष्ट्रीय विवाचन न्यायालय से मुकदमा वापस ले लिया।

तीसरा, क्या अत्यावश्यकता थी और ऐसा करने की क्या जल्दी थी? मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उनसे आपको इसकी अत्यावश्यकता का पता चल गया होगा। विश्व को यह संदेश देना था कि भारत समझौता करने के लिए तैयार है। मैं आपको बता सकता हूँ कि यही अत्यावश्यकता थी।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्त में, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं अपने अंतिम मुद्दे पर बोलना चाहूँगा। वह कहते हैं कि गुप्त रूप से लेन-देन किया गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाई, श्री अम्बेडकर का व्यवस्था का प्रश्न है। आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अंतर्गत है?

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): नियम 377 के अंतर्गत। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वह समझौता करने के लिए तैयार हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह किन मामलों में समझौता करने को तैयार हैं?

सभापति महोदय: इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री खारबेल स्वाईं: अब, वह कह रहे हैं कि गुप्त रूप से लेन-देन किया गया है और एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी जाँच करवानी चाहिए। यदि आपकी तरह का कोई व्यक्ति यह आरोप लगा रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, यदि श्री जयपाल रेड्डी ने. यह आरोप लगाया है तब भी मैं समझ सकता हूँ लेकिन मेरी समझ में तब नहीं आता जब यह आरोप कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य द्वारा लगाया जाता है, जिस दल के अट्ठारह सदस्य भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त हैं और जिसका प्रधान मंत्री रोज न्यायालय में चक्कर लगा रहा है। वह दल आज आरोप लगा रहा है कि हमने गुप्त रूप से लेन-देन किया है। यह एक गंभीर आरोप है जो कि कांग्रेस दल हमारे विरुद्ध लगा रहा है। मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारत सरकार एक पारदर्शी सरकार देने के लिए सत्ता में आई है। यह परिवर्तन बेहतरी के लिए है और यह परिवर्तन ईमानदारी और अखंडता के लिए है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार एक व्यापारी की तरह नहीं है। सरकार को व्यापार में नहीं आना चाहिए चाहे वह कार का व्यापार हो या किसी और वस्तु का। इसलिए मैं कहूँगा कि विनिवेश आयोग को मारूति कंपनी का निजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि कम्पनी निजी हाथों में जा सके। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिए ताकि गुप्त लेन-देन जैसे कोई आरोप न लगाए जा सकें।

अत: यह सुझाव देते हुए कि इस कम्पनी का पूर्ण निजीकरण होना चाहिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस शंका के घेरे में आई सारी घटना की गहराई में जाने के लिए इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के लिए श्री जयपाल रेड्डी द्वारा दिए गए सुझाव का पुरजोर समर्थन करता हूँ। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुंद): सभापति जी, इसमें कितना टाईम लगेगा?

सभापति महोदय: अभी बहुत सारे स्पीकर्स हैं।

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन: महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शासन का राष्ट्रीय एजेंडा प्रस्तुत करते हुए बहुत जोरदार तरीके से कहा था कि 'भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा'।

अपराह्न 4.58 बजे

(श्री पी.एम. सईद *पीठासीन* हुए)

इन मामलों में यह भा.ज.पा. के दृष्टिकोण का सारांश है, इसलिए केवल श्री सिकन्दर बख्त पर ही आरोप क्यों लगाया जाए? इसलिए, जैसा कि मेरे मित्रों ने उल्लेख किया है, पोखरन के बाद पूरी सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पीछे दौड़ रही हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने हमारी खनिज संपदा सहित हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश देने वाले बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अब यह नाश कि 'भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा' इन 100 दिनों के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में की गई कार्यवाही को देखते हुए बदलकर यह हो जाना चाहिए कि 'भारत का निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जायेगा।'' न केवल मारूति उद्योग, न केवल सभी उद्योग बल्कि समूची अर्थव्यवस्था को विखंडित किया जा रहा है ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस पर अपना शिकंजा कसने का अवसर मिल सके।

अपराह्न 5.00 बजे

पोखरन परमाणु परीक्षण और उसके परिणामस्वरूप लगाये गये प्रतिबंधों की आड़ में सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति

[श्री वी.वी. राघवन]

देने तथा कंपनियों एवं प्रबंधन में भी 74 प्रतिशत भागीदारी देने का रास्ता अख्तियार किया है। अत: विद्वान तथा अनुभवी नेता श्री सिकन्दर बख्त इस नीति के कार्यान्वयन में माध्यम बन गए हैं। इस सरकार का एकमात्र उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष समर्पण करना है। केवल उन्हीं को दोष नहीं दिया जा सका है। यह आडंबरपूर्ण एवं शर्मनाक समझौता जल्दबाजी में किया गया है। मैंने किसी समाचार-पत्र में पढ़ा था कि श्री बख्त शीघ्रता से निर्णय लेने वाले व्यक्ति है। यदि हम पूर्व उद्योग मंत्री श्री करुणाकरन ने जिस प्रकार भी इस मामले को पेश किया, उसे भी शामिल करे तो उस तीव्रता से लिए गए निर्णय के पीछे कुछ संदिग्ध मामला अवश्य होना चाहिए।

महोदय, मैं आपके बहुत करीब नहीं हूँ लेकिन मैं दूर रहकर भी यह जानता हूं कि आपका सेवाकाल काफी लम्बा है। यद्यपि हो सकता है लोग आपकी राजनीतिक सूझबूझ से सहमत नहीं फिर भी आपकी सेवा और परिपक्वता सराहनीय है। लेकिन यह मारूति का मामला धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यदि आप अपने लम्बे सेवाकाल और अच्छे नाम को इस तूफान में नहीं खो देना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव देता हूँ कि यही बेहतर होगा कि आप इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति जांच के लिए सहमत हो जाएं ताकि उसमें आपकी भूमिका को स्पष्ट किया जा सके। इस सौदे के पीछे जो शक्तियाँ हैं जिन्होंने आपको यह कार्य करने के लिए मजबूर किया है, उनका राष्ट्र तथा इस सभा के समक्ष पर्दाफाश किया जा सकता है।

महोदय, मेरे युवा मित्र कह रहे थे कि इस पर हस्ताक्षर कर जो संदेश जापान तथा अन्य देशों में गया वह हमारे हक में है। क्या ऐसा है? अब आस्ट्रेलिया के साथ जापान रवैया बड़ा सख्त है जो कि हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सही नहीं है? आस्ट्रेलिया तथा जापान, यह दोनों देश पोखरन परीक्षण के नाम पर हमें नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हैं। क्या सुजुकी समझौते के बाद यही संदेश गया था? जापान के नीति निर्माता सुजुकी को नहीं मानते बल्कि इससे अन्य देशों में यह संदेश पहुँचा है कि भारत समर्पण कर रहा है और वे इस विशाल देश में अधिक से अधिक हिस्सा ले सकते हैं। यह संदेश गया है। वह ऐसा कर रहे हैं। अमरीकी एक बात कह रहे हैं और वह अपनी सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अपनी सभी निजी कम्पनियों को भारत भेज रहे हैं। वह कह रहे है कि यही समय है जबकि तुम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हो और उन्हें लाभ मिल रहा है। ब्रिटेन और यूरोप भी भेज रहा है। धीरे-धीरे, चार महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे बाजारों में और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रवेश कर गई है। इन सभी कार्यों और निर्णयों के पीछे अब यह खतरनाक प्रवृत्ति प्रबल हो रही है।

मैं जानता हूँ कि सुजकी समझौते सहित ये सभी समझौते प्रधान मंत्री के कार्यालय से आते हैं। वहीं निर्णय लिए जाते हैं और प्रधान मंत्री का कार्यालय ही इन सब कार्यों के निर्देश दे रहा है। मैं नहीं जानता कि वह पोखरन के बाद इतने चिन्तित क्यों हैं कि वह सुजुकी सहित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष समर्पण कर रहे हैं। श्री सिकन्दर बख्त जिन्हें मैं जानता हूँ वह इससे कभी सहमत न होते जब तक कि उनको इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा मजबूर न किया गया होता। अत: इस सब अस्पष्ट परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए बेहतर यही होगा कि संयुक्त संसदीय समिति की जाँच के लिए सहमत हो जाएं। यही मेरा अनुरोध है।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): सभापति महोदय श्री जयपाल रेड्डी और अन्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। श्री सिकन्दर बख्त मेरे बड़े भाई जैसे हैं। 1986-92 तक राज्य सभा में हमारी गहन मित्रता थी। मैं उस मित्रता को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उनकी सरकार के उच्च-स्तरीय दबाव के कारण उन्हें यह मानना पड़ा और इस करार को करना पड़ा। अत: वे उनके दबाव के आगे झुक गए। तमिल में एक कहावत है जिसमें कहा गया है: "पाडीकिराडु रामायण, इडीकिराडु पेरमल कोविल" वह व्यक्ति रामायण तो पढ़ता है लेकिन मध्य में उसे पेरुमल मन्दिर राम का मन्दिर तोड़े में हिचकिचाहट भी नहीं होती है।

यहां वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया राष्ट्रीय एजेन्डा है जिसमें वे कहते हैं कि "हम सुधार की प्रक्रिया को जारी रखेंगे, इसे स्वदेशी स्वरूप प्रदान करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस सिद्धान्त पर विकसित हो कि भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाए"। ठीक है यह स्वदेशी विचार हैं लेकिन जैसाकि मैंने कहा कोई व्यक्ति जो रामायण पढ़ेगा, राम मन्दिर तोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। यह तो उसी प्रकार है वे स्वदेशी की बात करते हैं लेकिन विदेशी का विकास करते हैं। मारुति उद्योग का प्रबन्धन जापान की सुजुकी को सौप कर इस सरकार ने भारतीय जनता के साथ धोखा किया है। हम यह महसूस करते हैं कि इस कम्पनी को पूरी तरह बेच दिया गया है। यह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शर्मनाक कार्य है। वे स्वदेशी प्रचार कर रहे हैं और विदेशी को अपना रहे हैं।

जब वे विपक्ष में थे तो वे ईरान के साथ हुए करार के लिए तत्कालीन सरकार की आलोचना कर रहे थे। जब वे सत्ता में आए तो 13 दिनों के भीतर उन्होंने विद्युत परियोजना को अनुमोदित कर दिया और उन्होंने प्रति गारन्टी करार मान लिया था। अब एक

सरकारी कम्पनी, जिसका प्रबंधन और संचालन भारतीय जनता द्वारा किया जाता है उस कम्पनी को जापान की सुजुकी मोटर्स को सौंप दिया गया है और सुजुकी मोटर्स को तो चांदी की तश्तरी मिल गई।

इसीलिए मैंने उस कहावत को उद्धृत किया है। इसके गुण अवगुण क्या है। आइए इस पर चर्चा करे।

प्रबंध निदेशक और चेयरमैन सुजुकी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 1.4.97 से रायल्टी सुजुकी को जारी की जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय विवाचन न्यायालय में, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (इन्टरनेशनल चैम्बर्स का कामर्स) द्वारा दायर किया कमजोर मामले को शान्तिपूर्वक वापस लेने की अनुमति दे दी जाएगी। श्री कट्टर नामक अत्यन्त अवांछनीय व्यक्ति, जिसने हमारी सरकार के निदेशों का अनुपालन नहीं किया है, पूरे शो का प्रबन्धन करेगा और सुजुकी द्वारा प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

महोदय, क्या यह उचित होगा? क्या यह हमारे हितों के लिए हानिकारक नहीं होगा? एक बार पुन: श्री भास्कररुडु, जो सच्चे सरकारी अधिकारी, ईमानदार सरकारी अधिकारी उच्च पदाधिकारी थे हमारे सम्पर्क में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं आया ऐसे दक्ष एवं प्रतिभावान व्यक्ति को 2 वर्ष 4 महीनों के भीतर अर्थात 31.9.1999 को उसके पद से हटा दिया जाएगा।

महोदय, इस घटना और इस करार जिसको हमारे माननीय मित्र श्री सिकन्दर बख्त ने अंजाम दिया है, इन्होंने मारूति लि. के पदेन प्रबन्ध निदेशक से परामर्श करने की शालीनता तक नहीं दिखाई। मैं भी एक कम्पनी का प्रबंध निदेशक हूँ। जब कभी कोई बात होती है हम हमेशा परामर्श करते हैं। हमें परामर्श करना चाहिए। लेकिन यहां इस करार को करने हेतु की गई बातचीत के दौरान प्रबंध निदेशक से न तो परामर्श किया गया और न उन्हें विश्वास में लिया गया। मारूति में दो प्रबंध निदेशक होने जा रहे हैं यहां व्यापार से जुड़े कई बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। मैं जानना चाहता हूँ क्या निगमित क्षेत्र में ऐसा ही किया जाता है। हमें भारतीय निगमित क्षेत्र में ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला जहां किसी कम्पनी में दो प्रबंध निदेशक प्रबंध कर रहे हों, सिवाय मारुति के, जहां 2 प्रबन्ध निदेशकों द्वारा प्रबन्धन किया जा रहा है। यह तो इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है।

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है। श्री सिकन्दर बख्त जी आप बहुत अच्छे महान व्यक्तित्व वाले हैं। सार्वजनिक जीवन में आपका काफी सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्यवश मंत्री बनने के पश्चात् आप अपने दल के दबाव में आ गए हैं।

यह ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि आप देखें कि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए जिससे यह साबित हो कि आप निर्दोष हैं। यही मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं जानता हूं कि आज अच्छे आदमी है लेकिन आपने दबाव के कारण यह किया है। महोदय हम जानना चाहते हैं कि आप किस दबाव पर आ गए थे। यह सरकार, पूरा विपक्ष और पूरा देश को यह जानना चाहते हैं कि आप दबाव के कारण झुक गए थे अथवा अपने स्वैच्छिक रूप से यह निर्णय लिया है। हम यही जानना चाहते हैं।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं यह मामला उठाने के लिए श्री एस. जयपाल रेड्डी का धन्यवाद करता हूँ।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। करार के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं तो बस इतना कहूंगा कि सरकार द्वारा किया गया यह समझौता कम्पनी बेचे जाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जब यह सरकार स्वदेशी की बात करती है तो कोई सोचेगा कम से कम स्वदेशी के सिद्धांत पर तो वे ईमानदारी बरतेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से उनके अपने ही कार्य ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि उनके एजेंडा में जो बात मुख्य रूप से कही गई है वह मात्र ढकोसला है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है मुझे यह समझौता पढ़कर अत्यन्त निराशा हुई थी। आप जैसे व्यक्ति ने किस प्रकार यह होने दिया? यह शाहजहाँ रोड में मेरे पड़ोसी थे। मैं उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानता हूँ लेकिन मुझे और अन्य सभी व्यक्तियों को हैरानी हुई कि वह इस प्रकार के समझौते के लिए किस प्रकार राजी हो गए यदि वे इससे सहमत नहीं थे तो आज इन्हें अपनी अन्तरआत्मा के खिलाफ बोलना होगा। मुझे इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं है।

मारुति बोर्ड को नजरअन्दाज करने की क्या आवश्यकता थी? हम बहुत कुछ स्वायत्तता के बारे में बोलते हैं। स्वायत्तता क्या है? सत्ता पक्ष से एक युवा मित्र ने कहा कि यह कार्य इसलिए किया गया है ताकि बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को अच्छा संदेशा भेजा जा सके। हां, आज आपने बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को सन्देश दे दिया है।

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने 'बहुराष्ट्रीय' नहीं कहा था मैंने तो 'विश्व' कहा था।

प्रो. पी.जे. कुरियन: ठीक है बहुराष्ट्रीय के माध्यम से विश्व को बता दिया है। मुझे खेद है कि आपने विश्व को सन्देश भेज दिया है कि पहली बार स्वदेशी पर बहुत कुछ कहने वाली सरकार राष्ट्रहित के साथ समझौता करेगी।

[प्रो. पी.जे. कुरियन]

मेरे एक मित्र ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा है। मैं पिछले 19 वर्षों से इस सदन का सदस्य हूँ। कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया जब विपक्ष ने आरोप लगाया हो कि सरकार ने राष्ट्रहित पर समझौता किया है। लेकिन मैं आरोप लगाता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जहां आपने राष्ट्रहित पर समझौता किया है। बहुत दुखदायी है इसके लिए मैं बस यही कह सकता हूं। आपने कामगारों को क्या संदेश दिया है? आपने इन देशभक्त कामगारों को संदेश दिया है कि यदि वे विदेशी मालिक सुजुकी के इशारे पर नाचते रहेंगे तो वे वहां बने रहेंगे।

कोई श्री भास्करूडु के साथ सहमत हो अथवा न हो। लेकिन मैं एक बात जानता हूं वह ऐसे अधिकारी थे जिसने जापानी सुजुकी के घातक अभियान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह स्पष्ट है इसको सभी जानते थे। लेकिन उन्हें दण्डित किया जा रहा है। किस बात के लिए? आपने मारुति फैक्टरी के कामगारों को निर्देश दिया? कि वे भारतीय हितों के लिए नहीं बल्कि जापानी मालिकों के इशारे पर नाचें। आपने जो संकेत दिया है वह गलत है।

कम्पनी की हैसियत क्या है। मैं नहीं जानता इसे बताया जा चुका है। मारुति ने 100 करोड़ रुपये खर्च किये है। आज कम्पनी की हैसियत तीन बिलियन डालर की है इसका कारोबार कितना है यह 8000 करोड़ रु. से अधिक का है।

अपराह्न 5.18 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

लाभ कितना है? मैं भारतीय रुपये में इसके कारोबार की चर्चा कर रहा हूं। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लाभ 977 करोड़ रु. का है। यह कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अच्छा उदाहरण है। आपने इसके साथ क्या किया है? आपने इसे कोड़ी के भाव बेच दिया है।

मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। कृपया हमें बताए कि ऐसा करके आपको क्या लाभ मिला है। इस समझौता द्वारा इस देश ने क्या लाभ कमाया है? हो सकता है इन्हें कुछ न मिला हो, किसी और का लाभ मिला हो। मैं नहीं जानता। मैं तो इन्हें जानता हूं। मैं कहता हूं कि इन्हें कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि इनके मित्रों में से किसी को लाभ नही हुआ हो। अत: यह खराब संगत में रहने वाले अच्छे व्यक्ति हैं। समस्या यही है। कृपया आप हमें बताए कि इतनी जल्दबाजी में किये गये इस करार से इस देश ने क्या कमाया है।

हमने क्या कमाया है। माननीय श्री के. करुणाकरन, जो पूर्व उद्योग मंत्री थे, ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले के बारे में कहा था। मुख्य प्रश्न यह था कि प्रबन्ध निदेशन की नियुक्ति में सहमति ली जानी चाहिए। यदि हम यह केस हार भी जाते हैं तो भी हम अधिक बेहतर स्थिति में होते। आपने ऐसा क्यों किया?

निदेशक मंडल की उपेक्षा करके यह क्यों किया गया? आपके सचिव की जानकारी के बिना आपके मंत्रालय की उपेक्षा करके यह क्यों किया गया? आपने सचिव की अनुपस्थिति में यह क्यों किया गया? आपके निजी सचिव को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर क्यों किया गया? क्या आपने भारत के महान्यायवादी की सलाह ली थी? यदि ली थी तो कृपया हमें भी आप विश्वास में लेते और हमें बताते कि भारत के महान्यायवादी की राय क्या थी। 8,000 करोड़ रुपये के कारोबार वाली कम्पनी को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। यहां तक कि कानूनी राय लिए बगैर बेचा जा रहा है। यदि आपने कानूनी राय ली थी तो आपने उसका पालन नहीं किया। यह अपराध के सिवाय कुछ नहीं है। मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है लेकिन खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह सरकार इस स्तर तक झुक गई है।

श्री जगदीश खट्टर विदेशी कम्पनी ने पिट्ठू पाए गए हैं—मुझे यह बात कहते हुए खेद है—जो सभी संदिग्ध तरीकों के माध्यम से यह कम्पनी हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच किये बिना आपने उन्हें प्रबंध निदेशक बना दिया है और अब स्थिति क्या है? चेयरमैन उनका है प्रबन्ध निदेशक उनका मनोनीत व्यक्ति है। हमारे 50 प्रतिशत शेयर है लेकिन यहां इस बात की क्या गारन्टी है कि इस सरकार के हितों की रक्षा की जाएगी। मेरा विश्वास है कि चेयरमैन के पास निर्णायक मत है। उनके पास यह शक्ति अवश्य होगी। वे अब जो जापानी सरकार चाहेगी अथवा सुजुकी मोटर कारपोरेशन चाहेगी वही करेंगे। और फिर उनका बहुमत है। मुझे बहुत खेद है कि इतनी बड़ी कम्पनी को बिना किसी प्राप्ति के बहुराष्ट्रीय कम्पनी को बेचा जा रहा है।

आपकी स्वदेशी भावना का क्या हुआ? आपकी देशभक्ति कहां चली गई? मुझे यह कहते हुए खेद है। मैं किसी की देशभक्ति पर सन्देह नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं कि आपने जो कुछ किया है वह इस देश के खिलाफ अपराध है। मुझे खेद है कि मुझे ऐसे कठोर टिप्पणी करनी पड़ रही हैं लेकिन मुझे ऐसी कठोर टिप्पणी करने के लिए मजबूर किया गया है। आज स्थिति यह है कि बोर्ड में उनका बहुमत हैं, चेयरमैन सुजुकी मोटर कारपोरेशन का है। वे बाजार से शेयर खरीद सकते हैं—यह 50 प्रतिशत है—और कम्पनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते

हैं। उसके खिलाफ आपकी गारन्टी क्या है? आपके द्वारा किया गया यह आपत्तिजनक करार है। इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों के साथ हूं जो पूरी कार्यवाही की संसदीय जांच कराने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

यदि आपके हाथ साफ हैं तो आप चिन्ता क्यों करते हैं? यदि आप सोचते हैं कि यह कार्य आपने देश की सर्वोत्तम भलाई के लिए किया है तो आप चिन्ता क्यों करते हैं? कृपया आप संसदीय जांच के लिए तैयार हो जाएं ताकि राष्ट्र सच्चाई जान सके। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जब तक आप ऐसा नहीं करते आप सत्ता पक्ष में रहने लायक नहीं होंगे। इसलिए ऐसा न होने दें। अत: संसदीय जांच के लिए आज तैयार हो जाइए ताकि देश को सच्चाई का पता लग सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): क्या यह सच है कि सुजुकी बाजार दर अथवा मारुति की अत्यन्त उच्च दर पर शत प्रतिशत इक्विटी की खरीद करने के लिए तैयार थी? क्या मंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं?

श्री सिकन्दर बख्त: अभी नहीं, लेकिन मैं बाद में इसका जवाब दूंगा।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी (मदुरै): मारुति कम्पनी के संबंध में यह गुप्त समझौता देश में पिछले 50 वर्षों में किया गया सबसे अनुचित राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने वाला करार है। मुझे हैरानी नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा सौदा किया है। 1996 में, जब वे केवल 13 दिन के लिए सरकार में आए तो पहला कार्य उन्होंने इनरॉन कारपोरेशन के साथ काउंटर गारन्टी सम्पन्न करने का किया। पहले वे इसके विरुद्ध भारी अभियान चलाए हुए थे। स्वदेशी जागरण की जोरदार वकालत कर रहे थे।

ऐसा अभियान चलाने के पश्चात 13 दिनों में एक दिन के भी जनादेश के बिना पहला कार्य उन्होंने काउंटर गारन्टी करार की पुष्टि कर सम्पन्न किया और आज इनरॉन विश्व में सबसे अधिक दरों पर विद्युत की बिक्री आरम्भ करेगी। यह लगभग 4.50 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटा हैं। इनरॉन ने भारतीय राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपये नियत किये थे। अमरीका की सीनेट में इनरॉन द्वारा स्वीकार किया गया कि भारतीय राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने पर हमने 60 करोड़ रुपये की राशि नियत की थी। इसमें से कितनी धनराशि शिक्षा पर खर्च की गई? वही शिक्षा अब मारुति को बेचने में नजर आती है।

महोदय, मारुति संबंधी मामले को आधारभूत ढांचे के विकास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से सारा ढांचा कम्पनी को निशुल्क दिया गया था। भारी सम्पदा, भवन और फैक्टरी उन्हें सरकारी व्यय पर प्रदान की गई है। मारुति का अधिग्रहण करने वाली कम्पनी सुजुकी को ऊपरी खर्चों के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। यदि आप विश्व में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि कार बनाने हेतु फैक्टरियां लगाने के लिए भूमि भवन निशुल्क दिये जाएंगे और फैक्टरियां राज्य द्वारा बनाई जाएगी और भारतीय श्रमिक विश्व में सबसे सस्ते श्रमिकों में से एक है—तो हमारे देश में कम्पनी लगाने वाले लोगों की लम्बी कतार होगी। इस कम्पनी पर सुजुकी का आधिपत्य है। मैं इस कानूनी औचित्य में नहीं जाना चाहता कि सहमति का अर्थ क्या है और इसका तात्पर्य क्या है। आज हर कोई जानता है कि वास्तविकता क्या हैं सुजुकी ने उस कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया है और यदि कोई इस कम्पनी के खिलाफ जाता है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है। निस्सन्देह 15 अगस्त तक उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। उस तिथि से पहले हम आशा करते हैं कि यहां नई सरकार आ जाएगी और हम इसे रद्द कर सकते हैं।

दूसरा बात यह है कि वर्ष 1984 से आज तक सभी इन वर्षों में सुजुकी से मिलने वाली प्रौद्योगिकी के लिए उसे 4 गुना अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा है यह प्रौद्योगिकी भी दूसरे स्तर की है। सुजुकी द्वारा मारुति पर लिया जा रहा सीआईएफ का था लेकिन हमने उन्हें सीमा शुल्क अदायगी और उत्पाद शुल्क अदायगी में छूट दी हुई थी। आज हम इस स्थिति में है जहां न केवल कम्पनी का अधिग्रहण कर लिया गया है बल्कि 2000 वर्ष में आने वाले प्रबन्ध निदेशक का नाम भी घोषित कर दिया गया है। वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कररूडु अब किस प्रकार कार्य करेंगे जबकि वह जानते हैं कि उनके अनुगामी का चयन कर लिया गया है और तिथि भी निर्धारित कर दी गई है।

निसन्देह यह स्पष्ट है कि भा.ज.पा. स्वदेशी का बात करती है जहां कम्पनी का स्वदेशीकरण किया जा रहा था। मारुति का धीरे-धीरे स्वदेशीकरण हो रहा था 'मारुति' नामक कार भारतीय कार के रूप में जानी जाने लगी थी। लेकिन स्वदेशीकरण की उस प्रक्रिया को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। यह उन्होंने किया है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वे संकेत देना चाहते हैं कि हम पोखरन 2 परीक्षणों के पश्चात् विदेशी हितों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। उनके अपने प्रतिनिधि ने यह कहा है। हमें सभी जगह यह देखने को मिल रहा है। चाहे यह प्रधान मंत्री द्वारा श्री क्लिंटन को लिखे गये पत्र के रूप में हों, जहां उन्होंने प्रार्थना की है कि हमें चीन से खतरा है मानो कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका से कोई खतरा नहीं है अथवा मारुति को बेचने का खतरा नहीं है।

[डा सुब्रह्मण्यम स्वामी]

हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति श्री तालवोट के समक्ष नतमस्तक हो रहा है। श्री तालवोट कनिष्ट अधिकारी हैं। वह यहां आए हैं और इनके साथ संयुक्त राष्ट्र के विभागाध्यक्ष की हैसियत के रूप में बर्ताव किया जा रहा है। वास्तव में हर कोई उनको खुश करने में लगा हुआ है। इसी दौरान परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन को बीजा नहीं दिया गया है। इस प्रकार यह उसी संस्कृति का हिस्सा है। मैं नहीं जानता क्या यह मंत्री जी कोई निर्णय स्वयं भी करते हैं या नहीं करते क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रत्येक मंत्रालय में 2 आर एम एस के दो व्यक्तियों को विशेष कार्यस्थ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, एक सभी फाइलों पर नजर रखता है और दूसरा हिसाब-किताब लगाता है–सही प्रकार का परिकलन करता है। मैं उन दो अधिकारियों का नाम ले सकता हूं क्योंकि मैं उन सभी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैंने उन्हें देखा है। मैं उनकी शक्ल में उनकी पहचान कर सकता हूं। मैं उनके नाम भी जानता हूं। प्रत्येक मंत्रालय में—चाहे वह विद्युत मंत्रालय अथवा उद्योग मंत्रालय अथवा वित्त मंत्रालय हो—दो आर.एस.एस. व्यक्तियों को विशेष कार्यस्थ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्री जी के पास जाने वाली फाइलों को छानता है और दूसरा ऐसी परिगणना करता है जो मंत्री जी के लिए करना कठिन होता है। लेकिन वे इस प्रकार का परिकलन करते हैं और ऐसा करते समय विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हैं।

इसलिए यदि इस सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और यदि मंत्री जी* .... आप संयुक्त संसदीय समिति गठित कीजिए। महोदय, आपको पता चल गया होगा कि यह असंसदीय शब्द नहीं है ....यह असंसदीय शब्द नहीं है इसका अर्थ शक्तिहीन होता है। उनके विचार गलत हो सकते हैं क्योंकि उनके पास सभी प्रकार के गलत विचार हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह सरकार 1947 के बाद में सबसे कमजोर सरकार है।

इसने हर मामले पर आत्मसमर्पण किया है और यह मामला भी आत्मसमर्पण का ही है। यदि सरकार कुछ भी छिपाना नहीं चाहती तो इसे इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित करनी चाहिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बेहरामपुर) (पश्चिमी बंगाल): महोदय हमारे माननीय मित्र श्री जयपाल रेड्डी द्वारा आरम्भ की गई इस चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं स्वयं को और अपने दल को अपने माननीय मित्र श्री जयपाल रेड्डी द्वारा व्यक्त किये विचारों के साथ सम्बद्ध करता हूं।

मारुति-सुजुकी मामले का इतिहास हमारे देशवासियों और व्यापार जगत के लोगों को मालूम है। लोगों को सब मालूम है कि किस प्रकार सुजुकी के इक्विटी शेयरों को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया, किस प्रकार प्रबंध निदेशक को बदला गया, किस प्रकार सुजुकी ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, सरकार को यह करार करने की क्या मजबूरी थी। हमें इन बातों के ब्यौरों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने मारुति सुजुकी के पूरे मामले की पृष्ठभूमि की अत्यन्त साफ तस्वीर प्रकट की है।

मैं इस निष्कर्ष पर पहंचा हूं कि सरकार ने एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी, सुजुकी मोटर लिमिटेड की शर्तों और आदेशों के समक्ष समर्पण करते हुए यह करार किया है।

महोदय, यह सच है कि राष्ट्रीय एजेंडा में इस सरकार ने स्वदेशी पर वचनबद्धता जताई है। सरकार आम राय द्वारा शासन चलाने के प्रति भी वचनबद्ध है। क्या सरकार की स्वदेशी की भावना इस करार से झलकती है? अथवा क्या आम राय द्वारा शासन चलाए जाने की भावना इस करार से झलकती है? क्या वे कभी आम राय हासिल करने के लिए कागज पत्रों के साथ कभी इस सभा में आए हैं? नहीं।

कृपया मुझे इस करार पर हमारे माननीय मंत्री जी श्री सिकन्दर बख्त की टिप्पणी को उद्धृत करने दीजिए...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री श्री सिकन्दर बख्त जी ने इस करार के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि यह करार सरकार के स्वदेशी एजेन्डा के अनुरूप है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र और आधारभूत अवसंरचना में विदेशी निवेश का स्वागत किया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस कारण से सरकार की स्वदेशी की भावना कहीं नहीं झलकती है। यह किसी उच्च प्रौद्योगिकी लाने अथवा आधारभूत ढांचे की स्थापना को ध्यान में रखने के सरकार के प्रयास का भी संकेत नहीं है। आज सुजुकी जिस प्रकार की प्रौद्योगिकी दे सकती है उसे वह पहले ही दे चुकी है। अब उसके पास मोटर कार विनिर्माण उद्योग में कोई भी नई प्रौद्योगिकी देने के लिए नहीं है। क्या सरकार बता सकती है कि सुजुकी कम्पनी ने मोटर कार विनिर्माण उद्योग के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कुछ किया है? उन्होंने कार विनिर्माण उद्योग के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। पूरा आधारभूत ढांचा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मारुति उद्योग लि. द्वारा विकसित किया गया है। इसलिए मैं सरकार के इस निर्णय से कभी सहमत नहीं हो सकता जिसके परिणामस्वरूप यह करार किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं मैं इसकी आलोचना करता हूं। इसके साथ-साथ मैं यहां अपना सुझाव भी देना चाहता हूं कि पूरे मामले को

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए जो इस मामले की जांच करेगी और मामले की छानबीन करेगी।

महोदय, उस समय मारुति उद्योग लिमिटेड को पर्याप्त संरक्षण दिया गया था। आज सरकार इसे किस प्रकार का संरक्षण प्रदान कर रही है। यह केवल मारुति उद्योग लि. का ही प्रश्न नहीं है, यह केवल एक भारतीय कम्पनी का प्रश्न नहीं है बल्कि यह सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त उद्यम कम्पनियों का प्रश्न भी है। इस प्रकार से तो कोई भी भारतीय संयुक्त उद्यम कम्पनी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने हाथों में चली जाएगी। आप इसे रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और हमारा कहना है कि इस करार ने हमारे देश के राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ा दी है हमारे राष्ट्रीय हित विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की शर्तों और आदेशों के साधन मात्र बनकर रह गए हैं। इस सरकार को हमसे यही श्रेय मिल सकता है।

पिछले दस वर्षों से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के निजीकरण और विश्वव्यापीकरण के बारे में सुन रहे हैं लेकिन क्या सुजुकी को आधारभूत ढांचे के विकास हेतु कोई निवेश लिये बिना पूरे मारुति उद्योग लि. को हाथ में लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी? क्या इससे विश्वव्यापीकरण की प्रवृत्ति का पता चलता है? तीसरे विश्व (अर्द्ध विकसित) से सम्बद्ध कोई भी एक देश ऐसी चीजें होने की अनुमति नहीं देता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण की ओर किसी कदम का संकेत नहीं मिलता है। आपने इस बहुत बड़े बाजार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया है। आपने बहुत बड़े साम्राज्य को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया है ताकि वे लूट सके और मुनाफा कमा सके।

यह है वह जो आपने किया है। हम विश्व व्यापार संगठन की विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। हमने सरकार की नीति और विश्व व्यापार संगठन के प्रति उनके रवैये की आलोचना की है।

लेकिन इस मामले में मुझसे पहले, हमारे माननीय मित्र डा. सुब्रहमण्यम स्वामी ने हमें बताया कि वह टेंडर जारी कर सकते थे और केवल सुजुकी ही नहीं विश्व की अच्छी-अच्छी कम्पनियां यहाँ आ सकती थी और मारूति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन का अधिग्रहण हेतु बोली लगा सकती थी। विश्व व्यापार संगठन ने इस अधिग्रहण के लिए सुजुकी को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। विश्व व्यापार संगठन की इच्छास्वरूप ऐसा नहीं हुआ है। यह तो केवल सुजुकी मोटर कार कम्पनी, की इच्छा थी। उसने अपने दावपेंच लगाकर इसका अधिग्रहण कर लिया है।

मैं यह नहीं कह सकता कि यह एक गुप्त सौदा है। लेकिन सरकार के एक मूर्खतापूर्ण कदम ने हमें यह कहने पर मजबूर किया है कि इस कार्य के लिए कोई गुप्त सौदा हुआ है। इसने हमारे राष्ट्रीय हित की तिलांजलि दे दी है। इसने हमारे राष्ट्रीय सम्मान और अर्थव्यवस्था की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मामले की तह तक जाने के लिए यह पूरा मामला संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं पांच मिनट बोलुंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय बहुत कम है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: इससे कम समय के लिए बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं पांच मिनट के लिए बोलूंगा।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): वह इस तरह मजबूर कैसे कर सकते हैं? *...(व्यवधान)* क्या किसी अन्य सदस्य ने इस तरह मजबूर किया है?

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मेरा नाम वहाँ है।

श्री पी.एस. गढ़वी: नाम उसमें है। ठीक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रेड्डी, आप यह नहीं कह सकते कि आपको अवश्य बोलना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: वह यह नहीं जानते हैं कि मेरा नाम उसमें शामिल है *...(व्यवधान)* मुझे कड़ी आपत्ति है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया नहीं।

...(व्यवधान)

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मैं उनके बोलने में कभी व्यवधान पैदा नहीं करता। ...*(व्यवधान)* मुझे अवश्य बोलना है ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, वह उनमें हैं जिनको कांग्रेस दल ने खड़ा किया है। कृपया उन्हें पांच मिनट दीजिए। सभी इससे सहमत हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर मध्य): रिपब्लिकन पार्टी के बारे में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रेड्डी, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूँ। लेकिन यह रवैया ठीक नहीं है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, मुझे खेद है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. रेड्डी, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मेरे प्रिय मित्रों, मैं कभी नाराज नहीं होता। जब कोई बोलता है तो मैं हमेशा चुप रहता हूं। तो मुझे दुख तब हुआ जब एकाएक मुझे किसी ने बीच में टोका ...*(व्यवधान)* जब सब बोल रहे हों तो मैं कैसे बोल सकता हूँ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल नौ मिनट के लिए बोलूँगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, केवल पाँच मिनट के लिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: पहली बात यह है कि पूरी सभा माननीय मंत्री श्री सिकन्दर बख्त की सर्वसम्मति से प्रशंसा करती है कि वह एक नेक, अच्छे और ईमानदार व्यक्ति है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। पूरी सभा इसे स्वीकार करती है।

दूसरा, पूरी सभा सरकार द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्यवाही से दु:खी है, नाराज है, अप्रसन्न है और चिन्तित है तथा उसने उसकी इस कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण पाया है।

तीसरी बात यह है कि एक अथवा दो मित्रों को छोड़कर पूरी सभा ने यह बात बहुत दृढ़ता से कही है कि इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रत्यक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए: "जी हाँ, करवाइए।" यदि वह यह महसूस करते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है तो उन्हें जांच करवाने के लिए स्वयं घोषणा करनी चाहिए।

अगला मुद्दा यह है कि श्री भास्करूडु को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सुजुकी विवाचन में जाना चाहती थी जो बात मुझे हैरान कर रही है वह यह है कि अन्तत: उन्हें अपनी पसन्द का चेयरमैन मिल गया। इस तर्क के आधार पर प्रबंध निदेशक के कार्यकाल को भी कम कर दिया गया कि वह 58 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त हो जाएंगे। किसी ने भी उस बात का उल्लेख नहीं किया है कि वह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जायेंगे और इसलिए वह उम्र कम कर सकते हैं।

अब, सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर साठ वर्ष कर दिया गया है और इसलिए, सरकार को उनका कार्यकाल भी बढ़ा देना चाहिए। यह वे मुद्दे हैं जिनका यहाँ किसी ने उल्लेख नहीं किया था। यह सब नए मुद्दे हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ ...*(व्यवधान)* मैं श्री जयपाल रेड्डी, श्री करुणाकरन तथा अन्य सदस्यों द्वारा उल्लिखित बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा।

महोदय, सुजकी के लिए मैसर्स मारूति एक सोने की खान है। पिछले वर्ष उनको 1056 करोड़ रु. का लाभ हुआ था और उसमें से 501 करोड़ रु. का लाभ केवल मारूति से हुआ था। उनके बारे में चिन्ता करना भारत सरकार का मामला कैसे हो सकता है? भारत 90 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाला एक विशाल देश है। वह सुजकी जैसी छोटी सी कम्पनी के बारे में चिन्ता क्यों करें? जापान, निश्चय ही एक महान देश है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम सुजुकी के बारे में चिन्ता क्यों करे? इसलिए एक मिलियन डॉलर प्रश्न जो कि लोगों के दिमाग में उठता है वह यह है कि कौन सी ऐसी बात थी जिसने आप जैसे प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति को परेशान कर दिया और यह कहने पर मजबूर कर दिया कि श्री भास्कररूडु सक्षम अधिकारी नहीं है और उनका कार्यकाल कम किया जाना चाहिए?

महोदय, मैं हर बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की इस बारे में सर्वसम्मति थी कि यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया है और सरकार ने समझौता किया है। जी हाँ, समझौता महत्वपूर्ण है बशर्ते कि इससे हमें लाभ हो। एक ओर यह तथ्य है कि सुजुकी के लिए मारूति एक सोने की खान है, वह यहाँ से वापस नहीं जा सकते और दूसरी ओर, जो भी प्रौद्योगिकी उनके द्वारा दी जानी थीं, वह दी जा चुकी है और अब उनसे कुछ और नहीं मिल रहा है। सरकार कम से कम इस संबंध में कोई सौदा कर सकती थी कि यदि भारत सरकार उन्हें प्रबंध निदेशक

देती है तो उन्हें हमें अपनी पूरी प्रौद्योगिकी देनी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। शायद आप एक व्यापारी नहीं है, यदि आप व्यापारी होते तो आपने ऐसा ही किया होता। मेरे विचार में यह एक गलती है। मेरे विचार में राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए समझौता किया गया है।

महोदय, अंत में मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि तथ्यों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की घोषणा करें और फिर इसकी रिपोर्ट के साथ सभा में आए। इससे माननीय मंत्री जी की प्रतिष्ठा और ख्याति बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश अम्बेडकर जी। कृपया केवल दो मिनट के लिए ही बोलिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कभी भी समय का प्रश्न उठता है, तो छोटे दलों को ही हार माननी पड़ती है।

महोदय, इस करार से जाने वाले बहुत ही प्रभावी संकेतों मे से एक संकेत, जो उदारीकरण प्रक्रिया का भी एक भाग है, यह है कि हमें इस करार के अनुवर्ती प्रभावों एवं परिणामों पर गौर करने की आवश्यकता है। कई कम्पनियों, जो निजी क्षेत्र की कम्पनियां हैं, ने भी बहुराष्ट्रोय कम्पनियों के साथ इस तरह के करार किये थे परन्तु समय के साथ ऐसे करार टूट गए और इन कम्पनियों के बाजार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा हो गया।

अध्यक्ष पहोदय, माननीय मंत्री ने इस करार को न्यायोचित ठहराते हुए कहा है कि प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण होने वाला है। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या इस समय निर्मित किए जा रहे सभी तीनों मॉडलों के संबंध में पिजोट कम्पनी से इंजनों और गियर बाक्सों के लिए संपर्क किया गया है? क्या उनके साथ इस संबंध में कोई वार्ता हो रही है? अगर ऐसी बात है तो मंत्री जी द्वारा दिया गया यह संपूर्ण तर्क, कि प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण होने वाला है, भी सच नहीं है।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इनरोन के मुद्दे पर भाजपा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। परन्तु सुश्री रेबेका मार्क के भारत के दौरे तथा उनके महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों तथा भाजपा के नेताओं के साथ उनकी बैठक होने के बाद उनके साथ करार हो गया था। क्या यहां भी ऐसा ही हुआ कि इस मामले में भी कुछ बाहरी बैठकें हुई हैं और कुछ बाहरी करार भी हुए हैं? क्या यह करार बाहरी बैठक के कारण सम्पन्न हुआ है?

अंत में, अध्यक्ष महोदय यह भी एक तरीका है जिसमें हम अन्य लोगों पर आर्थिक निर्भरता के लिए संपर्क कर रहे हैं। बोर्ड के गठन में हमारी भूमिका नगण्य हो गई है। हम अपना आधिपत्य खो चुके हैं। हमारे आर्थिक आधिपत्य का क्षरण हो रहा है। यदि एक के बाद एक कम्पनी के निदेशक मण्डल के गठन का अधिकार उक्त कम्पनी के हाथों से निकल जाएगा और देश के लोगों के पास मात्र मालिकाना हक रह जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। मैं मंत्री जी को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो बाद में एक अन्य मुद्दे की भी निपटाने वाले हैं। जहां तक मेरी जानकारी है यह मामला भारत पेट्रोलियम और बर्मा शैल के बीच होने वाले करार के बारे में है। उनका प्रयास कोई सुधारात्मक प्रयास नहीं है। यह मामला उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से आने वाला है। इसी प्रकार की अर्थात् निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन को नियंत्रित करने के संबंध में बातचीत चल रही है। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि जब इस प्रकार के करार सम्पन्न होंगे तो क्या देश की आर्थिक सम्प्रभुता कायम रह पाएगी, क्या आर्थिक निर्णायक स्थिति देश में कायम रह पाएगी। अगर आर्थिक निर्णय बाहर लिए जाते हैं तब हम अपनी आर्थिक सम्प्रभुता के साथऋसाथ राजनैतिक सम्प्रभुता भी खो देंगे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से, उनके उनकी सम्माननीय हैसियत और उनके उच्च आचरण से अच्छी तरह भिज्ञ होने के कारण, अनुरोध करूंगा कि वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री जयपाल रेड्डी जी की संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने और सभा के समक्ष स्पष्ट छवि प्रस्तुत करने की मांग पर सहमत हों।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरे दल को बोलने का मौका नहीं मिला है। अपने दल से बोलने वाला केवल मैं ही हूँ। कृपया मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य ने इस बारे में काफी अच्छी तरह बोला है। श्री राधाकृष्णन जी आप अगली बार बोलिएगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं अपना नाम दे चुका हूँ। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे बस कुछ ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करनी है।

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

सबसे पहले, मैं श्री जयपाल रेड्डी की बात का समर्थन करता हूँ। यह महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि यह मामला मारुति उद्योग लिमिटेड से ही संबंधित है, यह एक ऐसा मामला है जो उन लोगों की आँखें खोलने वाला है जो उदारीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बाजार अर्थव्यवस्था इत्यादि की बात करते हैं। यह केवल एक कम्पनी विशेष से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सुजुकी जापान में कार्यरत बहुत छोटी कम्पनी है। यह जापान की कुल ऑटोमोबाइल उद्योग का केवल सातवां भाग है। ऐसी छोटी सी कम्पनी भारत जैसे बड़े देश को किस तरह प्रभावित कर सकती है? यह बात आँखें खोलने वाली होनी चाहिए। यहां तक कि नौकरशाह भी इस बात के गवाह होंगे कि भारत के हितों को किस प्रकार ताक में रख दिया। नौकरशाह या भारत सरकार पर भी दबाव डाला जा सकता है। सरकार में ऐसे भी लोग हैं जो हमारा राष्ट्रीय हित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेच देना चाहते हैं। परन्तु यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी भी नहीं है।

जब हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सम्पर्क करेंगे तब क्या होगा? इतनी छोटी सी कम्पनी के साथ ही जब हमारा इतना कड़वा अनुभव रहा है तो जब हम बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सम्पर्क करेंगे तो हमारा क्या अनुभव होगा? अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था का तो क्या कहना तब आप और हमें ही बेच दिया जायेगा। हमारा देश बड़ी गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। भविष्य में जब भी हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से सौदा करें तो हमें दुगुनी सावधानी बरतनी होगी। हमें इस अनुभव से यह सबक मिला है।

इस मामले में ऐसा हुआ कि हमारी सम्प्रभुता को ही अंतरराष्ट्रीय विवाचन न्यायालय में ले जाया गया है। हमारा कोई विवाचन न्यायालय नहीं है। सुजुकी मामले को अंतरराष्ट्रीय विवाचन न्यायालय में ले गयी थी। ऐसा लगा कि सरकार को इससे धक्का लगा और उसने सोचा ''सारी स्थिति धराशयी हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा।'' क्या सरकार ऐसा महसूस कर रही थी? इतनी शीघ्रता में समझौता करने पर इसे किसने उकसाया? आखिर विवाचन न्यायालय क्या कर सकता था? यदि वह अपना पंचाट भी देता तो उसका कानूनी प्रभाव क्या होता? सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का भय क्यों था? जब कि हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे थे तो सरकार को इतनी छोटी कम्पनी के सामने झुकने के लिए किसने उकसाया? यह इतनी छोटी कम्पनी है कि इन कम्पनियों को हमारी भाषा में 'ब्लेड कम्पनियां' कहा जाता है।

हम विश्वास नहीं कर सकते कि दुनिया में इतना बड़ा आदमी, एक विद्वान व्यक्ति, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस छोटी कम्पनी, सुजुकी के सामने कैसे झुक गया। जब श्री सिकन्दर बख्त बड़ी कम्पनियों से बातचीत करेंगे क्या परिणाम होगा? मैं मानता हूँ कि श्री सिकन्दर बहुत ईमानदार आदमी हैं। परन्तु अगर ऐसा ही होता रहा तो वे भी बड़ी कम्पनियों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। पूरा देश बिक जाएगा क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो देश को बेच सकते हैं। इसलिए, मेरी मांग है कि इस मामले की एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तार से जाँच की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, एक रस्म है कि जब इस किस्म की बहस होती है तो आखिर में बहस का जवाब देने वाला बात यहां से शुरू करता है कि मैं उन हज़रात का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया।

सदर साहब, मैं बड़े मिले-जुले जज्बात के साथ खड़ा हुआ हूं। ज्यादा उन हज़रात का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने ख्यालात तो रखे, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए कुछ मीठे अल्फाज भी कहें। मैं यहां बैठे-बैठे बिल्कुल इमोशनल हो गया था। मैं इस बात को मानता हूं कि हम इधर और उधर बैठते हैं तो जिस मसले की मुखालिफत के लिए कोई खड़ा हुआ है, मुखालिफत की बात करेगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि सियासी इख्तेलाफ सियासी मुखालिफत जाती मुखालिफत नहीं बननी चाहिए। हम लोग एक सदन में बैठते हैं, अलग-अलग पार्टीज होने के बावजूद हमारा रिश्ता है हमनशीनी का, साथ बैठते हैं, हमारा रिश्ता है हमसफरी का, सियासत के मैदान में हम सब दौड़ रहे हैं अपने-अपने रास्ते पर। उस रिश्ते का लिहाज रखते हुए हम लोगों को तल्ख अल्फ़ाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल दूसरे मिजाज का आदमी हूं। बीजेपी की सरकार में कुछ जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इख्तेलाफ की बातें सुनते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी पर ज़ाती हमला नहीं किया।

अपराह्न 6.00 बजे

जो गवर्नमेंट्स गुजर चुकी है, मैं उन गवर्नमेंट्स का जिक्र करके यह साबित करने की कोशिश कभी नहीं करना चाहता कि मैं ठीक हूं, सारी गल्तियां उनकी थीं। मगर मुझे आज अपने बेहद अजीज दोस्तों, मैं रस्मी तौर पर बेहद अजीज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में जब लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं तो यह आम बात होती है कि मेरे अजीज दोस्त, मेरे फलां-फलां हैं। लेकिन मेरी पार्लियामेंट की सियासी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जिनको मैंने अजीज रखा है और उनमें से एक साहब जयपाल रेड्डी भी रहे हैं। सदर साहब, आज मेरे दर्द की इंतिहा नहीं रहीं जब मैंने जयपाल रेड्डी साहब को अपनी सतह से बेहद नीचे

गिरते हुए देखा। एतराज की बात करें, मुझसे शिकायत करें, इस विषय की मुखालफत में पूरी आवाज उठायें। लेकिन गिरते-गिरते यहां पहुंच गये। मैं 80 साल का हूं, जल्दी मरने वाला हूं और मर जाऊंगा तो कब्र में भी यह बदनामी मेरा पीछा करती रहेगी। इस किस्म के भद्दे, नीचे, घटिया और गिरे हुए अल्फाज की उम्मीद मुझे जयपाल रेड्डी से कभी नहीं थी। ...*(व्यवधान)* आप बीच में मत बोलिये, जितना बोलना था वह आप बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। मैंने सरकार के बारे में कहा था।

श्री सिकन्दर बख्त: वे मुझे सम्बोधित कर रहे थे। अब सब ठीक है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं यह रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूं कि मैंने उनके बारे में नहीं कहा था मैंने तो सरकार के बारे में कहा था।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त: गवर्नमेंट बूढ़ी है, गवर्नमेंट 80 साल की हो चुकी है, गवर्नमेंट को कब्र में जाना है। कब्र में तो सिकन्दर बख्त को जाना है। कब्र में जाने के बाद भी यह बदनामी गवर्नमेंट का पीछा करती रहेगी, किसको बच्चों का सबक बहला रहे हो। मैं अल्फाज को भूल नहीं सकता हूं, आपकी जबान से निकले अल्फाजों ने मुझे जख्मी किया है।

सदर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मारुति के सिलसिले में मैंने पहली प्रेस कांफ्रेंस की थी मैंने उस प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा था कि मैं पिछली गवर्नमेंट का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैंने उस प्रेस कांफ्रेंस में यह कहा था कि मुरासोली मारन नफीस आदमी हैं वह भले व्यक्ति है, मैं उन्हें पसन्द करता हूं। मैंने यह कहा था। लेकिन जब बौछार हो गई यानी हमको मजबूर कर दिया जाता है कि हम अपनी वज़हदारियों को छोड़ें, हम जाती हमले का जवाब ज़ाती हमले से दें या न दे। "फिर वज़हदारी एहतियात से घुटने लगा है दम, अरसा हुआ है चाके गरेवां किये हुए।" आज मेरा जी चाहता है कि मैं अपना गरेवां चाक करूं। मुझे अपनी वफादारियां छोड़नी पड़ी हैं। अजीब-अजीब किस्म के हमले हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैंने खुद नोट्स लिये हैं, यहां जो-जो तकरीरें हुई हैं, उनका जिक्र जहां तक हो सके, वह मैं करूं। दूसरा प्रेस रिलीज के पहले फेज को छोड़कर जब दो-तीन रोज तक बहुत हमले मुझ पर ज़ाती तौर पर होते रहे तो मैंने एक प्रेस रिलीज में यह कहा था-

[अनुवाद]

मैं बीते हुए इतिहास को खोदने और पूर्ववर्ती सरकार की भूमिका की समीक्षा में नहीं उलझना चाहता न ही मैं उस स्थिति के संबंध में पूर्व मंत्री का नाम घसीटना चाहता हूं जो अनन्य रूप से विगत में उसके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई थी।

[हिन्दी]

मैंने कहा यह गुनहगारी मैंने अपने आपसे की, क्योंकि मैं इन सब बातों को सुनते-सुनते तंग आ गया था, उलझ गया था कि मैं कब तक खामोश

[अनुवाद]

तथापि मारुति के संबंध में खेदजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह बिल्कुल दूसरी बात है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: उन्होंने काफी बोल दिया है अब वे सुनने का इन्तजार क्यों नहीं करते।

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): उन्हें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त: आपका काम नहीं है, मैं सुनूंगा ...*(व्यवधान)* हां, आप ठीक कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह बात जयपाल रेड्डी साहब ने इस बात से शुरू की थी कि हम एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और मैं आज भी उस दोस्ती को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मेरा इरादा आज भी उस दोस्ती को छोड़ने का नहीं है।

इसलिए मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि अपना दर्द जाहिर कर दूं कि जयपाल रेड्डी से मेरे जिस किस्म के ताल्लुकात रहे हैं, वे उसी तरीके से जारी रहेंगे। इसलिए मैंने यह बात कही। मैं मारुति की बात कहता हूं। पहली बात तो यह है कि मैंने सब हजरात की तकरीर सुन ली है।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): अब तो उन्होंने वजाहत कर दी है।

श्री सिकन्दर बख्त: उनके अब वजाहत करने से क्या होता है। जब वे बोल रहे थे और जब मैंने उनको सुना, जख्मी तो मैं तब हो चुका था। वजाहत से मेरा जख्म कहां भरेगा। मैं कुछ उन बातों को कहना चाहता हूं जो मेरे लिए ताज्जुब की हुई है। मारूति का जिक्र हुआ है। मैं कोशिश करूंगा तमाम साथियों के सवालों का जवाब देने की। मारूति मुझे किस हाल में मिली थी, मैंने मारूति सुजुकी से कोई समझौता नहीं किया था, मारुति का अच्छा हो या बुरा हो, इसका जिक्र मुझे किसी तकरीर में नहीं मिला, यह कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे। सुजूकी का जिक्र मिला, अफसरान का जिक्र मिला, मैं उन अफसरान का जिक्र करूंगा। लेकिन मारुति का जिक्र करना चाहिए था कि मारुति किस हाल में हमें बिरसे में मिली और मारुति को जिन्दा रखने का क्या तरीका होना चाहिए था, क्या मारुति हमारी संपत्ति है या नहीं। मारुति आज हिन्दुस्तान की आटोमोबाइल इंडस्ट्री में टॉप पर है। यदि मौजूदा सूरते हाल चलती रहेंगी, तो क्या मारुति आने वाले कल भी आटोमोबाइल इंडस्ट्री में टॉप पर रहेगी, क्या मारुति में एक साल में नई टैक्नोलाजी आनी बंद हुई है या नहीं हुई है, क्या मारुति में अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है या नहीं है, तमाम अफसानों का जिक्र हो गया, लेकिन असल बात का जिक्र नहीं हुआ कि मारुति को जिन्दा रहना चाहिए या नहीं।

सदर साहब, दूसरी बात जो मेरे लिए ताज्जुब की रही है वह यह रही है कि मारुति जब से वजूद में आई, भयानक तरीन बात, जो एक चैप्टर लिखा गया था, कुछ तकरीरों में उसका हलका सा जिक्र हुआ था। जयपाल रेड्डी साहब की तकरीर में जिक्र हुआ। मारुति के 40 परसेंट शेयर थे लेकिन शुरुआती दौर में 26 परसेंट थे और फिर बाद में 26 परसेंट से 40 परसेंट कैसे हो गए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना याद जरूर दिलाना चाहूंगा कि जब 26 परसेंट दिए गए, तो वे कंडीशनल रेट पर दिए गए। 26 परसेंट के बाद जो 14 परसेंट दिए गए, वे कंसैशनल रेट पर दिए गए। ओरिजनल डाकुमेंट में तो 26 परसेंट शेयर सुजूकी के थे और 14 परसेंट शेयर और ले सकते हैं; लेकिन कंसेशनल रेट पर ले सकते हैं। यह बात करार में है। उन्होंने उस अवसर का फायदा उठाया और 14 परसेंट शेयर कंडीशनल रेट पर ले लिए। इस बात का भरपूर जिक्र किसी तकरीर में नहीं था कि मारुति कब बेची गई। मैं कहना चाहता हूं कि मारूति तो तब बेची गई जब 40 परसेंट इक्विटी शेयर की जगह उसके 50 परसेंट इक्विटी शेयर हो गए। वे 10 परसेंट क्यों दिए गए, कब दिए गए और किस रेट पर दिए गए और उनको 10 परसेंट दिए जाने के बाद, 1992 के बाद, कितनी सरकारें उसको गोद में लिए बैठी रहीं। जो बात आज उठ रही है सैल-आउट की और सरेंडर की, वह उस वक्त क्यों नहीं उठी जब 10 परसेंट बेचे गए। बक्त की बात क्यों करते हो, खुली बात करो। मारुति तो तब बेची गई। मारुति तो उस समय बेची गई, जब हिन्दुस्तान के 60 फीसदी शेयर थे और 50 फीसदी कर दिए गए। उसकी तारीख में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वह बात लंबी है, लेकिन इस तफसील में मैंने उसको पढ़ा है। एक वक्त तक तो लगता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम कदम-ब-कदम आगे सरक रहे हैं, लेकिन एक वक्त के आने के बाद एकदम पता ही नहीं चला कि मारुति को 10 परसेंट शेयर देने का फैसला किस तरीके से हुआ। पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद है। यदि आप मुझे वक्त देंगे, तो मैं सब पढ़कर सुना सकता हूं 26 परसेंट जब ओरिजनल थे तब का जिक्र है।

[अनुवाद]

तथापि सुजुकी को यह विकल्प दिया गया था कि वह अंशमूल्य पर 26 प्रतिशत से अधिक राशि के अतिरिक्त शेयर खरीद सकता है परन्तु उनका मूल्य कुल अंशधारिता के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। प्रति शेयर अंशमूल्य 100 रुपए था। मारुति उद्योग लि. के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक ने बताया कि सुजुकी मोटर कारपोरेशन 400 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर मारुति के शेयर खरीदने को सहमत हो जाएगा। प्रीमियम 400 रुपये का होगा।

[हिन्दी]

मैंने बीच का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है जिसमें बहुत सारी मीटिंग्स का हवाला है। श्री आर.सी. भार्गव ने श्री सुरेश माथुर सैक्रेटी आई.डी. को लिखा।

प्रत्यक्ष मूल्य 100 रुपये का शेयर 500 रुपये के मूल्य के प्रति शेयर की दर से बेचे जायेंगे। क्या-क्या हुआ, वह तो ठीक है। मतलब श्री आर.सी. भार्गव ने यह ऑफर गवर्नमेंट को दिया कि 500 रुपये की शेयर सुजूकी लेने को तैयार है। सुजूकी ने सजेस्ट किया कि हमको कम में देना चाहिए, 100 रुपये में देना चाहिए उसके बाद श्री आलोक प्रसाद डायरेक्टर, पी.एम. आफिस ने श्री सुरेन्द्र सिंह देसाई को लिखा।

उन्होंने बताया कि एफ.आई.पी.वी. ने सुजूकी के अनुरोध की सिफारिश की थी।

सुजूकी ने कहा कि हमको 100 रुपये में दीजिए।

मारुति उद्योग लि. सी सी एफ आई ने भी इसे मान लिया। अब यह कौन थे। इसमें पी.एम. आफिस के सी सी एफ आई का जिक्र है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स उन लोगों को हुआ। उसके बाद श्री आर.सी. भार्गव, सी.एम.डी.एम., यू.एन.एस. ने श्री सुरेन्द्र सिंह देसाई को लिखा।

[अनुवाद]

उन्होंने एफ आई पी बी को सूचित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा कि शेयरों के संपरिवर्तन के संबंध में मारूति उद्योग लि. के निर्देशों के अनुसरण में चार्टर बैंक की मार्फत इसे किया गया और यह 264 रु. के मूल्य पर पहुंचा था। कुछ डिटेल्स नहीं है मूल्य का आकलन करके 269 रुपये प्रति शेयर से मूल्य निर्धारित करने के पश्चात मारुति उद्योग लि. को अदायगी की गई थी।

[हिन्दी]

इसके लिए वह तैयार थे कि 500 रुपये में हम ले सकते हैं। 500 रुपये भी मार्केट प्राइस से कम थे। मार्केट प्राइस में यह कम से कम 10 परसेंट आना चाहिए था। 10 परसेंट जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि हिन्दुस्तान की ताकत मारुति उद्योग के अंदर कम हो रही थी लेकिन 10 परसेंट शेयर भी गये। वह उस मार्केट प्राइस पर नहीं गये बल्कि कन्सेशनल प्राइस पर गये। सुजूकी को किसने बेचा? हिन्दुस्तान मारुति उद्योग लिमिटेड को किसने सुजूकी के हाथों में बेचा? यहां सेल आउट का जिक्र हो रहा है, यहां सरेण्डर का जिक्र हो रहा है लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यह जो सेल आऊट हुआ है, इसका मूल भी 1992 से आज तक जितनी सरकारें आई हैं, उनमें भी रखना चाहिए था। वह क्यों खामोश बैठे थे? इस लाश को गोद में लिये हुए पिछली सरकारें क्यों खामोश बैठी रही। मेरे अजीज दोस्त सामने बैठे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं। यू.एफ. सामने बैठी है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप खामोश क्यों बैठे रहे। उस वक्त एतराज क्यों नहीं हुआ? अगर तुम सैल आउट के खिलाफ थे तो जब से सैल आउट हुआ है तब से उसके खिलाफ बोलना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, इस बात का उल्लेख समिति के प्रतिवेदन में किया गया है। कोई भी खामोश नहीं था। यह समिति के प्रतिवेदन में बताया गया था। उनके दल के सदस्य भी उस समिति के सदस्य थे।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त: इस कमेटी का पर्दा मत लीजिए क्योंकि मैं बताने के लिए तैयार हूं। वह कमेटी इसके पहले की कमेटी थी। जिस वक्त यूनाइटेड फ्रंट की सरकार नहीं थी। यू.एफ. की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के लैवल पर इस सैल आउट के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट किया, यह मैं जानना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* आप रहने दीजिए। हर वक्त बीच में मत बोलिये। अल्टीमेटली यह हुआ कि वह शेयर 269 रुपये में बेच दिये गये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितने जोरशोर से उन्होंने यह कहा कि हमने बेच दिया, सुजूकी का यह हो गया, वह हो गया। अगर ज़ेहनों और दिलों के अंदर ईमानदारी होती तो इसका भी उसी जोरशोर से जिक्र करना चाहिए था कि हिन्दुस्तान के 10 परसेंट शेयर बेचे गये तब किसकी सरकार थी।

उस वक्त इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी, सिकन्दर बख्त तो वहां नहीं था। नाम ले सकता हूँ कि कौन-कौन था। *...(व्यवधान)* मैं नाम लेकर क्या करूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: आपको गुस्से में रिप्लाई नहीं देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

"इन अर्हताओं को पूरा करने वाले वरिष्ठतम व्यक्तियों में श्री भास्कररुडु, श्री खट्टर, श्री हसन और डा. कुमार को पाया गया।"

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त: दिल्ली के हाई कोर्ट में भी इसका मुकदमा चला। युनाइटेड फ्रंट के इंडस्ट्री मिनिस्टर के बारे में हाई कोर्ट की औब्जर्वेशन्स क्या थीं, वह मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन मैं श्री खट्टर की बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। खट्टर साहब श्री आर.सी. भार्गव के नुमाइंदे हैं। मैं नहीं चाहता था कि अफसरों के चक्कर में पड़ूं क्योंकि हिन्दुस्तान की सरकार इनडिविजुअल आफिसर्स से बहुत ऊंची चीज है। लेकिन नाम बहुत ज्यादा आया है इसलिए बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरन: मैंने उन्हें हटाया था।

श्री सिकन्दर बख्त: यह ठीक है आपने अवश्य किया होगा। इसका कारण क्या था? आपको गलत धारणा अथवा अवधारणा थी कि वह भार्गव का आदमी है लेकिन क्या आप को यह मालूम था कि भास्कररुडु को भी श्री भार्गव ने ही नियुक्त किया था और प्रारम्भ में से वह भार्गव का आदमी ही था? *...(व्यवधान)*

[श्री सिकन्दर बख्त]

[हिन्दी]

श्री खट्टर को इस ब्रैकेट में डालने की बात किसने की? हमने तो नहीं की। खट्टर साहब को बोर्ड का मैम्बर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं बनाया। खट्टर साहब को क्यों हटाया गया, उसका जिक्र आज तक कहीं नहीं है। श्री आर.सी. भार्गव का आज की इस बात से क्या ताल्लुक है। पहले की बात थी, आर.सी. भार्गव के लिए हो सकता है कि मेरी राय भी वही हो जो आपकी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: कृपया आप भावुक मत होइए।

श्री सिकन्दर बख्त: मैं भावुक हो रहा हूँ।

[हिन्दी]

मैं करुणाकरन साहब से यह कहूंगा कि पार्लियामेंट में आने के बाद हाफ ट्रुथ से बात नहीं बन सकती, भरपूर बात कहिए, तब पता लगता है कि असलियत क्या है, क्या नहीं। हम लोग जाता शक्सी इनात की बिना पर चलते रहे हैं। खट्टर साहब आज भी हिन्दुस्तान की सरकार के ऐप्वाइंटी हैं। श्री खट्टर को सुजुकी ने एप्वाइंट नहीं किया लेकिन जिस तरीके से उसने हमारे एप्वाइंट किए हुए श्री आर.सी. भार्गव को अपनाया था, उसी तरीके से हो सकता है कि उसने श्री खट्टर को बेहतर आदमी माना हो। आप सुजुकी की राय के ऊपर अपनी राय रखने का हक नहीं रखते। ...*(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं कि यह मामला काफी अफसोसजनक है और मैं इस वक्त भी सोच रहा हूं कि आज जिस जहन के साथ मैं यह बात कर रहा हूं, मैं यह पढ़ूं या न पढ़ूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर: बख्त साहब, जज्बात में मत जाइए, हम बहुत पुराने दोस्त हैं।

श्री सिकन्दर बख्त: नहीं जाता। आप क्या बात कर रहे हैं। मैं वाकई ज़ाती हमले करने को कुछ नहीं समझता मगर मुझसे यह कह दिया जाए इतने ज़ाता हमले हुए हैं, अंडर हैंड डीलिंग्स हुई है। मुझसे यहां आकर मेरे अजीज दोस्त ने जो कहा, उनके अल्फाज भी दोहरा सकता हूं। मैं बेहद तकलीफ के आलम में हूं। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरा नाम मोहब्बत से लिया, मैं उनके सामने सर झुकाता हूं, उनका बेइन्तहा शुक्रगुजार हूं।

लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह कहा, सिकन्दर तो अच्छा आदमी है, लेकिन ऊपर से जोर पड़ा है, दबाव पड़ा है। मैं 100 फीसदी, 101 फीसदी इस एग्रीमेंट को चलाने वाला अकेला आदमी हूं। मुझ पर प्राइम मिनिस्टर आफिस का, प्राइम मिनिस्टर का कोई दबाव नहीं पड़ा। मैं बजाते खुद इसका जिम्मेदार हूं, यह बता देना चाहता हूं। मुझे ताज्जुब होता है, शिव शंकर साहब, यहां कुछ लोगों ने, यहां तक कि मेरे अजीज दोस्त श्री कुरियन की जुबान से भी निकला कि मैं सिकन्दर साहब के बारे में तो नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ है, जो साफ होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म के सवालात मेरे सामने आते हैं। मैं उनको अनदेखा कर देता हूँ। उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया तक व्यक्त करना नहीं चाहता। वे बहुत निम्न कोटि के लोग है। जिन लोगों की भ्रष्टाचार की गोद में सियासी परवरिश पाते हुए उम्र गुजर गई हो, आज वे सिकन्दर बख्त की तरफ उंगली उठाएंगे? क्या तमाशा है, इस किस्म का तमाशा भी हमें देखने को मिल रहा है। मारुति ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हम सभी उनको चाहते हैं। वह हमारे लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि वह ज्यादा गुस्सा न करे। हो सकता है उनका तर्क न्यायोचित हो। लेकिन इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि वे बीमार पड़ें।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त: सोमनाथ जी, मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा है। अगर मैं यह हाई कोर्ट का फैसला पढ़ूं तो किसी मिनिस्टर के लिए इज्जत का बायस नहीं होगा। मुझसे शिव शंकर साहब ने अपील की, मैंने यहां डाल दिया, नहीं पढ़ता। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हजरात मारुति उद्योग के बारे में जितना कुछ सोचते हैं। उसके बारे में यह सोचिये कि मारुति उद्योग में हिन्दुस्तान का भी हिस्सा है, क्या वाकई आप इसको दुरुस्त मानते हैं? मैं मेरे पहले वाले अजीज ने, जिनके लिए मैंने कहा, मैं उन्हें काफी भला व्यक्ति मानता हूं, उन्होंने मारुति उद्योग को और पूरे हिन्दुस्तान को, हिन्दुस्तान के वकार को तराजू में बराबर से लाकर डाल दिया। क्या यह हिन्दुस्तान इतना छोटा हो गया है कि इस किस्म के मामूली उद्योगों के साथ बराबर किया जायेगा? मुझे अपने अजीज दोस्त से शिकायत है। यह शिकायत होने के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केस इण्टरनेशनल कोर्ट में आर्बीट्रेशन के लिए गया हुआ था। आप लोगों ने पूछा कि जल्दी क्या थी। जल्दी यह थी कि जुलाई या जून की कौन सी तारीख थी, वह मैं भूल

रहा हूं, उस तारीख पर वह केस आने वाला था और मैं इस केस को उस कोर्ट में आने से पहले हल करना चाहता था, वह जल्दी थी। अब इसे मेरी बदनीयती मान लीजिए, लेकिन मेरी नीयत यह थी कि मारुति उद्योग बचना चाहिए, मारुति उद्योग हिन्दुस्तान की सम्पत्ति है। मारुति उद्योग बच ही नहीं सकता, जब तक कि नई टैक्नोलोजी नहीं आयेगी। मारुति उद्योग बच ही नहीं सकता, जब तक अपग्रेडेशन नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपमें से किसी ने मारुति उद्योग का भी जिक्र किया होता। आप सिर्फ आफिसर्स के जिक्र में लग गये। आफिसर्स हमारे लिए काबिले तवज्जह हैं। अच्छे बुरे हर किस्म के आफिसर्स हो सकते हैं, लेकिन हम जिस वक्त हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं, उस वक्त हम आफिसर्स की सदा पर लाकर किसी मामले को तोड़ नहीं सकते।

मुझसे कहा गया है, हमारे करुणाकरन जी ने एक बात कही थी, करुणाकरन जी ने कहा था कि सिर्फ हम नहीं, बल्कि यह पूरा सदन, बल्कि पूरा हिन्दुस्तान इस समझौते की मजम्मत करता है। मेरे पास एक डंकी लोड नेशनल प्रैस की एडीटोरियल्स की है। पढ़ूं? क्या राय रखने का हक सिर्फ हमारे अजीजों को है? क्या हिन्दुस्तान के मीडिया को राय रखने का हक नहीं है? ये 400-500 मेरे पास यहां भी पड़ी हैं। ये पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आप हाउस छोड़कर चले जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: एक-दो तो पढ़ ही दीजिए।

श्री सिकन्दर बख्त: अरे भाई, कहां तक पढ़ूं। इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, मगर नाम एवोइड करता हूं। एक तो यह कहा गया है, जो शीर्षक दिया गया है, ''ए पीगस ब्रेकफास्ट फार्म एक्स किंचन'', मैंने वह नाम नहीं लिया।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है:

''हमें इस मतभेद को क्या कहकर पुकारना चाहिए?....

''मारुति उद्योग लि. की समूची विकट स्थिति अपने आप में एक मुद्दा बन गई है। यह कांग्रेस शेफ द्वारा मेज में परोसा गया बड़ा नाश्ता था जिसके कारण अभी तक नहीं बताए गए हैं।

अनएक्सप्लेन्ड है यह मैं भी मानता हूं, मैं वहां तक नहीं पहुंचा कि हम 269 वाली रकम पर कैसे पहुंचे है या अनएक्सप्लेन्ड है।

इसमें आगे कहा गया है:

'बेचने' की बात वास्तव में और लाक्षणिक रूप से 1992 में सामने आई जब अमुक एक्स सरकार सुजुकी के साथ बराबरी के लिए सहमत हुई.....''

और आगे क्या कहा है बड़ा लम्बा चौड़ा है:

1992 में ''एक्स'' शासन सम्भाले हुए थे। और यह उनकी सरकार थी जिसने मारुति उद्योग लि. में जापानी उद्यम को बराबरी का तोहफा दिया। मैंने 'भेट देना' शब्द का प्रयोग किया है। सुजुकी को केवल 269 रु. प्रति शेयर अदा करके यह तोहफा मिल गया जबकि एक वर्ष पहले उसने स्वयं 800 रु. प्रति शेयर देने की पेशकश की थी।

मैं यहां यह भी पाता हूं कि समूचा यह खेदजनक प्रसंग 'एक्स' द्वारा जापान की यात्रा के बाद ही घटित हुआ।''

यहां भी उन साहब ने साहबजादे का नाम हैं। रिकार्ड के लिए, बिना कोई अनुमान लगाए वह मशहूर 'एक्स' तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र, मैं विख्यात 'एक्स' ने इलैक्ट्रोनिक्स उद्यम में जापानी सहायता प्राप्त की जो अब निष्क्रिय है:-

''मैंने हमेशा फैक्टरियों को थोड़ा जादूई पाया है-जिसमें कच्चा माल जाता है और तैयार उत्पाद निकालता है। लेकिन मारुति का एल्किमी मशीनों की तरह उतना ही आदमियों पर भी काम करती है। सरकार का नामजद व्यक्ति अन्दर जाता है तो सुजुकी का हिमायती बाहर आता है।''

[हिन्दी]

और भी है, मेरे पास चार-पांच और भी हैं, लेकिन क्या पढ़ूं, मैं सिर्फ अपने मोहतरम दोस्तो से यही कहना चाहता हूं कि मारुति उद्योग लि. जिस अवस्था में है, मैं उससे खुश हूं कि वह डूबने से बचा लिया गया है, यह उद्योग चलेगा। अभी किसी ने यह कहा कि किस स्टेज पर यह तय हुआ था कि सुजुकी वाले सौ फीसदी शेयर खरीदने को तैयार हैं। मैंने पहले भी प्रैस में बयानात दिए हैं और यहां भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का और हिन्दुस्तान की सरकार का मारुति उद्योग का 50 फीसदी शेयर का जो हिस्सा है, उसे बेचने का कोई इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस चर्चा में सदस्यों द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया है।

श्री सिकन्दर बख्त: ठीक है। मैं वह करूंगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, क्या वे संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने के लिए सहमत हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है।

...(व्यवधान)

श्री के. बापीराजू (नरसापुर): अध्यक्ष महोदय, हम सभी माननीय मंत्री जी की बात सुनना चाहते हैं। कृपया उन्हें उत्तेजित मत करिए। वह वरिष्ठ सदस्य है। हम उनकी पूरी बात सुनना चाहते हैं। उन्हें श्री जयपाल रेड्डी की बातों से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उन्हें यह बात छोड़ देनी चाहिए और इसे भूल जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सिकंदर बख्त: मैं अर्ज करता हूं कि जयपाल रेड्डी साहब की तमाम बातों का मैंने जवाब दिया है। जयपाल रेड्डी जी को स्कैंडल वाली बात का भी जवाब मैंने दिया है। उन्होंने खट्टर साहब का जिक्र किया था, मैंने उसका भी जवाब दिया है। आर.सी. भार्गव हमारा मुकर्रर किया हुआ था, यह मारुति उद्योग के एग्रीमेंट करने से पहले की बात है, उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

मुझे अफसोस यह है कि जो कुछ इन्होंने खट्टर के बारे में सबस्टेंशिएट किए बगैर कहा। बसुदेव आचार्य साहब ने भी कहा था कि अंडर हैंड डील है, उसका मैंने जिक्र किया है। रुपए-मनी वगैरह का तो मैं क्या करूं? करुणाकरन साहब की बात का भी मैंने जवाब दिया है। सेल ऑफ शेयर्स का भी मैंने जिक्र किया है। मैंने इंटरनेशनल कोर्ट का भी जिक्र किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो इसमें जिक्र है वह दोनों पार्टियों की सहमति के साथ हर बार होगा।

यह भी मैं आपको बता दूं, यह आपकी बात कहीं रह गई थी। एनटायर कंट्री खड़ी हो जाएगी, उसका मैंने जिक्र कर दिया कि एनटायर कंट्री में जो पढ़े-लिखे लोग अखबार निकालते हैं, जो मीडिया वाले हैं वे शामिल हैं या नहीं, उसका मैंने जिक्र किया। प्रधान मंत्री के कार्यालय ने यह निर्णय लिया था। राघवन साहब ने जो कहा उसका मैंने जिक्र किया कि नहीं, फैसला मैंने किया। बालू साहब ने प्रेशराइज कहा तो मैंने उसका जिक्र किया। स्वदेशी का इससे क्या ताल्लुक है, एक हैरतअंगेज सवाल है। सुजुकी हमारे आने से पहले एगजिस्ट करती थी, उस एक कमपनी में सुजुकी के भी शेयर थे और हिन्दुस्तान के भी शेयर्स थे। स्वदेशी का मैंने जिक्र किया, मैं यह भी अर्ज कर देता हूं। कुरियन साहब ने अग्लीहेन्ट का जिक्र किया था। उसके लिए मैं अर्ज कर दिया कि अग्लीहेस्ट इसलिए थी कि मुझे जो तारीख इंटरनेशनल कोर्ट में मुकर्रर थी, उससे पहले फैसला करना था, इसलिए मैंने किया है। मेरा ख्याल है मैंने सबकी बातों का जवाब दे दिया है। *...(व्यवधान)* मैं उनके चार्ज को ऑफ दी कफ रिजेक्ट करता हूं। मैं भद्दे, बेहूदा और उग्र बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने तक की आवश्यकता नहीं समझता हूं। *...(व्यवधान)* ये जो गन्दगी का चार्ज लगाते हैं, ये वे लोग लगाते हैं जिनकी तमाम सियासी परवरिश भ्रष्टाचार की गोद में हुई है। मैं उनके चार्ज को ऑफ द कफ रिजेक्ट करता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरन: महोदय, हम सरकार पर आरोप लगाते हैं *...(व्यवधान)* हमें सरकार को मजबूर करना होगा कि वह संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराने के लिए राजी हो। यदि वे ऐसा नहीं करते तो हमारे आरोप लगे रहेंगे *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, हम मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वह हमेशा की तरह शोचनीय और प्रतिज्ञापन स्थिति में ही लिप्त रहे। हमारे सामने इस असन्तोषजनक जवाब के खिलाफ सदन का बहिष्कार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अपराह्न 6.33 बजे

(इस समय श्री एस. जयपाल रेड्डी और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त: स्पीकर साहब, जयपाल रेड्डी साहब के वाक आउट के बाद ही मुझे यकीन आएगा कि जो बात मैं कह रहा था वही ठीक है और अगर यह वाक आउट न करते तो मुझे ख्याल होता कि कहीं मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी। *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हम मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है इसलिए हम वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 6.34 बजे

(तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम भी वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 6.34$^{1}/_{4}$ बजे

(तत्पश्चात् श्री मोहन सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरन: महोदय चूंकि सरकार संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने के लिए सहमत नहीं है, हम सरकार के इस रवैये के खिलाफ विरोध प्रकट करते हैं और हम सभा का बहिष्कार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, सरकार को जांच के लिए सहमत होना चाहिए लेकिन चूंकि वह जांच के लिए सहमत नहीं हो रही है हम सभा का बहिष्कार कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 6.34$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय प्रो. पी.जे. कुरियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 6.34$^{3}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब लोक सभा 22 जुलाई, 1998 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 जुलाई, 1998/ 31 आषाढ़, 1920 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/4/26/98 (एन०)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।